खण्ड-342, अंक-6
मंगलवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1901
(4 सितम्बर, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 342 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	345–349
प्रश्नोत्तर	349–391
विधान सभा सदस्य, श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के साथ पासपोर्ट आफिस के एक कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी की माँग	391–392
भूतपूर्व सदस्य, श्री श्रीराम तिवारी के निधन पर शोकोद्गार ..	393–395
श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा के साथ बरेली जिला अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मारपीट की घटना पर की गयी कार्यवाही की जानकारी की माँग	395–398
प्रदेश के बुनकरों को बिजली न मिलने की शिकायत	398
विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की माँग ..	398–403
प्रगतिशील विधायक दल की मान्यता एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी की माँग	403–405
विधान सभा सदस्य, श्री बसन्त की सुरक्षा की मांग	405–407
लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के बीच प्रदेश के अधिकारियों के स्थानान्तरण न किये जाने के आदेश	408–409
लखनऊ में विषाक्त शराब पीने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य की माँग	409–410
विधान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	410–413
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गई)	414
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तेईसवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गई)	414
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौबीसवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गई)	414
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (पहला संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गई)	414
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गई)	414
स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गई) ..	414
विगत सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखे गये) ..	415
नैनीताल के कुंडेश्वरी स्थान पर भांडारागार निगम द्वारा भूमि खरीदने के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य श्री गुरुदत्त सोलंकी तथा सहकारिता मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	415–421

विषय	पृष्ठ संख्या
भूतपूर्व राज्य मंत्रियों क पद से हटने के बाद वही सुविधायें जारी रखने के संबंध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	421–425
पुलिस चौकी, मछरेहटा तथा मिश्रिख थाने की पुलिस द्वारा हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर मुख्य मंत्री द्वारा गलत दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	425
विधान सभा में प्रश्न दिये जाने पर प्रताड़ित किये जाने के विषय में श्री नाथूलाल ए0 डी0एम0 राशनिंग, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	426
विभाजित जनता पार्टी के नामकरण के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	426–427
श्री खान मोहम्मद आतिफ खां द्वारा उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर जानकारी की माँग	427
जनपद बाँदा की नरैनी तहसील में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कृषकों की फसल बरबाद किये जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन . .	427–428
दिनाँक 22 मई, 1979 के गृह एवं सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित अनुदानों पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आकड़ों का संशोधन	428
दिनांक 22 मई, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों का शोधन वक्तव्य	429
दिनाँक 14 जून, 1979 को पूछे गये ताराँकित प्रश्न संख्या 8 के अनुपूरक प्रश्न का शोधन वक्तव्य	429–430
दिनाँक 28 मई, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	430
इटौंजा में जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर होने वाले वक्तव्य का स्थगन	430
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना . .	430
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित)	431–434
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित)	434–436
भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित) . .	437–439
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित) . .	439–448
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 से संबंधित सामग्री सदस्यों को उपलब्ध न कराये जाने पर आपत्ति	448–451
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित)	452–476

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 (पारित) .	476–491
विधान सभा सदस्य, श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के साथ पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही की सूचना	491
प्रदेश के कतिपय जिलों में सूखे एवं अन्य दैवी आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	491–508
सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	508
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	508
नत्थियाँ	509–517

विधान सभा सदन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 4 सितम्बर, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—384

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फीलाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
ईसमाइल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओंम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशनलाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णकान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाशनाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री उर्फ (मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री

गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्दसिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
चौधरी नौनिहाल सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेंदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगाराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसारा, श्री
नतराम सिंह, श्री
नम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री

बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसीदास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुबाँठा 'अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज" श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृजलाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह नोमानी, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री

रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघवराम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अवतर यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम राय श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमणा सिंह, श्री (उर्फ मजि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री

मोहन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द बिसारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री

नोट--श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कुमार तथा स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री रामाधार पाण्डेय भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

**1--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर इसी सत्र में रखने और उसकी सिफारिशों को तत्काल लागे करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्रम मन्त्री (श्री क्रान्ति कुमार)--

श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने और उसकी सिफारिशों को लागू करने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, 24-3-78 से पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियां शासन के विचाराधीन हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आयोग की सस्तुति अभी तक कैबिनेट के सामने रखी गई है या नहीं ? यदि रखी गई है, तो कब रखी गई और उनमें से किन-किन संस्तुतियों पर कैबिनेट में सहमति है और किन-किन संस्तुतियों को विभागों को उनके स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर यह रिपोर्ट माननीय साथी जी ने 24-3-78 को दी किन्तु इसकी तीन कापियां साईन होकर आनी चाहिए थी जब प्रकाशन के लिए कापी भेजी गई तो मालूम हुआ कि केवल एक ही प्रति पर साथी जी के हस्ताक्षर हैं। उसके बाद अप्रल, 1979 में सचिव के प्रयास से उन कापियों पर हस्ताक्षर किये गये और उनको मुद्रण के लिए भेजा गया। मंत्रि परिषद् के सामने इस पर विचार करने के लिए अधिकारियों के स्तर पर पूरी जानकारी करने के बाद टिप्पणी तैयार कर ली गई है। मुख्य सचिव से कहा गया है कि वह अगली मीटिंग में इस को मंत्रिपरिषद् के सामने लायें ताकि इस पर विचार हो सके। जो मंत्रि-परिषद् निर्णय करेगी उसको सरकार लागू करेगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 24-3-78 को प्राप्त हो गई थी, जिसका वाचन हो गया है, तो इसमें से मुख्य-मुख्य सस्तुतियों पर विभाग की तरफ से कोई आख्या आ गई है कि नहीं ? यदि नहीं, तो इतने लम्बे समय तक विभाग से कोई आख्या नहीं आई तो इसके क्या कारण है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इस रिपोर्ट को विभाग ने मुद्रण के लिए भेजा, तो उसमें दूसरी कापियों पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, उस पर ध्यान आकर्षित किया, तो उन्होंने अप्रैल, 1979 में हस्ताक्षर किये और अब मुद्रण के लिए गयी है। मंत्रिपरिषद् के सामने भेजने के लिए टिप्पणी तैयार हो गई है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या है और उनमें से किन संस्तुतियों को शासन के किस-किस विभाग को अध्ययन करके टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है। आयोग की संस्तुतियों को कब तक निश्चित रूप से यह सरकार अपने निर्णयों के साथ सदन के पटल पर रख देगी। दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या यह सवाल जो आपने किया कोई छोटा सवाल है।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

इसी के साथ पूछ लेता हूं क्या बिना टिप्पणियों के साथ कैबिनेट के सामने रखा गया और विभागों को भेज दिया गया था।

श्री क्रान्ति कुमार—

एक तो उन्होंने यह सिफारिश की है, जिसमें एक लिस्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाय। दूसरी उन्होंने कैटेगरी बनाई ह जिसमें उन्होंने रखा है कि रिजरवेशन किस प्रकार हो। उन्होंने एक कैटेगरी मे 17 परसेंट की बात की है। दूसरी सूची में 10 परसेन्ट की बात कही है, तीसरी सूची म ढाई परसेंट की बात कही है। इन सब बातों का परीक्षण हो रहा है। मैं समझता हूं यह मंत्रि परिषद् के सामन अगली मीटिंग में ही किया जा रहा है और समझता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही हो जायगी।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे कौन-कौन सी जातियां हैं, जिनको विशेष पिछड़ी जाति की सूची में रखने की बात कही गई है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मान्यवर, यह 41 जातियां है, जिनको इन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अग्रह किया जाए कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग की निम्नलिखित 41 जातियों जिनका चयन पिछड़े वर्ग की जातियों की श्रेणी (अ) (ब) तथा (स) की सूची से किया गया है, की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाय—अहिबासी, बंजारा, बारी, बिन्द, मल्लाह, डफाली, दलेरा, तेवर, घीमर (धीवर), गड़रिया, गन्धिला, कहार, हलालखोर, क़बड़िया, खंगर, किरार, नुनिया, माँझी, मिरासी, मेवाती, नायक, नक्काल, नियरिया, रमैया, रावा, सोयरो, तियार, नाई, कुम्हार, माली, (सैनी) भर, या राजभर, बढ़ई, लोहार, बियार, काछी, मुर्जी, मुस्लिम धोबी, पटुआ, तुरहा, गोडिया, मिश्ती।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)

इन जातियों को जो सूचियों में रखने की संस्तुति की गई है इनमें से पिछड़ा वर्ग को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसका क्या आधार है ? यह उनकी पापुलेशन के आधार पर दिया जा रहा है या अन्य कोई आधार है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कई बार सदन में आ चुका है और जवाब दिया जा चुका है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इन 41 जातियों में मुसलमानों की कौन-कौन सी जातियाँ हैं ? क्योंकि मुस्लिम धोबी आपने कहा है ?

श्री क्रान्ति कुमार—

मैंने नाम पढ़कर सुनाये है, हो सकता है कि इसमें कई मुस्लिम जातियाँ हों।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)—

मैं जानना चाहता हूं कि इस कमेटी की फलां-फलां जातियों को उसमें शामिल करने का रिफरेंस क्या था क्योंकि जिनका आधार छुवाछूत नहीं है उनका कोई औचित्य नहीं है। उसमें मुख्य कांसिड्रेशन यह है कि उसमें स्टगिमा आफ अनटचैब्लिटी अवश्य होनी चाहिए। जिनको आपने पढ़ा है वह अति पिछड़ी जाति तो हो सकती है, लेकिन जो इस में नहीं आती है वह अनुसूचित जातियों में कैसे आ सकती हैं ? तो क्या टर्म्स आफ रेफरेंस इस कमेटी का था और किस परिस्थिति में ऐसी जातियों की सिफारिश उसमें की गइ ह ?

श्री क्रान्ति कुमार—

यह जो सिफारिश समिति ने की है, शासन ने उस पर विचार नहीं किया है। इसलिए इसमें तो कोई बात है नहीं .....

श्री शम्भूनाथ—

उसके टर्म्स आफ रेफरेंन्स क्या हैं।

श्री क्रान्ति कुमार—

इस आयोग के कार्य क्षेत्र में निम्न विषय रखे गये थे—

(क) ऐसे वर्ग की सूची बनाना जो सामाजिक तथा शैक्षिक दोनों प्रकार से सर्वाधिक पिछड़े हों और यह भी पता लगवाना कि ऐसे प्रत्येक वर्ग की राज्य में कितनी जन संख्या है ? ऐसी सूची तैयार करने में आयोग उन सब वर्गों को पिछड़ा नहीं मानेगा, जो जाति के आधार पर केवल परम्परागत पिछडे माने जाते हैं बल्कि केवल उन्हीं को पिछड़ा मानेगा जो जीविका वृत्ति के आधार पर समाज में निम्न वर्ग के माने जाते हैं, विशेष रूप से वे वर्ग

जिन्हें काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट, 1955 के भाग 2 में मोस्ट बैकवर्ड के रूप में तारांकित किया गया है।

(ख) यह संस्तुति करना कि इन वर्गों का सामाजिक स्तर ऊंचा करने तथा समाज में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए शासन द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

(ग) यह संस्तुति करना कि प्रस्तर (क) में वर्णित वर्गों को उनके पिछड़ेपन को देखते हुए क्या क्या सुविधायें शासन द्वारा की जानी चाहिए।

(घ) प्रस्तर (ख) तथा (ग) में वर्णित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आर्थिक पहलुओं पर शासन को रिपोर्ट देना।

(ङ) प्रस्तर (क) में वर्णित वर्गों के लिए सेवा पदों एवं प्रशिक्षण आदि में आरक्षण देने के सम्बन्ध में संस्तुति देना।

(च) संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) तथा 46 के अन्तर्गत इन वर्गों की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या क्या सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए, संस्तुति करना।

(छ) प्रस्तर (क) में वर्णित वर्गों के पैत्रिक धन्धों के आरक्षण एवं विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या सुविधायें दी जानी चाहिए, संस्तुति देना।

(ज) उपरोक्त सभी सुविधायें इन वर्गों को कितनी अवधि के लिए शासन द्वारा दी जानी चाहिए, संस्तुति देना।

मान्यवर, यह इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स थे।

श्री शम्भूनाथ—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी शासन के विचाराधीन यह है। जब सदन के सामने आवे तो आपको मौका मिलेगा।

श्री शम्भूनाथ—

यह वैधानिक बात है। टर्म्स आफ रेफरेन्स में यह बात नहीं है कि कौन कौन सी जातियां इनवालव्ड होंगी और कौन-सी नहीं होंगी। इस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब सदन के सामने रिपोर्ट आवेगी तो आप अपनी बात कहें।

श्री शम्भू नाथ—

संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इस मामले का जुरिस्डिक्शन केन्द्र को है, तो राज्य सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती है।

श्री क्रान्ति कुमार—

जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उस पर मंत्रि परिषद् विचार करेगा और अगर उचित समझेगा तो वह केन्द्र को अपनी संस्तुति भेजेगा।

केन्द्रीय क्रीड़ागन लखनऊ के जलाशय को किराये पर दिया जाना

**2—श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

खेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि केन्द्रीय क्रीड़ांगन, लखनऊ के केन्द्रीय जलाशय को "कोस्मोपालिटन क्लब" को जिसे 6 मास पूर्व अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया गया था, किराये पर 30 मई, 1979 को दिया गया है? क्या यह भी सच है कि 17 मई, 1979 को इस निर्णय के विरोध में तैराकी संघ के सचिव ने लखनऊ के मंडलीय क्रीड़ाधिकारी और खेल निदेशक को पत्र लिखा था? यदि हां, तो इस जलाशय को उक्त क्लब को देने का क्या कारण है?

सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हरी किशन श्रीवास्तव)—

जी हां।

विभाग की नीति खेलकूद के उन्नयन एवं कार्यरत क्लबों एवं संघों को प्रोत्साहन एवं सुविधायें देने की है। इसी कारण जलाशय का आरक्षण कोस्मोपोलिटन क्लब द्वारा कराये जाने पर किया गया था। क्लबों एवं संघों के आपसी विवाद से खेलकूद निदेशालय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के केन्द्रीय जलाशय को कास्मोपोलिटन क्लब को अनुशासन हीनता के आधार पर निष्काषित किया था, तो वह अनुशासन हीनता क्या है, दूसरी बात यह है कि इस निर्णय के विरोध में तैराकी संघ के सचिव ने लखनऊ के मंडलीय क्रीड़ाधिकारी और खेल कूद निदेशक को पत्र लिखा था तो वह पत्र क्या है तथा कास्मोपालिटन क्लब के पदाधिकारी कौन हैं और उनके नाम क्या हैं?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, पहले तो मैं जो माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है, उसको साफ किए देता हूं। क्लब को अनुशासनहीनता के आधार पर केन्द्रीय क्रीड़ांगन ने नहीं निकाला है। उन पर जो कार्यवाही की गयी वह संघ का उनकें अपने आपस में झगड़ के कारण है। जिससे निदेशालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए आप स्पष्ट समझ लें कि उनको किसी आरोप में नहीं निकाला था।

जहाँ तक पदाधिकारियों की सूची का सम्बन्ध है, उससे भी सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। पर यदि आप उनके नाम चाहते ही हैं, तो उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि इस समय मेरे पास उनके नाम उपलब्ध नहीं है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

आपने अपने उत्तर में स्वीकृत किया है कि अनुशासनहीनता में कोस्मोपोलिटन क्लब को निकाला था और अब आप कह रहे हैं कि उससे हमारा मतलब नहीं है। क्या यह सच है कि 17 मई, 1979 को इस निर्णय के विरोध में तैराकी संघ के सचिव ने लखनऊ के मंडलीय क्रीड़ाधिकारी और खेल निदेशक को लिखा था और क्या आपकी व्यक्तिगत जानकारी है कि कोस्मोपोलिटन क्लब को किराये पर इसलिए दिया गया क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री के सुपुत्र उसके पदाधिकारी हैं?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मंडलीय क्रीड़ांगन को जिला तैराकी संघ के सचिव ने पत्र लिखा था लेकिन हमारा निदेशालय उनकी संस्तुति मानने पर बाध्य नहीं है। यह उनका आपसी विवाद है। हमारा उस पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। इसलिए न सरकार का उत्तरदायित्व है और हमने जो उनको अनुमति दी, इस प्रकार की अनुमति दूसरे लोगों को भी दी जाती रही है। जहाँ तक पदाधिकारियों के नाम की सूची का प्रश्न है, जैसा मैंने पहले भी निबेदन किया इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री के पुत्र के बारे में कि वे इसके पदाधिकारी हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इनके उत्तर में विरोधाभास है कहीं कुछ कहते हैं और कहीं कुछ कहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कास्मोपालिटन क्लब को सरकार की ओर से क्या क्या सुविधायें दी गयी है, दी जाती रही हैं और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार की मशीनरी क्या कार्य कर रही है?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस प्रकार से अन्य लोगों को सुविधायें दी जाती रही हैं उसी प्रकार से कोस्मोपोलिटन क्लब को भी दी गयी हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तैराकी संघ ने जो विरोध किया था, उसके क्या क्या कारण दिए थे ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—
इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—
जो प्रश्न किया गया था उसका उत्तर माननीय मंत्री 'जी ने जी हाँ, में दिया है। अब यह कह रहे हैं, यह क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष—
आप अपनी पत्रावली में देख लीजिए ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—
यहाँ आने के पूर्व ही मैंने अपनी पत्रावली देख ली थी । वह पत्र मेरे पास नहीं है । इसीलिए मैंने कहा था कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—
आपने कहा था "जी हाँ"?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—
मैं यह तो मान रहा हूं कि उन्होंने विरोध पत्र लिखा था लेकिन क्या लिखा था मैं इस समय नहीं बता सकता हूं क्योंकि वह पत्र इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—
ठीक है, मैं इसको स्थगित किए देता हूं ।

सर्वाधिक प्रयोजन की भूमि का आवंटन एवं बेदखली की कार्यवाही

**3—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—
क्या शासन को जानकारी है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन भूमिहीनों को भूमि दी गयी थी उन्हें आठ प्रतिशत भूमि के आरक्षण के आधार पर बेदखल किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)—
जी नहीं । कुछ मामलों में बेदखली की कार्यवाही 8 प्रतिशत भूमि के आरक्षण के आधार पर नहीं वरन् सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के अनियमित आवंटन के आधार पर की गई है। अभियान में कहीं-कहीं पहले से सार्वजनिक प्रयोजन में चली आ रही भूमि अथवा चकबन्दी प्रक्रियाओं में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि के भी सीरदारी पट्टे कर दिये गये जो अनियमित थे, क्योंकि ऐसी भूमि में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत सीरदारी अधिकार दिये ही नहीं जा सकते । ऐसे पट्टों के फलस्वरूप स्थानीय ग्रामवासियों के लिय काफी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई तथा शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसी सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि के अनियमित पट्टों को निरस्त कराने की कार्यवाही धारा 198 (4) में की जा रही थी जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है तथा ऐसे आवंटियों को बेदखल करने की बजाय उनको सीरदारी के स्थान पर आसामी के अधिकार देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

हरदोई जिले में डी० जी० सी० (सिविल) के पद पर कुमारी महामहिमा श्रीवास्तव की नियुक्ति

**4—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—
क्या न्याय मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जिले में डी0जी0सी0 (सिविल) के पद पर प्रदेश की किसी एक मात्र महिला एडवोकेट की नियुक्ति 24 जुलाई, 1979 को

की गयी ? यदि हाँ, तो क्या नियुक्ति पत्र उन्हें दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

हरदोई जिले में डी0जी0सी0 (सिविल) के पद पर कु0 महामहिमा श्रीवास्तव की नियुक्ति के आदेश दिनाँक 18 जुलाई, 1979 को पारित किए गये। यह आदेश हरदोई जनपद के अधिवक्ताओं के एक प्रत्यावेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप मुख्य मन्त्री जी के आदेश से रोक दिए गये हैं और मामले के पूर्ण विवरण प्राप्त किए जाने के आदेश हुए थे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मन्त्रि परिषद् के सदस्यों के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार के मुकदमें

*1—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के वर्तमान मन्त्रि मण्डल में कौन-कौन मन्त्री हैं जिनके खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार के मुकदमें न्यायालय में चल रहे हैं ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

श्रीमन्, यह प्रश्न 25-4-79 को मैंने दिया था और अभी तक यह सूचना एकत्र की जा रही है। एक बार यह स्थगित भी हो चुका है। लगता है इतने ज्यादा मन्त्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के मुकदमें हैं कि उसकी सूचना एकत्र करने में इनको इतना समय लग रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह सूचना एकत्र करके सदन को दे देंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, 25-4-79 के बाद भी कई राज्य मन्त्रियों ने शपथ ली। तमाम मन्त्रियों के बारे में....

(व्यवधान)

सारी सूचना एकत्र करने में समय तो लगेगा ही। हमारी कोशिश होगी कि शीघ्र सूचना एकत्र करके सदन को दे दी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

जानकारी किस चीज की की जा रही है, क्या इसकी की जा रही है कि कौन-कौन मन्त्री हैं, जिनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं या मन्त्रियों के खिलाफ कौन-कौन से मुकदमें हैं।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

प्रश्न को माननीय सदस्य पढ़ें, प्रश्न साफ है जो पूछा गया है, उसी प्रश्न की जानकारी एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उन मन्त्रियों के नाम क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह बता दिया है कि सूचना एकत्र कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इस सूचना को एकत्र करने के लिए अब तक क्या-क्या ठोस कदम उठाए गये हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन्त्रियों की संख्या जो भ्रष्ट हैं इतनी अधिक है कि आपको सूचना एकत्र करने में कठिनाई हो रही है ? इसमें अभी कितना समय और लगेगा ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

काफी शीघ्रता की जा रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अब तक क्या ठोस कदम उठाए गये हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

सभी विभागों को विशेषकर अनुसन्धान शाखा को लिखा गया है कि जहाँ कहीं मुकदमें लम्बित हों, उसकी सूचना शासन को दें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

जो माननीय मन्त्री यहाँ मौजूद हैं वही इसका जवाब दे दें, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मित्रसेन—

जो वर्तमान मन्त्रि मण्डल है उसी की जाँच कर रहे हैं या पहले के मन्त्रियों की भी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न वर्तमान मन्त्रि मण्डल के बारे में ही है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह जो जाँच चल रही है क्या यह पिछले दो सालों में जो लोग मन्त्री रह चुके हैं। क्या उन सभी के खिलाफ है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, यह प्रश्न केवल वर्तमान मन्त्रि मण्डल के बारे में है । इसमें जाँच नहीं, केवल सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह स्थगित हो जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह आश्वासन माननीय मन्त्री जी दे दें कि अबकी जो सवाल आएगा, उसका उत्तर यह नहीं आएगा कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह कह तो रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है उस समय तक तो सूचना एकत्रित हो ही जानी चाहिए ।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो माननीय मन्त्री जी यही बता दें कि किन-किन मन्त्रियों के खिलाफ सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मन्त्रि मण्डल के सभी सदस्यों के बारे में सूचनाएं माँगी गयी हैं । मान्यवर, उसमें किसी खास मन्त्री के बारे में सूचना नहीं माँगी गई है, बल्कि कौन-कौन से मन्त्री के खिलाफ आरोप हैं, उनके बारे में सूचना माँगी गयी है और उन्हीं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम हथिया भीटी, इलाहाबाद में श्री छब्बू लाल एवं श्री सत्यनारायण द्वारा मारा गया डकैत एवं उनको दिया गया बन्दूक का लाइसेन्स

*श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थाना कीखराज के ग्राम हथियाभीटी में अगस्त, 1978 को चार डाकुओं को मार डालन तथा अन्य कई डाकुओं

को घायल कर दिए जाने पर दो भाइयों श्री सत्य नारायण एवं श्री छब्बू लाल को वीरता प्रमाण-पत्र तथा दो बन्दूकें देकर स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं मदरी नरेश ने एक सार्वजनिक सभा में पुरस्कृत किया था ? यदि हां, तो क्या उन दोनों भाइयों का गन के लाइसेन्स के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

अगस्त, 1978 में ग्राम हथियाभीठी, थाना कौखराज, जनपद इलाहाबाद में मुठभेड़ में एक डकैत मारा गया था। सर्वश्री छब्बूलाल और सत्य नारायण को बाद में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वीरता प्रमाण-पत्र से पुरस्कृत किया गया था तथा बन्दूक का लाइसेन्स दिलाने का आश्वासन दिया गया। मदरी नरेश द्वारा दिए गए वचन के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

सर्वश्री छब्बूलाल तथा सत्यनारायण को बन्दूक के लाइसेन्स स्वीकृत किए जा चुके हैं।

बरेली में कथित पुलिस एवं छात्र संघर्ष

*3—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 19 अप्रैल, 1979 को बरेली में पुलिस और छात्रों में संघर्ष हुआ ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं और इससे धन तथा जन की कितनी हानि हुई।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*4—श्री बरफिया लाल जुआंठा अरविंद—

[1ले बुधवार में प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*5—श्री बरफिया लाल जुआंठा शरविंद—

[1ले बुधवार में प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जिले में जूता उद्योग की स्थापना की मांग

*6—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद में जूता बनाने वाले मजदूरों की संख्या तीन हजार से भी ऊपर है ? यदि हां, तो क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी सरकारी स्तर पर फैजाबाद में जूते का उद्योग लगाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

फैजाबाद में जूता बनाने वाले कारीगरों का अभी तक कोई विधिवत् सर्वेक्षण नहीं हुआ है। सर्वेक्षण के अभाव में कारीगरों की निश्चित संख्या बताना सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, आगरा द्वारा फैजाबाद जनपद के जूता उद्योग के सर्वेक्षण हेतु कार्यवाही की जा रही है। सर्वेक्षण कार्य के समाप्त होने के पश्चात् फैजाबाद जनपद में जूता उद्योग के विकास हेतु कार्यक्रमों पर विचार किया जायगा।

कानपुर के सीसामऊ में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध लगाया गया तावान

*7—श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या आवास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण की पत्रावली संख्या 230-मव0/29-30 (डी0)-भवन विभाग प्लाट नं0 134 व 135; ब्लाक डी0 जो स्कीम चतुर्थ सीसामऊ पर अनधिकृत निर्माण के कारण पहले 86,000 रु0 तावान लगा

था किन्तु बाद में नई फाइल खोलकर तावान घटा कर 21,100 रु0 लगा कर मकानों के नक्शे नियमित कर दिए गये ? यदि हाँ, तो पहली फाइल को बदलने तथा जो सरकारी धन की हानि हुई उसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

आवास मन्त्री (मोहम्मद मसूद खां)—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, पहले भी प्रश्न पूछा था, तब भी यही उत्तर आया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। केवल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक सूचना आनी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर इस सूचना को एकत्रित करने में और कितना समय लगेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इसमें बहुत प्रयास किया जा रहा है कि जल्द सूचना आ जाय और उसमें जो कमी नाई है वह मैं बहुत सफाई के साथ बतला दे रहा हूं कि इसमें फाइलें मिसिंग हैं, वह तलाश करा रहे हैं ।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी का आभारी हूं, उन्होंने स्पष्ट स्वीकार कर लिया कि कुछ फाइलें मिसिंग हैं। मान्यवर, 65 हजार रुपए का इसमें गवर्नमेन्ट रेवेन्यू का लास हुआ है। तो क्या माननीय मन्त्री जी, जिन लोगों के कारण फाइलें मिसिंग है, जिन लोगों ने फाइल गायब किया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जो भी आदमी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप नियमावली की ओर आ जाय इस लिहाज से कि जिस प्रश्न के उत्तर में यह बात कही जायगी कि सूचना एकत्रित की जा रही है, दुबारा वह आयेगा, तो उसमें सूचना देना सरकार के लिए अनिवार्य है। मान्यवर, मैं इस बात को प्रश्न के रूप में कह द रहा हूं कि क्या मन्त्री जी को नियमावली के बारे में, इस सन्दर्भ में जानकारी है कि इस प्रश्न का उत्तर आज उन्हें देना चाहिए था ? यदि हाँ, तो आज उत्तर न देने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कारण तो उन्होंने बता दिया, कुछ मजबूरी उन्होंने बताया ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, नियम के आगे कोई मजबूरी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जहाँ कहीं बहुत आवश्यक हो, जहाँ पर माननीय मन्त्री जी मजबूर हो गये हों, वहाँ पर ही इस प्रकार उत्तर आने चाहिए । इसके लिए मैं निर्देश देता हूं कि भविष्य के लिए ध्यान दिया जाय। जैसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने नियम का हवाला दिया ह, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, फाइल के बारे में नहीं कहता हूं। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि 86 हजार रुपए का जो तावान लगा था, वह फाइल गायब हो गयी और दूसरी फाइल बनाकर 21 हजार रुपया लगाया, तो दूसरी फाइल तो मौजूद होगी ही, तो मुझे बताया जाये कि किन कारणों से 86 हजार से वह 21 हजार किया गया ?

मोहम्मद मसूद खां—

इन्ही सब चीजों की तो सूचना एकत्र की जा रही है। मैं अपने बुजुर्गवार से पूछना चाहता हूं कि इतनी सारी देर में, मैं सारा जवाब न दे देता अगर मुझे यह सब मालूम होता।

मेरठ जिले के विधायक श्री मन्जूर अहमद के विरुद्ध हरिजनों से सम्बन्धित आरोप-पत्र

*8—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के प्रति गन्दे शब्द का प्रयोग एव कीचड़ उछालने के विषय पर तत्कालीन विधायक, श्री मन्जूर अहमद, जिला मेरठ के विरुद्ध सन् 1976 में लगभग 45 विधायकों ने कोई आरोप-पत्र तत्कालीन मुख्य मन्त्री को दिया था? यदि हाँ, तो वह आरोप-पत्र क्या था, उसकी जाँच किस अधिकारी से कराई गयी और उसका परिणाम क्या निकला?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

तत्कालीन मुख्य मन्त्री को सम्बोधित ऐसा कोई पत्र उपलब्ध नहीं है।

श्री रेवती शरण मौर्य—

यह एक ऐसा गम्भीर मामला है जिस पर 45 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इसकी कापी तत्कालीन मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदय, प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री, भारत सरकार को भेजी है लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि जो उत्तर मिला है, यह ऐसा ह जिसमें यह बताया गया है कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री को इस किस्म का कोई पत्र नहीं मिला। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि हरिजनों के प्रति जैसा मैंने सवाल किया है.....

एक सदस्य—

ये क्या कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करिए।

श्री रेवती शरण मौर्य—

भाई तोमर जी खड़े हो गए। मैं कहता हूं कि जो सवाल मैंने किया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्पष्ट प्रश्न करें।

श्री रेवती शरण मौर्य—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री का जो उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दिया है मैं उसमें यह जानकारी चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव या राज्यपाल महोदय या अन्य किसी अधिकारी से जाँच करके यह पता चला कि इस किस्म का कोई लेटर या आवेदन-पत्र मेरी और से मिला है?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित कार्यालय या गृह सचिव या दूसरे किसी भी कार्यालय में यह उपलब्ध नहीं ह किन्तु प्रधान मन्त्री सचिवालय से यह पत्र मुख्य सचिव के नाम मिला है, ढूंढने पर और चूंकि यह प्रश्न मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित था इसलिए इसके आगे और कुछ नहीं कह सकता।

श्री रेवती शरण मौर्य—

जो पत्र मिला है कृपया उसे पढ़कर सुनायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका सारांश आप बता दें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

नहीं सुना सकते। उस पत्र का काग्नीजेंस नहीं लिया जायगा और यदि इस तरह का पत्र उपलब्ध न हो तो प्रश्नावली में छपना ही नहीं चाहिए था। अगर यह प्रश्नोत्तर काल में पढ़ने की परिपाटी डाली जायगी तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर मैं फर्जी पत्र दे दूंगा, तो वह प्रश्नावली में छप जायेगा। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि क्या ऐसा उत्तर सरकार यहाँ ला सकती है। इस पत्रों के प्रवक्तों की प्रतिलिपि पर सदन में चर्चा हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी को भी एक प्रतिलिपि भेजी जाती है। उसमें हरिजन समस्या का प्रश्न है। इसलिए प्रश्न तो पूछा जा सकता है। जब उसको स्वीकार किया गया है तो इसे पढ़ा भी जा सकता है। मन्त्री जी आप उसकी मुख्य-मुख्य बातें बता दीजिए।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, यह पत्र तो मुख्य मन्त्री. . . ..

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए। मैंने उस प्रश्न की इजाजत दी है, उसका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

इजाजत तो दे दीजिए। कम से कम आप भी तो नियमों से बन्धे हुये हैं। लक्ष्मण सिंह के खिलाफ एक प्रश्न पूछा गया, चौधरी चरण सिंह को पत्र लिखा गया था। आपने व्यवस्था दी थी कि पत्र मुख्य मन्त्री को एड्रेस नहीं किया गया है इसलिए नहीं पढ़ा जायेगा। मन्जर साहब ने उसको आपको दिया था। किसी माननीय सदस्य के खिलाफ आप यह मौका देंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको नियमों के अन्तर्गत यह अनुमति देने का अधिकार नहीं है। उस पत्र को पढ़ने की आज्ञा देना जो केन्द्रीय सरकार के किसी मन्त्री को एड्रेस किया गया है या अन्य किसी मन्त्री को एड्रेस है उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपत्ति जो है इसको मैं स्वीकार नहीं करता। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दो चार मुख्य बातें बता दें।

श्री अजीत सिंह सेठी —

मान्यवर, कृपया मुझे भी सुन लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठिए। हमने इजाजत दे दी है। इस तरह से सदन की व्यवस्था नहीं चलती है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

[* * * *]

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सेठी की बात नहीं लिखी जायेगी।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

जो पत्र प्रधान मन्त्री सचिवालय से मुख्य मन्त्री को मिला है उसमें विधायकों ने एक माननीय सदस्य श्री मन्जूर अहमद पर एक मैगजीन के इण्टरव्यू का हवाला दिया है। इन्होंने इमामे आवाज में चमार जाति पर खुले आरोपों और खुले अपशब्दों का इस्तेमाल किया है।

नोट [* * * *]—यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि श्री रेवती शरण मौर्य ने जो पत्र लिखा है वह निराधार है। अब चुनाव का समय आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि रेवती शरण हरिजनों में चुनाव लड़ लें अगर इनको एक वोट मिल जाय तो.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता।

भूतपूर्व गृह मंत्री, चौधरी चरण सिंह को सम्बोधित विधायकों का पत्र

*9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त प्रेषित पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 1977 संलग्नक सहित भूतपूर्व गृह मन्त्री (चौधरी चरण सिंह), भारत सरकार, नई दिल्ली से वापस उचित कार्यवाही के लिए पत्रांक एच-9/मु0 म0उ0प्र0-77, गृहविभाग, दिनांक 29 नवम्बर, 1977 उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो मुख्य पत्र एवं संलग्नक को सदन के पटल पर रखेंगे? और यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इसके सम्बन्ध में स्मृति-पत्र दिनांक 20 दिसम्बर, 1978 एवं मेमोरेण्डम दिनांक 29 दिसम्बर, 1978 भी शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो पत्रों का विवरण क्या है तथा क्या कार्यवाही की गयी और क्या सरकार पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर लोकहित में रखेगी।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित माननीय विधायकगण का पत्र तथा अन्य सन्दर्भित पत्र शासन को प्राप्त होना ज्ञात नहीं होता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आपकी इजाजत से मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है अगर आप इजाजत दें, तो मैं पत्र पढ़ दूं। बहुत लम्बा है, इसमें तत्कालीन भारत सरकार के गृह मन्त्री का एक पत्र है उसको पढ़ रहा हू।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिऐ, पत्र न पढ़िए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं उसका रिफरेन्स दे रहा हूं। सन्दर्भित पत्र को पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसके ऊपर प्रश्न करिए। अनुपूरक प्रश्न करिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं सन्दर्भ दे रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के ज्ञान को ताजा करने के लिए सन्दर्भ बता रहा हू। तत्कालीन गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह थे। एक पत्र लिखा गया था वह 19 नवम्बर का पत्र है। उस सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी ने लिखा है कि जो आरोप-पत्र यहाँ के 9 विधायकों ने भेजा है, उसमें कुछ तथ्यों की जानकारी के बाद सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है। बाकी तथ्यों की जानकारी के लिए, मैं आप के पत्र को अपने पत्र के साथ मुख्य मन्त्री को भेज रहा हूं। तो जब गृह मन्त्री भारत सरकार ने लिखा है कि मैंने मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश को पत्र भेज दिया है और पत्र वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, यहाँ सभी कार्यालयों और रेजीडेंट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया था कि वह गृह मन्त्री के कार्यालय से पता करें कि इस तरह का कोई पत्र भेजा गया है, तो उसका नम्बर भेजें। रेजीडेंट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ने लिखा है कि श्री एच0 एम0 पटेल साहब के निजी सचिव, उन्होंने जाँच की और इस तरह के किसी पत्र का उल्लेख नहीं मिला। जहाँ तक ओझा जी ने जो कहा है, तो वह अपना पत्र भेज दें, हम उसको देखेंगे और जो भी कार्यवाही उसमें आवश्यक होगी, करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको पत्र भेज दीजिए।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। उस पत्र के बारे में मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि वह उपलब्ध नहीं है। जब गृह मन्त्री जी ने पत्र लिखा है और यह लिखा है कि मुख्य मन्त्री को भेज रहे हैं और ओझा जी ने उसका नम्बर भी दिया है, तो हमारे सचिवालय या मुख्य मन्त्री का जो सचिवालय है, वह ठीक से ढंग काम नहीं कर रहा है। उनकी अयोग्यता और अक्षमता का यह परिणाम है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पत्र उनके पास उपलब्ध नहीं है। वह कहते हैं कि जाँच करने के बाद वह नहीं मिला।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय गृह मन्त्री का एक पत्र सदन के सम्मुख है। या तो [× × ×] चौधरी साहब की बात माने या त्रिपाठी जी की बात मानें ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि पत्र भेज दें, कार्यवाही करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

यह इनकी प्रशासनिक अयोग्यता का परिणाम है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मान्यवर, अभी मौर्य जी ने एक पत्र का हवाला दिया था। पता चला कि वह नहीं मिला। ओझा जी ने एक पत्र की बात की तो वह पत्र भी नहीं मिला। इसके पहले उच्च शिक्षा मन्त्री ने कहा था कि पत्र हमें नहीं मिला, तो हमें संरक्षण किसका मिलेगा ? यही परिपाटी चला करेगी, हम प्रश्न करेंगे, वह कंविस नहीं कर सकेंगे, तो इसी तरह समाप्त कर दिया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों पत्रों की जाँच की जाय और माननीय सदन के सम्मुख बताया जाय कि क्या हुआ और सम्बन्धित अधिकारी को दंडित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको मैं देख लूंगा।

(श्री रेवती शरण मौर्य के खड़ होने पर।)

यह प्रश्न समाप्त हो गया। अब आप बैठिए।

नोट—[× × ×] यह अंश भी श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बहराइच जिले में बंगाली शरणार्थियों को बसाने के लिये बघेल ताल संबंधी रिपोर्ट

*10—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त श्री मन्ना लाल (जिला खीरी) तथा श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या आवास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन क्षेत्रीय विकास उप मन्त्री का मुख्य सचिव को पत्रांक 197/78, दिनाँक 20 नवम्बर, 1978 के साथ कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें बहराइच जिले के पयागपुर ब्लाक के अन्तर्गत 3400 एकड़ में फैले बघेल ताल का प्रकल्प एवं प्राक्कलन का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया था तथा बंगाली शरणार्थियों को बसाने की परियोजना संलग्न थी ? यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या है तथा क्या सरकार उस योजना (आदर्श किसान नगर) को लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी का ध्यान मूल प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मूल प्रश्न में लिखा है कि 20 नवम्बर, 1979 को बहराइच जिले के बघेल तालाब के बारे में एक रिपोर्ट प्राक्कलन के साथ भेजी गयी थी, तो क्या वह रिपोट मन्त्री जी को प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो बंगाली शरणार्थियों को बसाने के लिए योजना पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इत्तफाक से माननीय सदस्य उस समय क्षेत्रीय विकास उप मन्त्री थे और इसलिए उन्होंने जो प्रश्न दिया वह ग्राम्य विकास विभाग में चला गया। वहाँ से हमारे पास आया, तो हमारे विभाग को जो आँकड़े तथा अन्य चीजें जो मिलनी चाहिए थीं, वह आज तक नहीं प्राप्त हुई है। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ आपने भेजा था। तो उस पर क्या कार्यवाही हुई वह सब हमको इकट्ठा करना है। मन्त्री जी की बात लम्बी चौड़ी होती है इसलिए उसको देखना है ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

यह मुख्य सचिव को भेजा गया था जहाँ उसकी पूरी फाइल है। उसको मगाने में कठिनाई नहीं थी। अप्रैल में दिया गया, तो अब 6 महीने हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सूचना इकठ्ठा की जा रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी आपको कठिनाई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इनका सारा प्लान किस-किस विभाग में इक्जामिन किया जा रहा है, यह सूचना इकठ्ठा की जा रही ह ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि माननीय सदस्य जो उस समय स्वयं मन्त्री थे, उन्होंने प्रश्न की 26-4-79 को सूचना शासन को दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले जो विभिन्न मन्त्रियों न उत्तर दिए हैं, उसमें सदस्यों के जो पत्र है, वह ढूंढे नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अब सरकार कितना और समय लेगी कि जो प्राक्कलन भेजा गया था, उसको ढूंढने में ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मैंने सब बता दिया है और कोई बात छिपाने की नहीं है और जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर अमल किया जायेगा।

प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज थाने के कतिपय ग्रामों में कत्ल सहित डकैती एवं थानाध्यक्ष का निलम्बन

*11—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद रानीगंज थाने में फरवरी, 1979 को खमपुर दूबे पट्टी के पाँच घर लूट लिए गए और एक स्त्री की हत्या कर दी गयी ? क्या कुमापुर, पढ़वा, कोयम, सिलोकी आदि ग्रामों में भी विभिन्न गृह स्वामियों को डकैतों ने लूट लिया एवं मार-पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया ? क्या यह भी सत्य है कि पढ़वा ग्राम के श्री गिरजाशंकर मिश्र के यहाँ जिस रात को डकैती डाली गयी, उस रात को थानाध्यक्ष, श्री राम शिरोमणि पाण्डेय एवं दो कॉंस्टेबिल सर्वश्री राम दुलारे सिंह एवं राजनारायण पाठक उसी घर में विश्राम कर रहे थे ? और थानेदार एवं सिपाहियों ने प्रतिरोध तक भी नहीं किया ? यदि हाँ, तो थानेदार एवं सिपाहियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 23/24-2-79 को खमपुर दुबे पट्टी में 6 घरों में डकैती पड़ी थी जिसमें एक स्त्री की हत्या भी हुई। कुमाँपुर कोठरा पड़वा व कोयम ग्रामों में भी डकैती/लूटपाट की घटनाओं को रिपोर्ट पंजीकृत हुई है। श्री गिरजा शंकर मिश्र के यहाँ तो नहीं। हाँ, ग्राम कोठरी (पड़वा) के सुशील कुमार के यहाँ जेवरात आदि सामान चोरी जाने की रिपोर्ट लिखाई गयी थी जो बाद में डकैती की घटना बताई गई थी। घटना के दिन थानाध्यक्ष राम शिरोमणि पाण्डेय एवं दो कॉंस्टेबिल श्री सुशील कुमार से सटे हुए ननकू मिश्र के बैठक में सोये हुए थे तथा उन्होंने घटना के समय अभियुक्तों से कोई प्रतिरोध नहीं किया। प्राप्त सूचना के अनुसार इस लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष को पदावनति व निलम्बित कर दिया गया था तथा कॉंस्टेबिलों को लाईन में बुलाकर सशस्त्र पुलिस में रख दिया गया था।

श्री राम देव दुबे—

क्या वर्णित डकैतियों और हत्याओं के अभियुक्तों का पता चल सका, यदि हाँ, तो उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, खामपुर दुबे पट्टी में 23/24 फरवरी, 1979 को डकैती पड़ी व इन्द्रजीत नन्हेंपाल, बलकरन, छोटे लाल, भगवानदीन रामदास के घरों में डकैती डाली गयी। कुल 2000 रु0 का सामान लूटा गया। नान्हू को लाठियों से मारा, पीटा व चोटें पहुंचाई। कुम्भापुर में 1 फरवरी, 1979 को 11–12 डाकुओं ने सईदुद्दीन के घर डकैती डाली। जेवर आदि 3,7471 रु0 का सामान लूटा गया। कोठरा पड़वा में 1 फरवरी, 1979 को हुई घटना की सुशील कुमार ग्राम कोठरा (पड़वा) ने रिपोर्ट लिखाई कि चोरों ने ताला खोल कर जेवरात आदि सामान चोरी गया। ग्राम पड़वा, बसीरपुर में श्री जयनारायण सिंह ने रिपोर्ट लिखाई कि 10–12 डाकुओं ने उनका घर भाई बदेश बहादुर को घर दबोचा, महादेव सिंह व शंकर सिंह व जगरानी मूगर हरिजन व सूरज तेली के घर लूटपाट की। कोयम पोस्ट सिधौली में दिनाँक 2/3 मार्च, 1979 को श्री राम सुमेर के यहाँ जेवर कण्डा आदि डकैतों द्वारा लूटने की सूचना लिखाई गयी। 600 रुपए का सामान लूटा गया।

श्री राम देव दुबे—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा कि था कितने अभियुक्तों का पता लग गया और उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, पहली डकैती खमपुर दूबे पट्टी में कोई अभियुक्त नामजद नहीं हुआ। दूसरी डकैती में बब्बन सिंह अभियुक्त नामजद हुआ। तीसरी डकैती में रामपति चमार और रामनाथ चमार नामजद हैं। चौथी में जगन्नाथ सिंह व राज सिंह नामजद हैं और पाँचवीं डकैती में कोई नामजद नहीं है। पहली डकैती में 11 अभियुक्त प्रकाश में आए। 6 गिरफ्तार हुए। 5 को किसी गवाह ने नहीं पहचाना। दूसरी डकैती में 11 अभियुक्त प्रकाश में आए, जिसमें 6 गिरफ्तार हुए एक। मुठभेड़ में मारा गया। शेष के विरुद्ध 82/83 की कार्यवाही की गयी। तीसरी में एक नामजद अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। चौथी में 8 अभियुक्त प्रकाश में आए जिन्हें गवाहों ने नहीं पहचाना। अतः रिहा किये गये शेष 4 के विरुद्ध 82/83 की कार्यवाही की गयी।

श्री राम देव दुबे—

नामजद डकैतियाँ नहीं पूछा था। मैंने यह पूछा था कि डकैतियाँ क्या वर्क-आउट हुयीं, कितने अभियुक्त पकड़े गए और उनके नाम और पते क्या हैं? ऐसा होता है कि कुछ डकैतियों में नामजद नहीं होते। अधिकाँश डकैतियाँ नामजद नहीं होतीं। नामजदगी मैंने नहीं पूछा। पुलिस ने क्या किया?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मैंने हर डकैती का विवरण आपके सामने रखा। श्रीमन्, मैंने जैसा निवेदन किया कि खामपुर दुबे पट्टी में 11 अभियुक्त प्रकाश में आए, वर्क-आउट हुए, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया गया, पाँच को किसी गवाह ने नहीं पहचाना। दूसरी डकैती में बब्बन सिंह नामजद हुए। तीसरी डकैती में रामपति चमार और रामनाथ चमार नामजद हुए। एक गिरफ्तार ह दूसरे के खिलाफ 82/83 में कार्यवाही हो रही है। चौथी में जगन्नाथ सिंह और राज सिंह नामजद हैं। 8 अभियुक्त प्रकाश में आए, 6 गिरफ्तार हुए।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि चोरी के मुकदमें दर्ज हुए थे, बाद में डकैती के पाए गए। डकैती के मामलों को पुलिस चोरी दर्ज करता है। लेकिन जिस केस में मुकदमा चोरी के रूप में दर्ज हुआ, बाद में डकैती के रूप में लिखा। इस तरह से देखते हैं कि थानाध्यक्ष ने अपराधों को छिपाया है। मान्यवर, अपराध छिपाना अपराध है और अपराध छिपाने वाले के खिलाफ, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी, तो क्या कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, थानाध्यक्ष, श्री राम शिरोमणि पाण्डेय सस्पेंड किए गए हैं और हटा दिए गये हैं। माननीय रामदेव दुबे ने पत्र लिखा था कि सस्पेंड होने के बाद भी वह वहाँ घूमते हैं। अतः उनके विरुद्ध 107/16 की कार्यवाही भी कर दी गयी है। वह इस समय लखनऊ में हैं। तो जितना सम्भव था, उतनी सजा उनको लापरवाही के लिए दी गयी है।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरजा शंकर मिश्रा के यहाँ जो डकैती पड़ी, उसमें कितने नामजद थे और कितने नामजद नहीं थे। जो नामजद थे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दे चुके हैं।

जे० के० आर्गेनाइजेशन, कानपुर को लक्ष्मण बाग का पट्टा

*12—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर में लक्ष्मण बाग, जिसका क्षेत्रफल करीब 30 एकड़ है, जे0 के0 आर्गनाइजेशन, कानपुर को लीज पर दिया गया था ? महापालिका, कानपुर ने इस बाग को ज0 के0 आर्गनाइजेशन, कानपुर से खाली कर उसमें गृह विहीन हरिजनों को 1974-75 में बसाने की योजना बनाई थी ? यदि हाँ, तो क्या हरिजनों के बसाने की यह योजना कार्यान्वित की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

कानपुर के लक्ष्मण बाग का क्षेत्रफल 24-92 एकड़ है ।

प्रश्नगत भूमि 14 सितम्बर, 1939 को सर्वश्री सुन्दर लाल मदनलाल तथा जगमोहन लाल को 99 वर्ष के पट्टे पर दी गयी थी जिसे उक्त पट्टेदारों ने श्री कैलाशपति सिंहानिया (जे0के0 आर्गेनाइजेशन) के पक्ष में पट्टे की मूल शर्तों के प्रतिबन्ध के साथ हस्तान्तरित कर दिया था तथा इसकी स्वीकृति कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 26 जून, 1946 को प्रदान की गयी थी ।

नगर महापालिका द्वारा इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई थी ।

शेष का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मण बाग स्थित लगभग 30 एकड़ जो बहुत ही मूल्यवान भूमि कानपुर में है और कानपुर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जिसका बहुत ही महत्व है, जिस पट्टेदार को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर मिली है, उन्होंने किस सन् में जे0के0 आर्गेनाइजेशन को हस्तान्तरित किया और कितने मूल्य में किया? इस समय उस भूमि का क्या मूल्य है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, यह तो जवाब में ही बता दिया गया कि यह 99 साल का जो पट्टा था, वह सन् 1946 में ट्रासन्फर हुआ और उसके बांद शर्त वही रही कि एक हजार वर्ग गज की भूमि पर भवन बनायेंगे और शेष बाग की तरह इस्तेमाल करेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा कहना है कि उस भूमि का कितना वर्तमान मूल्य है, क्या उसका आँकलन किया गया है कि कितना उसका मूल्य है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो प्रश्न में कहीं लिखा नहीं कि जिससे उसके बारे में कुछ अन्दाज लगता ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

लेकिन सप्लीमेंटरी में उसको पूछना मेरा हक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जहाँ तक मूल प्रश्न का सवाल है, यह उसमें नहीं उठता ।

श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार इस तरह की कोई नीति निर्धारित करने की कोशिश कर रही है कि जो पट्टे लोगों को दिये जाते हैं, अगर वह स्थान सार्वजनिक हित में नहीं आ रहा है, तो उन पट्टों को कैन्सिल कर दिया जाय और उस जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक हित में किया जाय ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, यह तो होता ही है कि जहाँ सार्वजनिक भूमि है, उसके सिलसिले में कुछ करना हो तो जो ला है, उसके अनुसार कार्यवाही करनी होती है।

प्रतापगढ़ जिले के थाना रानीगंज की पुलिस तथा डकैतों की मुठभेड़ में श्री राम लाल गोस्वामी की मृत्यु

*13—श्री राम देव दुबे—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना अन्तर्गत दिनाँक 8 नवम्बर, 1975 ई0 को ग्राम हथौड़ा सराय से दो व्यक्तियों सर्वश्री राम लाल तथा सरजू गोस्वामी को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था और श्री राम लाल गोस्वामी को थाने में ही थानाध्यक्ष, श्री समाजीत सिंह तथा कतिपय अन्य कॉस्टेबिलों ने मारते-मारते मार डाला था और मृतक को गाजी की बाग में ले जाकर नाटकीय रीति से पुलिस एवं डकैतों की मुठभेड़ (इनकाउन्टर) दिखाकर शासन को गुमराह किया था? क्या दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति श्री सरजू गोस्वामी जो आँखों देखा गवाह था को अयोध्या में ले जाकर 'अवधेश बाबा लाल दरवाजा' के यहाँ बन्द करके छिपा दिया था? क्या इसकी मैजिस्टीरियल जाँच बैठाई गयी थी और श्री बाबू लाल, हाकिम परगना जाँच कर रहे थे? यदि हाँ, तो जाँच आख्या क्या है? क्या हत्या करने वाले थानेदार एवं सिपाहियों को धारा 302 में गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार 8/9 नवम्बर, 1975 को पुलिस डकैत मुठभेड़ में पुलिस द्वारा घेर मार कर एक डकैत कब्जे में लिया गया, जो मौके पर ही मर गया। मजिस्टीरियल जाँच हुई थी परन्तु कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल सका। अतः जाँच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गयी। अपराध अनुसन्धान द्वारा जाँच अभी जारी है।

दिल्ली में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय

*14—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री देवकी नन्दन (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1978 में देश की शान्ति व्यवस्था और आर्थिक समस्याओं पर विचार के लिए दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें राज्य के मुख्य मन्त्री ने भी भाग लिया था? यदि हाँ, तो उक्त सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिए गये? किन-किन का कार्यान्वयन हुआ और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने सम्मेलन में भाग लिया था। सम्मेलन में लिए गए निर्णयों और उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सूचना देना जनहित में नहीं है।

चमोली जिले की नन्दादेवी सेंचुअरी

*15—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

क्या वन मन्त्री बतायेंगे कि चमोली जनपद में स्थित नन्दादेवी सेंचुअरी प्रर्यटकों के लिए खोल दी गयी है? यदि हाँ, तो उसके क्या-क्या कारण हैं?

वन मन्त्री (श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन)—

चमोली जनपद में स्थित नन्दादेवी सेंचुअरी पर्यटकों के लिए पहले से ही खुली है। प्रश्न नहीं उठता।

नोट—नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

लघु उद्योगों हेतु बिना जमानत ऋण देने की कथित योजना

*16—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लघु उद्योग लगाने हेतु बिना जमानत 5 हजार रुपए कर्ज देने की कोई योजना प्रारम्भ कर रहे हैं? यदि हाँ, तो इस योजना का प्रारूप क्या है और यह कब से तथा किस-किस क्षेत्र में लागू की जायगी?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

गाजीपुर जिले के गन्ना ग्राम सेवक, श्री अवधेश सिंह के संबंध में पत्र

*17—श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर में कितने गन्ना ग्राम सेवक ऐसे हैं जो ज्येष्ठ हैं परन्तु उनका नाम 20 अप्रैल, 1979 को प्रकाशित सेलेक्शन ग्रेड सूची में नहीं है? इसका क्या कारण है और इसे ठीक कराने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या इस सम्बन्ध में विधायक (श्री देवराम) ने 5 मार्च, 1979 को संयुक्त गन्ना आयुक्त, लखनऊ को तथा 8 मार्च, 1979 को नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स मन्त्री ने गन्ना विकास मन्त्री जी को पत्र लिखा है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

गन्ना विकास मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

विधायक तथा वर्तमान मन्त्री जी (श्री देवराम) ने जनपद गाजीपुर में नियुक्त एक ज्येष्ठ गन्ना ग्राम सेवक (श्री अवधेश सिंह) के सम्बन्ध में संयुक्त गन्ना आयुक्त तथा गन्ना विकास मन्त्री को पत्र लिखे थे। गाजीपुर जनपद में केवल एक ऐसा गन्ना ग्राम सेवक (श्री अवधेश सिंह) हैं जिसका नाम 20-4-79 को प्रकाशित सेलेक्शन ग्रेड सूची में विपरीत प्रविष्टियों तथा अस्थायी होने के कारण नहीं सम्मिलित किया गया था। श्री अवधेश सिंह को अब दिनाँक 28-11-78 को स्थायी कर दिया गया है तथा उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के सम्बन्ध में अन्य गन्ना ग्राम सेवकों के साथ चयन समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

गन्ना विकास विभाग, मध्य क्षेत्र द्वारा उदय इंजीनियरिंग स्टोर्स देवरिया, किसान सेन्टर इन्डस्ट्रीज, गोरखपुर से कांटा-बांट की खरीद

*18—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा) तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1974 से 1977 की अवधि में गन्ना विकास के मध्य क्षेत्र में मीट्रिक बांट तिपाई तथा तराजू की खरीद के लिए किसान इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर एवं 'उदय इन्जीनियरिंग वर्क्स, देवरिया द्वारा दिये गये रेट तत्कालीन उप गन्ना आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये गये थे जो जाँच कराने पर उस समय के बाजार भाव से बहुत अधिक पाये गये थे? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है और जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

गन्ना विकास विभाग के मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत उदय इंजीनियरिंग स्टोर्स, देवरिया से कांटा बांट आदि बाजार भाव से अत्यधिक दर पर खरीदे जाने की शिकायत के सन्दर्भ में प्रारम्भिक जाँच करायी गयी थी। प्रारम्भिक जाँच के आधार पर कांटा-बांट आदि की खरीद में अनियमितता प्रकाश में आई जिसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। किसान इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर से कांटा-बांट की अनियमित खरीद के बारे में शिकायत की जाँच की जा रही है।

[दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कान्सटेबिलों का वेतनमान

*1—श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस के सिपाहियों का वेतन पाँच सौ रुपए प्रति माह करने का निर्णय सरकार ने लिया है ? यदि हाँ, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

कान्सटेबिल का वेतनमान रु0 185–265 से बढ़ाकर रु0 200–320 किए जाने का शासन ने निर्णय लिया है। यह सुविधा 1 जून, 1979 से अनुमन्य होगी।

सब इन्सपेक्टर, श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, कैसरबाग कोतवाली, जिला लखनऊ के पदोन्नति की मांग

*2—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या सरकार को जानकारी है कि कैसरबाग कोतवाली, जनपद लखनऊ के वर्तमान सब इन्सपेक्टर (श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह) की सूझबूझ तथा दृढ़ता से कार्य कराने की सराहना शासन द्वारा 1971 में औराई गोली काण्ड, वाराणसी के लिए नियुक्त एक सदस्यीय जाँच आयोग ने की थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त सब इन्सपेक्टर के कार्य एवं व्यवहार की निरन्तर सराहना जिस-जिस जनपद व थाने में वह तैनात रहे, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जाती रही है ? यदि हाँ, तो उनको अब तक पदोन्नति का अवसर न प्रदान करने का क्या कारण है ? इनकी पदोन्नति कब तक कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*3—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

श्री राम कुमार, आई० ए० एस० परगनाधिकारी, बिजनौर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*4—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री रामकुमार, आई0ए0एस0, परगनाधिकारी, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के विरुद्ध सितम्बर सन् 1978 से जून सन् 1979 तक जनता युवा मोर्चा जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं महा मन्त्री तथा नागरिकों की ओर से शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो मुख्य आरोप क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर जाँच कराई जा रही है। जाँच के दौरान शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोपों का विवरण बताना जनहित में न होगा।

*5—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[28-5-79 को 29(4) द्वारा उत्तरित।]

वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानों को दिया जाने वाला ऋण और उसका ब्याज

*6—श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तपोषण योजना के अन्तर्गत गन्ना किसानो को दिये जाने वाले ऋण पर ऋण लेने की तिथि से लेकर ऋण वसूली की तिथि तक का ही ब्याज क्यों नहीं लिया जाता है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्योंकि—

(1) लाखों ऋणियों के मामलों में दिनों में ब्याज की गणना करना सम्भव न होगा।

(2) अधिकांशतः ऋण की गन्ना मूल्य से वापसी अप्रैल तक चलती रहती है।

(3) ऋण कटौती धीरे-धीरे गन्ना मूल्य से पर्चियों के द्वारा होती है जिससे एक ही ऋणी का ऋण कई बार में वसूल होता है। ब्याज ऋण देने की तिथि से ऋण वापसी की तिथि तक लगाने में एक ही ऋणी के मामले में कई बार ब्याज गणना करना पड़ेगी।

*7—श्री श्रीराम द्विवेदी—

[28-5-79 को 29(4) द्वारा उत्तरित।]

श्री बी० पी० गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*8—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता विभाग द्वारा श्री बी० पी० गुप्ता, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर के विरुद्ध कोई जाँच की गयी और जाँच रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट में दोषी पाये गये कर्मचारी श्री महेन्द्र प्रसाद का० स० प्र० एवं अन्य उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर जिनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी है? कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, जाँच आख्या प्राप्त हो चुकी है जो अभी शासन के विचाराधीन है। सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति के सम्बन्ध में कुछ कहना जनहित में नहीं होगा।

*9—श्री राम आसरे वर्मा—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अभिसूचना, अपराध अनुसंधान तथा सतर्कता अधिष्ठान के कर्मचारियों को विशेष सेवा भत्ता

*10—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि अभिसूचना अपराध अनुसन्धान एवं सतर्कता विभाग, उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को विशेष सेवा भत्ता पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में कोई शासनादेश सं० 1878/8-1/158/103-75, दिनाँक 20 मई, 1976 को जारी हुआ था? यदि हां, तो क्या अब उसे निरस्त कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों और किसके आदेश से?

श्री बनारसी दास—

शासनादेश सं० 1870/आठ-1-150(103)-75(न कि 1878/8-1/158/103/75) दिनाँक 20-5-76 द्वारा अभिसूचना, अपराध अनुसन्धान विभाग तथा सतर्कता अधिष्ठान के कतिपय श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों को कुछ प्रतिबन्धों के साथ विशेष सेवा भत्ता स्वीकृत किया गया है परन्तु इस विशेष सेवा भत्ता पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

11—श्री मोती लाल देहलवी—

[26-12-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 46-47 द्वारा उत्तरित]

बस्ती जिले के स्वर्णकार नामक फर्म की सस्ते गल्ले की दुकान के लाइसेन्स की जांच

*12—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी थाने में स्वर्णकार ब्रदर्स नामक फर्म के खिलाफ सरकार को धोखा देकर लाइसेन्स प्राप्त करके लाखों रुपया कमाने से सम्बन्धित कोई मुकदमा माह अगस्त, सितम्बर, 1977 में विजिलेन्स जांच के पश्चात कायम किया गया है? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी? पुलिस की विवेचना कब तक समाप्त होने की आशा है?

श्री बनारसी दास—

जनपद बस्ती के बांसी थाने के अन्तर्गत स्वर्णकार ब्रदर्स नामक फर्म के विरुद्ध धोखा देकर अनियमित रूप से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेन्स प्राप्त करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, खाद्य एवं रसद, सेल लखनऊ द्वारा जाँच की गयी थी। इस सम्बन्ध में एक मुकदमा अपराध संख्या 142/77, धारा 420 भा0द0वि0 बनाम श्री तेज बहादुर चौबे प्रोपराइटर, फर्म स्वर्णकार ब्रदर्स के विरुद्ध 1-9-77 को पंजीकृत हुआ था, पुलिस द्वारा विवेचना समाप्त कर 18-8-79 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

*13—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री संग्राम सिंह—

[29-5-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 द्वारा उत्तरित]

अनुसूचित जाति के मुन्सिफ के रिक्त पद के विरुद्ध प्रत्यावेदन

*14—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुन्सिफ परीक्षा वर्ष 1970 के आधार पर 37 अतिरिक्त मुन्सिफ के पदों पर अगस्त, 1975 में नियुक्तियाँ की गयी थीं जिनमें अनुसूचित जाति का केवल एक ही स्थान भरा गया था? क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के 6 स्थान मुन्सिफ परीक्षा वर्ष 1970 में रिक्त रह गये जिनको आगे होने वाली मुन्सिफ परीक्षा, 1973 में आरक्षित स्थानों के साथ अग्रनीत होना था? यदि हाँ, तो ऐसा न करने का क्या कारण था?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ।

प्रश्नगत परीक्षा के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति के कथित रिक्त स्थान भरे जाने के सम्बन्ध में कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हुये हैं जो लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचाराधीन है।

अयोध्या के विकास हेतु हुई बैठक में लिया गया निर्णय

*15—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का 4 मई, 1979 का कोई पत्र अयोध्या के विकास के सम्बन्ध में मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था और 28 जून, 1979 को इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलायी गयी थी? यदि हाँ, तो 28 जून, 1979 की बैठक में कौन-कौन बिन्दु विकास के लिए तैयार किए गए और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

पर्यटन मंत्री (श्री आबिद अली)—

जी हाँ।

उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि निदेशक पर्यटन एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, अयोध्या जाकर इस बात का पता लगायेंगे कि वहाँ क्या-क्या विकास लिया जा सकता है। नगर एवं गाम नियोजक विभाग तथा पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा अयोध्या के घाटों का निरीक्षण कर लिया गया है और प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

*16---श्री हुकम चन्द्र तिवारी---

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

*17---श्री गिरीश चन्द्र तिवारी---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के पुनर्गठन सम्बन्धी ज्ञापन

*18---श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन हेतु ज्ञापन सितम्बर, 1977 में मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हाँ, तो शासन ने अब तक क्या निर्णय लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

जी हाँ ।

प्रदेशों के पुनर्गठन का विषय भारत सरकार से सम्बन्धित है । अतः प्रश्नगत ज्ञापन पर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

नक्सलबादियों की गतिविधियों की जांच

*19---श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार को मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों की जानकारी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने नक्सलवादियों के बढ़ते प्रभाव के कारणों की जाँच कराई है ? नक्सलवादियों से निबटने को सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री बनारसी दास---

जी हाँ । आवश्यकतानुसार नक्सलवादियों के संबंध में समय-समय पर जाँच कराई जाती रही है । उनकी गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखने तथा सुरक्षात्मक कार्यवाही करने हेतु समुचित प्रबन्ध किये गये हैं ।

*20---श्री अशर्फीलाल यादव तथा श्री ओम प्रकाश सिंह---

[2रे गुरुवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*21---श्री नरेश चन्द्र वर्मा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद---

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

एक्साइज कान्सटेबिल एसोसियेशन की मांगें

*22---श्री देव बहादुर सिंह---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1979 में उत्तर प्रदेश एक्साइज कॉंस्टेबिल एसोसियेशन के महामन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल आबकारी आयुक्त से मिला था ? यदि हाँ, तो इनकी माँगें क्या थीं और उनको मानने में सरकार की क्या कठिनाई है ?

श्री बनारसी दास---

जी हां ।

उत्तर प्रदेश एक्साइज कॉंस्टेबिल एसोसियेशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई माँगों का विवरण संलग्न है ।

विवरण के मद संख्या 1, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, पर उल्लिखित माँगें शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आँशिक रूप से मान ली गई है।

उक्त विवरण के मद संख्या 2, 3, 10, 11, 13, 20 तथा 22 पर उल्लिखित माँगे जानकारी आयुक्त/शासन के विचाराधीन है ।

मद संख्या 5 की माँग को स्वीकार करना नियमानुसार संभव नहीं है ।

मद संख्या 7, 19, 21, 23 तथा 24 पर उल्लिखित माँगें संघ के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 509 पर)

बफर गोदाम कृषि, जिला बस्ती के इन्चार्ज, श्री तिलकधारी सिंह के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

*23—श्री ओम प्रकाश—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के एस0 डी0 एम0 सदर (श्री लाल रत्नाकर सिंह) ने थाना कोतवाली, बस्ती में दिनाँक 14 अप्रैल, 1979 को बफर गोदाम कृषि, बस्ती के इंचार्ज श्री तिलकधारी सिंह व राम नरेश पाण्डेय के विरुद्ध अपराध संख्या 434, धारा 467, 468 420 तथा 380 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराकर कोई मुकदमा कायम कराया था ? यदि हाँ, तो वह एफ0 आई0 आर0 क्या थी ? क्या यह सही है कि इतने गम्भीर मुकदमें में जिसे एस0 डी0 एम0 ने स्वयं पकड़ा है पुलिस ने मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगाकर मुकदमे को खत्म कर दिया है। यदि हाँ, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जाँच सी0 बी0 आई0 आदि से करायेंगे ? और फाइनल रिपोर्ट लगाने वाले एस0 आई0 तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करन की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, दिनाँक 14-4-79 का मुकदमा कायम कराया गया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह बताया गया था कि गोदाम में 60 बोरी खाद की कमी की सूचना पाकर परगनाधिकारी ने बस्ती बफर गोदाम का निरीक्षण किया तथा वहाँ के इन्चार्ज के घर से 31 बोरी खाद बरामद की जिसे इंचार्ज ने अन्य किसानों को बताया। न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई थी जो कुछ विधिक कारणों से वापस ले ली गई थी और पुनः विवेचना छूटे हुये मुद्दों पर उच्च अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है। विवेचना के अन्तिम निष्कर्ष निकलने पर ही आवश्यक अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

*24—श्री राम आसरे वर्मा—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*25—श्री रवीन्द्र सिंह—

[माननीय सदस्य का निधन हो जाने के कारण हटाया गया]

*26—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री जगदीश सिंह, तत्कालीन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एवं श्री जय शंकर प्रसाद, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*27—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या सरकार को जानकारी है कि रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने वर्ष 1977 में श्री जगदीश सिंह तत्कालीन, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बुलन्दशहर तथा श्री जय शंकर प्रसाद, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, हापुड़ (गाजियाबाद) के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जाँच सतर्कता आयोग से कराई थी ? क्या इस सम्बन्ध में 1978 में शासन से अनुरोध किया था कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पत्र जारी करें ? यदि हाँ, तो अब तक अभियोग-पत्र जारी न करने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ।

सर्वश्री जगदीश सिंह, तत्कालीन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तथा जय शंकर प्रसाद, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट का मामला प्रशासनाधिकरण–3 को 20–8–1979 को अभिदिष्ट कर दिया गया है, जो आरोप-पत्र इत्यादि तामील करने के लिये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

खण्डासा थाना, जिला फैजाबाद के भवन का निर्माण

*28—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में खण्डासा थाने के निर्माण हेतु वर्ष 1978–79 में दो लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गयी ? क्या इस थाने का भवन निर्माण पूरा नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। थाने के मुख्यालय के स्थान के विषय में शासन को विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं। अतः इस विषय में अन्तिम निर्णय होने तक निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

सचिवालय के टेलीफोन आपरेटर, टेलेक्स आपरेटर व जूनियर ग्रेड क्लर्क की प्रोन्नति हेतु कथित आदेश

*29—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में, सचिवालय प्रशासन शाखा में चार-पाँच वर्षों से कार्यरत टेलीफोन आपरेटर, टेलेक्स आपरेटर तथा जूनियर ग्रेड क्लर्क को अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति किए जाने हेतु तीन माह पूर्व आदेश हो चुके हैं ? यदि हाँ, तो उनके कार्यान्वयन में विलम्ब का क्या कारण है ? तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। न तो इस प्रकार के कोई आदेश तीन मास पूर्व निर्गत किये गये हैं और न नियमान्तर्गत ऐसी प्रोन्नति हेतु कोई प्राविधान ही है। अतः शष का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

*30—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

चकबन्दी अधिकारियों को पी० सी० एस० संवर्ग में लिये जाने की मांग

*31—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कष्ट करेंगे कि सचिव; उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति विभाग ने अपने पत्र संख्या 2330/दो(2)–192(137)–1976, दिनाँक 12 अप्रैल, 1977 को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र भेजा था जिसमें पी0 सी0 एस0 संवर्ग में रिक्त स्थानों की पदोन्नति से भरे जाने वाले 30 पदों पर उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (प्रशासनिक ब्रांच) नियम 5(2) के अन्तर्गत चकबन्दी विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था जिसे लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने (पत्र संख्या जी–1–64/231/1940, दिनाँक 11 अगस्त, 1978) स्वीकार कर लिया है किन्तु उक्त पदों पर पदोन्नति के लिए जो साक्षात्कार राजस्व विभाग के तहसीलदारों का दिनाँक 22 मार्च, 1979 तक लिए गए हैं उनमें चकबन्दी अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है ? क्यों ? क्या मुख्य मंत्री तहसीलदार के लिए, लिए गए साक्षात्कार को स्थगित करके चकबन्दी अधिकारियों का भी साक्षात्कार लेने की कृपा करेंगे जिससे उनका हक न मारा जा सके ?

श्री बनारसी दास—

शासन ने अपने पत्र दिनाँक 12-4-1977 द्वारा उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग को जो प्रस्ताव भेजा था वह उ0 प्र0 सिविल सर्विस (प्रशासकीय शाखा) नियमावली, 1941 के नियम 5 (2) के अन्तर्गत तैयार नहीं किया गया था बल्कि उस पत्र में पी0 सी0 एस0 में चकबन्दी अधिकारियों को प्रविष्टि दिलाने के लिये पी0 सी0 एस0 के 30 पद देने के प्रस्ताव लोक सेवा आयोग की सम्मति एव सहमति हेतु भेजा गया था। उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। मार्च-अप्रैल, 1979 में पदोन्नति क लिए हुए साक्षात्कार में चकबन्दी अधिकारियों को बुलाने का नियमानुसार कोई प्रश्न नहीं था क्यों कि उनके लिये कोई रिक्तियाँ आरक्षित नहीं थीं। चूंकि चकबन्दी अधिकारियों को पी0सी0एस0 में लेने का अभी निर्णय नहीं हुआ है इसलिये उनके लिये किसी साक्षात्कार के आयोजन करने का प्रश्न नहीं उठता।

*32—श्री हरिशचन्द्र —

[3रे मंगलवार के लिये स्थगित]

नगरपालिका, सीतापुर के लिये एकीकृत नगर विकास योजना

*33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या आवास मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सीतापुर के लिए कोई एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम (वर्ष 1978-84) वित्तीय वर्ष 1978-79 में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ? कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रारम्भ कब से कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हाँ।

एकीकृत नगर विकास योजना भारत सरकार द्वारा संचालित थी, जो अब वर्ष 1979-80 से समाप्त हो गयी है। भारत सरकार इस योजना के स्थान पर एक दूसरी योजना "नगरीय मलिन बस्ती सुधार तथा छोटे नगरों का विकास" को प्रारम्भ करने पर बिचार कर रही है।

*34—श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

शाहजहांपुर जिले के ग्राम चन्थोरा बहादुरपुर के श्री बालक राम को उपनिरीक्षक, पुलिस श्री के० पी० सिंह द्वारा कथित पिटाई

*35—श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 24 मई, 1979 को थाना जलालाबाद, जिला शाहजहाँपुर के दरोगा (श्री के0 पी0 सिंह) ने ग्राम चन्थोरा बहादुरपुर के श्री बालक राम, सुपुत्र श्री शिव चरन हरिजन, आयु 15 वर्ष को उसके घर में ही जमीन पर पटक कर बेरहमी से मारा-पीटा और झोले में रखे हुए 500 रु0 भी निकाल लिये और फिर थाने में लाकर मार-पीट करके 25 मई, 1979 ई0 को मरने योग्य समझ कर छोड़ दिया जिसकी डाक्टरी भी घर वालों द्वारा करा दी गयी है ? सरकार ने अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की और नहीं की, तो क्यों नहीं ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार एक डकैती की विवेचना के दौरान यह सूचना मिलने पर कि ग्राम चन्थोरा बहादुरपुर के कुछ लोगों का हाथ उक्त डकैती में है तथा नाजायज असलहा श्री बालक राम के पास है, उप निरीक्षक श्री के0 पी0 सिंह ने श्री बालक राम के घर तलाशी

ली। प्राप्त सूचना के अनुसार यह बात सही नहीं पाई गई कि उप निरीक्षक श्री के0 पी0 सिंह ने बालक राम को उसके घर पर तथा अथवा थाने पर मारा पीटा और तलाशी के दौरान उससे झोले में रखे हुये 500 रु0 निकाल लिये। चूंकि जाँच से पुलिस द्वारा कोई अवैधानिक कार्यवाही करना नहीं पाया गया अत: पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची

*36—श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय के लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के स्थायी अवर वर्ग सहायकों की अब तक ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों के कारण अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका? यदि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है तो किस आधार पर वर्ष 1961 की परीक्षा में चुने हुए स्थायी अवर वर्ग सहायकों को वर्ष 1972 व 1973 की परीक्षा में चुने हुए अवर वर्ग सहायकों के पहले रिवर्ट किया जा रहा है?

श्री बनारसी दास—

सचिवालय के अब तक के स्थायी अवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची विधिवत बनाई जा चुकी है।

किसी भी स्थायी अवर वर्ग सहायक को रिवर्ट नहीं किया जा रहा है।

अधीक्षक, जिला बन्दीगृह, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

*37—श्री जगदीश सिंह (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 21 मई, 1979 को श्री जगदीश शरण गुप्त, संचालक नशाबन्दी परिषद, शाहजहाँपुर द्वारा जिला बन्दी गृह अधीक्षक, शाहजहाँपुर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र शासन को दिया गया है? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद के डकैत सौदानकाछो एवं जरमन को मारने वाले पुलिस अधिकारियों का पदक

*38—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के सौदान काछी और जरमन नामक कुख्यात डकैतों के मारने पर उक्त जिले के पुलिस अधिकारियों को मैडल प्रदान करन हेतु केन्द्रीय शासन को अनुमति प्रदान करने हेतु अप्रैल, 1978 में पत्र भजे गये थे? यदि हाँ, तो अभी तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी? बिलम्ब का क्या कारण है?

श्री बनारसी दास—

राष्ट्रपति का पुलिस पदक तथा पुलिस पदक की संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की है। अत: प्रश्न में माँगी गयी सूचना देना जनहित में न होगा।

एटा जिले के सहावर स्टेशन के निकट डकैतों की गिरफ्तारी

*39—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एटा जनपद में सहावर तथा कासगंज रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे पुलिस ने कुछ डकैत 4 बन्दूकों, टार्चों तथा 18 पुलिस वर्दियों के साथ मई के अन्तिम सप्ताह के आस-पास पकड़े थे ? यदि हाँ, तो उन्होंने कितने साथियों के नाम बतलाए थे ? उनमें से कितने गिरफ्तार किए गए ? और कौन-कौन अभी फरार हैं ?

श्री बनारसी दास—

राजकीय रेलवे पुलिस के एक दल ने दिनांक 25/26-5-79 की रात्रि में डकैती की योजना बनाते हुय 4 डकैतों, जिनके कब्जे से 4 बन्दूकें, टार्चें आदि बरामद हुई थीं, को रेलवे स्टेशन सहावर के निकट रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उन्होंने 3 साथियों के नाम बतलाये थे। इनमें से अभियुक्त राम कृपाल ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। अभियुक्त राम औतार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त राम खिलावन फरार है।

अयोध्या में विकास प्राधिकरण के गठन पर विचार

*40—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या के लिए विकास प्राधिकरण गठित करने के लिए कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

अयोध्या में विकास प्राधिकरण के गठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। शासन का जो भी निर्णय होगा, उसके अनुरूप कार्यवाही की जायगी।

*41—श्री बाबू लाल वर्मा—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

*42—श्री राम आसरे वर्मा, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री संग्राम सिंह—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

बहराइच जिले के कतिपय ब्लाकों में लगाये गये लघु उद्योग

1—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जनपद के ब्लाक हरिहरपुर रानी एवं सिरसिया तथा इकौना एवं मिलौना में वर्ष 1977-78 तथा 1878-79 में कौन-कौन नये लघु उद्योग लगाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कौन-कौन उद्योग लगाने की योजना शासन के विचाराधीन हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 1977-78 में बहराइच जनपद के ब्लाक गिलौला में स्टील बक्सं तथा अन्य घरेलू सामान का उद्योग तथा वर्ष 1878-79 में ब्लाक इकौना में एक मोमबत्ती उद्योग स्थापित हुआ। वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार शासन द्वारा लघु उद्योग नहीं लगाये जाते हैं। उद्योग विभाग उद्यमियों को विभिन्न सहायताएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराकर उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करता है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम शाहपुर के श्री राम लाल का जान-माल की सुरक्षा सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

2—श्री बाबूलाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 मार्च, 1978 को श्री राम लाल पुत्र श्री खेलावन राम, ग्राम शाहपुर, पत्रालय पवई, जिला आजमगढ़ ने स्वयं कोई प्रार्थना-पत्र जान-माल की सुरक्षा व जिलाधिकारियों की अकर्मण्यता सम्बन्धी दिया था ? यदि हाँ, तो प्रार्थना-पत्र में क्या लिखा था तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

दिनांक 12-3-78 का एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र में विपक्षीगणों द्वारा हलवाहों के बसाने तथा उसे मारने की धमकी देने तथा हरा पेड़ काट लेने एवं विपक्षीगणों को प्रोत्साहित करने की शिकायतें की गई हैं।

जाँच से दोनों पार्टियों के बीच एक बाग को लेकर विवाद है जो जाँच के समय उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताया गया था तथा खरमान के मकान पर एक डाल लटकी हुयी थी जिसे उसने काट लिया था। अन्य आरोप जाँच से प्रमाणित नहीं हुए ।

पिथौरागढ़ जिले की बोला बलिया वन पंचायत के पेड़ों की क्षति से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

3—श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

द्वितीय सत्र 1978 का पहला मंगलवार, दिनाँक 22 अगस्त, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मल्ला गरबी के निवासी जिला पिथौरागढ़ में दौला बलिया वन पंचायत के हरे पेड़ काट कर अभी भी नुक्सान पहुंचा रहे हैं ? क्या स्थानीय जनता की शिकायतें माह नवम्बर व दिसम्बर, 1978 में सरकार को मिली हैं ? यदि हाँ, तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा निराकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा जो जुर्माना जुल्मदारों पर निर्धारित किया गया था वह वसूल हो गया है ? यदि हाँ, तो धनराशि कितनी है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

ग्राम मल्ला परखा के निवासियों द्वारा दौला बलिया वन पंचायत के अन्तर्गत पेड़ों को क्षति पहुंचाने की शिकायत नवम्बर-दिसम्बर, 1978 के पश्चात् भी जिलाधिकारी स्तर पर प्राप्त हुई थी। उस पर उनके द्वारा जाँच करायी जा रही है। पिछली शिकायत के परिणाम स्वरूप जुर्मदारों पर जो जुर्माना लगाया गया था उसकी आंशिक वसूली हो गयी है तथा शेष की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है दौला बलिया वन पंचायत के अन्तर्गत पेड़ों की क्षति होने से बचाने के लिए वन पंचायत के चारों ओर दिवाल बन्दी भी की जा रही है ।

प्रदेश में चलने वाली रेलों में हुए अपराधों का विवरण

4—श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में चलने वाली रेलों में 1978, मार्च से 1979, मार्च तक कितनी चोरी तथा अन्य अपराध हुए ? यह अपराध इस अवधि में पिछले वर्ष होने वाले अपराधों से कम है या अधिक ? सरकार यह भी बताने की कृपा करे कि इन होने वाले अपराधों में कितने अपराधों का पता लगाने में पुलिस (जी० आर० पी०) कामयाब रही ?

श्री बनारसी दास—

प्रदेश में चलने वाली रेलों में मार्च, 1978 से मार्च 1979 तक चोरी तथा अन्य अपराधों की तुलनात्मक स्थिति का विवरण संलग्न है ।

जैसा कि विवरण से स्पष्ट है समीक्षाधीन अवधि में डकैती तथा हत्या के अभियोगों में मामूली वृद्धि तथा लूट एवं चोरी के मामलों में कमी हुयी है ।

राजकीय रेलवे पुलिस चोरी की 406 घटनाओं तथा अन्य अपराधों में हत्या की 12 घटनाओं, लूट की 63 घटनाओं तथा डकैती की 18 घटनाओं का पता चलाने में सफल रही है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 511 पर।)

प्रदेश में उत्पादित सीमेन्ट की उत्पादन लागत एवं विक्रय मूल्य

5—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में लगी विभिन्न सीमेन्ट फैक्ट्रीज में प्रति बोरी सीमन्ट का उत्पादक मूल्य क्या है ? और उन फैक्ट्रीज से निकलने वाली सीमेन्ट की प्रति बोरी विक्रय-मूल्य क्या है तथा उत्पादक मूल्य तथा बिक्रय-मूल्य में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

चुर्क यूनिट—इस कारखाने की पिछले वर्ष की सीमेन्ट उत्पादन की लागत रु0 12.98 प्रति बोरी के लगभग रही है। 3 मई, 1979 से विक्रय मूल्य रु0 18.57 प्रति बोरी है। उत्पादन लागत और क्रय मूल्य में रु0 5.59 प्रति बोरी का अन्तर है ।

डाला यूनिट—इस कारखाने की पिछले वर्ष की सीमेन्ट उत्पादन लागत रु0 12.83 प्रति बोरी के लगभग रही है। 3 मई, 1979 से विक्रय मूल्य रु0 18.57 प्रति बोरी है। उत्पादन लागत और बिक्रय मूल्य में रु0 5.74 प्रति बोरी का अन्तर है ।

उत्पादन लागत एवं विक्रय मूल्य का अन्तर, सीमेन्ट की औसत उत्पादन लागत, बोरों का दाम, उसमें सीमेन्ट भरने की लागत व एकीकृत औसत रेल भाड़े जो भारत सरकार द्वारा सभी गन्तव्य रेल स्थानों के लिए समान रूप से निर्धारित किया जाता है, के कारण है। इस विक्रय मूल्य का पुनरीक्षण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है ।

इस बिक्रय मूल्य पर उत्पादन कर, बिक्री कर, स्थानीय कर तथा लाभ आदि जोड़कर उपभोक्ता से लिया जाने वाला विक्रय मूल्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियत किया जाता है । वर्तमान औसत फुटकर मूल्य लगभग रु0 25.00 से रु0 25.50 प्रति बोरी है, जो किसी विक्रय स्थान को सीमेन्ट ट्रक से पहुंचाने की दशा में कुछ बढ़ जाता है ।

6—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविंद'—

[1ले बुधवार 29—8—79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के अन्तर्गत उत्तरित]

आपात काल में स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत अधिकारियों की नियुक्ति

7—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री राम रतन सिंह जिला (सीतापुर) तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि० चुर्क डाला, जिला मिर्जापुर के अन्तर्गत आपातकालीन स्थिति के दौरान नए अधिकारियों की नियुक्तियाँ की गयीं तथा आपात्कालीन स्थिति के पूर्व कितने अधिकारी कार्यरत थे ?

श्री राम नरेश यादव—

उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत आपात्कालीन स्थिति के दौरान कुल 21 नए अधिकारियों की नियुक्तियाँ की गयीं तथा आपात्कालीन स्थिति के पूर्व कुल 93 अधिकारी कार्यरत थे ।

थाना महानगर, लखनऊ में श्री चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा लिखायी रिपोर्ट

8—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस सर्किल महानगर, लखनऊ के निलम्बित कर्मचारी, श्री चन्द्र प्रकाश सिंह ने जनवरी, 1979 से 20 अप्रैल, 1979 के मध्य कोई रपट थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा 395 के अन्तर्गत दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, थाना इंचार्ज, महानगर को दी गयी है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में निलम्बित कांस्टेबिल श्री चन्द्र प्रकाश सिंह का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार धारा 395 भा०दं०वि० का नहीं वरन् धारा 452/323/325/504 भा०दं०वि० का अपराध पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला, देवरिया के भूतपूर्व रिसीवर, श्री मदन मोहन सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

9—श्री मित्रसेन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आफीशिएल रिसीवर (श्री मदन मोहन सिंह) खेतान शुगर मिल, राम कोला, देवरिया के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र श्री राम सुन्दर पाण्डे विधायक द्वारा लिखित दिनाँक 14 जनवरी, वर्ष 1977 शासन को प्राप्त हुआ था और पत्र में लगाए आरोप वाद जाँच सही पाए गये थे ? यदि हाँ, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला (देवरिया) के भूतपूर्व रिसीवर श्री मदन मोहन सिंह के विरुद्ध श्री राम सुन्दर पाण्डेय द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र दिनाँक 14 जनवरी, 1977 शासन को प्राप्त हुआ था। इसकी जाँच जिलाधिकारी, देवरिया से कराई गयी थी। जाँच रिपोर्ट पर विचार के उपरान्त मिल की जीप की मरम्मत पर वर्ष 1972-73 में हुए व्यय रु० 1,797.90 तथा वर्ष 1973-74 में हुए व्यय रु० 3,506.90 के औचित्य की जांच परिवहन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कराए जाने तथा वारिसों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों द्वारा गलत प्रमाण-पत्र दिए जाने के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, देवरिया को लिखा गया था। मामले में आवश्यक कार्यवाही जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा की जा रही है ।

बीसलपुर शुगर फैक्टरी तथा तिलहर शुगर फैक्टरी द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान

10—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि बीसलपुर शुगर फैक्ट्री के निगोही सेन्टर पर साल 1977-78 में काश्तकारों से जो गन्ना खरीदा गया था उसकी कीमत का भुगतान पूर्णतया कब तक हो जायगा ? तथा साल 1978-79 में इन काश्तकारों तथा इसी फैक्टरी के शाहजहाँपुर जिले में जो सेन्टर हैं उन सब पर बीसलपुर फैक्ट्री व तिलहर फैक्ट्री दो के लिए कटौती क्यों की जा रही है ? क्या यह भी सही है कि इन कटौतियों के बाद किसानों को केवल 7.75 पैसे में मिल रहा है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—
सूचना एकत्र की जा रही है ।

11—श्री देव बहादुर सिंह—
[28-3-79 के तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित ।]

12—श्री देव बहादुर सिंह—
[3रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

विधायकों को पार्क रोड के फ्लैट्स का आवंटन

13—श्री नरेशचन्द्र, श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच) तथा श्री रामबक्श (जिला फर्रुखाबाद)—
क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने विधायक हैं, जो विधायक निवासों में रह रहे हैं फिर भी उन्हें पार्क रोड योजना के अन्तर्गत बनाए गए फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं और ऐसे विधायकों में कितने और कौन-कौन ऐसे विधायक है जिन्हें दो-दो आवास आवंटित किए गए ह ।

श्री बनारसी दास—
कुल 18 ऐसे विधायकों को पार्क रोड के फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं जो पहले विधायक निवासों में रह रहे थे। इनमें से 6 विधायक वह है जो विधायक निवास-3 के असुरक्षित भवन में रह रहे थे और उनके वैकल्पिक आवास की व्यवस्था पार्क रोड के फ्लैटों में की गयी है ।

उपरोक्त में से किसी विधायक को दो आवास आवंटित नहीं किए गए हैं ।

फांसी के सजायाफ्ता द्वारा दायर की गयी दया की अपील

14—श्री देव बहादुर सिंह—
क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रत्येक वर्ष 1974, 1975, 1976 तथा 1977 में प्रदेश में कितने-कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई गयी ? जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गयी उनम से कितने लोगों ने दया की अपील की और कितने-कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया ?

श्री श्रीचन्द्र—
कृपया संलग्न प्रपत्र देखिए ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 512 पर)

15—श्रीमती शारदा देवी—
[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

16—श्रीमती शारदा देवी—
[2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पी0 सी0 एस0 संवर्ग में पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति

17—श्री राम आसरे वर्मा—
क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1977 में सरकार ने पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी ? यदि हाँ, तो इस निर्णय के अधीन पी0सी0एस0 सन्दर्भ के कौन-कौन से अधिकारियों को प्रोन्नति दी गयी ?

श्री बनारसी दास—

शासकीय सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जनवरी, 1978 में जारी हुए थे। इन आदेशों के अधीन पी0सी0एस0 के ज्येष्ठ वेतनमान में श्री देव नाथ सिंह यादव को पदोन्नति दी गई है।

18—श्री राम आसरे वर्मा—

[12-6-79 के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 द्वारा उत्तरित।]

19-21—श्री रवीन्द्र सिंह—

[माननीय सदस्य का निधन हो जाने के कारण हटाया गया।]

सरया शुगर फैक्टरी, जिला गोरखपुर द्वारा सड़कों का निर्माण

22—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सरैया शुगर फैक्ट्री केन यूनियन की सड़कों के निर्माण व मरम्मत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 78 को पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां, प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें निम्नलिखित तीन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव था—

1—ब्रह्मपुर से मीठावेल से मोहावार तक।

2—देवीपुर से तरकुलहा, अमहिया तक।

3—सुरैया शुगर फैक्ट्री से बेलवा जगदीशपुर तक।

उक्त तीनों सड़कों में से क्रमांक–3 पर इंगित सड़क का निर्माण किया जा चुका है तथा क्रमांक–2 पर इंगित सड़क एक किलो मीटर तक केवल निर्मित की जा सकी ह क्योंकि आगे पुल का निर्माण धनाभाव के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त क्रमांक–1 पर इंगित सड़क के लिए कोई धन की व्यवस्था नहीं है और इसी कारणवश निर्माण कार्य अवरोधित है।

गन्ना अधिकारी एवं गन्ना निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रार्थना-पत्र

23—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा मास जुलाई, 1977 को एक शिकायती-पत्र सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा, 1974 के 9 पद गन्ना अधिकारी व 2 पद गन्ना निरीक्षक के पदों का सृजन के सम्बन्ध में दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नकर्ता का संदर्भित माह जुलाई, 1977 का शिकायती-पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं हो रहा है परन्तु उनका विस्तृत अनुस्मारक-पत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 विभाग में अवश्य उपलब्ध हुआ है, जो वर्ष 1974 की सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर 9 जिला गन्ना अधिकारी तथा दो गन्ना निरीक्षक के पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में ह। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1973 की परीक्षा के अभ्यर्थियों के उपलब्ध हो जाने की दशा में, वर्ष 1974 की परीक्षा के आधार पर आयोग को नौ (9) जिला गन्ना अधिकारियों तथा दो गन्ना निरीक्षकों के लिए भेजा गया अधियाचन निरस्त करा

दिया गया था। वर्णित परिस्थितियों में इस सन्दर्भ में अब किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

24–29—श्री रवीन्द्र सिंह—

[माननीय सदस्य का निधन हो जाने के कारण हटाये गये।]

बैतालपुर तथा देवरिया चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

30—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद की दो चीनी मिलों बैतालपुर तथा देवरिया पर गन्ना किसानों का लगभग एक करोड़ रुपया इस वर्ष का बकाया है? यदि हाँ, तो किसानों का बकाया भुगतान न करने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि उक्त बकाया चीनी मिलों का गत वर्ष अधिग्रहीत करने के बाद का है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

देवरिया जनपद की दो चीनी मिलें बैतालपुर तथा देवरिया पर पेराई वर्ष 1978-79 का 31-7-79 की स्थिति के अनुसार अवशेष गन्ना मूल्य क्रमशः 16.27 लाख रुपया तथा 9.27 लाख रुपया है। यह अवशेष उक्त मिलों के प्रबन्ध को भारत सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लेने के बाद का है।

मिलों को सरकारी नियन्त्रण में लेने के बाद कुछ औपचारिक पूर्तियों की अपेक्षा में इन मिलों की बैंक लिमिट स्वीकृत न होने के कारण भुगतान में बाधा पड़ने से तथा दोनों मिलों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण बकाया का भुगतान नहीं हो सका, जिसके भुगतान के प्रयास किए जा रहे हैं।

महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर में प्रवक्ता यांत्रिक पद पर नियुक्ति

31—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर में दिनाँक 22 सितम्बर, 1977 को प्रवक्ता यांत्रिक के पद पर चयन किये गये व्यक्ति को बिना निदेशक प्रा0 शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर के अनुमोदन के नियुक्त कर लिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में श्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा दिए गये प्रार्थना-पत्र पर जाँच कराई गयी थी?

श्री आबिद अली—

जी हाँ, परन्तु अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया।

श्री हाँ।

सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर के खजांची, श्री समाराज सिंह द्वारा गबन

32—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद देवरिया में सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर के खजांची ने अप्रैल, 1979 में 20 हजार रुपए से अधिक की धनराशि स्टेट बैंक की अकबरपुर की शाखा से निकाल कर गबन कर लिया और मिल के सेफ में रक्खी बहुत बड़ी धनराशि को भी चोरी से निकाल लिया? क्या यह भी सही है कि उक्त खजांची श्री समाराज सिंह पहिले से मुअत्तल था? क्या यह सही है कि मुअत्तली के आदेश अधिकारियों द्वारा जान-बूझकर दबा लिए गये थे जिसके परिणामस्वरूप ही उक्त घटना घटी? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बनी प्रसाद वर्मा—

श्री समाराज सिंह द्वारा 19–3–79 को रु0 20,000 का कथित गबन किया गया, जिसके लिए उन्हें दिनाँक 20–3–1979 को निलम्बित कर दिया गया। अतः यह कहना सही नहीं है कि उनके मुअत्तली के आदेश अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर दबा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त जब दिनाँक 12–4–1979 को श्री समाराज सिंह को दी गयी चीनी मिल की तिजोरी, जिसमें 23,410.65 की धनराशि थी एस0 डी0 एम0, अकबरपुर, के समक्ष खोली गयी तो उसमें केवल 52.78 की धनराशि ही निकली। उक्त मामले में औपचारिक जाँच के पश्चात श्री समाराज सिंह की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जिलाधिकारी, फैजाबाद को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा दिनाँक 12–7–79 को दे दिए गए हैं तथा गन्ना विकास अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, अकबरपुर को भी उपरोक्त मामले में शिथिलता बरतने हेतु सेवा समाप्ति के लिए 3 माह का नोटिस दे दिया गया है।

गन्ना विकास विभाग, बरेली एवं मध्य क्षेत्र में रबर टायर गाड़ियों की खरीद

33—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन 1974 से 1977 के बीच में गन्ना विकास विभाग के बरेली एवं मध्य क्षेत्र में ए0 डी0 वी0 सेट्स (पशुचालित रबर टायर की गाड़ियों) की खरीद की गयी थी और खरीद के मूल आदेश में पूर्ति (सप्लाई) एफ0 ओ0 आर0 डिस्टीनेशन करनी थी ? तथा बाद में सप्लाई करने वाली फर्म को बहुत अधिक दूर से किराया दिलाया गया ? क्या यह भी सही है कि ए0 डी0 वी0 सेट्स पर सेल्स टैक्स नहीं था, परन्तु तत्कालीन उप गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना समितियों से उक्त फर्मों को सेल्स टैक्स के नाम पर भी धनराशि दिलाई गयी ? उक्त सभी बातों के बारे में गन्ना आयुक्त को शिकायतें उक्त अवधि में समय-समय पर प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो शिकायतों की जाँच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

34—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री संग्राम सिंह—

(3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

35—श्री रवीन्द्र सिंह—

(माननीय सदस्य का निधन हो जाने के कारण हटाया गया।)

36—श्री जय शंकर प्रसाद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के कार्यालयों के वरिष्ठ सहायकों की सेवा समाप्ति एवं अवशेष देयों का भुगतान

37—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ सहायकों के पदों पर कार्यरत कितने वरिष्ठ सहायकों को दिसम्बर, 1977 में सेवा निवृत्त किया गया है ? क्या यह सही है कि उन्हें उनके फण्ड की कटौती तथा अन्य उपलब्धियों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों और उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

थाना कोठीभार, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत डकैती एवं कत्ल की घटनाएं

38--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना कोठीभार के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1978 से नवम्बर, 1978 तक कितनी डकैतियाँ हुई हैं? डकैतियों में कितने लोग मारे गये और उक्त अवधि के समय कितने कत्ल हुए? उन अपराधों के तफतीश में आज तक कितने मुल्जिम गिरफ्तार किए गये और किन-किन क्राइमों में आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या सरकार उक्त घटनाओं की जाँच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी अपराधियों को दंडित करने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास--

वाँछित सूचना संलग्न है। 7 मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा एक में लगाई गयी अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, अतः अपराध अनुसन्धान विभाग से जाँच कराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 514 पर)

39--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[27-3-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 32 द्वारा उत्तरित।]

सिसवा बाजार, चीनी मिल, गोरखपुर क्षेत्र के गन्ने की खरीद

40--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि चालू वर्ष 1978-79 में गन्ना समिति सिसवा बाजार, गोरखपुर के गन्ना काश्तकारों का गन्ना क्रय करने के लिए पडरौना, रामकोला, कप्तानगंज चीनी मिल, जनपद देवरिया और आनन्दनगर चीनी मिल, गोरखपुर को आवंटित किया गया है? कई माह मिल चलते हुए हो गये हैं, किन्तु आज तक गन्ना बैठवलिया, मिश्रौलिया गेढहवाँ, डोमा भिड़वारी आदि गाँव का क्रय नहीं किया जा रहा है? जिस सम्बन्ध में प्रश्न-कर्ता ने दिसम्बर, 1978, जनवरी, 1979 में कई पत्र लिखे हैं इसके बावजूद भी गन्ना क्रय करने की व्यवस्था नहीं की है? तो गन्ना क्रय न करने का कारण क्या है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

सिसवा बाजार, चीनी मिल के क्षेत्र में गन्ने की बाहुल्यता को दृष्टगत रखते हुए निचलौल क्रय केन्द्र, वर्तमान सीजन में कप्तानगंज, रामकोला (पी) तथा आनन्दनगर चीनी मिलों को 1/3 भाग में तथा बहुआर क्रय केन्द्र 1/2 भाग में पड़रौना एवं कप्तानगंज चीनी मिलों को सुरक्षित किया गया है। सिसवा बाजार चीनी मिल दिनाँक 15-5-79 को सीजन 1978-79 के लिए अपने क्षेत्र का समस्त गन्ना पेर कर अन्तिम रूप से बन्द हो चुकी है। सिसवा बाजार चीनी मिल क्षेत्र का समस्त गन्ना, जोकि पडरौना रामकोला (पी) आनन्दनगर एवं कप्तानगंज चीनी मिलों को आवंटित किया गया था, भी समाप्त हो चुका है।

ब्लाक निचलौल, जिला गोरखपुर के गन्ने की खरीद

41--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक निचलौल में स्थित खण्डसारी उद्योग जो 1978-79 तक चालू नहीं हुआ है उस क्षेत्र के गन्ना काश्तकारों का गन्ना क्रय करने की व्यवस्था सरकार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जनपद गोरखपुर के ब्लाक निचलौल में स्थित खाण्डसारी उद्योग के 1978-79 में चलने की दशा में उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों के गन्ने के निस्तारण हेतु उसकी आपूर्ति की व्यवस्था

चीनी मिल दि शंकर एग्रो इंडस्ट्रीज, कप्तानगंज (देवरिया), दि गणेश शुगर, मिल्स आनन्द नगर (गोरखपुर), दि गंगेश्वर लिमिटेड, रामकोला (देवरिया) को गन्ना क्रय केन्द्र, निचलौल के माध्यम से कराई गयी। इसके अतिरिक्त निचलौल क्षेत्र के गन्ना क्रय केन्द्र, नऊआ-बारी द्वारा महाबीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार तथा बहुवार गन्ना क्रय केन्द्र के माध्यम से गंगश्वर लिमिटेड, रामकोला तथा कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना को गन्ना आपूर्ति करने की व्यवस्था की गयी। उक्त के अतिरिक्त शक्ति चालित खड़े कोल्हुओं से भी गन्ना की पराई की जा चुकी है।

42--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

लक्ष्मी जी शुगर मिल, महोली, जिला सीतापुर पर बकाया गन्ना मूल्य

43--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी जी शुगर मिल, महोली, जिला सीतापुर द्वारा काश्तकारों के गन्ना मूल्य के बकाया वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 का भुगतान गन्ना समितियों (सम्बन्धित) को काश्तकारों में वितरण हेतु कब दिया गया तथा यह पैसा काश्तकारों में कब से बाँटा जाना प्रारम्भ किया गया और तीन वर्षों का कुल बकाया कितना था तथा उसमें से दिनाँक 30 जून, 1979 तक कितना बाँटा जा चुका है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

44--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

(3रे मंगलवार के लिए स्थगित।)

45--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना

46--श्री विजय राज सिंह--

क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में विशेष न्यायालयों के स्थापित करने का अभी हाल में निर्णय लिया है ? यदि हाँ, तो इन न्यायालयों में किस प्रकार के अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई होगी ?

श्री श्रीचन्द--

जी हाँ। दो विशेष न्यायालय विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किये गये हैं।

अलीगढ़ शहर में विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों में मतभेद और विवाद के कारण 9 मई, 1979 से 2 जून, 1979 तक तथा 16 जून, 1979 से 4 जुलाई, 1979 तक की अवधि में लोक शाँति और प्रशान्ति में व्यापक रूप से विघ्न हुए। इसी प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों व कुछ अन्य अन्य यात्रियों आदि के मध्य हुई घटनाओं को लेकर थाना जी0 आर0 पी0, अलीगढ़ के क्षेत्र में 8 मई, 1979 से 10 मई, 1979 तक की अवधि में लोक शान्ति और प्रशान्ति में व्यापक रूप से विघ्न हुए जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों को उक्त अवधियों के लिए विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये विशेष न्यायालय उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों का जो उपयुक्त किन्हीं विक्षुब्ध क्षेत्रों में उद्भूत हुए हों या सम्बद्ध हों, निस्तारण करेंगे।

ग्राम परसावल, जिला बाराबंकी के श्री नन्हें का थाना करनैलगंज के दरोगा के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

47—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के पाँचवें मंगलवार (12-6-79) के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 12 में सन्दर्भित मामले की जाँच जो अपूर्ण थी, पूरी हो गयी ? यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, जाँच पूरी हो गयी है। जाँच से प्रार्थना-पत्र में लगाए गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

कस्बा नानपारा, जिला बहराइच में पुलिस अधिकारियों के जश्न का कथित केन्द्र

48—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार को सूचना है कि जिला बहराइच का कस्बा नानपारा जो नैपाल से सटा हुआ है, आये दिन जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के जश्न का केन्द्र बना रहता है, जिससे वहाँ के नागरिकों में भय और आतंक व्याप्त है ? यदि हाँ, तो सरकार क्या इस मामले में गुप्तचरों को जाँच के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

इस प्रश्न में वर्णित तथ्य में कोई सत्यता नहीं है ।

49—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

गोरखपुर मण्डल के थानों में बैरकों के निर्माण की मांग

50—श्रीसुखपाल पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मण्डल में कितनें थानें ऐसे हैं जिसमें सिपाहियों के लिए बैरिक नहीं हैं ? जहाँ बैरिक नहीं हैं, वहां के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? कितने ऐसे थाने गोरखपुर मण्डल में हैं, जहाँ जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1979 तक सिपाहियों के बैरिक बननें के लिए स्वीकृत हैं, परन्तु अब तक बैरिक नहीं बनाई गयी है ? यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा और अब तक न पूरा होने के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नही की जा रही है, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

गोरखपुर मण्डल में ऐसे थानों की कुल संख्या 21 है। ये थानें किराए के भवनों में हैं जिनमें नियमानुसार सरकारी धन से बैरिकें नहीं बनाई जा सकतीं। थाना भवनों के निर्माण के साथ ही बैरिकों का निर्माण भी कराया जाता है ।

प्रश्नगत 21 थानों में से नौ थानों के पास सरकारी भूमि उपलब्ध है जिनमें से तीन थानों के नये भवन निर्माणाधीन हैं और शेष छः थानों के नये भवनों के निर्माण कार्य को छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) में शामिल किया गया है। इन थानों में जनवरी, 1974 से 31 मार्च, 1979 तक सिपाहियों की बैरिकों के निर्माण के लिए कोई शासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, अतः कार्य के पूर्ण होने या न होने अथवा किसी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अल्प बचत योजना के अन्तर्गत गोरखपुर एवं बस्ती जिलों में गन्ना किसानों से काटी गयी धनराशि

51--श्री हरिश्चन्द्र---

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में अल्प बचत के नाम पर गोरखपुर तथा बस्ती जिले में गन्ना किसानों से कटौती के रूप में धन लिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या इसका प्रमाण-पत्र सम्बन्धित किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री किशन सिंह, निवासी रेलवे रोड, जिला बिजनौर के ट्रैक्टर की चोरी की रिपोर्ट

*52--श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1976 में श्री किशन सिंह ने अपना ट्रैक्टर चुराए जाने व उसके जलाए जाने की कोई रिपोर्ट अधीक्षक पुलिस, बिजनौर को की थी जबकि इस चोरी व सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक रिपोर्ट थाना मण्डावर, जिला बिजनौर में नहीं लिखी गयी ? यदि हाँ, तो शासन ने सम्बन्धित थानाध्यक्ष के विरुद्ध तथा रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 को श्री किशन सिंह निवासी रेलवे रोड सहारनपुर का एक प्रार्थनापत्र दिनांकित 29-11-76 पुलिस अधीक्षक बिजनौर के कार्यालय से थाना मन्डावर जिला बिजनौर में प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रार्थी की भुस गहाई मशीन, हैरो आदि अमुक व्यक्ति द्वारा उठा ले जाने तथा ट्रैक्टर को खींचकर गंगा में कर देने के आरोप अंकित थे, ट्रैक्टर जलाने का कोई उल्लेख प्रार्थनापत्र में नहीं था। उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर दरयाफ्तहाल कायम कर विवेचना की गई। विवेचना से किसी हस्तक्षेपीय अपराध का होना नहीं पाया गया। अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी। जाँच से थानाध्यक्ष द्वारा की गयी कार्यवाही सही पाई गयी अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री राज किशोर सिंह, सब इन्सपेक्टर थाना, बरहलगंज, जिला गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

53--श्री कल्पनाथ सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे मंगलवार (5-6-79) के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें थीं और इनमें से किन-किन शिकायतों में उसे दोषी पाया गया था और क्या जिन मुद्दों पर दोषी पाया गया था उन सभी पर विभागीय कार्यवाही हुई या अभी कुछ अवशेष हैं ? क्या चयन समिति के समक्ष विभागीय कार्यवाही की बात रखी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---

इस सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध दो आरोप थे । पहला यह कि इस अल्प वेतन भोगी कर्मचारी नें 65,000 रु0 का बीमा कराया था तथा दूसरा यह कि इनके पास मोटर साइकिल न होते हुए भी इन्होंने मोटर साइकिल भत्ता प्रतिमाह लिया । इन दो आरोपों में से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ । इनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही शेष नहीं है ।

चयन समिति के समक्ष इस सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई जाँच आदि लम्बित होने की सूचना नामाँकन अधिकारी द्वारा नहीं दी गयी थी। अतः विभागीय चयन समिति के समक्ष किसी जाँच आदि के रखने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना बरहलगंज, जिला गोरखपुर के सब इन्सपेक्टर श्री पूर्णानन्द मिश्र के विरुद्ध शिकायती पत्र

54—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में बरहलगंज में अपनी नियुक्ति के समय श्री पूर्णानन्द मिश्र, उप निरीक्षक के विरुद्ध श्री विश्वमोहन भूतपूर्व उपाध्यक्ष टाउन एरिया कमेटी, बरहलगंज ने कोई आवेदन-पत्र दिया था जिसकी जाँच पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की गयी थी? यदि हाँ, तो उस आवेदन-पत्र में उनके विरुद्ध क्या-क्या लिखा था और जाँच में प्रत्येक बिन्दु पर क्या-क्या पाया गया और अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। विश्व मोहन आदि ने शिकायती-पत्र दिया था जिसकी जाँच क्षेत्राधिकारी, द्वारा की गयी। मुख्य शिकायतें श्री गया प्रसाद से साँठ-गाँठ करके उनका मुकदमा पहले पंजीकृत कराने, परगनाधिकारी के आदेश न पालन करना और प्रार्थी को 395 भा0दं0 वि0 के मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाना आदि थीं।

जाँच में काफी समय व्यतीत हो जाने के कारण निश्चित नहीं हो सका कि कौन पक्ष थाने पर पहले मुकदमा पंजीकृत कराने गया था। परगनाधिकारी के आदेश पालन न करनें के सम्बन्ध में एस0आई0 का आचरण एक पक्षीय प्रतीत हुआ, परन्तु परगनाधिकारी के पुनः सन्तुष्ट हो जाने के कारण स्वयं कोई कार्यवाही नहीं की और न ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोई संस्तुति की। विवेचना एक पक्षीय प्रतीत हुई। अभी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। निर्णय के बाद श्री मिश्र के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही के लिए विचार किया जायगा।

थाना ढेबरुआ, जिला बस्ती को जीप का आवंटन

55—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के थाना ढेंबरुआ जोकि राज्य नैपाल के सन्निकट है वहाँ पर कोई सरकारी जीप नहीं है? और उक्त थाने पर जीप न होने के कारण वहाँ के कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने में कठिनाई होती है? यदि हाँ, तो क्या सरकार तत्काल उक्त थाने पर जीप देने की व्यवस्था करेगी?

श्री बनारसी दास—

बस्ती जिले के थाना ढेबरुवा को जीप आवंटित की जा चुकी है।

कानपुर जिले के पुलिस कान्सटेबिल, स्वर्गीय श्री लीलाधर सिंह के ग्रेच्युटी का भुगतान

56—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगें कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में श्री लीलाधर के उत्तराधिकारियों को उसे जी0पी0एफ0 व ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया था? यदि हाँ, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बनारसी दास—

भूतपूर्व पुलिस कॉंस्टेबिल स्वर्गीय श्री लीलाधर सिंह के ग्रेच्युटी की धनराशि उनके दोनों पुत्रों को बराबर-बराबर भुगतान दिए जाने के आदेश महालेखाकार द्वारा दिनाँक

28 मई, 1979 को जारी किए जा चुके हैं। स्वर्गीय कॉस्टेबिल के जी0पी0एफ0 में जमा धनराशि के भुगतान हेतु पत्रादि महालेखाकार कार्यालय को दिनाँक 28 जून, 1979 को भेजे जा चुके हैं।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम धरमपुर के ग्रामवासियों को दिया गया खादी का प्रशिक्षण एवं धनराशि का भुगतान

57--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में तहसील कायमगंज के ग्राम धरमपुर में वर्ष 1978 में खादी ग्राम उद्योग विभाग की ओर से कोई प्रशिक्षण ग्रामवासियों को दिया गया? प्रशिक्षार्थियों को अलग-अलग क्या भुगतान किया गया? क्या शासन को दिनाँक 9 जुलाई, 1979 को भेजी हुई उक्त ग्रामवासियों की यह शिकायत मिली है कि उन्हें केवल रु0 112 प्रति व्यक्ति में हिसाब से भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच करवाई और क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव--

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज के ग्राम धरमपुर के ग्रामवासियों का उ0 प्र0 खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा दिए गए प्रशिक्षण एवं तत्सम्बन्धी भुगतान के सम्बन्ध में, 9 जुलाई, 1979 को भेजा गया ज्ञापन शासन में प्राप्त हुआ है। मामले की जाँच कराई जा रही है।

पुलिस उप निरीक्षकों के स्थायीकरण की मांग

58---श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में कितने ऐसे पुलिस उप निरीक्षक हैं जिन्हें विभाग में सेवा करते 10 वर्ष से अधिक बीत गये हैं किन्तु अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है? स्थायी न करने का क्या कारण है?

श्री बनारसी दास--

पुलिस दल में 10 वर्ष से अधिक कार्यरत 450 उप निरीक्षक ऐसे हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया जा सका है। इनमें से 72 उप निरीक्षकों के विरुद्ध लम्बित विभागीय कार्यवाही आदि तथा अन्य कारणों से परीक्षेत्र पुलिस उप-महानिरीक्षकों द्वारा स्थायीकरण के योग्य नहीं पाया गया है। शेष उप निरीक्षकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों की संस्तुति के आधार पर स्थायी किए जाने की कार्यवाही प्रगतिशील है।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम महमूदाबाद में बन्दूकों एवं रायफलों के लाइसेन्स को निरस्त किये जाने की मांग

59---श्री मेन्दा लाल गुप्त (जिला एटा)--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम महमूदपुर, थाना नवाबगंज में कितने बन्दूकों और रायफलों के लाइसेन्सदार हैं और उनमें कितने ऐसे हैं जो या तो हिस्ट्रीशीटर हैं या धारा 307/302 या डकैती में सजायाफ्ता हैं या मुकदमें चल रहे हैं? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उस ग्राम के प्रताप, सुल्तान, महताब, सियाराम, खुशीराम, अतर सिंह अलवर और जर्मन डकैतों के गिरोह को समर्थन देते रहे हैं? ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वालों को लाइसेन्स देने का क्या औचित्य है?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार, ग्राम महमूदपुर, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद में बन्दूकों और राइफलों के 15 लाइसेन्सदार हैं। उनमें कोई हिस्ट्रीशीटर नहीं है।

इस ग्राम के प्रताप, सुल्तान, महताब, खुशीराम, सियाराम और अतर सिंह द्वारा अलवर व जर्मन डकैतों को पनाह देने की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है परन्तु इनके विरुद्ध हत्या और मारपीट के मुकदमें पंजीकृत हुए थे। इनमें प्रताप को छोड़कर कोई भी सजायाफ्ता नहीं है और प्रताप के बारे में छानबीन की जा रही है।

अतर सिंह और महताब के पास लाइसेन्स नहीं है। अन्य के लाइसेन्स निलम्बित व निरस्त कराने के विषय में यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

फर्रुखाबाद जिले के अपराधियों के आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स को निरस्त किये जाने की मांग

60--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी---

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में अलग-अलग आग्नेयास्त्रों के कितने ऐसे लाइसेन्सदार हैं जो न्यायालयों से अपराधी घोषित हो चुके हैं किन्तु फिर भी लाइसेन्सधारी बने हुए हैं? उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है?

श्री बनारसी दास---

प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या सात है।

इनके लाइसेन्सों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा सदस्य, श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के साथ पासपोर्ट आफिस के एक कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मुहम्मद आतिफ खां के साथ 31 तारीख को जो दुर्व्यवहार हुआ था, उस सम्बन्ध में, आपने शासन को निर्देश दिए थे कि जानकारी दी जाय। मान्यवर, दो दिन हो गए हैं और अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी। सदन के सदस्यों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक इसमें वक्तव्य क्यों नहीं दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष---

इसके लिए अनुस्मारक जा चुका है। यदि वित्त मन्त्री जी चाहें तो मुहम्मद आतिफ के साथ दुर्व्यवहार होने वाले मामले पर बता दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आपके निर्देशों की खुली अवहेलना हो रही है। एक अधिकारी ने इस सदन के एक सदस्य को इतना अपमानित किया है कि वह इस सदन में आँसू बहा रहे थे। आपने निर्देश दे दिया कि एक बयान दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है, सदन उठने के पहले जानकारी दे देंगे।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

उस दिन इतना तो बतला दिया गया था कि वह दफ्तर केन्द्रीय सरकार का है और जो घटना हुई माननीय सदस्य के साथ उसकी सही जानकारी करने का प्रयत्न किया गया। इस वक्त मेरे पास जानकारी नहीं है जो मैं बतला सकूं कि कोई जवाब आया या नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का दखल नहीं है। जब तक पूरी सूचना नहीं आ जाती तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

घोर अन्याय किया जा रहा है। आपका भी उल्लंघन किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष ——

आज सदन उठने से पहले जितनी भी जानकारी प्राप्त हो, वह दे दें ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)——

वित्त मन्त्री जी ने जो भी कहा उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन इस मामले में अक्षम है कि भारत सरकार का कोई कर्मचारी या अधिकारी कोई गुनाह करे तो इनको कोई असर नहीं है । उत्तर प्रदेश शासन के लिए इससे ज्यादा बड़ी लज्जा की बात हो नहीं सकती । यहाँ पर कोई अधिकारी चाहे वह भारत सरकार का हो या उत्तर प्रदेश सरकार का हो, उत्तर प्रदेश की सीमा में अगर कोई आफेंन्स करता है तो इस सरकार का दायित्व है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करे। आप अगर स्वत: नहीं कर सकते तो भारत सरकार को लिखें । आई0ए0एस0 अधिकारी भी, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, भारत सरकार की सेवा में हैं लेकिन अगर उनकी सेवा हमसे सम्बद्ध है तो यह सरकार भारत सरकार को कार्यवाही करने के लिए रिकमेंड कर सकती है । दिघे साहब को मैं बहुत मजबूत आदमी मानता था। अगर वह समझते हैं कि उनको वहीं बैठना है और हमको इधर ही बैठना है तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है । अगर हमको कभी मौका मिला तो हम नहीं चाहेंगे कि दिघे साहब को कहने का मौका मिले कि कार्यवाही नहीं की । मैं दिघे साहब से चाहूंगा कि उनके पास जो एजेंसी है उसके माध्यम से सारी जानकारी लेकर कल 11 बजे या उसके बाद ले लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

कल सदन नहीं है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय——

तब आज ही देने की कृपा करें । सदन को आश्वासन दें कि आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं औरअगर आप सक्षम नहीं हैं तो भारत सरकार को क्या लिख रहे हैं ?

श्री मधुकर दिघे——

मान्यवर, मैंने तो केवल इतना ही कहा कि मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है। इससे पता नहीं नेता विरोधी दल ने कैसे समझ लिया कि हमें इसका अधिकार नहीं है या हम सक्षम नहीं हैं । मैंने कहा कि मुझ जानकारी नहीं है जिस पर आपने निर्देश दिया कि जो भी स्थिति है शाम तक उसके बारे में बतला दूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

इस सम्बन्ध में मैंने और मोहम्मद आरिफ ने विशेषाधिकार की एक सूचना भी दी है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)——

कार्य-स्थगन वाला नहीं लिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष——

जब उसका नम्बर आएगा, तब लेंगे ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर ।)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)——

औचित्य का प्रश्न है· · · ·

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)——

मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहा हूं । कार्य सूची में प्रश्नों के बाद निधन के निर्देश का स्थान है । अगर निधन का निर्देश नहीं होना है तो जो चर्चा चलवा रहे हैं मान्यवर, वह चलवाते रहें वर्ना, अगर निधन के निर्देश को लेना है तो पहले उसे ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष——

जो आपत्ति उठाई गयी है, वह ठीक है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री श्रीराम तिवारी के निधन पर शोकोद्गार

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मुझे सदन को सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि उन्नाव जनपद के भूतपूर्व विधायक श्री श्रीराम तिवारी का निधन 30 अगस्त, 1979 को लम्बी बीमारी की अवधि के बाद हो गया। सन् 1962 में पहली बार और उसके बाद सन् 1967 में वह इस सदन के सदस्य रहे। वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुन कर आये थे। उन्होंने सदन में और उसके बाहर विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए जनता की सेवा की है। उनका निधन जहाँ उनकी पार्टी के लिए दुखदायी है वहाँ उन्नाव जनपद के लोगों का दुखी होना भी स्वाभाविक है। श्री तिवारी विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी रहे हैं। अपने दल के भी पदाधिकारी रहे हैं। आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पद पर भी वह पदासीन रहे हैं। हमारे बीच से ऐसे कार्यशील तथा कुशल व्यक्ति का उठ जाना हम सबके लिए दुखदायी है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदन की समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने के लिए आपसे निवेदन करता हूं।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं नेता सदन की भावना के साथ अपनी तथा अपने दल की भावना को सम्बद्ध करते हुए श्री श्रीराम तिवारी के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि उनका राजनीतिक जीवन काफी प्रेरक रहा है। उससे हमारे मित्रों को सबक लेना चाहिए। एक निर्धन परिवार से उठकर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की शिक्षा के बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन की शिक्षा प्राप्त की और बैंक के संचालक पद से ऊपर उठ कर कई मासिक पत्रिकाओं के सम्पादक तथा आनरेरी मैजिस्ट्रेट रहे और विभिन्न पदों पर रहते हुए वहाँ से उन्नाव जिले की जनता की जो सेवा उन्होंने की उससे उनको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। 54 वर्ष की उम्र में ही वह संसार छोड़ कर चले गए, लेकिन जिस लगन और नेकनीयती से उन्होंने जिले की गरीब जनता की सेवा की वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है जिससे हमारे मित्रों को सबक लेना चाहिए। वह भारत सेवक समाज के मन्त्री रहे तथा जिला अपराध निरोधक समिति से भी उनका सम्बंध रहा है और उसके माध्यम से वह उनकी सेवा करते रहे जो अकाल से या बीमारी से त्रस्त थे। कोई जगह ऐसी नहीं थी, जहाँ उनको काम करने का अवसर मिला हो और उन्होंने गरीबों की सेवा न की हो। ऐसे व्यक्ति के निधन से हमारा और हमारे दल का दुखी होना स्वाभाविक है। नेता सदन की भावना से अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारी भावनायें पहुंचाने की कृपा की जाय।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, नेता विरोधी दल और संसदीय कार्य मन्त्री ने हमारे इस सम्मानित सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री श्रीराम तिवारी के निधन के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धापूर्वक अपनी तथा अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन विचारों और भावनाओं से अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, हममें से बहुत से सदस्यों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्री श्रीराम तिवारी जी के साथ संगठन कार्य में और विधान सभा में भी मिल-जुल कर कार्य कर सकें। वे एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे और सिद्धान्तों की मर्यादा को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए सदैव कर्मठ रहते थे। वे अपनी इस सिद्धान्तवादिता और व्यक्तित्व के गुण से अधिक उच्च अवसर प्राप्त कर सकते थे। उनकी एक राजनैतिक विशेषता थी कि वे सिद्धान्तों से समझौता नहीं करते थे और जीवन भर इसी के लिए वे प्रयास भी करते रहे। श्रीमन्, यह अत्यन्त दुख का विषय है कि वे जीवन की पूर्णता को प्राप्त न कर सके और विधि के विधान ने उन्हें हमसे बीच ही में छीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लिया। श्रीमन्, उन्होंने कई माध्यमों से चाहे वह लेखनी से हो या सहकारी आन्दोलन से हो, अनेकानेक दृष्टिकोणों से उन्होंने उन्नाव जनपद की सेवा की है और आज उन्नाव जनपद उनके नेतृत्व के बिना अपने को खोया सा महसूस कर रहा है। बहुत समय तक उन जैसे कार्यकर्ता की याद उन्नाव जिला करता रहेगा। श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह है कि आप हम सब की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, श्री श्रीराम तिवारी जी के बारे में जो भावनाएं संसदीय कार्य मन्त्री, नेता विरोधी दल तथा कांग्रेस के नेता ने व्यक्ति की हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री श्रीराम तिवारी इस सदन के सदस्य थे, लेकिन सदन के बाहर भी साहित्यिक क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है। उनकी सेवाएं सारे संगठनों से सम्बद्ध हैं। मान्यवर, आप से प्रार्थना है कि आप हमारी और हमारे दल की भावनाओं को भी उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, भूतपूर्व विधायक श्री श्रीराम तिवारी के निधन पर यहाँ माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय तिवारी जी और श्री नेगी जी ने जो शोकोद्-गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, वे यहाँ पर 1962 और 1967 में चुनकर आए थे। उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त उनका कार्य समाज में भी अभूतपूर्व रहा है। सहकारी क्षेत्र में उनका सहयोग अविस्मरणीय है। उनके निधन से सारे प्रदेश में जो रिक्तता आई है मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे दल की श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, श्री श्रीराम तिवारी जी के बारे में जो उद्गार माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, माननीय नेता विरोधी दल और श्री तिवारी जी, श्री नेगी जी तथा श्री देव बहादुर जी ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी ओर से श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, हमारे भूतपूर्व विधायक श्री श्रीराम तिवारी के प्रति जो विचार संसदीय कार्य मन्त्री तथा माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने प्रकट किये हैं उनके साथ सोशलिस्ट पार्टी भी अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी समवेदना को उनके परिवार तक पहुंचा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, माननीय नेता विरोधी दल और श्री तिवारी जी, श्री नेगी जी, श्री देव बहादुर जी तथा श्री रियासत हुसैन ने जो श्रद्धांजलि के शब्द श्री श्रीराम तिवारी, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, जिला उन्नाव के बारे में कहे हैं मैं सदन को और अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री श्रीराम तिवारी एक बहुत ही कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। वे इस सदन के विधायक रहे और उसी की हैसियत से उन्होंने इस सदन में विशेष तौर से प्रश्नों में एक अपना स्थान प्राप्त किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्नाव जिले को, उनका एक अच्छा कार्यकर्ता उठ जाने से, विशेष हानि हुई है। मैं माननीय नेताओं और माननीय सदन की भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक भेज दूंगा। आपसे निवेदन है कि उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन धारण कर प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिये मौन खड़े हुये।)

श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा के साथ बरेली जिला अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा मारपीट की घटना पर की गयी कार्यवाही की जानकारी की मांग

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—
मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....
(व्यवधान)

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—
मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—
श्रीमन्, जो प्रश्न अभी निधन के निर्देश के पहले विचाराधीन था वह एक सम्माननीय सदस्य के प्रति रीजनल पासपोर्ट आफिस में जो दुर्व्यवहार हुआ उसके सम्बन्ध में था...

श्री उपाध्यक्ष—
यह मामला तो समाप्त हो गया था माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि आज सदन उठने के पहले पूरी जाँच करके अवगत करा देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—
मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।
(व्यवधान)

*श्री नारायण दत्त तिवारी—
मैं एक बात की जानकारी चाहता हूं जितने माननीय सदस्य हैं एम0एल0एज0 और एम0पीज0 के लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार का भी एक कोड आफ कन्डक्ट बना है कि उनके साथ कर्मचारियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसका अनुपालन हुआ नहीं। पहले तो सदस्य कार्यालयों में कम जाते हैं। चिट्ठी लिख देते हैं जब मजबूरी होती है तभी जाते हैं लेकिन जब जाते हैं तो किस प्रकार उनके साथ व्यवहार होना चाहिए इसके लिए भारत और प्रदेश सरकार का एक कोड आफ कन्डक्ट बना हुआ है। उनका अनुपालन क्यों नहीं हुआ यह देखने की बात है। इसी प्रकार चेतराम गंगवार जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ जिसमें वहाँ पर उस कोड आफ कन्डक्ट का अनुपालन नहीं हुआ। इस प्रश्न पर भी मैं उन को कहना चाहता हूं कि आज अनुपालन नहीं हो रहा है।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—
मान्यवर, आपको विदित है कि मेरे साथ 31 मार्च को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मान्यवर, मुझे बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद रिपोर्ट जो लिखी गयी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि मुझे उल्टा अरेस्ट किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी रिपोर्ट नहीं दिखाई गयी जबकि नाक और मुंह में आज भी निशान मौजूद हैं। मैंने इस सदन से निवेदन किया था और तत्कालीन नेता विरोधी दल श्री नारायण दत्त तिवारी जी और वर्तमान नेता विरोधी दल जो हैं श्री पाण्डे जी, ऊदल जी और देव बहादुर जी ने तथा सारे सदन ने एक मत होकर कहा था कि सदन की एक कमेटी हो, वह चीज कहाँ तक पहुची और उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार]

क्या हुआ वह आप जानते होंगे। उसके बाद यह बात यहां तक उतर आई है कि एक फर्जी केस का रंग देकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वह अपने आप मेडिकल रिपोर्ट दे देते हैं। जो 50, 60 डाक्टर दोषी हैं। झूठी रिपोर्ट तैयार करते हैं जो वहां के वरिष्ठ कांग्रेसी लोग हैं श्री राम सिंह, राजीव शर्मा आदि पर तथा मेरे ऊपर, 307, 306 में इनवाल्व करके वारन्ट इश्यू कर दिया गया है। हमारे पकड़े जाने का खतरा बना रहता है। अपनी बात को हम कह नहीं सकते ह। मैं चाहूंगा कि आपके स्तर से कार्यवाही होनी चाहिए और मुझे हर वक्त डर लगा रहता है। पीटने की बात दूर रही, मुझे कब मार दें इसका डर बना रहता है।

मेरी निर्मम पिटाई की है। सदन आज उठ रहा है, तो उसके विषय में जो उस दिन हुआ था, उस पर क्या हुआ, क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

गंगवार जी ने जो आपत्ति उठाई, उस सम्बन्ध में आज 3 बजे सर्वदलीय समिति की बैठक, मैंने जो पिछली मर्तबा बुलाई थी इस सिलसिले में पुनः बुलाई ह। उसमें जो पहले से अब तक कार्यवाही हुई है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। माननीय स्पीकर, लोक सभा का भी इस सम्बन्ध में एक पत्र आया है, उसकी जानकारी दूंगा और जो माननीय गंगवार जी ने अपनी परेशानी और एक गलत केस में फसाने की बात कही ह उस सब म विचार होगा। मुख्य मन्त्री भी उसमें होंगे। उसके बाद में इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की मीटिंग का क्या औचित्य है। एक हमारे सदस्य पीटे गए तथा सदन में विचित्र स्थिति पैदा हुई और आपने आश्वासन दिया कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार उस पर कार्यवाही करें। यह सब दल के नेता उस पर विचार कर सकते हैं और आदेश आपको देना है तथा आदेश पालन करने का कार्य सरकारी बेंच पर बैठे लोगों को कराना है। इस तरह के विचार से तो मामला उलझ जाता है, मालूम होता है कि गंगवार जी की भी कहीं कोई गलती है और दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बात रखें। मान्यवर, जब एक दफा तय हो गया कि इनके साथ ज्यादती हुई और आप कन्विसड हैं तो सर्वदलीय मीटिंग का कोई औचित्य नहीं। आप आदेश दें और सरकार उस पर कार्यवाही करे और यदि नहीं करती है तो हम लोगों को छूट दी जाय कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

इनके मामले के साथ कई मामले जुड़े हैं जिन पर आपको उसमें विचार करना है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

आखिर सर्वदलीय मीटिंग का कार्यक्रम क्या है? कोई पीटा जाये तो कैसे इन्क्वायरी हो, आपके माध्यम से ही या और तरीके से हो—यह सब क्या उसमें तय होना है? मान्यवर, आप हम लोगों के संरक्षक हैं, हमारे अधिकारों और हमारी सुविधाओं के आप कस्टोडियन हैं। कोई भी सरकार यदि उनको छीनती है, या उनका पालन नहीं करती है तो उसे आपको देखना है। उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। आप स्वतः इन्क्वायरी करके यदि मुनासिब समझते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले निर्णय हुआ था सदन की एक कमेटी के बारे में, आप भी उसमें थे सम्भवतः।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मीटिंग के लिए उस वक्त यही तय किया था कि आप सारी परिस्थितियों की जांच करा लेने के बाद सदन की एक कमेटी बनायेंगे और माननीय मन्त्री पर दबाव डालेंगे. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपको याद होगा यह हुआ था कि इस विधान सभा के सचिव वहां जाकर दिल्ली के स्पीकर या वहां के सचिव से बात करें और उसके बाद में सदन की एक कमेटी, जो बननी है, उसके बारे में वह रिपोर्ट देंगे। वहां से जो रिपोर्ट आ गई है, उस पर आपको विचार करना होगा और आपको तय करना होगा और अध्यक्ष पीठ से और आपके जो विचार होंगे, उसका सरकार को पालन करना होगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

सर्वदलीय समिति में तो लीपापोती होगी, ऐसा काम उसमें होता जान पड़ता है। उसमें यह होता है कि कुछ वह दबें और कुछ वह दबें।

श्री उपाध्यक्ष--

उसका मतलब यह भी होता है--सरकार पर दबाव डाला जाये कि आपको कुछ करना है. . . . .

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

आपके आदेशों का उल्लंघन किया है. . . . .

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से. . . . .

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

नेगी जी, आपने कोई सूचना दी थी ?

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मेरा निवेदन है कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है। उसकी इस सदन में मांग हुई और हर सेक्शन में मांग की गयी कि इनके साथ ज्यादती हुई है और एक इम्पारशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। प्रक्रिया की बात दूसरी हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सदन की भावनाओं की क्या कद्र की है ? इनके ऊपर 307 का मुकदमा और राम सिंह खन्ना पर चला दिया। ये लोग इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इन पर 307 का मुकदमा चलाया जा रहा है। यह मुकदमा कायम करने का मतलब यही है कि इसमें बदले की भावना निहित है और जो इंक्वायरी हुई है वह इम्पारशियल नहीं हो रही है। माननीय सदस्यों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपके कक्ष में नेताओं की बैठक हो जावेगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से जो भी मन्त्री सम्बन्धित हों वह यह बतायें कि क्या यही सदन की भावनाओं का आदर किया जा रहा है कि 307 का मुकदमा कायम कर दिया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, जहां तक पिछली घटना का सम्बन्ध है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही है। जिस समय इस विषय पर यहां चर्चा हुई थी उस समय यह बताया गया था कि इस मामले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमाशंकर कौशिक]

में सी0आई0डी0 द्वारा जाँच की जा रही है और अब भी चल रही है। अभी जिसका जिक्र किया गया है, वह दूसरा है.....

श्री चेतराम गंगवार—

ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया? उनका रिवरशन नहीं हुआ, सस्पेंशन नहीं हुआ कुछ भी तो नहीं हुआ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जिन लोगों के सम्बन्ध में गंगवार जी ने कहा था उनका स्थानान्तरण हो गया है। दत्त के सम्बन्ध में.....

श्री चेतराम गंगवार—

बिलकुल नहीं हुआ है। वह वहाँ पर है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पूरी बात तो सुन लीजिए।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, सी0आई0डी0 की जाँच हो रही है, ट्रान्सफर हो चुका है। दो लोग और थे जिनका नाम उन्होंने बाद में बताया, मैंने उनके भी ट्रान्सफर के आदेश दे दिए हैं। एक डाक्टर का स्थानान्तरण कर दिया गया था लेकिन वह स्थानान्तरण पर नहीं गया और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगा। उस पर प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के बुनकरों को बिजली न मिलने की शिकायत

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, बुनकरों की इस समय हालत बिजली न मिलने के कारण बहुत खराब हो गयी है। उनका काम ठप्प हो गया है उनके घरों में फाँके पड़ रहे हैं। जिस प्रकार की स्थिति बंगाल में हुई थी वही स्थिति यहाँ पर भी होने वाली है। आप उनको बिजली दिलावें जिससे उनको दो टाइम रोटी मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। क्या आपने लिख कर दिया है?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 8 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके उप नियम (1) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि अध्यक्ष का चुनाव कब और किस प्रकार किया जायगा। उस सिलसिले में पिछले सत्र में इस सदन में नियमों को निलम्बित करके एक प्रस्ताव किया गया था। आज इस सत्र का आखिरी दिन है, दूसरा कोई प्रस्ताव आया नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई घोषणा करने जा रहे हैं, अध्यक्ष के चुनाव के लिए? यदि नहीं, तो क्या फिर नियमों को निलम्बित करके शासन पक्ष की ओर से कोई और प्रस्ताव आ रहा है? दूसरा मेरा प्रश्न दलों की मान्यताओं के बारे में है। एक तो प्रगतिशील विधायक दल के बारे में है।.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक-एक को लीजिए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

पहले तो मैं आपकी व्यवस्था अध्यक्ष के चुनाव वाले मसले पर चाहता हूं और दूसरी

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मन्त्री जी, अध्यक्ष के चुनाव के बारे में जो पहला प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में सदन को बता दीजिए ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, पिछली दफा नियमों का शिथिलीकरण करके यह प्रस्ताव किया गया था कि अगले सत्र में 15 दिन में प्रस्ताव लाया जायेगा लेकिन चूंकि यह सत्र बहुत छोटा है इस लिए यह कार्य इस सत्र में नहीं हो सका। अब अगली दफा जब हम बैठेंगे तो नियमों को निलम्बित करके प्रस्ताव लाया जायेगा ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री का यह वक्तव्य सुनकर जरा आश्चर्य हुआ। अगर वे संसदीय कार्य मन्त्री न होते और कोई और मन्त्री होते तो मैं उनके साथ कुछ सहानुभूति रखता लेकिन वे संसदीय कार्य मन्त्री, किसी दूसरे कार्य के मन्त्री नहीं है, अगर वे सदन में बिना प्रस्ताव लाए इस सदन को स्पीकर से वंचित रखें, जबकि संविधान में और नियमों में इसकी निश्चित व्यवस्था है कि इतने दिनों में अध्यक्ष का चुनाव हो जायगा, यह उचित नहीं है। स्पीकर किसी भी लोक सभा या विधान सभा की सर्वोच्च निधि है और उनके स्ट्रेचर के आधार पर ही सदन की कार्यवाही चलती है। इस सदन की जो मर्यादायें हैं अध्यक्ष पद से ही होती हैं अगर उसका सत्र बिना अध्यक्ष के चुनाव हुए चले तो उसकी क्या हालत होगी ? वैसे तो आप सदन को चलाने का प्रयास करते रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों में मतभेद रहे हों, लेकिन आपने पूरी योग्यता से चलाने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर यह भी मौका नहीं आने दिया कि आप को निर्णय करने का मौका दिया जाय। शासन को परामर्श करना चाहिए था जो संसदीय कार्य में बड़ा ही अनिवार्य है। मुझे खेद है कि नेता विरोधी दल होने के नाते मुझे तो यह सौभाग्य नहीं मिला लेकिन यह संवैधानिक है कि नेता विरोधी दल को ही नहीं बल्कि जो अन्य दलों के नेता हैं,उनसे भी परामर्श किया जाय। हो सकता है कि वर्तमान नेता विरोधी दल से हुआ हो ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मुझसे भी नहीं हुआ है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आप देखें कि बिना नेता विरोधी दल के परामर्श के यहां पर यह घोषणा हो गयी। अगली बार, पता नहीं वह शुभ दिन कब आयेगा, कि जब सत्र होगा और तब यह प्रस्ताव आयेगा। विधान सभा का यह वैधानिक, परम्परागत अधिकार है कि यहां पर अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए परन्तु यह शासन विधान सभा को इस अधिकार के प्रयोग से वंचित कर रहा है और अगर आज माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने इस प्रश्न को यहां पर न उठाया होता तो हम मूकदर्शक ही बने रहते। मैं उनको बधाइ देता हूं कि उन्होंने इसकी याद तो दिलाई। तो आज जबकि सदन उठ रहा है शासन की ओर से कोई न कोई घोषणा निश्चित रूप से होनी चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैं चाहे कितना ही पुराना मित्र माननीय संसदीय कार्य मन्त्री का क्यों न हूं, पर मेरे शब्दों में इतना आकर्षण नहीं है कि मैं उनके पाषाण हृदय को द्रवित कर सकूं। समय के प्रभाव के साथ-साथ माननीय ससदीय कार्य मन्त्री जी का हृदय भी पाषाण होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं उनसे क्या आग्रह करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माननीय उप मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, दो-दो उप मुख्य मन्त्री बैठे हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी तो जब आते हैं क्रुद्ध मुद्रा में ही आते हैं, मुस्कान उनकी अब मिलनी दूभर हो गयी है। उन्हें जब भी अब यहां सदन में देखते हैं क्रुद्ध मुद्रा में ही देखते हैं। इसलिए श्रीमन्, अब क्या किया जाय। आप की भी कठिनाई है। आप स्वयं अपने चुनाव के बारे में क्या करें, यह आपकी कठिनाई है।

*श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष के चुनाव के बारे में मैंने शासन और माननीय राज्यपाल दोनों को लिख कर भेज दिया है। अब तारीख उसकी तय करना उनका काम है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

इसमें आपका कोई दोष नहीं है। निवेदन यह है कि यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां नई-नई परिपाटी डाली जा रही है। दो-दो सत्र हो गए, लेकिन स्पीकर का चुनाव तो दूर रहा, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। हमसे भी कोई परामर्श नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। आज सदन उठ जायेगा, अगर माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी इसे न उठाते तो यह प्रश्न यूं ही दब जाता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शासन को आखिर यह चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? अब तो बहुमत भी आपका सिद्ध हो गया.....

श्री राजमंगल पाण्डेय—

नेगी जी ने साबित कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अब तो पाण्डेय जी का भी जो गुस्सा था वह भी पस्त हो चुका है, उनसे कोई डर नहीं रहा। यह सब लोग आपका पल्ला छोड़ कर अब इधर आ गए हैं। बहुमत सदन के अन्दर प्रूफ कर दिया, तो आखिर कौन सी बात है जोकि स्पीकरशिप का चुनाव टालते जा रहे है? मेरा माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि कृपया इसको और अधिक न टालें। यदि हो सके तो इसी सत्र में चुनाव करा लें।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

उन्होंने अगर बहुमत दिया है, तो उन्होंने मुश्किल दिया है। वह बहुमत जो हुआ है, मान्यवर, वह केवल इस सदन के भंग होने के डर से हुआ है। अगर यह निश्चित होता बहुमत स्थायी रहेगा, तो माननीय नेता सदन अध्यक्ष का चुनाव करा ही देते। हां, अगर पहले बहुमत दे दिए होते तो चुनाव करा ही लेते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर माननीय पाण्डेय जी स्थायी रूप से वहां पर बैठना चाहें तो मैं अवश्य समर्थन दूंगा।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

एक बार मुझे याद है जब सारे लोग सदन के एक राय के हो गये थे कि अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया जाय, तो मुझे भी बुलाया गया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मैनेजर सिंह को बुला लिया जाय, अगर वह भी कहते हैं, तो टाल दिया जाय। मैं गया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मैंने कहा कि अगर सारे सदन की राय है तो मैं मूक हो जाऊंगा, टाला गया चुनाव, इस निश्चय के साथ कि अगली बार चुनाव करा दिया जायेगा ? श्रीमन, अधिष्ठाता खड़े ह (श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर) इस मामले में मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। कौन हो, किसका नाम प्रस्तावित हो, इसको नेता सदन या जो शासक पार्टी हो वह करे। चुनाव टालना यह शासक पार्टी तथा दोनों पक्ष के लिए शर्म की बात है। इसमें आप भी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं। मैं चाहता हूं एक दिन के लिए अध्यक्ष के चुनाव के लिए सदन बुला लिया जाय और उस दिन अध्यक्ष का चुनाव हो जाय। मान्यवर, यह नहीं कहा जा सकता है कि विधान सभा अब भंग नहीं होगी। हमारे सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि विधान सभा भंग न हो, यह चाहते हैं कि हम अपने साधनों से चुनाव जिता देंगे, मन्त्रि-मण्डल में बने रहने से, अपने कैन्डीडेटस को जिता देंगे। मान्यवर, यदि विधान सभा भंग हो जायगी, तो आप भी घर चलेंगे और हम भी घर चलेंगे। मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि आप ही प्रस्ताव रख दें अध्यक्ष के चुनाव के लिए। मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं दोनों पक्षों से, यदि कोई कठिनाई ह, निर्णय करने में, तो एक प्रस्ताव करके आपको ही मनोनीत कर दिया जाय, आप चलावें, उपाध्यक्ष का चुनाव होता रहेगा, बाद में।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, पिछले सत्र में इस सदन को यह बात बतलाई गयी थी कि अगले सत्र में यह चुनाव अध्यक्ष का करा दिया जायेगा और आज श्रीमन्, सदन उठ भी रहा है और अब तक सरकारी पक्ष से प्रस्ताव भी कोई नहीं आया है कि अगले सत्र में चुनाव कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। तो यह सदन के सभी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव कब होगा ? मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अध्यक्ष का यह चुनाव कब तक हो जायेगा ? श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप हमें बता दें कि अध्यक्ष का चुनाव कब करवायेंगे ?

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, यह सही है कि अध्यक्ष का चुनाव पिछले काफी अर्से से चर्चा का विषय बना हुआ है और पिछली बार एक प्रस्ताव शासन की ओर से आया था, उसके मुताबिक स्थिति साफ की जानी चाहिए थी, आज आखिरी दिन है और अब तक शासन की ओर से अध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में किसी भी तरह की व्यवस्था की बात सदन के सामने न लाना, एक आश्चर्य की बात है। मान्यवर, माननीय बनारसीदास ने अपनी कुर्सी पक्की कर ली। माननीय पाण्डेय न अपनी कुर्सी पक्की कर ली। यह चर्चा पहले भी हुई थी, माननीय पाण्डेय ने इस सदन में चर्चा पहले भी की थी। इस सदन में माननीय पाण्डे जी ने कहा था कि अध्यक्ष की कुर्सी पर जो उपाध्यक्ष महोदय आसीन हैं उनकी भी कुर्सी पक्की हो जाये तो मैं उस बात के संबंध में पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। मान्यवर, इन सब बातों के साथ मैं चाहूंगा कि शासन की ओर से स्थिति साफ की जानी चाहिए कि वे कौन सी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस संबंध में कोई प्रस्ताव लायेंगे ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं समझता हूं कि वर्मा जी ने पाण्डे जी की ओर इशारा किया। लोभी हैं, क्या हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन श्रीमन् पाण्डे जी इस राय के थे। एक तरीका है कि शासन कोई तिथि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

निश्चित करे और वह प्रस्ताव के जरिये हो सकता है। आपके नाम पर भी बहुत से माननीय सदस्य सहमत थे और मेरी भी राय आपके साथ थी। पाण्डेय जी ने मुझे कहा भी था कि अगर ऐसा हो जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसलिए पाण्डे जी की मोहर लग चुकी है। इसलिए एक तरीका यह हो सकता है कि उधर से प्रस्ताव आये और इधर से अनुमोदन हो जाये और यह कुर्सी पक्की हो जाये।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय ऊदल जी भूल गये हैं। अगर वे अपने वायदे को निभाने में समर्थ नहीं रह सकते हैं तो दूसरे से क्यों उम्मीद करते हैं कि वह वायदा निभायेगा। आज मान्यवर, वे कहाँ हैं, मैं कहां हूं, इसलिए मैंने कभी क्या कहा था आज उसका उदाहरण क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? इसलिए इन चीजों को छोड़ दिया जाये, स्पीकर के चुनाव के लिए कोई तिथि निश्चित कर ली जाये, विधिवत प्रस्ताव कर लिया जाये, क्योंकि मान्यवर, किसी से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन मुझे दिक्कत होती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

दल बदल के साथ दिल बदल भी हो गया।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मुझे इस बात का अफसोस है कि एक हफ्ते के लिए सदन बैठा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को म्युनिसिपल बोर्ड, नोटी फाइड एरिया का तो बहुत ध्यान रहा और एक साल के लिए मियाद और बढ़ा ली, लेकिन खेद है कि इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी सभा है उसके संबंध में बिल्कुल भूल गये। आज यह प्रश्न इधर से उठा जबकि उधर से आना चाहिए था। रूल्स की किताब के अन्दर एक तरीका है उसको फालो करना होगा, उसी के अनुसार मेरी माँग है कि आज तारीख की घोषणा कर के इस तारीख के लिए विशेष रूप से यह सदन बुलाया जाये और इस कार्यक्रम के लिए ही बुलाया जाये।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, तो प्रश्न उठकर खड़ा हो गया। श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने हमें पत्थर दिल कहा। यह तो उनको अधिकार है। वह कह सकते हैं। कभी-कभी जब ज्यादा मोहब्बत होती है, तो कह दिया जाता है।

श्री देव बहादुर सिंह—

आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं है।

*श्री मधुकर दिघे—

यह प्रस्ताव जो यहाँ कई बार आया। पिछली बार माननीय तिवारी जी इसम सम्मिलित थे। राज मंगल जी थे। हम लोगों ने तय किया था कि अध्यक्ष का चुनाव हम लोग सर्वसम्मति से करें। आपस में विचार-विमर्श करके एक सदस्य का सुझाव आये जिसमें किसी को एतराज न हो। अच्छा सुझाव था यह जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने भी इसको स्वीकार किया था। अब स्थिति बदल गयी है, दूसरी स्थिति हो गयी है। कई लोग टूट कर उधर चले गये हैं, विरोधी दल में चले गये हैं। तो नये तरीके से अब विचार करना होगा। पुरानी जो कल्पनायें रही हैं उनमें तब्दीली होना स्वाभाविक है। नये माहौल में विचार-विमर्श करना जरूरी है। आपने कहा कि आपकी मेजारिटी है, आप चुनाव करा सकते हैं। यह बात सही है कि हमारी मेजारिटी है, हम अध्यक्ष का चुनाव करा सकते हैं। मंत्रि परिषद् का चुनाव करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन चलाना होता है। इसलिये प्रयत्न यह किया जाता है कि सदन की सलाह से कोई एक नाम सर्वसम्मति से आये। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी इतने अनुभवी हैं संसदीय कार्यों में, इसलिये उनकी सलाह जरूरी है, मेरे लिये। मैं पूछ भी लेता हूं। लेकिन क्या करूं तिवारी जी गायब ही रहते हैं, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, कभी मिलते ही नहीं। जब नेताओं की मीटिंग में बुलाया जाता है तब तो गायब ही रहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
आपकी मीटिंग में नहीं आता हूं, स्पीकर की मीटिंग में आता हूं।

श्री मधुकर दिघे—
कल ही गायब हो गये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
स्पीकर की मीटिंग कल हुई कहाँ? गायब कहाँ से रहेंगे?

श्री मधुकर दिघे—
मैंने उनके दल के चीफ ह्विप जो है, उनसे और अन्य लोगों से बात-चीत की। मुझे खेद है कि इस दरम्यान में माननीय राज मंगल पाँडय जी से और अन्य दलों के नेताओं से विचार-विमर्श नहीं कर पाया। चूंकि समय कम था, 3–4 दिन का सत्र था, बात-चीत करने के लिये सोचा गया, लेकिन इसमें गवर्नर की स्वीकृति जरूरी होती है। इस पर मैं घोषणा नहीं करता। अध्यक्ष का चुनाव एक ऐसी बात है जिसमें सभी लोगों को मिलजुल कर एक राय होकर तय किया जायेगा। इसके लिये एक दिन बैठक बुला ली जायेगी। हमारा आपका समझौता हो जायेगा तो कर लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, दूसरा आप प्रश्न उठाइये।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—
मैंने दूसरा प्रश्न उठाया है प्रगतिशील विधायक दल की मान्यता के बारे में।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
मान्यवर, इस पर क्या तय हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—
यहाँ प्रस्ताव लाने के लिये कहा इन्होंने। यह प्रस्ताव आज लायेंगे बढ़ाने के बारे में।

प्रगतिशील विधायक दल की मान्यता एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—
मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण के चतुर्थ संस्करण के पृष्ठ 47 के पैरा 203 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें दलों और समुदायों की मान्यता का सिद्धान्त दिया गया है।

मान्यवर, इसके पैराग्राफ एक में कहा गया है कि "उन्हीं दलों और समुदायों को मान्यता दी जायगी जिनके सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में समानता हो और उन्हीं सिद्धान्तों और कार्यक्रमों की घोषणा करके ये निर्वाचन लड़े हों"।

पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि "उनके कार्यक्रम सदन के अन्दर और बाहर भी रहें। उनका एक संगठन रहे और वह सदन के अन्दर और बाहर अपने सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यरत रहे"।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

तो मान्यवर, मैं आप से जानकारी चाहूंगा कि प्रगतिशील विधायक दल के नाम से कौन सा संगठन है और चुनाव आयोग से कौनसा चिन्ह या चुनाव निशान रिकगनीशन का मिला था ? आज बाहर इसका कौन सा सिद्धान्त है कौन सी नीति, घोषणा-पत्र के अनुसार वह कार्य करते हैं जिसके अनुसार आपने विधान सभा सचिवालय में इस दल को एक कमरा एलाट कर रखा है। उसके साथ समुदाय और दलों के नेताओं जैसा व्यवहार होता है। हर सब्जेक्ट पर उन्हें एक दल के नेता के रूप में बोलने की मान्यता मिलती है। मैं इस पर स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं। मेरी निश्चित धारणा है कि यह व्यवस्थायें अध्यक्ष पीठ से इसलिये जारी की गयी हैं कि कुछ नियंत्रण रखा जा सके। दूसरी बात जो यह दलबदल होता है उस पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। अगर आप इनको एक दल के रूप में मान्यता देंगे तो उन सारे सिद्धान्तों की एक तरह से बलि हो जायगी जिनके आधार पर यह व्यवस्थायें पूर्व अध्यक्षों द्वारा आपकी पीठ से दी जा चुकी हैं। इसलिये मैं इस पर आपकी स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो प्रगतिशील विधायक दल के बारे में बातें उठायी हैं उस सिलसिले में मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि प्रगतिशील विधायक दल ने कभी चुनाव लड़ा, न चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह भी बात सही है कि न कभी लड़ेगा। यहां पर जो निर्दलीय विधायक चुन कर आये थे, उन लोगों ने बैठ करके, आपस में एक मंच के नाम से एक विधायक दल बनाया। मान्यवर, रियासत हुसैन साहब हमारे साथ रहे, थोड़े दिन के बाद वह अलग हो गये। माननीय सुन्दर लाल दीक्षित जी भी हमारे साथ रहे, वह अलग हो गयें। और खुश किस्मती की बात है कि वह तिवारी जी के साथ हैं। तब तक प्रगतिशील विधायक दल के बारे में कोई बात नहीं उठी। आज वह अगर उन लोगों के साथ में पीली टोपी लगाकर बैठना शुरू न कर दिया होता तो शायद मान्यता की बात नहीं उठती। माननीय अध्यक्ष जी की ओर से यहां सदन के अन्दर हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है तो वह निर्दलीय सदस्य के रूप में किया जाता है, प्रगतिशील विधायक दल के रूप में नहीं। जो हमारे निर्दलीय सदस्य हैं उनके हस्ताक्षरों से एक सूची माननीय अध्यक्ष को पहले भेज दी जाती है और उसके बाद जो लोग छोड़कर चले जाते हैं, उनके नाम निकाल कर, दूसरे जो आते हैं, उनके नाम दे दिये जाते हैं। इसलिये यह कहना कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं, मैं समझता हूं कि तिवारी जी जैसे एक अनुभवी सदस्य ने इस बात को जो उठाया है वह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक निर्दलीय गुट के रूप में मेरे साथ व्यवहार किया जाता है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं। अब नहीं।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, सूखे पर चर्चा कब होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

हो जायेगी, लेकिन आप बीच-बीच में टोकें नहीं।

अब मैं औचित्य के प्रश्न पर निर्णय दे रहा हूं।

जैसा कि इस सचिवालय द्वारा जारी की गयी दलीय सदस्यों की सूची से स्पष्ट है, प्रगतिशील विधायक दल के नाम से किसी भी दल को मान्यता नहीं दी गयी है बल्कि श्री राम आसरे वर्मा को एक निर्दलीय सदस्य के रूप में दिखाया गया है और निर्दल सदस्यों के नेता वे हो सकते हैं। प्रगतिशील विधायक दल या उसके नेता की हैसियत से कोई कमरा या

टेलीफोन की सुविधा भी नहीं दी गयी है । पूर्व निश्चयों के अनुसार अन्य दल और निर्दलीय सदस्यों के लिये, जो मान्यता प्राप्त दल या समुदाय के अन्तर्गत नहीं आते हैं, एक कमरा टेलीफोन की सुविधा सहित, उपलब्धता के शर्त के अधीन रहते हुये, दिया गया है ।

विधान सभा सदस्य, श्री बसन्त की सुरक्षा की मांग

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हरि केवल प्रसाद ने औचित्य का प्रश्न दिया था उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है । आप क्या कहना चाहते हैं ।

*श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकारों के रक्षक आप हैं । आज हमने शोक प्रस्ताव सदन में पारित किया। श्री रवीन्द्र सिंह के सवाल को लेकर सदन में हंगामा हुआ, उनका शोक प्रस्ताव पारित हुआ । आज एक समस्या इस प्रकार से खड़ी हो गयी है । परसों हमको दो आदमियों ने जानकारी दी जिसके आधार पर मैं आपसे मिला और लिख कर भी दिया कि हमारे साथी श्री बसन्त लाल जी विधायक हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्बल लोगों के ऊपर होने वाले अत्याचारों, डकैतियों और चोरियों में तथा जहाँ अपराध होते हैं इस प्रश्न को लेकर दरोगा का विरोध किया। दरोगा ने इस पर उनके परिवार वालों को पिटवाया और उनको गोली से मारने की धमकी दिया । परसों सूचना मिली कि बसन्त लाल को मना कर दें कि वह दरोगा का विरोध न करें अन्यथा वह मौत के घाट उतार दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्न के रूप में यह स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन यह एक माननीय सदस्य की सुरक्षा का सवाल है । तो मैं इसको शासन को इस निर्देश के साथ भेज दूंगा कि इनके लिये विशेष व्यवस्था तुरन्त की जाय ।

एक सदस्य---

श्री बसन्त लाल से पूछ लिया जाय, वह मौजूद हैं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, हरि केवल प्रसाद जी ने जो कुछ कहा उस संबंध में आपको शासन को कुछ आदेश देना चाहिये और देना पड़ेगा । मुझे भी ऐसा पत्र मिला है जिससे जाहिर है कि वह असुरक्षित है । एक दरोगा कप्तानगंज में है जिसने उनके परिवार वालों और पट्टीदारों को पीटा । उन को बहुत बुरी तरह पीटा । जब इसके बारे में आवाज उठायी तो गुण्डों को लाया गया । इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से वह मिल चुके हैं । हमारे मोहन सिंह जी मंत्री हैं उन से मिल चुके । मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद भी ऐसा हो रहा है । दलगत राजनीति के कारण दरोगा का स्थानान्तरण नहीं हो रहा है । मेरे वास्ते इसके अलावा क्या चारा है कि मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें कि दरोगा का स्थानान्तरण हो जायगा । वह स्वतः इस बात से सहमत हैं कि दरोगा ने ज्यादती की है । गुन्डों की वजह से सारी जिन्दगी को खतरा है । इस के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है । आप के अलावा मैं किस से संरक्षण चाहता हूं । तीन-तीन चार चार विधायकों की मृत्यु हो ही चुकी है । आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें कि दरोगा को निश्चित रूप से देवरिया से किसी और स्थान को स्थानान्तरित किया जायगा और उसे हिदायत दे द कि वह गुण्डों के साथ मिल कर असुरक्षा की कोई कायवाही न करे । इस बात का आश्वासन आना चाहिए नहीं तो मुझे बडे दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि शासन जैसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राज मँगल पाण्डेय]
कोई चीज यहाँ पर नहीं है। विरोधी पक्ष के सदस्यों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं आपका निर्देश चाहता हूं।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

हम को इसकी जानकारी है। मैं उस क्षेत्र में गया था। जिस तरह का अत्याचार हो रहा है। अगर आप इसे रोक नहीं पायेंगे तो सब की जिन्दगी को खतरा . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने जब कह दिया.....(व्यवधान)....विधायकों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जायगी और वह जो सब इन्सपेक्टर है (शोर) इस तरह अवरोध.....(व्यवधान) मैंने पूरा मौका आप को दिया।

एक सदस्य—

बसन्त लाल जी मौजूद हैं। पूरी घटना क्या है.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह हमारे संज्ञान में लाया गया है और हमने सरकार को निर्देश दे दिया है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायगी और उससे संबंधित और जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी तत्काल कार्यवाही की जायगी। यह अब समाप्त हुआ।

(शोर)

बैठिये।

श्री कल्पनाथ सिंह जी ने.....(शोर).....(घोर शोर).....

श्री राज मंगल पाण्डेय—

उनका स्थानान्तरण कर दिया गया था। इन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए स्थानान्तरण रोक दिया गया। मैं आप की आज्ञा से शासन.....(शोर)....

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं..... (शोर) आप बैठें।

आप खड़े क्यों हैं, कृपया बैठे।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

(व्यवधान) थानेदार को हटाया जाय और.....

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठें। तीन बजे नेताओं की बैठक होगी उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी आयेंगे और उन्हें कहा जायगा.....(शोर) मैं माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि अपने पीछे बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनसे कहें कि वह शांति रखें और नियंत्रण में रहें।

(श्री राज मंगल पाण्डेय के खड़े होने पर) (व्यवधान)

इस तरह से नहीं। सदन में इस तरह का शोर नहीं किया जाना चाहिये।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

बसन्त लाल जी मौजूद हैं। वह चौबीसों घण्टे असुरक्षा महसूस करते हैं। दो-दो उप मुख्य मंत्री बैठे हैं और वित्त मंत्री जी भी मौजूद हैं। सारे सदन का काम हो रहा है और एक दरोगा के स्थानान्तरण के बारे में जब 10–10 विधायक कह रहे है, तो कोई भी मंत्री क्या यह नहीं कह सकता कि उस दरोगा का ट्रांस्फर हो जायेगा? आप मान्यवर, कह रहे है कि 3.00 बजे प्रस्ताव रखा जायगा। लेकिन मान्यवर, दो-दो उप मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी भी बैठ हैं और आप 3.00 बजे मीटिंग की कह रहे हैं। आप, मान्यवर, निर्देश दें कि आज शाम तक उसका ट्रांसफर करें।

श्री बाँके लाल (जिला देवरिया)—
मान्यवर, मेरा निवेदन है.....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—
[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—
यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बाँके लाल—
मान्यवर, सही बात सदन में कह नहीं सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—
आप कृपया बैठिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
मान्यवर, मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष—
श्री ओझा जी, आप क्या चाहते हैं कि मुझे इंगित करना पड़े किसी माननीय सदस्य को ? यह मुनासिब बात नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं । कृपया इजाजत दें । एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—
जब तक एक सूचना समाप्त नहीं कर लेंगे, दूसरी कैसे लें ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—
उसी सूचना के संबंध में है, मान्यवर । श्री बसन्त लाल जी मुख्य मंत्री के साथ गये । माननीय सदस्य, श्री कृपा शंकर भी थे । श्री बाँके लाल भी थे । सारे लोग गये और तय हुआ कि दरोगा का ट्रांसफर हो जायेगा । रेडियोग्राम गया । मैं अनर्गल बात नहीं कहता । उसमें कहा था कि दरोगा को तुरन्त हटा दिया जाय । फिर दूसरा टेलीग्राम गया । आदरणीय बाँके लाल जी मुख्य मंत्री जी के यहां जाते हैं और कह दिया कि बसन्त लाल आपको वोट नहीं देंगे । तब पुनः आदेश जाता है कि दरोगा न हटाया जाय । मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यह सदन कैसे चलेगा, यह विधायक कैसे रहेंगे ? यह विधायक चुनकर आया है । अगर दल बदल न करे तो दरोगा का ट्रांसफर नहीं होगा और दल बदल न करें तो बसन्त लाल का कत्ल होगा ।

(व्यवधान)

श्री बाँके लाल—
मुझको भी सुन लें ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष—
आप कृपया बैठ जायं । तीन बजे नेताओं की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी मिलेंगे । मैं इस सम्बन्ध में उनसे बात करूंगा । क्या आप चाहते हैं जो कभी नहीं हुआ वह करूं कि मैं यहाँ से निर्देश दूं कि फलां दरोगा का ट्रांसफर कर दिया जाय और फलां का न किया जाय । मैंने आपको आश्वासन दिया कि म स्वयं इस मामले में मुख्य मंत्री जी से बात करूंगा । अब आप लोग कृपया शांत रहें ।

नोट—[× × ×] यह अंश उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के बीच प्रदेश के अधिकारियों के स्थानान्तरण न किये जाने के आदेश

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैंने पहले दिन भी माँग की और कल भी बजट पर बोलते हुए माँग की कि राष्ट्रपति के निर्देश और इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बावजूद भी कोई ट्रांसफर न किये जायं, जैसा कि हम सुन रहे हैं ट्रांसफर किये जा रहे हैं। दरोगा के ट्रांसफर की बात आयी, डी0 एम0 के तबादले हो रहे हैं। क्या नीति है, सरकार की। यह शासन क्या चाहता है। निष्पक्ष चुनाव होंगे या नहीं। सरकार की क्या नीति है इस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा करें।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया, उसी प्रकार का एक प्रश्न श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने भी दिया है। जब वह प्रश्न आता तो मैं इस बात को कह देता। लेकिन अब तिवारी जी न यह प्रश्न उठा दिया है तो मैं भी अपनी बात कहना उचित समझता हूं। भय और आतंक से लोग डरे हुए हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कौन डरा हुआ है।

श्री मधुकर दिघे—

आप। नीयत के चक्कर में मत फंसिए।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी को डूब मरना चाहिये। आपकी राजनीति में भय तथा आतंक का राज्य है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

ऐसी शिकायत मत करिये। जनता आज कितनी डरी हुई है?

श्री मधुकर दिघे—

जो उनके मित्र उधर चले गये हैं दल बदल करके.....

श्री मैनेजर सिंह—

क्या बात करते हो?

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। दल बदल आपने किया है। आप चरण सिंह की सरकार की कठपुतली हैं।

श्री मधुकर दिघे—

विधान सभा भंग हो जायगी, यह डर आप अपने मन से निकाल दें। नारायणदत्त तिवारी तो यह चाहते हैं कि क्यों नहीं विधान सभा भंग हो जाती और क्यों नहीं चुनाव कराये जाते? यह उनके मन में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह मैंने कब कहा? आप काल्पनिक बातें क्यों कर रहे हैं?

श्री मधुकर दिघे—

राज्य सरकार ने लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में दिनांक 1 सितम्बर से जो केन्द्रीय सरकार के आदेश आये हैं उनके अनुसार किसी भी प्रकार से 31 अगस्त के बाद स्थानान्तरण करने का काम नहीं होना चाहिए, इसके आदेश जारी कर दिये हैं।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

किस तारीख के आदेश हैं ? 31 अगस्त या 1 सितम्बर के ? यह कैसा गड़बड़झाला है ?

श्री मधुकर दिघे—

31 अगस्त के बाद 1 सितम्बर आता है । 1 सितम्बर को यह आदेश जारी किये गये हैं कि 31 अगस्त के बाद किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण न किया जाय। अगर किसी कारणवश ऐसी स्थिति आय भी तो निर्वाचन आयोग की आज्ञा लिये बिना ऐसा न किया जाय, ये आदेश जारी कर दिये गये। यह जो रेडियोग्राम आ गया उसके बाद किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण न करने के आदेश यहाँ से सभी अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं।

लखनऊ में विषाक्त शराब पीने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री उपाध्यक्ष—

प्रदेश की राजधानी में शराब पीने के कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गयी है इस सम्बन्ध में नियम 51 में मैंने प्रश्न स्वीकार कर लिया है, इसके बारे में वक्तव्य हो जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं ....

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है .....

श्री उपाध्यक्ष—

लिखकर आपने कुछ नहीं भेजा ।

श्री मित्रसेन—

व्यवस्था के सवाल पर लिख कर देने की आवश्यकता नहीं होती ?

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था किसी कार्य के सम्बन्ध में होती है ।

श्री मित्रसेन—

आपके निर्देश के सम्बन्ध में व्यवस्था का सवाल है। आपने निर्देश दिया था श्री डी0 पी0 बोरा के प्रश्न पर कि इटौंजा थाने में जो झकैती पड़ी थी उस पर वक्तव्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष —

उस सम्बन्ध में आज वक्तव्य है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने एक दूसरा प्रश्न उठाया था....

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो लिखकर मेरे पास नहीं आया ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने यह लिख कर दिया है कि शासन ने अपनी तरफ से कोई सूचना इस सदन को नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष—

शासन की तरफ से आज सदन के उठने के पहले सूचना आ जायगी । वक्तव्य आ जायेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर माननीय सदस्य नियम 51 की सूचना न देते तो शासन न देता। माननीय सदस्य ने नियम 51 की सूचना दे दी और आपने उसे स्वीकार कर लिया है और आज वह सदन के ऐजन्डे पर है। इतनी बड़ी घटना आज लखनऊ में घटित हो गई है कि सैकड़ों आदमियों की जानें विषाक्त शराब से चली गई हैं और यह सदन बैठा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप उस समय पूछ सकते हैं..... (व्यवधान)। जब वक्तव्य आयेगा, उस समय आपको मौका मिलेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा सवाल औचित्य के प्रश्न का है कि क्या ऐसे समय में सरकार की इन बातों को सदन के अन्दर अवगत कराना मुनासिब है अथवा नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

औचित्य क प्रश्न के रूप में मैंने इसको स्वीकार नहीं किया।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब मैं बोल रहा था तो संसदीय कार्य मंत्री खड़े थे और जब आपने उन्हें बुलाया है तो मैं खड़ा हूं, मुझे भी आप फिर इजाजत देंगे ?

विधान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मैं तो आदरसूचक खड़ा था, जब आप बोल रहे थे ? अब आप बैठ सकते हैं। श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया और विश्वास दिलाया था कि सदन में यह प्रस्ताव आयगा—

"यह सदन 28 मई, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप नियम (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुये एतद्द्वारा यह निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी सत्र के आरम्भ से 15 दिनों के भीतर, ऐसी तिथि को, जो श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहता हूं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसके लिये एक तिथि निश्चित कर लें और उस तिथि को चुनाव हो जाय। इस तरह से टालना मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मामले को स्थगित कर दिया जाय और 3 बजें जो आपने आज नेताओं की मीटिंग बुलाई है उसमें इस पर पुनः विचार कर लिया जाय। दोनों पक्ष इस सवाल से कतरा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

(संसदीय कार्य मंत्री से)—जब बात हो जाय तब प्रस्ताव ले आयें..... (व्यवधान)।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

सदन को डेट फिक्स करने में क्या परेशानी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें राज्यपाल के निर्देश लेने की आवश्यकता पड़ती है।

श्री रियासत हुसैन—

महामहिम राज्यपाल कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही अपनी स्वीकृति देंगे और सारी चीजें सामने रख कर उसकी तिथि की घोषणा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आज तीन बजे नेताओं की मीटिंग हो रही है, उसमें बात कर लेंगे। प्रश्न यह है कि यह सदन 28 मई, 1979 को पारित.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, यह तो बिचार करने के उपरान्त आयेगा। आप जो प्रस्ताव करने जा रहे हैं उसके बारे में माननीय मैनेजर सिंह जी न प्रस्ताव रखा है, उस पर तीन बजे विचार कर लिया जाय, ऐसा आपने भी कहा है। उसके बाद यह प्रस्ताव आयेगा।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, अभी मैं जो प्रस्ताव ला रहा था तो उस पर नेता विरोधी दल की सहमति थी फिर क्या हुआ मैं नहीं बता सकता लेकिन उनकी इच्छा को जानकर ही यह कहा था। जब यह प्रश्न उठा तो माननीय रियासत हुसैन साहब ने तिथि की बात कहीं मैंने कहा कौन सी तारीख निश्चित करनी है इस पर आपस में हम सब बातचीत करके तय करेंगे। मान्यवर, जो परेशानी है उसमें नियमानुसार तिथि की घोषणा नहीं की जा सकती। प्रस्ताव स्वीकृत करने के बाद ही उस पर विचार विमर्श हो सकता है।

श्री मैनजर सिंह—

फिर 6 महीने के लिए टल जायेगा। तीन बजे की मीटिंग में इस पर विचार किया जाय इसलिए अभी इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

तिथि के बारे में जहां तक बात है.....

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दे दी 3 बजे विचार विमर्श के बाद यहां आयेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

हमारा आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री को सुझाव है कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है वह जो राज्यपाल महोदय की सिफारिश करेंगे उसके अनुसार वह तिथि निर्धारित करेंगे। अनुमानित दिनांक बताने में आपको क्या आपत्ति है कि अगला सत्र जो होगा उसके दूसरे, तीसरे या चौथे दिन करेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी अनुमति से ही संसदीय कार्यमंत्री ने एक प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव का विरोध भी हो सकता है और समर्थन भी हो सकता है अगर किसी को उसमें संशोधन करना है तो वह संशोधन लायें और विरोध करना है तो वह हो जायं। जैसा संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वयं बताया कि माननीय नेता विरोधी दल की सहमति से यह प्रस्ताव लाया गया है। आप इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए कह रहे हैं जो कि विचाराधीन है। अगर तारीख का संशोधन लाना चाहते हैं तो उस पर बिचार होगा।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा है यह तो सदन को पहले मानना पड़ेगा और उसके बाद जो नेताओं की मीटिंग होगी उसमें कोई

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधे श्याम शर्मा]
निर्णय हो जाय फिर अलग से एक प्रस्ताव लाया जायेगा। जब यह प्रस्ताव नहीं माना जायेगा जो कि पहले तय हुआ है तो उसके बारे में विवाद हो जायेगा। इसलिए यह प्रस्ताव अपनी जगह सही है। तिथि के लिए नेताओं की मीटिंग में तय होगा। नियम और कायदे कानून से बात करनी चाहिये। खाली ऊटपटांग बात से कोई फायदा नहीं। इसे आप पास कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

3 बजे जो मीटिंग होगी उसमें यही तय होगा कि कब माननीय सदस्यों को राय करने के लिये बुलाया जाय।

श्री मैनेजर सिंह—

इसे तीन बजे तक टालें और नेताओं की बैठक में इस पर विचार होगा फिर उसके बाद प्रस्ताव आये। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे नौजवान साथी श्री शतरुद्र प्रकाश जी चाहते हैं कि पास कर लिया जाय तो पास कर लें। यह तो कहेंगे कि सदन का अध्यक्ष चुना ही न जाय और उसे पास करा लेंगे तो करा लें।

श्री मधुकर दिघे—

यह प्रस्ताव माननीय रियासत हुसैन, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी और मैनेजर सिंह तथा नेता विरोधी दल के इशारे पर आया। तिथि के बारे में पहले कह दिया. . . .

श्री मैनेजर सिंह—

दोनों पक्ष के लोग कतरा रहे हैं और इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद आप 6 महीने तक टाल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लें।

श्री मैनेजर सिंह—

इससे यह साबित हो जायगा कि [× × ×] अगर यह प्रस्ताव पास कर दिया तो आपके निर्णय पर मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री मैनेजर सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, नियम भी ऐसा नहीं है, आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

[× × ×] श्री मैनेजर सिंह द्वारा मेरे प्रति कथित शब्द लिखे नहीं जायेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

नियम में राज्यपाल द्वारा तिथि निर्धारित करने की बात है—"अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को किया जायगा जोकि राज्यपाल नियत करें और सचिव उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे,

परन्तु सभा की अवधि में होने वाली रिक्तता की दशा में इस प्रकार नियत तिथि—

(क) यदि सभा उस समय उपवेशन में हो तो रिक्तता होने के, तथा

(ख) यदि वह उपवेशन में न हो तो उस दिनांक के, जब सभा तदुपरान्त पहली बार समवेत हो, पन्द्रह दिनों के भीतर होगी।"

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

मान्यवर, राज्यपाल द्वारा तिथि नियत करने की बात तो उस दशा में है, जब पहली बार सदन समन होता है, किन्तु यह रिक्तता तो उस समय हुई है, जब सदन उपवेशन में था। पिछली बार नियम निलम्बित हुआ था, इसलिए मेरा कहना है कि अबकी बार अब तक नियम आप निलम्बित नहीं करते हैं, तब तक इसका मतलब है कि यह 15 दिन के अन्दर होने वाला है। आपको यदि नियमों की पवित्रता बनाये रखना है तो राज्यपाल की उस पर अनुमति लेनी पड़ेगी। आप 3 बजे मीटिंग कर लें और उसमें जो तय हो, राज्यपाल को भेज दिया जाए और उसके आधार पर यहां पर रेज्यूलूशन एडाप्ट किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

स्पीकर का चुनाव ऐसा है, जिसमें कोई दलगत भावना नहीं होनी चाहिए और परम्परा भी यही रही है। अब तक आमतौर से सहमति से स्पीकर का चुनाव हुआ है। इसमें क्या प्रक्रिया हो और क्या अवधि हो, जब तीन बजे मीटिंग बुला ही रखी है तो उसमें कन्सेन्सस बन जाएगा और उसके बाद प्रस्ताव आ जाएगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मुझ कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैंने नेता सदन से, चूंकि एक प्रस्ताव आया था, कहा था कि आप एक प्रस्ताव ले आयें, तो मुनासिब बात होगी। एक तरफ तो इस सदन में यह बात कही जा रही है कि यह प्रस्ताव आ जाए कि उपाध्यक्ष महोदय को ही अध्यक्ष बना दिया जाए और दूसरी तरफ प्रक्रिया और नियमावली की बात उठाई जा रही है, एक तरफ सूखा और दवी आपदाओं की बात आ रही है। अध्यक्ष का चुनाव इनमें हो जाएगा तो यह कैसे सम्भव है। तो कोई न कोई परिस्थिति ऐसी लानी पड़ेगी जिसमें कटुता न बढ़े। इसलिए यह कहना पड़ रहा है। यह अधिकार आपका है कि सदन बुलायेंगे। मैं इसमें सरकार को बांध नहीं सकता हूं। इस प्रस्ताव का मतलब तो यह है, कि जब भी सदन बुलाया जाए, उस सदन में निश्चित रूप से, यह तो सब बहुत छोटा होना था, यह पहले से ही मालूम था कि 14 दिन के अन्दर हो जाएगा, या आप उस वक्त ही तय कर लेते कि 14 दिन से अधिक का होगा लेकिन आपको मालूम था कि 4–5 दिन का ही होने वाला है और 14 दिन नहीं चलने वाला है, तो उस वक्त स्पष्ट मालूम था कि इस सत्र में चुनाव नहीं होने वाला है। सर्वसम्मत से चुनाव हो जाए, तो आपको इस प्रस्ताव का समर्थन माननीय सदस्यों को करना ही चाहिए और यदि कैन्डीडेट्स ही खड़े करना है तो बाल के लिए कर दिया जाए और चुन लिया जाए। हम यह भी चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो और हम यह भी चाहते हैं कि कटुता न बढ़े। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन हो और जो मीटिंग होगी, उसमें सदन के कार्यक्रम के बारे में विचार होगा। मैं अब भी अपने वचन पर कायम हूं। जो प्रस्ताव ले आ रहे हैं मैं अपने मित्रों से निवेदन करूंगा कि वह उसका समर्थन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन 28 मई, 1979 को पारित प्रस्ताव के क्रम में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप नियम (1) के परन्तुक के खन्ड (ख) के उपबन्धों को पुनः निलम्बित करते हुए एतद्द्वारा यह निश्चय करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन आगामी सत्र के आरम्भ से 15 दिन के भीतर, ऐसी तिथि को, जो श्री राज्यपाल इस सम्बन्ध में नियत करें, हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 1979†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 15–टी/तीस–4–30 पी–76–सी ए–4/1939–रूल 1940–एम (19) 1979, दिनांक 31 जनवरी, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तेईसवां संशोधन) नियमावली, 1979†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 3228–टी/तीस–4–171–के0 एम0–75, दिनांक 30 जून, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 1979†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 3799–टी/तीस–4–4 पी0–77, दिनांक 31 जुलाई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (पहला संशोधन) नियमावली, 1979†

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या 18–1 (10)/78–1–5–यू0 पी0 ए0–4/77–रूल–77 ए0 एम0(1)–79, दिनांक 25 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (पहला संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1979†

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मैं आपकी आज्ञा से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 289/2–5–(2)–70 राजस्व–1–उ0 प्र0 अधि0–1–61–नियम –61–सा0 (II)–79 दिनांक 2 जून, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना†

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मैं आपकी आज्ञा से स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 1684/9–2–141–77, दिनांक 2 मई, 1979 की उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 96 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

विगत सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्यमंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गय प्रक्रिया संबंधीकरण (चतुर्थ संस्करण) के करण 9–ङ (3) के अनुसार विधान सभा के विगत सत्र 1979 (2 मई, 1979 से 15 जून, 1979) में नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

किस सिलसिले में ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसी सिलसिले में। आप देखें कि नियम 301 के अन्तर्गत शून्य प्रहर में प्राप्त सूचनाओं की सूची एवं उन पर कृत कार्यवाही का जो विवरण सदन के पटल पर रखा गया है उसे आप एक मिनट के लिए देखें। आपने करण में भी व्यवस्था दी ह कि लेकिन 318 सूचनाओं में से 80 सूचनाएं ऐसी हैं जिनकी सूचना ही उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से लगभग 100 ऐसी सूचनायें है जिनके उत्तर नहीं दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय ग्राह्यता नहीं चल रही है। गुप्त जी आप इस प्रकार से औचित्य का प्रश्न उठाकर सदन का समय न लें तो अच्छा होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप देख तो लें। अगर आप भी संतुष्ट नहीं होते तो संसदीय कार्य मंत्री को दुबारा इन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय।

नैनीताल के कुंडेश्वरी स्थान पर भंडारागार निगम द्वारा भूमि खरीदने के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य, श्री गुरुदत्त सोलंकी तथा सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न लेता हूं।

× × × ×

माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने माननीय श्री गुरुदत्त सोलंकी, सदस्य, विधान सभा तथा माननीय सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध 17 मई, 1979 को विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का यह आरोप है कि :—

(1) श्री गुरुदत्त सोलंकी ने जिला नैनीताल की काशीपुर तहसील के कुण्डेश्वरी में राज्य भाण्डागार निगम द्वारा जो 3 एकड़ जमीन खरीदी गयी, उसमें अपने रिश्तेदार श्री गोविन्द सिंह नेगी की नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार किया है और इस प्रकार उनका आचरण सदन की गरिमा और मर्यादा के अनुकूल नहीं रहा।

---

†छापा नहीं गया।

[श्री उपाध्यक्ष]]

(2) दिनांक 19 मार्च, 1979 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर और उसी विषय पर 8 मई, 1979 को नियम 49 के अन्तर्गत सदन में हुई चर्चा में श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दी गयी सूचनाओं में विरोधाभास था और उन्होंने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने का प्रयास करते हुए गलत बातें कहीं तथा श्री गुरु दत्त सोलंकी को दण्डित करने के बजाय पूरे मामले में स्वयं फरीक बन गये और अपने पद का दुरुपयोग किया। इस प्रकार श्री मुलायम सिंह यादव का आचरण सदन की गरिमा और मर्यादा के अनुकूल नहीं रहा।

इस संबंध में मैंने माननीय श्री गुरुदत्त सोलंकी तथा माननीय सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह से वस्तुस्थिति की जानकारी माँगी, जो मुझे प्राप्त हुई। श्री सोलंकी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यह बताया कि तहसीलदार द्वारा वर्ष 1978 में इसी स्थान पर बेची गयी भूमि का रेट 74 रु0 प्रति वर्गमीटर प्रतिवेदित किया गया था जबकि श्री गोविन्द सिंह की भूमि निगम द्वारा 71.66 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से खरीदी गयी थी। भूमि खरीदने की कार्यवाही निगम के संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार ही की गयी और बाद में भूमि की खरीद की कार्यवाही की कार्यकारिणी द्वारा पुष्टि भी की गयी। उन्होंने इस आरोप का भी खण्डन किया है कि मामला खुलने पर नियम और कानून के विरुद्ध श्री गोविन्द सिंह से 3 लाख रुपए का चेक लेकर उसे कारपोरेशन के खाते में जमा करा दिया गया है। माननीय श्री सोलंकी के अनुसार श्री गोविन्द सिंह ने इस मामले में भ्रामक प्रचार किये जाने के कारण स्वयं इस बात की पहल की कि खरीदी हुई भूमि उन्हें वापस कर दी जाय जिसके लिए उन्होंने 3 लाख रु0 का चेक अग्रिम रूप में स्वेच्छा से दिया। उनके द्वारा भेजे गये पत्र को देखते हुए निगम ने निर्णय लिया है कि भूमि श्री गोविन्द सिंह को बेचने की कार्यवाही की जाय और तददनुसार श्री गोविन्द सिंह को लिख दिया गया है।

माननीय सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह ने अपने 23 मई, 1979 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया है कि जो कुछ भी सूचना उन्होंने सदन में दी है वह अध्यक्ष, राज्य भण्डारागार निगम से प्राप्त सूचना के आधार पर है और उन्होंने इससे इन्कार किया है कि वे इस मामले में फरीक बन गये हैं और भ्रष्टाचार के प्रकरण पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं तथा सदन को गुमराह करने की नीयत से तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे हैं एवं मामले को दबाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

मैंने इस सम्बन्ध में 25 मई, 1979 को सदन में श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी को भी सुना और उसके पश्चात् उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर माननीय सहकारिता मंत्री से अग्रेतर जानकारी प्राप्त की तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी से अतिरिक्त लिखित तक देने एवं अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये कहा।

माननीय सहकारिता मंत्री से इस बात पर जानकारी माँगी गयी कि 19 मार्च, 1979 को तारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर में उक्त स्थान पर जमीन की बिक्री के तहसीलदार का वर्ष 1978 में प्रमाणित रेट को 74 रु0 बताया गया जब कि 8 मई, 1979 को उसे 66 रु0 प्रति वर्गमीटर बताया गया; इस अन्तर का कारण क्या है? इसके उत्तर में दिनांक 1 जून, 1979 पत्र में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने बताया कि 8 मई, 1979 को विधान सभा में जब इस विषय पर चर्चा चल रही थी तब सम्भवतः त्रुटिवश तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार 66 रु0 प्रति वर्गमीटर पड़ता था, उनके द्वारा कह दिया गया या कार्यवाही लिखने में त्रुटि हुई। उन्होंने प्रमाण में तहसीलदार, काशीपुर की रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए यह स्पष्ट किया है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वास्तव में 74 रु0 प्रति वर्ग मीटर का रेट ही बताया गया था। दूसरा बिन्दु जिस पर माननीय सहकारिता मंत्री से अग्रे-

कारी मांगी गयी थी, वह इस सम्बन्ध में था कि 8 मई, 1979 को माननीय सहकारिता मंत्री ने सदन में यह कहा था कि अब जब जमीन की जो डीड हो चुकी है, वह रद्द की जायगी," जब कि माननीय श्री गुरुदत्त सोलंकी ने अपने दिनांक 19/21 मई, 1979 के स्पष्टीकरण में कहा है कि 'वस्तु स्थिति यह है कि श्री गोविन्द सिंह ने इस सम्बन्ध में भ्रामक प्रचार किये जाने के कारण स्वयं इस बात की पहल की कि खरीदी हुई जमीन को वापस कर दी जाय, इसके लिये 3 लाख रु0 का चेक उन्होंने अग्रिम रूप से स्वेच्छा से दिया। निगम ने निर्णय लिया है कि भूमि श्री गोविन्द सिंह को बेचने की कार्यवाही की जाय।"

उपर्युक्त दोनों कथनों में अन्तर का कारण क्या है, इस विन्दु को स्पष्ट करते हुए माननीय सहकारिता मंत्री ने अपने दिनांक 1 जून, 1979 के पत्र में यह सूचना दी है कि जो जमीन श्री गोविन्द सिंह से खरीदी गयी थी, उसको वापस करने की सूचना उन्होंने श्री गुरुदत्त सोलंकी ने ही दी थी और यह भी सूचित किया था कि यह निर्णय लिया गया है कि कुण्डेश्वरी में इस समय कोई भी भण्डारगृह निर्माण न किया जाय। इसी आधार पर उन्होंने यह सूचना सदन में दी थी कि डीड रद्द की जा रही है। इस सम्बन्ध में माननीय सहकारिता मंत्री ने श्री गोविन्द सिंह द्वारा श्री सोलंकी के पास जमीन को पुनः क्रय करने के सम्बन्ध में 3 लाख रुपये का चेक देने सम्बन्धी पत्र की तथा सहकारिता मंत्री को श्री सोलंकी द्वारा लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि भी भेजी है, जिसके आधार पर माननीय सहकारिता मंत्री ने अपना वक्तव्य एवं उत्तर सदन में दिया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने अपने 25 मई, 1979 को सदन में दिये गये भाषण में जो तर्क प्रस्तुत किया है, उसे तथा अपने लिखित कथन में जो दिनांक 1 जून, 1979 को मेरे पास भेजा है, उसे भी मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ 116 तथा 144 के उद्धरणों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया है कि किसी भी सदन के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा अपने कार्य के निर्वहन में भ्रष्टाचार या प्रत्यक्ष अपराधों के अलावा कर्त्तव्य में उपेक्षा या उल्लंघन को भी सदन का अवमान माना जाता है। उन्होंने अपने दिनांक 1 जून, 1979 के पत्र में श्री मुगदल के अलावा श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के मामलों का भी अपनी शिकायत की पुष्टि में उल्लेख किया है और यह कहा है कि माननीय सहकारिता मंत्री तथा माननीय श्री गुरुदत्त सोलंकी ने स्पष्ट रूप से सदन का अवमान किया है।

माननीय श्री तिवारी ने न तो अपनी मूल शिकायत में और न ही दिनांक 1 जून, 1979 के पत्र द्वारा मांगने पर भी कोई ऐसे लेख्यात्मक प्रमाण या ऐसा कोई आधार दिया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माननीय सहकारिता मंत्री ने जानबूझकर कोई गलत बयानी की और सदन को गुमराह किया है। इसके विपरीत माननीय सहकारिता मंत्री ने तहसीलदार की रिपोर्ट तथा श्री गोविन्द सिंह द्वारा श्री सोलंकी को लिखे गये पत्र तथा श्री सोलंकी द्वारा माननीय सहकारिता मंत्री को लिखे गये पत्र, जिसके आधार पर उन्होंने सदन में सूचना दी थी की प्रतिलिपि भेजी, जिससे जो सूचना उन्होंने सदन में दी, उसकी पुष्टि होती है।

श्री तिवारी ने ऐसे भी कोई लेख्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे उनके इस आरोप की पुष्टि हो सके कि माननीय सहकारिता मंत्री श्री मुलायम सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करके श्री सोलंकी को बचाने का य ऐसा कोई आचरण किया, जो सदन की गरिमा के प्रतिकूल हो, श्री तिवारी ने श्री सोलंकी के विरुद्ध अवसर देने के बाद भी इस प्रकार के कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये, जिनके आधार पर प्रागदर्शन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा

[श्री उपाध्यक्ष]

सके कि श्री सोलंकी ने इस प्रकार का कोई कदाचार किया है, जो सदन की गरिमा के विपरीत है और इस प्रकार सदन का अवमान किया है। श्री तिवारी ने अपने सदन में दिये गये भाषण तथा लिखित बयान संविधा के अनुच्छेद 194, मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ 116, 118, 143 और 144 के उद्धरण तथा श्री मुदगल, श्री सुब्रह्मण्यम तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी के मामलों का हवाला दिया है।

संविधान के अनुछेद 194 (3) के अनुसार उक्त अनुच्छेद के खण्ड (1) और (2) में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त अन्य मामलों में इस सदन, उसकी समितियों तथा उस सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ वही हैं जो 26 जनवरी, 1950 को यू0 के0 के हाउस आफ कामन्स की थी। हाउस आफ कामन्स उसकी समितियों एवं सदस्यों के विशेषाधिकार, शक्तियों और उन्मुक्तियों का उल्लेख--मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में दिया हुआ है। उक्त पुस्तक के चैप्टर × में विशेषाधिकार या अवमान बनाने वाले कृत्यों या आचरण के मुख्य शीर्षक के अधीन सदस्यों या अधिकारियों के कदाचार के उपशीर्षक के अन्तर्गत पृष्ठ 142 से 144 तक विभिन्न विषयों एवं उदाहरणों का उल्लेख किया है, जो विशेषाधिकार या अवमान का प्रश्न बन सकते हैं या वे इस प्रकार के हैं जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं और इस आधार पर सदन के अवमान के रूप में दण्डित किये जाते हैं। श्री तिवारी द्वारा उक्त पुस्तक के 19वें संस्करण के पृष्ठ 143 और 144 से दिये गये उद्धरण इसी श्रेणी में आते हैं मैंने इस उपशीर्षक के अन्तर्गत आने वाले सभी दृष्टान्तों एवं विषयों को बहुत विस्तार से और ध्यानपूर्वक पढ़ा, जिनसे यह स्पष्ट है कि किसी सदस्य के सदन की गरिमा को गिराने वाले कदाचार को पूर्ण आचरण का सदन के सदस्य की हैसियत से उसके कार्य से सम्बन्धित होना आवश्यक है। उदाहरण के लिये पृष्ठ 143 के सन् 1858 के हाउस आफ कामन्स के जिस संकल्प का उल्लेख श्री तिवारी ने किया है, वह इस प्रकार है:--

"That it is contrary to the usage and deregatory to the dignity of this House that any of its members should bring forward, promote or advocate in this House any proceeding or measure in which he may have acted or being concerned for or in consideration of any pecuniary fee or reward."

यह इस सभा की प्रथा के विरुद्ध तथा गरिमा को हानि पहुंचाने वाली बात है कि इसका कोई सदस्य इस सभा में कोई ऐसी कार्यवाही करे, उसका समर्थन करे या उसके संबंध में दलील दे या कोई ऐसी बात लाये, जिसमें कि उसने कोई ऐसी कार्यवाही की हो या उसका संबंध रहा हो, जिसके लिए उसे कोई आर्थिक शुल्क या इनाम मिला हो। हा0 आ0-का0 जर्नल (1857-58) 247 श्री मुगदल का मामला जिसका उल्लेख श्री तिवारी ने किया है इसी श्रेणी में आता है।

श्री तिवारी ने पूरा संकल्प उद्धरित नहीं किया था। पूरे संकल्प के पाने से यह स्पष्ट है कि सदन से सम्बन्धित मामले से ही इसका सम्बन्ध है। इसी प्रकार में की उक्त पुस्तक के पृष्ठ 116 के जो उद्धरण श्री तिवारी ने दिये हैं उनके भी पढ़ने से आशय स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध भी सदस्य की हैसियत से किये गये कार्य से ही है। श्री तिवारी ने संसद के श्री मुद्गल श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी और श्रीमती इन्दिरा गांधी के मामलों का भी अपने सूचना के ग्राह्यता की पुष्टि में उल्लेख किया है। में की उक्त पुस्तक में ही पृष्ठ 132-133 पर यह बताया गया है कि किस प्रकार के कदाचार के लिये ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में सदस्यों को निकाला गया है सदस्यों को खुले आम राजद्रोह करने पर, जालसाजी, झूठे साक्ष्य, अमानत में खयानत करने, सरकारी पैसों का गबन करने, धोखे या झगड़े का षंत्र रचने, न्याय के प्रशासन में भ्रष्टाचार करने, या सरकारी पद पर या सदस्यों के कर्त्तव्यों

नैनीताल के कुंडेश्वरी स्थान पर भंडारागार निगम द्वारा भूमि खरीदने के सम्बन्ध में विधान सभा सदस्य, श्री गुरुदत्त सोलंकी तथा सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

का निर्वहन करने पर भ्रष्टाचार में, किसी अधिकारी या भद्र पुरुष के लिए अशोभनीय व्यवहार करने और अवमान, मानहानि या अन्य ऐसे अपराधों के लिये निकाला गया है, जो कि सभा के विरुद्ध किये गये हों।

कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 285 पर यह स्पष्ट किया गया है कि जो सदस्य, सदस्य के नाते अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में भ्रष्टाचार करें, उनके अचारण को सभा विशेषाधिकार भंग मानती है। अतः किसी सदस्य द्वारा कोई घूस लेना, जिससे कि सदस्य के नाते उसके आचण पर प्रभाव पड़ता हो या किसी विधिक संकल्प, विषय या उस बात के समर्थन या विरोध के लिए, जो कि सभा या किसी समिति के सामने आनी हो, कोई शुल्क, प्रतिकर या इनाम लेना विशेषाधिकार का भंग है। यदि कोई सदस्य किसी के साथ सभा में उसके दावों का पक्ष लेने या उन्हें मनवाने के लिये, पैसा लेने का करार करता है, तो वह भी विशेषाधिकार का भंग है। इसी सिलसिले में सन 1951 में श्री एच0 जी0 मुदगल के मामले का उल्लेख किया गया है। उक्त पुस्तक के उसी पृष्ठ पर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि—

"इस सदस्य ने किसी व्यापार संघ के साथ लेन देन किया था जिसमें संघ की ओर से कुछ समस्याओं के सम्बन्ध में संसद में समर्थन प्राप्त करने और भ्रष्टाचार करने के लिये उसे कुछ कथित वित्तीय और अन्य व्यापारिक लाभ प्राप्त होने थे।"

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि श्री मुदगल का मामला विशेषाधिकार समिति को न सौंपकर एक तदर्थ समिति को जाँच हेतु सौंपा गया था।

इसी प्रकार, श्री सुब्रह्मणम स्वामी के मामले में भी, जिसका उल्लेख श्री तिवारी ने किया है, यह आरोप थे कि श्री स्वामी के राज्य सभा में उपस्थित न होने पर भी उनके हस्ताक्षर उपस्थिति पंजिका में 4 दिन पाये गये तथा देश से बाहर उन्होंने लेख्यों तथा अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा देश और देश की संसद के विरुद्ध प्रचार किया जो देश विरोधी होने के साथ साथ देश की लोकतांत्रिक संस्था संसद की गरिमा को गिराता था। इसके अतिरिक्त उनके ऊपर यह भी आरोप था कि उन्होंने पासपोर्ट के इम्पाउण्ड हो जाने के पश्चात भी उस पर जानकारी रहते हुए विदेश में यात्राएं की इस प्रकार, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी का मामला भी सदन के सदस्य की हैसियत से उनके कार्य से सम्बन्धित था और इसके लिये भी सदन ने जाँच के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्ति की थी। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी का मामला भी सदन के कार्य से संबंधित था उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने लोक सभा में मारुति लि0 से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए सूचना एकत्र करने वाले अधिकारियों का उत्पीड़न किया।

इस प्रकार, मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस, हाउस आफ कामन्स तथा इस देश की संसद के दृष्टान्तों को एवं निर्णय को देखते हुए यह स्पष्ट है कि किसी सदस्य के कदाचारपूर्ण आचरण का सम्बन्ध, सदस्य की हैसियत से उसके कर्त्तव्यों से सम्बन्धित होना आवश्यक है, तभी सदन द्वारा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

इसकी पुष्टि इस विधान मण्डल के दूसरे सदन में कानपुर में ग्लूकोज काण्ड के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न पर निर्णय से भी होती है। उक्त मामले में "नवजीवन" तथा "नेशनल हेराल्ड" लखनऊ के दैनिक पत्र दिनांक 25 तथा 29 जुलाई 1974 के पत्रों

[श्री उपाध्यक्ष]

में प्रकाशित कानपुर ग्लूकोज काण्ड सम्बन्धी समाचार के सम्बन्ध में सदन की अवमानना का प्रश्न विधान परिषद् में दिनांक 30 जुलाई, 1974 को उठाया गया था। उक्त समाचारों का उल्लेख करते हुए यह बात कही गयी थी कि :—

"माननीय श्री वीरेन्द्र स्वरूप का आचरण प्रथाओं के विपरीत परिषद् की प्रतिष्ठा के विरुद्ध और उस स्तर से असंगत है, जिसकी आशा माननीय सदस्यों से करनी चाहिए। इन परिस्थितियों में माननीय श्री वीरेन्द्र स्वरूप सदन के अवमान के भागी हैं और यदि उपरोक्त आरोप निराधार हैं, तो उपरोक्त दोनों समाचार पत्र सदन के अवमान के गम्भीर अपराधी हैं।"

विधान परिषद् की विशेषाधिकार समिति इस प्रश्न पर विचारोपरान्त जिस निष्कर्ष पर पहुंची, वे निम्न हैं:—

1—प्रकाशित लेखों का कोई भी सम्बन्ध माननीय डा0 वीरेन्द्र स्वरूप जी के उन कर्त्तव्यों तथा दायित्वों से नहीं माना जा सकता, जो उनसे सदन के सदस्य की हैसियत से अपेक्षित थे,

2—समिति को ऐसा कोई दृष्टांत संसदीय विधि तथा परम्परा में उपलब्ध नहीं हुआ जिसमें सदन के किसी सदस्य के ऐसे आचरण, जिसका सम्बन्ध उसके सदस्यता सम्बन्धी कर्त्तव्यों तथा दायित्वों से न हो, के सम्बन्ध में की गयी लांछनात्मक समीक्षा के आधार पर समीक्षक के विरुद्ध सदन की अवमानना का प्रश्न उठाया गया हो।

अन्त में समिति ने इसको सदन की अवमानना या उसके किसी विशेषाधिकार का उल्लंघन का प्रश्न नहीं माना।

इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों, दृष्टान्तों तथा निर्णयों को देखते हुए श्री तिवारी द्वारा उठाये गये प्रश्न पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि यह देखा जाय कि माननीय सदस्य श्री सोलंकी के विरुद्ध कदाचार पूर्ण आचरण का आरोप उनके सदस्य की हैसियत से किये गये कार्य से सम्बन्धित है या नहीं। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है श्री सोलंकी ने श्री गोविन्द सिंह से जो जमीन की खरीद का सौदा किया, वह श्री सोलंकी ने इस सदन के सदस्य की हैसियत से नहीं बल्कि राज्य भण्डारागार निगम के अध्यक्ष की हैसियत से किया और जैसा कि श्री सोलंकी ने अपनी स्पष्टीकरण दिनांक 19/21-5-1979 में कहा है, भूमि खरीदने की कार्यवाही निगम के संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार की गयी और बाद में भूमि की खरीद की कार्यवाही की कार्यकारिणी द्वारा पुष्टि भी की गयी।

ऐसा प्रतीत होता है कि जब कोई सदस्य ऐसा आचरण करे जो भद्र पुरुष या एक अधिकारी के चरित्र के लिए अशोभनीय हो तो हाउस आफ कामन्स ने अपने दण्डात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है। कर्नल कोर्थन को कोर्ट मार्शल द्वारा कुछ आरोपों का दोषी पाया गया था, उन्हें निष्कासित करने का प्रस्ताव 21 मार्च, 1796 को हाउस आफ कामन्स में स्वीकृत किया गया था जिसके अनुसार कोर्थन को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। इन्हें कोर्ट मार्शल द्वारा धोखा धड़ी, निन्दनीय और कुख्यात रूप में ऐसा कार्य करने का दोषी पाया गया था जो भद्र पुरुष और अधिकारी के चरित्र के लिए अशोभनीय था किन्तु हाउस आफ कामन्स ने ऐसे मामलों में अपन दण्डात्मक क्षेत्राधिकार का तभी प्रयोग किया है जब सदस्य ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाया गया हो, जिनमें निष्कासन का दण्ड दिया जाना आवश्यक है और यह प्रथा रही है कि दोष सिद्धि का अभिलेख सदन की मेज पर रखा जाता है। कुछ अन्य मामलों में आयोग और सदन की समितियों या अन्य पर्याप्त साक्ष्य पर भी कार्यवाही की गयी है।

माननीय सदस्य श्री तिवारी ने अपनी सूचना के साथ और बाद में अपने लिखित वक्तव्य के साथ भी कोई ऐसा प्रमाण मांगने पर भी नहीं प्रस्तुत किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि श्री सोलंकी या श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया है, जबकि दोनों ने अपने स्पष्टीकरण में इससे स्पष्ट रूप से इंकार किया है।

श्री तिवारी ने स्वयं श्री मुदगल और श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के मामले को अपने पक्ष में प्रस्तुत किया था और जैसा कि उन मामलों को देखने से स्पष्ट है, उनके लिये विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि उक्त दोनों सदस्यों की जाँच के लिये एक अलग समिति ठोस प्रमाण के आधार पर नेता सदन के प्रस्ताव पर बनायी गयी थी। विशेषाधिकार के प्रस्ताव के रूप में उन मामलों का निस्तारण नहीं हुआ था संभवत: श्री तिवारी का आशय यह हो कि इस प्रकार के निर्णय से एक संदेह उत्पन्न होता ह किन्तु किसी प्रमाण के अभाव में केवल संदेह के अधार पर इसकी अनुमति देना उचित न होगा।

श्री तिवारी ने भूमि को पुन: श्री गोविन्द सिंह को बेचे जाने के संबंध में एक प्रश्न यह उठाया था कि यदि वह जमीन राज्य भण्डारागार निगम के हित में खरीदी गयी थी तो उसको दोबारा बेचने का सवाल कैसे उठा है और जब उन्होंने पहल की थी तो क्या कोई चिट्ठी लिखी, कोई निगम की सहमति हुई।

उपर्युक्त स्थिति में मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की इजाज़त नहीं देता हूं। किन्तु मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि इस मामले की जाँच करके पूरी जानकारी दें।

भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के पद से हटने के बाद वही सुविधाएं जारी रखने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा ने 4 मई, 1979 को माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार भंग तथा अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने राज्य सम्पत्ति विभाग को श्री राम नरेश यादव मन्त्रि परिषद के सभी भूतपूर्व राज्यमन्त्रियों को वही सुविधाएं प्रदान करने के आदेश दिये है जो उन्हें राज्य मन्त्रियों के रूप में प्राप्त थीं। श्री तोमर ने उक्त सूचना नियम 56 के अन्तर्गत दी थी, कदाचित उनका आशय नियम 63 से है, जिसमें विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान की सूचना देने का प्राविधान ह। माननीय श्री तोमर का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 195 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान मण्डल ने अधिनियम बनाकर मन्त्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा सदस्यों की उपलब्धियों एवं सुविधाओं का निधारिण कर दिया है। भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को किसी विशेष सुविधा का उपबन्ध नहीं किया गया है। अत: माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिगयये उपर्युक्त आदेश से उक्त अधिनियम की अवहेलना होती है और सदस्यों में विभेद उत्पन्न किया गया है जिससे सदन की अवमानना होती है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने 21 मई, 1979 को इसी विषय को लेकर श्री प्रभु नाथ मिश्र, राज्य सम्पत्ति अधिकारी तथा श्री हेमचन्द्र जैन, अधीक्षण अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड के विरुद्ध विशेषाधिकार की अहेवलना का प्रश्न उठाया था।

[श्री उपाध्यक्ष]

मैंने उक्त दोनों सूचनाओं के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तु स्थिति की जानकारी माँगी। माननीय मुख्य मंत्री ने विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि 28 फरवरी, 1979 को भूतपूर्व मन्त्रि मण्डल ने त्याग पत्र देने के समय 22 राज्य मन्त्री थे, जिन्हें 15 दिन की अवधि में वैकल्पिक आवास दिये जाने थे। विधान मण्डल के सदस्यों की संख्या 535 है जिनमें विधायकों के लिए उपयुक्त कक्ष 490 हैं। लगभग 40 बंगले मन्त्रिगण के उपयोग में आते हैं और इस प्रकार विभाग के पास जो स्थान उपलब्ध हैं वह माननीय शासन के सदस्यों तथा विधायकों की आवासीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भर ही हैं। अत: मन्त्रिमंडल में परिवर्तन के समय निर्धारित 15 दिनों की अवधि में वैकल्पिक आवास देने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। विशेष प्रयास करने पर भी 9 भूतपूर्व राज्य मन्त्रियों को वैकल्पिक आवास का प्रबन्ध नहीं हो सका। ये सभी राज्य मंत्री विधायकों की हैसियत से नि:शुल्क कक्ष एवं अन्य सुविधाएं, विद्युत् तथा साज-सामग्री आदि के पात्र हैं। इनकी वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण वर्तमान आवास तथा न्यूनतम सुविधाओं से भी इन्हें वंचित करने में कठिनाई थी। इन विशेष परिस्थितियों पर शासन द्वारा विधिवत् विचार किया जा रहा है और इन भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के विषय में न्यूनतम क्या सुविधाएं दी जायं और इन सुविधाओं के अतिरिक्त यदि वे कोई सुविधा लेते हैं तो नियमान्तर्गत उनसे वसूली की जाय अथवा नहीं, आदि विषयों पर शासन द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है। उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मंडल अधिकारी निवास स्थान नियमावली, 1959 के नियम 8 से यह स्पष्ट है कि यदि भूतपूर्व मंत्री/राज्य मंत्रीगण द्वारा किन्हीं सुविधाओं का उपयोग किया जाता है तो उन पर सेवा शुल्क देय होता है। जिन मामलों में कुछ सुविधाएं बनाये रखने के निर्देश अनुरक्षण खण्ड के अधिकारियों को दिये गये हैं उनका यह तात्पर्य नहीं है कि मंत्री राज्य मंत्री की हैसियत से जो सुबिधाएं उन्हें प्राप्त थी वे पूर्ववत् नि:शुल्क रहेंगी। माननीय मुख्य मंत्री ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा 7 मई, 1979 को जारी किये गये आदेश की एक प्रतिलिपि भी संलग्न की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्देश केवल उन्हीं भूतपूर्व राज्य मंत्रिगण के लिए प्रसारित किय गय थे, जिनके लिए वैकल्पिक आवासों की व्यवस्था नहीं हो सकी थी।

मैंने 31 मई, 1979 को इस संबंध में श्री सोहनवीर सिंह तोमर, माननीय मुख्य मंत्री और माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी को सदन में भी सुना। माननीय श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने यह स्वीकार किया कि जहाँ तक शासन के अधीन लाभ के पद का प्रश्न है उसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता, किन्तु उन्होंने कहा कि इन नौ भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को राज्य मंत्रियों को मिलन वाली सुविधाएं पुन: देकर (रेस्टोर करके) सदस्यों में विभेद उपत्न किया गया है और यह सीधी घूस है। उन्होंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के 18 वें संस्करण के पृष्ठ 145 पर हाउस आफ कामन्स के 2 मई, 1695 के एक संकल्प को उद्धरित किया, जिसके अनुसार किसी सदस्य को किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए धन या सुविधा देना विशषाधिकार की अवहेलना है। माननीय श्री तोमर ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 194 और 195 दोनों "राज्य के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उनमुक्तियों" शीर्षक के अधीन हैं और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 195 के प्राविधानों का उल्लंघन करके किसी सदस्य को नियमों में उपबन्धित सुविधाओं से अधिक सुविधाएं प्रदान करना विशेषाधिकार की अवहेलना है।

माननीय मुख्य मंत्री ने श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा लगाये गये आरोपों का सदन में उत्तर देते हुए यह बताया कि माननीय श्री तोमर का यह कहना कि उन्होंने नतपूर्व राज्य मन्त्रियों को रिश्वत या प्रलोभन दिया, किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता।

सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं में अन्तर होने का यह आशय कदापि नहीं लगाया जा सकता कि जिन सदस्यों की अच्छी सुविधाएं मिली हैं, उन्हें प्रलोभन या रिश्वत दी गयी है। सदस्यों को विभिन्न स्थानों पर जो आवास दिये गये हैं उनके लागत मूल्य और किस्म में अन्तर है। उदाहरणतया पार्क रोड पर बने आवासों की लागत 5–6 लाख रुपये है। इस के अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मंडल अधिकारी निवास स्थान नियमावली, 1959 के नियम 8 में यह व्यवस्था ह कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए, जब वह मंत्री, उप मंत्री, सभा सचिव या राज्य विधान मंडल के किसी अधिकारी अथवा सदस्य के पद पर रहा हो, सरकारी निवास स्थान की व्यवस्था की गयी हो, जब वह उक्त पद पर न रह जाय, 15 दिन की अवधि तक कोई किराया अथवा परिव्यय दिये बिना उक्त निवास स्थान को अपने अधिवास में रख सकता है और राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी प्रदेशन आदेश से सज्जित या बिना सज्जित निवास स्थान ऐसी और अवधि के लिए जो निर्दिष्ट की जाय, कतिपय शर्तें और निर्बन्धों पर, अपने अधिवास में रख सकता है। ये शर्तें उक्त नियम में उल्लिखित हैं। इस प्रकार भूतपूर्व राज्य मंत्रियों में से 9 राज्य मंत्रियों को दी गयी आवास संबंधी सुविधाओं के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे संविधान के अनुच्छेद 195 के अन्तर्गत बनायी गयी विधि का उल्लंघन करके दी गयी हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने दिनाँक 7 जून, 1979 को एक पत्र भेजकर कुछ लिखित तर्क प्रस्तुत किये। इन लिखित तर्कों में उन्होंने अधिकांशतः उन तर्कों को दोहराया है, जिन का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। अपने तर्कों में श्री तिवारी ने कुछ काल्पनिक प्रश्न भी उपस्थिति किए हैं, जैसे—क्या सदस्यों की उपलब्धियों को कार्यपालिका घटा या बढ़ा सकती हैं या रेलवे कूपन से रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्लर्क, टिकट माँगने पर उसे अस्वीकार कर दें तो क्या उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला नहीं बनेगा और यदि ट्रेजरी आफिसर, सदस्यों की सही वेतन बिलों का भुगतान न करें, तो क्या वह विशेषाधिकार भंग करने का दोषी नहीं होगा। य प्रश्न वर्तमान मामले में निर्णय हेतु उपस्थित नहीं हैं और साधारणतया ऐसे काल्पनिक प्रश्नों पर निर्णय देने की प्रथा नहीं है, जब तक कि विशिष्ट रूप से कोई मामला इस विषय का सामने न हो। लेकिन यहाँ पर, इसी प्रकार एक मामले का जो विधान परिषद् में उठाया गया था, उल्लेख कर देना उचित होगा, यह मामला मई, 1977 में विधान परिषद् में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक अधिकारी तथा कन्डेक्टर द्वारा विधान परिषद् के एक माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किये जाने एवं परिषद् के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किये जाने के आधार पर विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाया गया था। इसमें महाधिवक्ता की भी राय ली गयी थी और यह प्रश्न उठाया गया था कि अनुच्छेद 195 भी सदस्यों की विशेषाधिकार की परिधि में आता ह। दिनाँक 2 सितम्बर, 1977 को विधान परिषद् में अपना मत व्यक्त करते हुए महाधिवक्ता ने यह भी कहा था कि सदन के सब विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में ही निहित हैं और इसके अलावा और कोई विशेषाधिकार नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) के अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का संबंध अनुच्छेद 194 से बिल्कुल नहीं ह, यानी उक्त अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने से किसी विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं होती है। माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में यह भी कहा कि माननीय श्री तोमर ने यह नहीं बताया कि प्रलोभन या रिश्वत किस लिए दी गयी है। इस पर श्री देव बहादुर सिंह ने कहा "साथ रहने के लिए" श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी

[श्री उपाध्यक्ष]

ने भी सदन में यह कहा था कि रिश्वत या प्रलोभन भूतपूर्व राज्य मन्त्रियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए दिया गया था। श्री सोहनवीर सिंह तोमर या श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने ऐसा कोई तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्राग्दर्शन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि नौ भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को जो सुविधाएं नियमानुसार दी गयी हैं वे प्रलोभन या रिश्वत के रूप में हैं और उन सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने इन सुविधाओं को दिये जाने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि चूंकि वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं हो पायी थी, अतः 22 राज्य मंत्रियों में से केवल नौ राज्य मंत्रियों को आवासीय व्यवस्था जारी रखी गयी थी। मैं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह कहा जा सके कि इन भूतपूर्व राज्य मंत्रियों को दी गयी आवासीय व्यवस्था रिश्वत या प्रलोभन है। इस संबंध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के 19वें संस्करण के पृष्ठ 149 के उद्धरण, लोक सभा में श्री सुदगल और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के केस और राज्य सभा में श्री सुब्रह्मणियम के केस तथा संविधानके जिन अनुच्छेदों का उल्लेख किया है वे असंगत हैं। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है, कि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने तथा माननीय सदस्यों ने भी अपने तर्क में उल्लेख किया है प्रस्तुत मामले में अनुच्छेद 195 के अन्तर्गत सदस्यों के वेतन और उपलब्धियों से संबंधित अधिनियम और नियम के लागू होने का प्रश्न नहीं है बल्कि अनुच्छेद 164 (5) में बनाये गये मंत्रियों आदि के वेतन एवं भत्ते आदि से संबंधित अधिनियम और नियम लागू होने का प्रश्न है। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने इसके संदर्भ में यू0 पी0 मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी एण्ड लेजिस्लेचर आफीसर्स रेजीडेन्स रूल्स के नियम 8 के उपनियम (2) का हवाला देकर कहा है कि इस उपनियम में यह प्राविधान है कि 15 दिन बाद कुछ सुविधाएं हर हालत में वापस कर ली जायेंगी। उनका आशय रेफ्रिजिरेटर्स, एयर कूलर्स तथा गीजर्स से है। इसी नियम के उपनियम (4) में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि यदि 15 दिन की समाप्ति के उपरान्त कोई व्यक्ति रेफ्रिजिरेटर्स, एयर कूलर्स या गीजर्स वापस करने में असफल रहा है तो प्रतिदिन के लिए क्रमशः 10 रु0, 5 रु0 तथा 2.50 रु0 की दर पर किराये का देनदार होगा। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने स्पष्टीकरण के साथ जो 7 मई, 1979 का पत्र संलग्न किया है उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन भूतपूर्व मंत्रिगण, राज्य मंत्रिगण को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करा दी गयी है उनको पुरानी सुविधाएं दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु जिन मंत्रीगण अथवा राज्य मंत्रीगण को अभी तक वैकल्पिक सुविधाएं नहीं दी जा सकी हैं, उन्हीं को इस प्रकार की सुविधाएं कायम रखने का निदेश दिया गया है। साज-सामग्री तथा अन्य सुविधाएं इसी प्रकार यथासंभव वापस ली जायं और जितनी संबंधित भूतपूर्व मंत्रीगण अथवा राज्यमंत्रीगण रखना चाहें उतनी ही उन्हें दी जायें क्योंकि नियमान्तर्गत इस पर किराया भी देय होता है। अतः भूतपूर्व माननीय मंत्रियों को किसी भी सामान के दिये जाने के अधार पर कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता।

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने उक्त पत्र में यह भी अनुरोध किया है कि इस विषय से संबंधित सभी कागजात को तलब करके मैं स्वयं उसका अवलोकन करूं और विषय की गंभीरता तथा महत्ता को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाकर इस विषय पर उनके विचार सुनने के बाद ही अपना निर्णय दूं।

सर्वश्री अरुण कुमार, श्री देव बहादुर सिंह तथा गोविन्द सिंह नेगी ने भी 7 जून, 1979 को एक पत्र भेजकर मुझे संबंधित कागजात का तलब करके उनका अवलोकन करने का अनुरोध किया है।

भूतपूर्व राज्य मंत्रियों के पद से हटने के बाद वही सुविधायें जारी रखने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस मामले में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री ने सारे तथ्यों को सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया ह और सदन में जानबूझकर कोई गलत बयानी करने या तथ्यों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया है। अतः मैं श्री सोहनबीर सिंह तोमर, सदस्य, विधान सभा द्वारा 4 मई, 1979 को तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा 21 मई, 1979 को अभिसूचित प्रश्नों को सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

पुलिस चौकी, मछरेहटा तथा मिश्रिख थाने की पुलिस द्वारा हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर मुख्य मंत्री द्वारा गलत दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बाबा लाल दास तथा श्री गणेशी लाल चौधरी ने 12 जून, 1979 को माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 3 मई, 1979 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत जनपद सीतापुर, थाना रामकोट, पुलिस चौकी मछरेहटा तथा थाना मिश्रिख की पुलिस के द्वारा गरीब हरिजनों के साथ किये गये जघन्य अपराध एवं जरखन पासी की हत्या के विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था, किन्तु माननीय मुख्य मंत्री ने न तो अन्तरिम उत्तर ही दिया और न ही अंतिम उत्तर दिया है। माननीय सदस्यगण का कहना ह कि इस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री न उनके विशषाधिकार की अवहेलना की है।

मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री से स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा। माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि इस सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष जाँच प्रकोष्ठ, जो हरिजनों के उत्पीड़न से सबंधित हैं को शासन द्वारा आदेश दिया गया था कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच की जाय। माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि यह देखकर कि इस जाँच के एक सप्ताह में पूरी होने की संभावना नहीं है, उन्होंने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 132 एस0ए0क्यू0/आठ–4–79, दिनाँक 11मई, 1979 द्वारा श्री लाल दास, सदस्य, विधान सभा और श्री गोकरन प्रसाद, सदस्य, विधान सभा को, जिन्होंने नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी, उनके विधायक निवास के तथा रायल होटल के पते पर अंतिरम उत्तर भेज दिये थे तथा इस पत्र की एक प्रतिलिपि विधान सभा सचिवालय, पटल कार्यालय को सूचनार्थ भेज दी थी। यह प्रतिलिपि इस सचिवालय को 14 मई, 1979 को प्राप्त भी हुयी हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी बताया है कि कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार दोनों माननीय विधायकों को भेजे गये उनके पत्र माननीय विधायकों के पते पर किन्हीं अन्य सज्जनों द्वारा प्राप्त किये गये। संभव है कि जब पत्रवाहक पत्र लेकर गया था तब माननीय विधायक अपने निवास पर नहीं हों। माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि चूंकि नियम 301 के अन्तर्गत सूचना केवल माननीय विधायक श्री लाल दास तथा श्री गोकरन प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित थी, अतः उसके अंतरिम उत्तर की सूचना श्री गनेशी लाल चौधरी को भेजना आवश्यक नहीं था।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं सर्व श्री लाल दास एवं गनेशी लाल चौधरी द्वारा दी गयी सचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

विधान सभा में प्रश्न दिये जाने पर प्रताड़ित किये जाने के विषय में श्री नाथू लाल ए० डी० एम० राशनिंग, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मौजी लाल कुरील, सदस्य, विधान सभा ने श्री नाथू लाल, ए० डी० एम० राशनिंग, कानपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने उक्त अधिकारी के विरुद्ध एक तारांकित प्रश्न विधान सभा सचिवालय में भेजा था, जिसकी सूचना किसी प्रकार उक्त अधिकारी को हो गयी और वे इस कारण उन्हें अपमानित और प्रताड़ित करने की चेष्टाएं करने लगे। माननीय सदस्य का कहना है कि 27 अगस्त, 1979 को उक्त अधिकारी ने उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया और ससद सदस्यों एवं विधान सभा के सदस्यों के लिये भी अपमानजनक बातें कहीं, माननीय श्री कुरील ने यह भी कहा कि जिस वक्त घटनायें हुयी थी, उस समय दो व्यक्ति मौजूद थे, और वे आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य भी देने को तैयार हैं। सूचना नियमानुसार है। अतः मैं इसे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 66 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को जाँच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट करता हूं।

विभाजित जनता पार्टी के नाम करण के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

मान्यवर,

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मैं घोषणा कर रहा हूं।

माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की एक सूचना दिनाँक 29 अगस्त, 1979 को दी गयी है। माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्ध करण (चतुर्थ संस्करण) के करण संख्या 203 में दी गयी शर्तों के अनुसार मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास तथा उनके नेतृत्व में निष्ठा रखने वाले सदस्यों को जनता विधान मंडल दल अथवा जनता पार्टी के नाम का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। माननीय श्री बनारसी दास पहले से जनता विधान मंडल दल के सदस्य नेता निर्वाचित हैं और गत माह मुझे यह सूचित किया गया कि जनता विधान मंडल के ही कुछ सदस्यों ने एक अलग बैठक करके अपना नेता माननीय श्री राज मंगल पाँडेय को चुन लिया। श्री राज मंगल पाँडेय ने 160 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित पृथक-पृथक प्रार्थना पत्र एवं उनकी सूची संलग्न करते हुये यह अपेक्षा की कि उन्हें, नेता विरोधी दल की मान्यता दी जाय और पृथक बैठने का स्थान आवंटित किया जाय; इस प्रकार जनता विधान मंडल दल दो हिस्सों में विभाजित हो गया, लेकिन दोनों गुट अपने को जनता विधान मंडल दल ही कहते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे सामने सदन के कार्य संचालन हेतु दोनों के नाम में कुछ भिन्नता रखना आवश्यक हो गया। इसके लिये मेरे सामने 1969 में काँग्रेस संसदीय दल के विभाजन का दृष्टान्त था, जब 12 नवम्बर, 1979 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को काँग्रेस को प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था किन्तु संसदीय दल में उनका बहुमत होने के नाते वे प्रधान मंत्री बनी रहीं और प्रारम्भ में काँग्रेस के दोनों गुटों के नाम काँग्रेस (सादिक अली) और काँग्रेस (जगजीवन राम) रखे गये। बाद में उनके नाम काँग्रेस (आर) और काँग्रेस (ओ) हो गये।

श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

इस प्रकार श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा दी गयी सूचना में कोई औचित्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और जैसा कि मैंने पहले भी निर्णय दिया था। मैंने जो नामकरण जनता पार्टी (बनारसी दास) और जनता पार्टी (राजमंगल) आवंटित किया है वह, जब तक दोनों पार्टियाँ अपना कोई अलग नाम नहीं बताती हैं, अपनी-अपनी जगह पर, सदन के कार्य के संचालन हेतु, ठीक हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, वैसे तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परन्तु आपका यह निर्णय मेरी दृष्टि से और नियमों के अनुसार सही नहीं है। दुनियाँ के किसी जनतंत्र में जनता में एक अलग दल हों और यहाँ अलग दल हो, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आतीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर निर्णय दे चुके हैं। यह तो पार्टी का झगड़ा है इसलिए वह अपने तरीके से इसको निबटाये। आप बैठ जायं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

पार्टी का नाम कोई पेड़ रख ले और कोई बबूल रख ले तो यह कैसे उचित होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। इस पर व्यवस्था हो चुकी हैं। (श्री राधे श्याम शर्मा के खड़े रहने पर) आप बैठ जायं। अन्यथा जो बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। निर्णय देने के बाद आपको कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां द्वारा उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर जानकारी की मांग

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की एक सूचना दी थी जिसके बारे में सरकार अभी तक सूचना नहीं मंगा पायी है जबकि उसका कार्यालय यहीं पास में है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। जो विशेषाधिकार की सूचना आपने दी है उसको हम देख लेंगे। जाँच करने के बाद ही कुछ तय करते हैं। यह देखना हमारा काम है कि विशेषाधिकार बनता है कि नहीं और उसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें कि नहीं ? इसको हम देख लेंग।

जनपद बांदा की नरैनी तहसील में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कृषकों की फसल बरबाद किये जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

जनपद बांदा की नरैनी तहसील में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कृषकों की फसल को बरबाद किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री जी को आज वक्तव्य देना था, लेकिन उनकी प्रार्थना आयी है कि आज इसके ऊपर पूरी सूचना एकत्र नहीं कर पाये हैं.....

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

मान्यवर, यह 31 तारीख के पहले की सूचना है। आपने इसमें 8 तारीख लिखा फिर कल आज के लिए आदेश दिये.....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर शाम तक यह सूचना उपलब्ध हो जाय तो मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि इसकी सूचना दे दें।

श्री सुरेन्द्र पाल—

माननीय मंत्री जी सूचना मंगवा कर चार बजे सदन को अवगत करायें.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने निर्देश दे दिये।

दिनांक 22 मई, 1979 को गृह एवं सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित अनुदानों पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों का संशोधन

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, इन वक्तव्यों को पढ़ा मान लिया जाय तो अच्छा है समय के अभाव को देखते हुये।

श्री उपाध्यक्ष—

पहला और अंतिम वाक्य आप पढ़ दें।

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनाँक 22 मई, 1979 को गृह एवं सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित अनुदानों को प्रस्तुत करते समय भाषण में मेरे द्वारा पुलिस में अनुशासन बनाए रखने के सम्बन्ध में जो बातें कही गयी थीं उसमें आँकड़ों में कुछ मैं शोधन करना चाहता हूं, जो निम्न प्रकार है:—

मूल भाषण का अंश

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमने अनुशासन भंग करने के लिए कोई दंड नहीं दिया। एक आई0 ए0 एस0 को सस्पेंड किया, 3 डी0 वाई0 एस0 पी0 की एडवर्स इन्ट्री की और वतन-वृद्धि रोकी और डिसीप्लिनेरी ऐक्शन लिया। आई0 पी0 एस0 के चारों के खिलाफ और पी0 सी0 एस0 सातों के खिलाफ एक्शन लिया।

संशोधित भाषण का अंश

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने अनुशासन भंग करने के लिए कोई दण्ड नहीं दिया। एक आई0 पी0 एस0 अधिकारी को सस्पेंड किया तथा चार के विरुद्ध डिसि प्लिनेरी ऐक्शन लिया।

यू0 पी0 पी0 एस0 अधिकारियों मे से तीन को सस्पेंड किया, छः को एडवर्स इन्ट्री दी गयी, एक की वेतन वृद्धि रोकी गयी तथा सात के खिलाफ डिसिप्लिनेरी ऐक्शन लिया गया।

दिनांक 22 मई, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्नों का शोधन वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, दिनाँक 22 मई, 1979 को श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूंछे गये (अल्पसूचित) तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा न अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "मान्यवर, जिस जी० ओ० का हवाला प्रश्न में है उसमें यह भी था कि 1 जनवरी, 1977 के उपरान्त कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं होगी लेकिन सरकार ने उसकी अवहेलना करके नियुक्तियाँ की तो क्या सरकार जिन हजारों कर्मचारियों की नियुक्तियाँ 1 जनवरी, 1977 के बाद हुई उन्हें भी नियमित करके या कहीं न कहीं एबजार्ब करने पर विचार करेगी ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "अभी यह प्रश्न विचाराधीन है।"

उपरोक्त के बजाय वस्तुस्थिति यह है कि "अभी कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।"

इसी प्रश्न के क्रम में अनुपूरक उत्तर देते समय यह बताया गया था कि "अभी तो शासन द्वारा यह फैसला हुआ है कि जिन व्यक्तियों की 1 जनवरी, 1977 के पूर्व स्थायी पद और स्थायी विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्तियाँ हुई हैं, उनका नियमितीकरण कर दिया जाय।"

इस अनुपूरक उत्तर में यह संशोधन है कि "अभी तो शासन द्वारा यह फैसला हुआ है कि जिन व्यक्तियों की 1 जनवरी, 1977 के पूर्व स्थायी/अस्थायी पद और स्थायी/अस्थायी विभाग में तदर्थ रूप से नियुक्तियाँ हुई है, उनका नियमितीकरण कर दिया जाय।"

इसी प्रश्न के उत्तर में श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न में यह उत्तर दिया गया था कि "यह शासनादेश स्थायी पद या स्थायी विभाग के लिए है।"

इसके बजाय यह संशोधन पढ़ा जाय कि "यह शासनादेश स्थायी/अस्थायी पद तथा स्थायी/अस्थायी विभाग के लिए है।"

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 515 पर)

दिनांक 14 जून, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अनुपूरक प्रश्न का शोधन वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, दिनाँक 14 जून, 1979 को श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री राम अधार राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 8 के सम्बन्ध में श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "रिपोर्ट क्या है और शासन को प्राप्त हुई और चेतावनी कब दी गयी ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "दिनाँक 26 अप्रैल, 1979 को रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कलकत्ता से आई जिसमें सस्पेण्डेड पार्टिकल्स पाये गए और उसी दिन वार्निंग फर्म को दे दी गयी।"

उसका उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:—

"सेन्ट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कलकत्ता की रिपोर्ट दिनाँक 19 अप्रैल, 1979 के अनुसार सस्पेंडेंड पार्टिकल्स पाये गये तथा यह रिपोर्ट औषधि नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय

[श्री सत्य देव त्रिपाठी]

में दिनांक 25 अप्रैल, 1979 को प्राप्त हुई तथा औषधि नियन्त्रक के पत्र दिनांक 28 मई, द्वारा फर्म को एक कठोर चेतावनी दी गयी है।

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 516 पर)

दिनांक 28 मई, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, 28 मई, 1979 को श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में श्री धर्मदत्त वैद्य सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "जो कलेक्शन चारजेज लिए जाते हैं उनका कुछ अंश अमीन को भी मिलता है।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "अमीन को केवल तनख्वाह मिलती है। कोई कमीशन नहीं मिलता है।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है:—

"आठ माह से अधिक अनवरत सेवा वाले अमीनों को निर्धारित वेतनमान के अतिरिक्त भत्ता भी देय होता है। परन्तु यह तभी देय होता है जब कि उनके द्वारा माह में कम से कम निर्धारित अतिदेय (ब्याज एवं कलेक्शन चार्ज को छोड़कर) की वसूली हो जाती है। इससे अधिक वसूली होन पर नियमानुसार बोनस दिए जाने का भी प्राविधान है। आठ माह से कम सेवा वाले अस्थायी रूप से नियुक्त अमीनों को कोई वेतनमान नहीं दिया जाता है और वे कमीशन के आधार पर ही काम करते हैं।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 517 पर)

इटौंजा में जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस द्वारा किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर होने वाले वक्तव्य का स्थगन

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, हमने अभी लखनऊ में यहाँ के जिला मैजिस्ट्रेट और एस० एस० पी० से रिपोर्ट माँगी है। सदन उठने के पूर्व मैं यह वक्तव्य पेश कर दूंगा।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का और दूसरा श्री राम आसरे वर्मा का। बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में तथा विधान भवन के सामने गत दो वर्षों से पागलों की भांति जीवन व्यतीत करने वाले श्री शिवपाल निवासी उन्नाव की करुण कहानी के संबंध में। मैंने दोनों को नियम 56 के अन्तर्गत अस्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979†

आबकारी राज्य मंत्री (श्री भगौती सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि....

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस बिल को जल्दी पास कराकर सूखा के मसले को जल्दी ले लें तो अच्छा होगा। अन्यथा सूखा वाला फिर टल जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में ही कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बहुत संक्षेप में रख रहा हूं।

मान्यवर, इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि मैं इस बात का शुरू से ही पक्षधर रहा हूं कि कोई भी विधेयक जो आता है, वह पूर्वगामी प्रभाव से नहीं होना चाहिये। यद्यपि यह जनवरी 24, 1977 से था लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस 23 अप्रैल, 1974 से है। इन मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है। मान्यवर, पेट्रोल, डीजल आयल और अलकोहल जिन स्थानों से लिया जाता है, वहीं पर ड्यूटी देनी पड़ती है। अर्थात् पहले ही प्वाइन्ट पर टैक्स देना पड़ता है। फिर, रजिस्ट्रेशन की इतनी बड़ी धनराशि देना। मान्यवर, मंहगाई इतनी बढ़ गयी है। मान्यवर, इस सूखे में न डीजल मिल रहा है, न उसकी कोई उचित सुविधा है जिससे बड़ी बाधा पड़ती है। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इन मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है कि आगे से कोई भी विधेयक पूर्वगामी ढंग से न लाया जाय। इसलिये मान्यवर, मैं यह संशोधन प्रस्तावित करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

*श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, इसमें केवल इसे नियमित करने का प्रश्न है। यह जो उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान विधेयक, 1979 के प्राविधान में 23 अप्रैल, 1974 से रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की गयी थी।

---

†दिनाँक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगौती सिंह]

इसको नियमित करने के लिये यह संशोधन लाया गया है। यह जो अध्यादेश लागू किया गया है, इसको लागू करने से जो वसूली हुयी है, उसमें 23-4-74 और 24-1-77 के बीच में जिन मुद्दों पर अधिक वसूली हो गयी है, वह भी वापस हो जायगी और यह लागू दरों में पूर्वकालिक प्रभाव से लिया जाना है। इसलिये मैं यह विधेयक पेश करता हूं कि इसको पास किया जाय ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह जो संशोधन बिल का है, उसमें जो 4 सालों के पीरियड में वसूलयाबी कर ली है, उसको अधिकृत करने के लिये लाये हैं। तो क्या ऐसी कोई बात है कि जिनसे वसूली नहीं हो पायी है, उनको छोड़ दिया जायेगा? जिनसे वसूली हो गयी है यह केवल उन्हीं को रेगुलाराइज करने के लिये है लेकिन जिनसे वसूली नहीं हुयी, उनको क्या छोड़ देंगे और क्या उन पर कोई कोर्सिव मेंशड नहीं अप्लाई करेंगे, वसूली के लिये ?

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, छोड़ने का प्रश्न कहाँ है ?

श्री उपाध्यक्ष—

तो मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। क्या माननीय गुप्ता जी, आप इसको वापस ले रहें हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि चूंकि सरकार नियमों को नहीं बना पायी इसलिये अकारण यह सुविधा देनी पड़ी। इसलिये, यदि माननीय मंत्री जी खेद प्रकाश कर दें तो वापस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आप वापस नहीं ले रहे ?

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, 24-1-77 से नियम लागू हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979

संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा।

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 5 का संशोधन

2—संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:—

"(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पांच सौ रुपये से अनधिक की ऐसी फीस का भुगतान करने पर जो नियत की जाये, एक वर्ष या उसके भाग के लिये प्रदान या नवीकृत किया जायेगा, और जब तक कोई फीस नियत न की जाये, तब तक निम्नलिखित फीस ली जायगी:—

	रुपये
1—आयल कम्पनियों द्वारा डिपो में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या दोनों की बिक्री के लिए . .	500
2—पम्पों द्वारा मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या दोनों की बिक्री के लिए . .	250
3—उपर्युक्त 1 और 2 में उल्लिखित व्यापारियों से भिन्न व्यापारियों द्वारा ड्रम या टिन में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या दोनों की बिक्री के लिए . .	50
4—अलकोहल की बिक्री के लिए . .	50"

धारा 17 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ज) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"(ज) अतिरिक्त फीस की, यदि कोई वसूल की गयी हो, वापसी या उसके समायोजन की व्यवस्था करने के लिए।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1979

4—(1) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगौती सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979†

गन्ना विकास मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

इस विधेयक में सरकार ने दो कार्य करने की इच्छा प्रकट की है। गन्ना परिषद् में विभिन्न प्रतिनिधि गन्ना क्षेत्र के चुने जाते थे तो उसमें इन्होंने कहा है कि निर्बल वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया जायगा। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें इन्होंने यह भी दिया है कि समय के पूर्व ही सरकार के अनुमोदन से उन समितियों को भंग कर दिया जाया करेगा। यह, मैं समझता हूं, राजनतिक हस्तक्षेप है। अगर कोई समिति अनियमित कार्य कर रही है तो उस पर आरोप लगायें और फिर उचित माध्यम से जांच करायें और अगर आरोप सही पाये जाते हैं तब उसको भंग किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संशोधन होना इसमें आवश्यक है। इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय गुप्त जी ने शायद विधेयक को पढ़ा नहीं। पहला ही जो संशोधन पेश किया है उसमें लिखा है कि द्वितीय खंड निकाल दिया जायगा। श्रीमन्, पिछले दो-तीन सालों से नियमों में गड़बड़ी के कारण गन्ना परिषदों का गठन नहीं हुआ। फिर उनके एक वर्ष के कार्यकाल को हम 3 वर्ष का कर रहे हैं। इसको जनतात्रिक बनाने लिए चीनी मिल और खंडसारी के जो प्रतिनिधि होते हे उनका अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ना प्रतिबन्धित कर रहे हैं। वह अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पहले जो नियम था उसमें निर्बल वर्ग के प्रतिनिधियों का कोई प्राविधान नहीं था अब इस के जरिये हमने यह कर दिया हैं कि गन्ना विकास परिषदों में निर्बल वर्ग के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा और उसकी हमने परिभाषा दे दी है। एक तो हरिजन जाति के लोग निर्बल वर्ग में होंगे। दूसरे दो हेक्टर से कम सिंचित भूमि वाला किसान निर्बल वर्ग में कहा जायगा। अब तक एक प्राविधान यह था कि

---

†दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रगतिशील किसान गन्ना समितियों में चुने जाते थे लेकिन अब हमने उसके स्थान पर कार्यशील किसान कर दिया है। पिछले तीन वर्षों से गन्ना परिषदें गठित नहीं हुई हैं। अब कोई भी कार्यशील किसान इन गन्ना विकास परिषदों में चुना जा सकेगा। तीन सालों से ये परिषदें गठित न होने से पैसा लैप्स हो जाता था, अब वह कार्य करने लगेंगी। इन शब्दों के साथ मेरा गुप्ता जी से अनुरोध है कि यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह जनहित में है, लिहाजा वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

किसी भी दशा में शासन इन समितियों को भंग नहीं करेगा और अगर भंग करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जो आरोप उन पर लगाये जायं उनकी जांच जुडीशियल बाडी करे और जब वे आरोप सिद्ध हो जायं तभी उनको भंग किया जा सकेगा, ऐसा आश्वासन मिलने पर ही मैं अपना संशोधन वापस ले सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

पहले कार्य काल एक साल का था और भंग करने का प्राविधान था। अब उस प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है और अवधि 1 साल से 3 साल की कर दी गयी है। सामान्य रूप से कोई भी परिषद भंग नहीं होगी। अगर भ्रष्टाचार पाया जायेगा तो अवश्य भंग की जा सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यही तो मैं आश्वासन चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का केस मिलने पर जुडीशियल बाडी उसे तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। एसा आश्वासन न मिलने पर मैं संशोधन वापस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। (प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर सशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 5 में,—

(1) उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ii) सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों के पाँच प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा ऐसी समितियों के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपलब्ध हों तो ऐसे प्रतिनिधियों में से दो निर्बल वर्ग के होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद "निर्बल वर्ग" का तात्पर्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों से है और इसके अन्तर्गत ऐसे कृषक भी हैं जिनके पास दो हेक्टयर से अनधिक असिंचित कृषि भूमि है और जिनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि से या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम से या दोनों से होने वाली आय है ;";

(ख) खण्ड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(vi) बीज उत्पादन अधिकारी ";

(2) उपधारा (3-क) में, शब्द "अपने में से एक व्यक्ति को जो सरकारी सेवक न हो" के स्थान पर शब्द, "उपधारा (3) के खंड (ii) में निर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों में से एक व्यक्ति को" रख दिये जायेंगे ;

(3) उपधारा (4) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले आइटम नं0 26 लेता हूं ।

भारतीय भागीदारी उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 1979†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

†दिनाँक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्रीमन्, यह बहुत छोटा-सा बिल है। इसमें केवल रजिस्ट्रार के अतिरिक्त डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार के अधिकार दिये गये हैं ताकि फर्मों का सम्पादन का कार्य वे कर सकें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इसे बड़े छोटे शब्दों में रख दिया लेकिन मुझे इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव इसलिए लाना पड़ा है कि इसमें एक तरफ तो इतनी सी बात कही गई है कि रजिस्ट्रेशन के लिये कोई डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद नहीं है और रजिस्ट्रार के पास काम बहुत ज्यादा है इसलिये इनको नियुक्त कर दिया जाय। श्रीमन्, मैं नियुक्त (अप्वाइंटमेंट) शब्द पर जोर दे रहा हूं। कहते है कि रजिस्ट्रेशन का काम पिछड़ा हुआ है इसलिये डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को अप्वाइन्ट कर दिया जाय। श्रीमन्, जो ओरीजिनल ऐक्ट है उसमें जनरल प्रोविजन नहीं है। दूसरे अपने वित्तीय स्टेटमेन्ट में ये कहते हैं कि इसके अन्तर्गत कोई खर्चा नहीं होगा। और कहते हैं कि जनरल सोसाइटीज ऐक्ट रजिस्ट्रेशन का, जो 1960 का है, और यू0 पी0 चिट फन्ड ऐक्ट 1975 का है उसमें आलरेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद हैं वही पद हमको मिल जायेंगे। लिहाजा हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो ये अधिकार लेना चाहते हैं और उनको नियुक्त करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो पहले के सोसाइटीज और चिट फन्ड के सहायक रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उनको लेना चाहते हैं। इस तरह से एक तरफ तो आप कहते हैं कि उनको अप्वाइन्ट करेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि कोई नया पद क्रीयेट नहीं किया जायेगा। तो इसके लिये आप एक साधारण जी0 ओ0 निकाल सकते थे और उनसे काम ले सकते थे जो आलरडी आपके पास मौजूद हैं, जिन पर आपको खर्चा भी नहीं करना है उनसे आप रजिस्ट्रेशन का काम ले सकते हैं। इसके लिये नया ऐक्ट लाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। इस प्रकार जो इसमें एक सन्देह की स्थिति आपने पैदा की है, "नियुक्त" शब्द इस्तेमाल करके, वह कुछ ठीक नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कानूनी सलाह मशविरा फिर से हो जाय तब फाइनल तरीके से यह बिल लाया जा सके। इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजने का मेरा प्रस्ताव है।

(इस समय 2 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भूनाथ पीठासीन हुए।)

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह जो अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि यह ठीक है और इसका स्वागत करना चाहिये। यह सोसायटीज ऐक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके लिए साल-साल, दो-दो साल तक लोग दौड़ते हैं। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि लोगों की रजिस्ट्री नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह सही कदम है। दूसरी बात, चिट फण्ड ऐक्ट में जो अधिकारी हैं उनको जब तक कानूनी अधिकार नहीं दिया जायेगा तो वह काम नहीं कर सकते हैं और उनके द्वारा किया हुआ काम अवैध हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य है इससे जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय ऊदल जी ने बिलकुल उचित ही कहा और मेरा भार भी हल्का कर दिया। इसमें नियुक्त शब्द का जो प्रयोग है वह नियुक्ति करने का अधिकार अधिनियम के द्वारा ऐसे पदों को इस समय नियुक्त करने के लिए नहीं है। कल समझ लीजिये आवश्यकता पड़ी क्योंकि जैसा आप जानते हैं, कारोबार बढ़ रहा है, तो उस समय फिर संशोधन लाना पड़ेगा और इसलिए यह स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया है कि चिट्र फंड के कार्य के लिए पहले से ही जो अधिकारी नियुक्त है तथा इसमें दिया गया है कि उक्त श्रेणी के अधिकारी सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 एवं उत्तर प्रदेश चिट फण्ड अधिनियम, 1975 के कार्यान्वयन के लिए पहले ही से नियुक्त हैं और उन्हीं अधिकारियों को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के कार्यान्वयन के लिए भी पदानिहित किया जायेगा। यह स्पष्टीकरण मैं समझता हूं कि आवश्यक समझ कर किया गया है, क्योंकि चिट फंड के काम में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, वह करेंगे। जैसा ऊदल जी ने कहा यह सही है कि बहुत तेजी से यह चल रहा है और विभिन्न स्रोतों से काफी शिकायतें आ रही हैं इसलिए जल्दी कराने के लिए यह किया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने और माननीय ऊदल जी ने जो कुछ कहा वह सही है। उससे हम सहमत हैं, लेकिन जो ओरीजिनल बिल है उसमें कहीं जिक्र नहीं है केवल फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट में जिक्र है। यह स्पष्ट करना चाहिये था कि जो सोसायटी ऐक्ट के मातहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार के और सहायक रजिस्ट्रार के पद हैं उनसे काम लेना है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट में है, जो कि सेकिन्डरी पत्र है, जिक्र है। ऐक्ट में इसका जिक्र होना चाहिये। इसलिए मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यह नियुक्ति शब्द केवल इसलिए रखा है कि जब आवश्यकता पड़ेगी उस वक्त कानूनन उपयोग किया जायेगा। इस वक्त रजिस्ट्रार का अधिकार जो दे रहे हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को और सहायक रजिस्ट्रार को इसलिए कि वह कानूनन कार्य कर सके।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप वापस लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन—

मैं सैटिसफाइड नहीं हूं। इसलिए वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1932 की धारा 57 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश में यथा प्रयोज्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्

रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति

"57—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा फर्मों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) राज्य सरकार, इसी प्रकार एक या अधिक, फर्मों के उप रजिस्ट्रार और फर्मों के सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, जो रजिस्ट्रार की सभी या ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन और ऐसे क्षेत्रों में करेगा जैसा अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाय ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायगा ।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1979†

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय ।

माननीय, यह जो संशोधन विधेयक मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका मुख्य कारण यह है कि जो पुराना विधेयक था, उसके 28, 28—क, 28—ख, 28-ग व 28-घ धाराओं को उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका के अन्तर्गत रद्द कर देने का काम हुआ था। इसमें मुख्यतः यह व्यवस्था थी कि जो माल बाहर से आता है अपने प्रदेश में, उस माल

---

†दिनांक, 6 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मधुकर दिघे]

की बिक्री अपने प्रदेश में कहाँ होती है, किन फर्मों के द्वारा वह माल मगाया जाता है और उन का ठीक तरीके से रेकार्ड रखकर उसके ऊपर जो बिक्री-कर लिया जाता है, वह शासन के खजाने म जमा होता है या नहीं, उसकी जाँच के लिए प्रदेश स्थित सीमा चौकियों पर हमारे स्टाफ द्वारा फार्म 31 को देखा जाता है। जो यह फार्म--31 नहीं लाते थे, उनसे 5 गुना अर्थ दण्ड चार्ज करने की व्यवस्था इस विधेयक में थी। लेकिन मेसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली द्वारा एक याचिका दाखिल हुई थी और उस रिट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया---उसने उसे संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया। वैसे ऐसे कानूनों की व्यवस्था पड़ोसी राज्यों, जैसे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा आदि में भी है। लेकिन अपने यहाँ जो विधेयक बना, उसमें शब्दावली के दोष के कारण हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। अब उच्च न्यायालय का जो फैसला है, उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की गई है, लेकिन दरम्यानी पीरियड में व्यवस्था को जारी रखने के लिए, ताकि प्रदेश में जो बिक्री हो और जिन फर्मों द्वारा माल मंगाया जाए, उसकी कर अपवंचना न हो, यह व्यवस्था करना जरूरी है कि जो पैसा उनसे वसूल किया गया और उस पर जो ब्याज लेना है और जो अर्थ-दण्ड लगाया जाता है, वह न रुके। इसको लगाने का कार्य इस संशोधन विधेयक द्वारा किया गया है।

इसके अतिरिक्त भी आवश्यकता इसलिए है कि इस दरम्यान जब तक इसका फैसला नहीं होता है तब तक जो पैसा व्यापारियों ने जमा किया, शासन को यह अधिकार लेने की आवश्यकता है कि किसी के साथ डिफरेन्सियेशन न हो, भेद भाव न हों। इसीलिए यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। यह प्रदेश के हित में है, यह व्यापारियों के हित में ह जिन्होंने रुपया अदा किया है, उनके हित में है। इसमें केवल कर अपवंचना करने वालों के लिए व्यवस्था की गयी है। गृह कार्यों के लिए जो सामान लाते हैं उनको किस प्रकार से छूट दी जा सके, इसमें उसकी व्यवस्था है। इसमें इसकी भी व्यवस्था की गयी है कि जो धन अर्थ दण्ड के रूप में वसूल किया गया है अगर उनके द्वारा ऐसे तथ्य प्रस्तुत होते हैं जिससे यह सिद्ध हो कि जो कार्यवाही की गयी है वह अनुचित थी, तो हम वह पैसा मय व्याज के वापस कर सकें। यह चीज पहले नहीं थी अब कर दी गयी है। जो सरलीकरण समिति थी तथा जो दूसरे सुझाव आये हैं उन सब को ध्यान में रखा गया है और जो हाई कोर्ट की मंशा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन में मुख्य आपत्ति यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धारा 28-क, ख, ग, को असंवैधानिक घोषित किया है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी है। आज हाई कोर्ट का फैसला इसके विरुद्ध हो गया है इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है अगर यह जीत जाते तो यह संशोधन विधेयक लाने की जरूरत न होती। उद्देश्य और कारण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर है। और इस बीच में यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं। आपने अग्रिम टैक्स के रूप में तमाम धन वसूल कर लिया है, जो आपके पास जमा है वह आपको वापस न करना पड़े इसीलिए इस संशोधन विधेयक को लाये हैं। यह बात सरलीकरण समिति के सामने बड़ी गम्भीरता के साथ आयी थी। •व्यवसायी

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहाँ पर इसीलिए घट रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर से जो माल आता है उस पर प्रतिबन्ध है। उस को फार्म 31 और 32 भरने होते हैं। अभी आपन बताया कि जो निजी उपयोग के लिए लायेगा उसको भी फार्म 31 भरना होगा। मान लीजिए कि कोई ठेलेवाला है और उसका पुर्जा टूट जाता है और वह 200 रुपये का पार्ट खरीद कर लाता है तो वह पहले बिक्री कर आफिस में जाय और फार्म 32 उपलब्ध करे तब वह ठेले का सामान ले जायगा। अगर 32 फार्म नहीं है तो चौकी पर वह रोक लिया जायगा। मैं आपको एक घटना की ओर याद दिलाना चाहता हूं कि एक किसान पजाब से ट्रैक्टर खरीद कर लाया उसके पास ट्रांसफर रसीद थी, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रशन था और वह उसको रखने का अधिकारी भी है, लकिन उसको चक पोस्ट पर रोक लिया गया और सेल्स टैक्स के अधिकारी ने सहारनपुर में उस ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और कहा कि 8000 रुपया पैनाल्टी का लकर आइये तो ट्रक्टर छोड़ा जायेगा। उस काश्तकार का कहना था कि पुराना ट्रैक्टर उसन खरीदा, उसका ट्रांसफर रसीद और रजिस्ट्रेशन के कागजात उसके पास मौजूद हैं तो आपने उसके ट्रैक्टर को कैस रोक दिया? फिर एफिडेविट दिया जाता है तो आगे की कार्य-वाही होती है। आपने उत्तर प्रदेश में आयात पर इतने कड़े प्रतिबन्ध लगा रखे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी प्रयोग क लिए भी सामान लाता ह, उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से अपने प्रयोग के लिए कार खरीदकर लाता है तो उसको भी फार्म 32 भरना होता है। तो आपने इतने हास्यास्पद प्रतिबन्ध लगा रखे हैं।

इसके अतिरिक्त बिक्री-कर चैक पोस्ट्स की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है, क्योंकि इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। आपके ऐक्ट में ऐसे भी प्राविधान है कि आप चाहें किसी को भी चैक कर सकते हैं। आपके पास एन्फोर्समेंट विभाग है, सर्वे विभाग है और इनके अलावा आपन फ्लाइंग स्क्वाड भी बना रखे हैं। इतने प्रतिबन्धात्मक प्राविधान आपके ऐक्ट में होने के बावजूद फार्म 31–32 के कारण आपने व्यापार हैल्ड अप कर रखा है। ये प्रतिबन्ध आप समाप्त कर दें, लकिन समाप्त करना तो दूर रहा इसमें यह भी प्राविधान कर दिया कि जिसको आप चाहें इस अमेंडमट के द्वारा निरस्त कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि "यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत असबाब के रूप में लाया जाय तो उन्हें लाने वाला व्यक्ति अपने साथ निर्धारित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरा हुआ और आयात-कर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र रखगा और आयातकर्त्ता उसे अपने कार्य दिवस तक उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किये जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।

इ सकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप व्यापार के ऊपर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो व्यक्तिगत असबाब को प्रतिबन्धित करने का आपको क्या अधिकार है? अगर कोई व्यक्ति अपने प्रयोग के लिए कोई सामान लाता है, खरीद और बिक्री से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, तो आप हमारे मूलाधिकार पर व्यर्थ में कुठाराघात करते हैं। इसलिए जो माल बाहर से आता है और उस पर आप करअपवंचना रोकना चाहते है तो उसके लिए आपके पास सर्वे स्टाफ है, एनफोर्समेंट और सर्वेक्षण कराने के विभाग है। उनके द्वारा अगर आप चाहें तो करापवन्चना रोक सकते हैं। आपने जो चेक पोस्ट्स बना रखे हैं उन पर व्यापारियों को या गाड़ी वालों को 4–4 और 5–5 घंटे रोका जाता है और अवैधानिक रूप से उनसे अर्थ दंड और एडवान्स वसूला जाता है। यही नहीं, जो बिक्री कर अधिकारी होते हैं उनको यह कहा जाता है कि तुम्हें इतना अर्थ दंड जमा कराना है और वे धनराशि का पूरा का पूरा कोटा व्यापारियों को परेशान करके पूरा करते हैं। तो जो आज सदन में संशोधन विधयक रखा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय तथा मेरा जो संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय ताकि इसमें परी तरह से छानबीन हो सके।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पिछली हड़ताल के समय व्यापारियों को यह आश्वासन दिया था कि वे सरलीकरण करने को तैयार हैं लेकिन बिक्री-कर को समाप्त नहीं

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]
करेंगे । उस मीटिंग में हमारे वित्त मंत्री जी भी मौजूद थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सरलीकरण समिति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं । आज जो यह असुरक्षा की भावना और व्यापारियों में असंतोष छाया हुआ है, उसको सरलीकरण समिति को पुनर्जीवित करके समाप्त किया जाय । मेरी प्रार्थना है कि जो व्यापारियों के साथ समझौता हुआ था उसके अनुसार सरलीकरण समिति को पुनर्जीवित करने की माननीय वित्त मंत्री जी आज घोषणा करें ।

*श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जब कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो वह सदन का कानून बनता है और उन लोगों के हित के लिये होता है जो नियम और कानून ही के तहत चलना चाहते हैं । जो उसको तोड़ना चाहते हैं, कानून की रक्षा नहीं करना चाहते, वे जनहित में कार्य नहीं करते हैं । आज हम देखते हैं कि जब कभी कोई दैवी आपदा आयी, बाढ़ आयी, सूखा पड़ा, लोग किस तरह से फायदा उठाते हैं और भाव बढ़ते चले जाते हैं। जो समाजद्रोही हमारे बीच में रहते हैं उनको इस संकट की घड़ी में लाभ उठाने का पूरा मौका मिल जाता है । अब ऐसे लोगों के लिये कानून बनाने पड़ जाते हैं। जो व्यापारी समाज के हित को ध्यान में रख कर काम करते हैं, उनके हित में ही यह कानून होता है । मगर कुछ लोग समाज को कलंकित करने का भी काम करते हैं। कई जगह ऐसा देखने में आता है कि लोग अपने इस्तेमाल के नाम पर एक ही जगह तीन तीन रेफ्रिजेटर ले आते हैं ठेलों पर । तो ऐसे लोगों से हम एक घोषणा-पत्र पर दस्तखत करा लेंगे । यह इसलिये है ताकि करापवंचना न होने पाये । ऐसे बहुत से व्यापारी हैं जो ईमानदारी से अपना माल लाते हैं और कर की चोरी नहीं करते । कुछ ऐसे भी हैं जो करापवंचन करते हैं, ठेलों पर अपना माल लाते हैं । ऐसे लोगों के लिये यह कानून है ।

माननीय सदस्य जो अभी बोल रहे थे, व्यापार के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, वे सरलीकरण समिति में भी रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि फार्म 31 वाली जो कठिनाई है, उसको कैसा बनाया जाये, उसमें क्या परिवर्तन किया जाये जिससे कि व्यापारियों को कठिनाई न हो, वह एक दीगर प्रश्न है, उस पर अलग से विचार हो रहा है । दूसरे प्रदेशों से जो माल आता है उसमें करापवंचन न हो उसके लिये यह विधेयक है । पहले जो कमियां रह गयी थीं उन्हीं को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में स्पष्ट लिखा है—राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त विनिश्चय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील भी दायर की है । वह लोक हित में ह कि उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की प्रत्याशा में अर्थदंड या प्रत्याभूति की वापसी की कार्यवाही को, जो अन्यथा प्रारम्भ हो जाती, एक वर्ष के लिये रोक दिया जाय । फिर भी, यदि दावेदार अन्ततः ऐसी वापसी के हकदार पाये जायें तो उनके हित को सुरक्षित रखने के लिये सावधानी बरती गयी ह । उन्हें ब्याज दिया जायगा और उनके दावे के संबंध में परिसीमा काल में वृद्धि की जायेगी । पहले वाले बिल में यह प्राविधान नहीं था कि जिसको चौकी पर एक बार पकड़ लिया, जिसने फार्म 31 वगैर जमा किये, माल अपने यहां लाया, उसके बाद उसको यह मौका नहीं दिया जाता था कि वह फार्म जो 31 जमा करने में जो कानून की बात ह, वह पूरा नहीं किया, तो वह उसके बारे में प्रत्यावेदन दे सकता ह, उस पर विचार हो सकता ह । अगर उसका पैसा जमा है, तो उसका पैसा वापस देंगे और उस पैसे पर ब्याज भी हम देंगे । तो यह दो दृष्टि से लाया गया ह । एक तो प्रदेश का हित, अपने प्रदेश का हित क्या है, उसकी एक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ कार्य हुए हैं, उस दृष्टि से राज्य शासन को आवश्यक है कि उस व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को तब तक कायम रखना जरूरी है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है। दूसरा, जो पुराने कानून में कमियां रही हैं, उनको सुझाव के आधार पर करना चाहिए, वह हमने कर दिया। माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि वह इसका विरोध न करें। जहां तक मैंने और माननीय मुख्य मंत्री ने वादा किया है कि सरलीकरण समिति जो कोड आफ कंडक्ट बनाने की बात थी, उसमें हमारा दोष नहीं है। जहां तक माननीय गुप्ता जी का सवाल है, उनका नाम तथा दूसरे सदस्य का नाम तो मैंने पहले ही लिख लिया था। दो प्रकार के प्रतिनिधियों के नाम आये। उनमें यह निर्णय लेना था कि किन प्रतिनिधियों को माना जाय। मैं पत्र ही लिखना चाहता था कि वह अब फाइनल हो गया है। कोड आफ कंडक्ट बनाना है, जल्दी ही निर्णय ले लेना है। नामों की घोषणा शीघ्र ही हो जायगी।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त——

माननीय वित्त मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल आयात किया जाय, उस पर रोक न लगायी जाय। जो केवल एक रेफ्रीजरेटर लेकर या केवल एक टायर या ट्रक का रक्सिल लेकर आये, तो उसको इस जटिल प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, क्या इस पर विचार करेंगे ? दूसरा, जो माननीय उच्च न्यायालय में जो मेसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली ने दावा दायर किया था, क्या वह करअपवंचना करते हुए पकड़ा गया था ? क्या उच्चतम न्यायालय में स्टे प्राप्त करने की कोशिश की गयी थी और स्टे नहीं मिला ? क्या इसका ऐडवांस रोके रखने का प्राविधान कराना चाहते हैं ?

*श्री मधुकर दिघे——

वह जो अर्थदण्ड लोगों से लिया गया, और जो प्राविधान में है, वह तो उसके अनुसार कार्य न करने के संबंध में किये गये। हाई कोर्ट ने इस विधेयक का जो सबसे बड़ा विरोध किया था, उसमें मुख्य बात यह थी कि उच्च न्यायालय का यह कहना है कि जब तक माल की बिक्री नहीं हो जाती, तब तक कर लगाने के अधिकारी नहीं है। यह बात सही है। इसी बात को ध्यान में रख कर वहां पर जो शब्दावली थी, चूंकि कर नहीं लिया जा रहा था, जो फर्म अपना माल कहां से आये, कहां जा रहा है, इसकी घोषणा नहीं करती, जो माल हमारे प्रदेश से होकर दूसरे प्रदेश में जा रहा है, इसकी घोषणा नहीं करती है, उन्हीं से अर्थदण्ड लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट ने इस बात को देखा कि आप उनसे जो अर्थ दण्ड ले रहे हैं, क्या वह कर के रूप में ले रहे हैं, जैसा कि इसमें प्राविधान कर दिया गया है। अगर वह प्रतिवेदन देत है, जांच होती है और यह साबित करते हैं कि माल फलां फर्म का था और आपके प्रदेश में आने वाला था तो यह निर्णय होने पर पैसा सूद के साथ वापस करने का प्राविधान कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता——

श्याम सुन्दर जी, क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त——

नहीं, मै वापस नहीं ले रहा हूं।

(श्री अजीत सिंह सेठी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता——

सेठी जी, आप बैठ जायें। बाद में पूछ लीजिये गा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

शादी के दिनों में रेफ्रिजरेटर जो दानखाते में दिया जाता है, जो न बिक्री का है और न अन्य किसी तरह का उसके विषय में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको तो मुक्त कर सकते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

यह व्यवस्था और प्रशासन से संबंध रखता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप वापस ले रहे हैं?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य से तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 13-क का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13-क में, उपधारा (6) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि बिक्री कर कमिश्नर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उन पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकता है कि माल को कोई धनराशि जमा कराये बिना छोड़ दिया जाय।"

धारा 15 क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 15-क में, उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (ण) और (ण-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा; अर्थात्—

"(ण) धारा 28-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन करता है या आयात या परिवहन करने का प्रयत्न करता है या आयात या परिवहन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है;"

(ख) खण्ड (7) में, शब्द "अथवा खण्ड (थ)" निकाल दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(9) खण्ड (ण) या खण्ड (थ) में अभिदिष्ट दशा में, अन्तर्ग्रस्त माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि।"

धारा 28—क का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की धारा 28—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

घोषणा करके माल का राज्य में आयात

28—क—(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण, माप या मूल्य से अधिक परिमाण, माप या मूल्य का, इस अधिनियम के अधीन कर देय माल, राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर व्यापार के सम्बन्ध में, लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्त्ता कहा गया है) उस कर निर्धारक अधिकारी से निर्धारित शुल्क का भुगतान करके घोषणा का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करेगा जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर हो जहाँ उस व्यक्ति के व्यापार का मुख्य स्थान या यदि वह कोई व्यापार न करता हो तो उसके साधारणतया निवास का स्थान, स्थित है।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जायगी कि माल को राज्य में व्यापार के सम्बन्ध में लाना, आयात करना या अन्य प्रकार से प्राप्त करना आशयित था जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय।

(2) यदि ऐसा माल सड़क द्वारा पारेषित किया जाना हो तो—

(क) आयातकर्त्ता पारेषक को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र को निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में देगा और ऐसा कोई माल ले जाने वाली गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ निर्धारित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा-पत्र की प्रतियाँ और ऐसे अन्य लेख-पत्र जो निर्धारित किये जायं, ले जायगा, और धारा 28 के अधीन स्थापित किसी जाँच चौकी या नाके को पार करने के पहले ऐसे घोषणा-पत्र की एक प्रति ऐसी जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को देगा और माल सहित घोषणा-पत्र की दूसरी प्रति और शेष लेख पत्र आयातकर्त्ता या उसके अभिकर्त्ता को देगा;

(ख) जाँच चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी उसे दिये गये घोषणा-पत्र की प्रति के लिये एक रसीद देगा और गाड़ी के ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जाँच चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा-पत्र की कोई प्रति देना आवश्यक न होगा, यदि वह ऐसी अन्य जाँच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे;

(ग) यदि ऐसा माल राज्य में बाहर से ऐसी सड़क से लाया जाय जिस पर कोई जाँच चौकी या नाका स्थापित न हो, या, यदि किसी अन्य कारण से घोषणा-पत्र की एक प्रति यथा-उपर्युक्त जाँच चौकी या नाके पर न दी जा सके तो पारेषिती ऐसे माल को छुड़ाने के पश्चात कर निर्धारक अधिकारी को अगले कार्य दिवस तक घोषणा-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ;

(घ) आयातकर्त्ता खण्ड (क) के अधीन उसे या उसके अभिकर्त्ता को दिये गये घोषणा-पत्र की दूसरी प्रति और अन्य लेख-पत्रों को ऐसी अवधि तक रखे रहेगा जैसी निर्धारित की जाय और जब कभी ऐसी अवधि के भीतर कर निर्धारक अधिकारी द्वारा माँगी जाय उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) यदि ऐसा माल रेल, नदी, वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाय तो आयातकर्त्ता—

(क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियो म, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिए, प्रस्तुत न कर दे या करवा न द; और

(ख) छुड़ाने के पश्चात् माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तब तक न ले जायगा और न ले जाने देगा जब तक कि माल के साथ एसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा-पत्र की एक प्रति न हो ।

(4) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत असबाब के रूप में लाया जाय तो उन्हे लाने वाला व्यक्ति अपने साथ निर्धारित प्रपत्र में, सम्यक् से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षारित घोषणा- पत्र रखगा, और आयातकर्त्ता उसे अगले कार्य-दिवस तक उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किए जान के लिये प्रस्तुत करेगा ।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई माल ले जाने वाली किसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को, प्रत्येक ऐसी जाँच चौकी या नाके पर, या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर किसी भी अन्य स्थान पर, रोकेगा, और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि, यथा-स्थिति, उस जाँच चौक, या नाके के प्रभारी अधिकारी या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे गाड़ी की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट सभी लेख-पत्रों का निरीक्षण करने देगा और, यदि अपेक्षित हो, उसे अपना नाम और पता और गाड़ी के स्वामी और माल के पारेषक और पारेषिती का नाम और पता देगा ।

(6) यदि इस धारा के अधीन तलाशी लेने का या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे माल का परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है, किन्तु उसे पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट उचित और वास्तविक लेख-पत्रों में दिखाया नहीं गया है और यदि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसे माल का इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण, या दय कर या सम्भाव्य देय कर के भुगतान, का अपवंचन करने के प्रयास में परिवहन किया जा रहा था तो वह ऐसे माल को रोकने का आदेश दे सकता है।

(7) माल को इस प्रकार रोकने के सम्बन्ध में धारा 13-क की उपधारा (2), (6) और (8), के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा के अधीन अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(8) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे किसी रेल प्रशासन या रेलवे के सेवक या डाकघर या डाकघर के किसी पदाधिकारी पर कोई आभार अरोपित होता है या यह किसी ऐसे माल के सम्बन्ध में तलाशी लेने, रोकने या अभिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है जो, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में यथा परिभाषित रेल में, या भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 में यथा परिभाषित किसी डाकघर में हो।

धारा 28-ग और 28-घ का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 28-ग और 28-घ निकाल दी जायगी।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

6—(1) किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(क) किसी माल को जो उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा बढ़ायी गई, मूल अधिनियम की धारा 28-क या धारा 28-ग, के अधीन रोका या अभिगृहीत किया गया हो या जिसका रोका या अभिगृहीत किया जाना उपर्युक्त धाराओं के अधीन तात्पर्यित हो ;

(ख) किसी प्रतिभूति की धनराशि को जो इस प्रकार रोके गय या अभिगृहीत माल को छुड़ाने के लिये जमा की गयी हो;

(ग) किसी अर्थ-दण्ड की धनराशि को जो उपर्युक्त धाराओं के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए आरोपित ; और समायोजन द्वारा या अन्यथा वसूल की गयी हो ;

उपर्युक्त धाराओं की अविधिमान्यता के आधार पर वापस करने या लौटाने के के लिए, कोई प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति तक नहीं की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विचाराधीन हो, तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त न हो जाय।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही के लिए परिसीमा काल की संगणना करने में, उतना समय, जितने के लिए ऐसे प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही को उपधारा (1) के अधीन वर्जित किया गया हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी अपवर्जित कर दिया जायगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी धनराशि या माल को वापस पाने या लौटाय जाने के लिए अन्ततः हकदार पाया जाय तो वह उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि के लिए, यथास्थिति, वापस करने योग्य धनराशि पर या वापस करने योग्य माल के मूल्य पर मूल अधिनियम की धारा 29 में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का भी हकदार होगा।

(5) इस धारा में दी गयी किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि लौटाये जाने या वापस पाने के लिए ऐसा प्रार्थना-पत्र देने, वाद लाने या विधिक कार्यबाही करने के लिए, जहाँ यह अन्य प्रकार से न की जा सके, कोई अधिकार सृजित करती है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 से सम्बन्धित सामग्री सदस्यों को उपलब्ध न कराये जाने पर आपत्ति

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 125 देखिये। इसमें दिया गया है विधेयक से सबद्ध पत्र मांगने की शक्ति—विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हो, सदन के पटल पर रख दी जायें।

इस विधेयक के उद्देश्य को देखिये। इसमें है....

श्री अधिष्ठाता—

जो मांग इस समय कर रहे हैं, बहुत समय पहले उसका पुरःस्थापन हो गया है....

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यबर, सुन तो लीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

सुन क्या लें; जब मौका हो तभी तो।

सामग्री सदस्यों को उपलब्ध न करा ये जाने पर आपत्ति

श्री सोहन वीर सिह तोमर—

मान्यवर, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप को हमसे जानकारी लेनी चाहिए थी अगर आप को जानकारी नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

जहां तक मैं समझता हूं जब मौका था तब आपको कहना चाहिये था, उस समय आपने कहा नहीं ।

श्री सोहन बीर सिह तोमर—

नियम 125 पढ़िये । "विधेयक के पुर:स्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हों, सदन के पटल पर रख दी जायं ।" मैंने पुर:स्थापित करने के बाद पत्र लिखकर भेजा है, आप चाहें तो अपने कार्यालय में ढुंढ़वा सकते हैं और यह मांग की है कि वह निर्णय जो उद्देश्य और कारण में लिखा है, उच्च शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों का चयन करने के लिए एक सेवा आयोग स्थापित करने का प्रश्न पिछले काफी समय से राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। वर्ष 1975 के कुलपति सम्मेलन में भी इस दिशा में संस्तुतियां की गयी थीं । तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि प्रथमत: प्रस्तावित आयोग को केवल सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों के चयन तक ही सीमित रखा जाय । यह जो कुलपति सम्मेलन की सिफारिशें हैं, इनके आधार पर लाया गया है, उसके बारे में पत्र उपाध्यक्ष को लिखकर दिया है । आप इस पर विचार ही नहीं कर सकते जब तक सदन में वह कागज नहीं रखते । आप दफ्तर में मालूम कर सकते हैं कि मैंने पत्र लिखा था या नहीं । उद्देश्य और कारण पढ़ लिये जायं ।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अशोक बाजपेयी)—

1975 में कुलपति सम्मेलन हुआ था । उसकी जो प्रतिलिपियां थीं उन्हें माननीय सदस्यों को भेज दिया गया था ।

श्री सोहन वीर सिह तोमर—

माननीय शिक्षा मंत्री ने कहां भेजा था ? मुझे नहीं मिला । अगर किसी भी सदस्य को मिला हो तो वह सदन के सामने पेश करें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तोमर जी, माननीय शिक्षा मंत्री का मतलब यह है कि उसकी प्रतिलिपियां दे दी गयीं हैं । हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं है कि कब दे दी गयीं है कब नहीं । मैं ऐसी अवस्था में क्या कह सकता हूं ?

श्री सोहन बीर सिह तोमर—

मान्यवर, कहना यह है कि आखिर..... (व्यवधान) जरा सुनिये.... (व्यवधान) आप लोग..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—कृपया शान्त रहें ।

श्री सोहन बीर सिह तोमर—

मान्यवर, यह प्रतिलिपियां पुर:स्थापन होने के बाद किस दिन सदन के पटल पर रखी गयीं, मुझे नहीं मिलीं ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आपको नहीं मिलीं तो क्या और किसी को भी नहीं मिलीं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, ऐसा है कि जो नियम माननीय सोहनबीर सिंह तोमर जी ने पढ़ा है उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि जिन तथ्यों पर विधेयक आधारित हो, सदन के पटल पर रखा जायेगा। माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि सदन में रिपोर्ट बांटी गयी। रिपोर्ट कब बांटी गयी ? यदि पुरःस्थापन के पहले बांटी गयी तो प्री-मैच्योर हो गयी। उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर बाद में बांटी गयी तो ठीक है। अगर पुरःस्थापन के बाद बांटी गयी तो मैं तोमर जी से कहूंगा कि वह शान्त हो जायं अगर पहिले बांटी गयी तो उस पर विचार नहीं होना चाहिये।

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, कुलपति सम्मेलन की संस्तुतियों को माननीय सदस्यों की सेवा में पहुंचवा दिया गया था। समय नहीं बता सकता। इसकी प्रतिलिपि फिर पढ़े देता हूं।

विभिन्न कालेजों, विश्वविद्यालयों में एक ही पद के अलग-अलग चयन में होने वाले विलम्ब और निहित व्यय को कम करने के लिये एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया है। यदि किसी विषय में 20 पदों की रिक्ति होती है तो 20 अलग-अलग चयन समितियों का गठन अवश्य होता है जिसमें विलम्ब और व्यय निहित होता ह। सेवा आयोग की दशा में एक ही चयन समिति यह कार्य सम्पादित कर सकती है। सेवा आयोग को भी विषय के विशेषज्ञों की पूर्ण सहयोजित सदस्यों के रूप में आवश्यकता होगी। कुलपतियों ने यह अनुभव किया कि इस सुझाव में अनेक बिन्दु निहित हैं जिन पर भली भाँति विचार की आवश्यकता है। कभी-कभी विशिष्ट व्यक्तियों को विश्वविद्यालय में सेवा ग्रहण करने के लिये साग्रह अनुरोध करना पड़ता है। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिख कर उनका विचार जान लिया जाय। मान्यवर, यह सभी माननीय सदस्यो की सेवा में भेजी जा चुकी ह।

श्री अधिष्ठाता--

इस दफ्तर से आपके यहां गया था कि तुरन्त इस सचिवालय को भेजने की कृपा करें। इसकी आपकी क्या जानकारी है और जैसा सोहन वीर सिंह तोमर कह रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना ह ?

श्री अशोक बाजपेयी---

प्रतियां मान्यवर, भेजी गयी हैं, मैं पत्र पढ़े देता हूं। सचिव, विधान सभा सचिवालय संसदीय अनुभाग। महोदय, आपके पत्र संख्या 2783/229 (सं0)/79 दिनांक 31 अगस्त, 1979 के संदर्भ में मुझे दिनांक 23, 24 दिसम्बर, 1979 को हुयी कुलपति सम्मेलन में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के संबंध में की गयी संस्तुतियों के हिन्दी रूपान्तर की 600 प्रतियां भेजने का निदेश हुआ है।

मान्यवर, यह तीन तारीख का पत्र है।

श्री अधिष्ठाता---

शिक्षा मंत्री का कहना है कि 600 प्रतियां भेजी गयी हैं।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये जो करण हैं उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि कोई भी साहित्य जो माननीय सदस्यों को दिया जायगा वह आपकी अनुमति से दिया जायगा। एक चीज उनसे मांगी गयी और वह भेज दी गयी है और अगर बांटी नहीं है तो भी अनियमित है। श्री सोहन बीर सिंह तोमर की आपत्ति न्याय संगत है।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो मान्य ही होगा कि जितनी प्रतिलिपियां आयी हैं वह पिजन होल में अवश्य डाल दी गयी होंगी ।

(शोर)

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मेरा निवेदन यह ह कि वह सदस्यों को मिली हैं या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह मान्यता है कि जो पतियाँ आयी हैं वह पिजन होल्स में डाल दी गयी होंगी। मेरी व्यक्तिगत जानकारी तो है नहीं । 600 कापियाँ आयीं और जैसा मंत्री जी ने बताया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, यह भी मान्यता है कि शासन जो प्रतियाँ अपने प्रियजनों को देगा वह हमको भी मिलेगी । इस पर कौन निर्णय लेगा ?

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आप बता दें कि आपको मिली हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मान सिंह जी, आप बैठिये । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह प्रक्रिया हमेशा रही है कि जो प्रतियाँ आती हैं वह बाकायदा पिजन होल्स में रख दी जाती हैं।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मेरी दिलचस्पी इस बिल के सिलसिले में विचार करने के लिये थी । मैं जानना चाहता था कि कुलपति सम्मेलन की क्या संस्तुतियाँ आयीं । मैंने 10–15 साथियों से बात की मुझसे किसी ने नहीं बताया कि पिजन होल्स में उनको मिली है । इस सम्बन्ध में मैं आक्षेप तो लगाना पसन्द नहीं करूंगा लेकिन मेरा कहना है कि काफी सदस्य कहते हैं कि मुझे नहीं मिली। आप जो निर्णय देंगे वह स्वीकार होगा लेकिन यह निश्चित है कि वहाँ पर नहीं रखी गयीं हैं ।

एक सदस्य—

हमको नहीं मिली है ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, अगर आपको मिल गयी हो तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं दफ्तर से पता लगा रहा हूं कि वाकई पिजनहोल्स में रखी गयी हैं, या नहीं ।

(श्री सोहन बीर सिंह तोमर के खड़े होने पर)

माननीय, तोमर जी उसका पता लगा लिया जाय कि रखी गयी हैं या नहीं ? यदि नहीं रखीं गयी तो मैं दूसरा आइटम ले रहा हूं ।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, यदि प्रतियाँ नहीं रखी गयी हैं तो इस बिल पर विचार नहीं होना चाहिये आपने व्यवस्था दी है तो जब तक आप संतुष्ट न हो जायं तब तक इस पर विचार नहीं होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

इसको बाद में ले लेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, नियमावली के नियम 129 (2) (क) के अनुसार जैसे ही यह विचार आये कि विचार किया जाय तो किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह उसको जनमत की राय के लिये प्रसारित करने का प्रस्ताव कर सकता है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किये जाने से पूर्व उसे जनमत अथवा राय जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

जो संशोधन पेश किया गया है उस पर किसी माननीय सदस्य को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रामदत्त जोशी को यह काम बाद में करना था लेकिन वह पहले कर गये। इसकी आवश्यकता इस समय नहीं है। चूंकि जो बिल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह विरोधी दल के नेताओं के लिये जो अभी तक व्यवस्था थी उसके अलावा कुछ और व्यवस्था इस बिल द्वारा की गयी है। इसलिये मैं समझता हूं इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। इसमें विरोधी दल के नेताओं को एच0ओ0 आर0 द्वारा यात्रा करने की व्यवस्था, कूप की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था—लखनऊ में है, तो यह जो प्राविधान जोड़ने थे उस सिलसिले में यह बिल लाया गया है।

*श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, इसमें संशोधन पेश करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपब्लधियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो 24 घन्टे के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह संशोधन विधेयक जो सरकार लायी है इसमें कुछ बुनियादी त्रुटि रह गयी है उसमें संशोधन द्वारा वह त्रुटि दूर नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें कुछ संशोधन डिलीट करना पड़ता है। इसलिये निवेदन है कि मंत्री जी यदि सहमत हों तो विचार करलें या सरकार की तरफ से स्वीकृति ले लें तो फिर उसे इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं जहाँ तक समझता हू कि वैसे तो आपको अधिकार है, आप अपना यह संशोधन पेश कर सकते हैं लेकिन चूंकि आप इस समिति के सदस्य रहे हैं तो ऐसी दशा में यह प्रस्ताव आप के द्वारा प्रस्तुत न होता तो अच्छा होता।

---

†दिनाँक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं आपसे पूर्ण सहमत हूं। लेकिन आपको जानकारी है कि नेता विरोधी दल की उपलब्धियों के सिलसिले में समिति . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपने उसे फुल लैन्थ में डिसकस किया है ऐसी हालत में आप उसे पेश न करते कोई दूसरा करता तो ठीक था। प्रक्रिया तो यही है।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मेरा निवेदन यह है कि उस समिति के आप भी सदस्य हैं और मैं भी सदस्य हूं। आप को और मुझे जानकारी है कि नेता विरोधी दल की उपलब्धियों के विषय में समिति में कोई चर्चा नहीं हुई। मैं केवल नेता विरोधी दल की उपलब्धि के बारे में सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। यदि समिति में इसके बारे में बिचार विमर्श हुआ होता तो मैं इसे प्रस्तुत नहीं करता। इसके सबध में उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसके प्रतिवेदन में इसके बारे में कोई सिफारिश नहीं है। मेरा क्षेत्र नेता विरोधी दल की उपलब्धियों तक सीमित है।

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में आप पेश कर सकते हैं।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

नेता विरोधी दलकी उपलब्धियोंके बारेमें माननीय दिघे जी से निवेदन करना है कि आप ने 2 (क) पर लिखा है कि "परन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल और उत्तर प्रदेश विधान परिषद का नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश के भीतर किसी समय और किसी रेल द्वारा ऐसे कूपनों का उपयोग करके प्रथम श्रेणी के आरक्षित कूपे (दो बर्थ वाला कम्पार्टमेंट) या वातानुकूलित श्रेणी में एकल आरक्षित अर्थ द्वारा यात्रा करने का हकदार होगा। मान्यवर यह अमेन्डमेन्ट इम्प्रेक्टिकेबल होगा क्योंकि कूपनों के बाद दो बर्थ वाला कम्पार्टमेंट या वातानुकलित श्रेणी नहीं ली जा सकती है क्योंकि इन कूपनों के सिलसिले में जो नियमावली है उसके अनुसार अल्टीमेटली रेलवे बोर्ड की एप्रूवल होती है।

दूसरा आपने यह किया है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल प्रतिमास एक हजार रुपए वेतन और प्रतिमास तीन सौ रुपए वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा" इस संशोधन के अनुसार नेता विरोधी दल की उपलब्धियां आप कम कर रहे हैं। उनको टी0ए0 डी0ए0 लेने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें एक कनसोलिडेटेड वेतन एक हजार मिलेगा।

मुझे निवेदन यह करना है कि मूल नियम 3 में एक लाइन आप और जोड़ दें कि नेता विरोधी दल को वही उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी जो एक कैबिनट रैंक के मंत्री को होगी। केन्द्र सरकार यही निर्णय किया है। अगर आप यह नहीं करेंगे तो इसमें एक अजीब तरह का भेद है। सवाल नेता विरोधी दल का स्टेटस केबिनट रैंक के मिनिस्टर का बनाने का ह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं माननीय दिघे जी से निवेदन करूंगा कि इन सारी धाराओं को निकाल कर धारा 3 में एक लाइन का संशोधन कर दें यदि नहीं करेंगे तो असलियत में इस अमेंडमेंट के बाद नेता विरोधी दल की उपलब्धता कम होगी। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी का किया है। यदि कोई लीगल इन्ट्रीकेसीज के बारे में, कानूनी पेचदिगयों के बारे में जानकारी करनी है तो सेलेक्ट कमेटी दे सकती है। मैं दिघे जी से निवेदन करूंगा कि नेता विरोधी दल के बारे में एक लाइन का संशोधन कर दे क्योंकि हो सकता है कि उनको भी यह कार्य करना पड़े।

(श्री राम दत्त जोशी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

जोशी जी, आप का संशोधन तो ग्राह्य नहीं है। इसके दो कारण हैं, एक तो बहुत शार्ट नोटिस है दूसरा अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप ने इसमें कहा है कि जनमत की राय जानने के लिए 31 मार्च, 1980 तक परिचालित किया जाय तो इसको जोड़ें तो 6 महीने से ज्यादा होता है—अक्तूबर से मार्च तक 6 महीने होते हैं, सितम्बर बच जाता है। तो यह ग्राह्य नहीं है। वैसे आप जितना चाहें बोल सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जो माननीय सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, मान्यता यह है कि उनको न बोलने दिया जाय क्योंकि उन्होंने अपनी प्रक्रिया और जिम्मेदारी उस समय पूरी कर ली है। आपने नोट आफ आब्जेक्शन भी दे डाला है। जो खिलाफ में देना है, यह भी दे डाला है। ऐसी अवस्था में आप न बोलें—कोई दूसरे माननीय सदस्य बोलें, तो अच्छा होगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय, अभी जो प्रश्न प्रस्तुत है उसमें नेता विरोधी दल के संबंध में बात विचाराधीन है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बहुत देर से उठे। मैंने वित्त मंत्री जी को बुला लिया है।

श्री रामदत्त जोशी—

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

नेता विरोधी दल को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बोलना है, तो बोल लें। सदस्यों की उपलब्धियों के बारे में न बोलें।

श्री रामदत्त जोशी—

पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे सामने जो विषय है वह केवल नेता विरोधी दल की कुछ सुविधाएं देने के बारे में है? उसमें क्या माननीय सदस्यों की उपलब्धियों के बारे में प्राविधान है कि नहीं?

श्री अधिष्ठाता—

आप केवल नेता विरोधी दल को दी जाने वाली सुविधाओं पर बोलें। आप उस समिति के मेम्बर रहे हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि उसके अलावा न बोलें। जहां तक मैं पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस को समझता हूं, आप उसको नहीं कर सकते।

श्री राम दत्त जोशी—

एक जानकारी चाहता हूं। आज जो विधेयक पेश है, वह केवल नेता विरोधी दल की उपलब्धियों के बारे में है या समस्त सदस्यों के बारे में है?

श्री अधिष्ठाता—

उसके अलावा भी एक है, जिसके आप सदस्य रहे हैं।

श्री राम दत्त जोशी—

उसके अलावा और है तो बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं बोल सकते, क्योंकि आप सदस्य रहे हैं उस समिति में।

श्री रामदत्त जोशी—

तो सदस्य के बारे में कहने दें?

श्री अधिष्ठाता—

तो नहीं बोल सकते। कृपया बैठ जायं।

श्री रामदत्त जोशी—
नेता विरोधी दल के बारे में तो बोलने दें, क्योंकि उसके लिये तो अनुमति दे दी है ?

श्री अधिष्ठाता—
केवल नेता विरोधी दल के बारे में बोल सकते हैं।

श्री रामदत्त जोशी—
मान्यवर, यह जो विधेयक हमारे सामने है। जहां तक मैं समझता हूं, नेता विरोधी दल की उपलब्धियों में वृद्धि करन और सुविधाओं में वृद्धि करने के बारे में है। मुझ एक निवेदन यह करना है कि इसमें सत्तागत ऐश्वर्य को बांटने की नियत से नेता विरोधी दल की सुविधाओं के बारे में इसमें प्राविधान किया गया है।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—
मान्यवर, इसमें जो कन्फ्यूजन कर दिया। केवल नेता विरोधी दल पर कह रहे थे

श्री रामदत्त जोशी—
केवल नेता विरोधी दल पर बोल रहा हूं। यह जो विधेयक सामने है, सत्तागत ऐश्वर्य का एक टुकड़ा विपक्ष को देकर उसका मुंह बन्द करने के लिये इसको लाया गया है। मान्यवर, हम यहां बैठे हुए विधायक लोग.....

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—
आप लोगों न मांग की और हमने स्वीकार की।

श्री रामदत्त जोशी—
मेरा निवेदन है कि हम यहाँ बैठे हुए विधायक चाहे किसी विचारधारा के हों या किसी दल के हों हम जनता के खजाने के ट्रस्टी है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी मर्जी से वगैर जनता से पूछे मनमानी कर लें। इसमें एक प्राविधान है कि नेता विरोधी दल रेलवे कूपन से वातानुकूलित कक्ष में चल सकेंगे। हम मांग करते रहे कि रेलवे कूपन से द्वितीय श्रेणी के लिए एलाउ कर दें लेकिन वह किया नहीं गया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि वातानुकूलित में तो इससे सफर किया जा सकता है और सेकेन्ड क्लास में नहीं किया जा सकता तो क्या विरोधाभास नहीं है ? इसलिए इसको जनमत के लिये प्रचारित किया जाय।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—
मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय जोशी जी ने कहा कि नेता विरोधी दल को एक टुकड़ा डालकर बाकी सब मुख्य मंत्री जी की जब में चला जायगा। मेरा निवेदन है कि यह टुकड़ा शब्द संसदीय नहीं है। क्योंकि टुकड़ा कुत्ते को डाला जाता है। यह कह कर उन्होंने नता विरोधी दल का अपमान किया है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकश' (जिला कानपुर)—
वैद्य जी को इसलिए आपत्ति है कि उनको भी टुकड़ा चाहिए।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न नेता विरोधी दल का है। मैं समझता हूं पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में नेता सदन और नेता विरोधी दल एक ही गाड़ी के दो पहिये होत हैं, बराबर के। उसमें कोई फर्क की बात नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो माहौल है सारे प्रदेश का, वित्त मंत्री जी मेरी बात से सहमत होंगे, सारे उत्तर प्रदेश में सूखा की अग्नि प्रज्ज्वलित है। हम कानून बनाने वाले अपने लिए कानून

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

बनाले तो यहां तो हम कर लेंगे लेकिन साढ़े बारह करोड़ जनता के सामने जब निकल कर जायेंगे तो वह कहेंगे कि क्या कर रहे हैं। लोक सभा चुनाव सर पर हैं। चार महीने के बाद अपना मेन्डेट देकर जनता भेजेगी। इस वक्त की परिस्थिति और वातावरण को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि इसको अभी स्थगित करें। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की हालत है उसको देखते हुए एक पैसे का भी इस तरह से खर्चा बढ़ाना उपयुक्त नहीं है। हम यहां बैठकर अपने लिए इस तरह का कानून बना लें तो जनता माफ नहीं करेगी। यह हमारे लिए लज्जा की बात होगी कि कानून बनाने वाले हम लोग अपने लिए कानून बना लें। पर एक समाजवादी के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के बाहर इस विधेयक के पारित होने पर हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि तोमर जी जो प्रस्ताव लाये हैं अगर इसे मान लिया जाय और यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो निश्चित रूप से यह केवल टालने वाली बात होगी। (व्यवधान) सवाल यह नहीं कि नेता विरोधी दल कौन रहे। सवाल डमोक्रेसी का है। राधे श्याम शर्मा जी कहते हैं कि कुछ नहीं मिलना चाहिये (व्यवधान) किसी को नियम के अनुसार मिलता तो वह कह दे कि हमें नहीं लेना है जैसा कि इस सदन में एक तो माननीय सदस्य हैं जो आज भी कुछ नहीं लेते। लेकिन जो परम्परा चली आ रही है उस पर क्यों न अमल किये जायें? यह बिल जिस रूप में आया है उस पर अमल करना चाहिये। मैं स्वयं यह चाहता हूं कि नेता विरोधी दल का सम्मान वही होना चाहिये जो कि केबिनेट स्तर के मंत्री का होता है (व्यवधान) मेरी बात आप सुनें। मैं अपने अधिकार को समझता हूं। एक माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि प्रवर समिति में इसे भेजा जाय मैं उसके साथ नहीं हूं। जोशी जी, राधेश्याम जी या तोमर जी नता सदन से अगर यह बात कर लें, ससदीय कार्य मंत्री से बात कर लें कि नेता विरोधी दल को कैबिनट स्तर का स्थान दिया जाय तो मैं उनके साथ हूं लेकिन इसको प्रवर समिति में भेजना गलत होगा और इस बिल को इस तरह से हमेशा के लिये पीछे ढकेलना होगा। इसलिये मैं तोमर जी का साथ नहीं दे सकता।

श्री देव बहादुर सिंह—

जब से नेता विरोधी दल की मान्यता हमारे प्रदेश में हुई तभी से उनके मन्त्रि परिषद के एक केबिनट मन्त्री के अनुरूप रैंक मिलना चाहिए था जो नहीं हुआ। आज वित्त मन्त्री जी एक संशोधन विधेयक लाए हैं जिसमें उनको कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं लेकिन तोमर जी उस सम्बन्ध में एक संशोधन लाए हैं उसको मान लेने से यह होगा कि यह मामला टल जायगा। मैं स्वयं यह चाहता हूं कि नेता विरोधी दल की वही सुविधाएं उपलब्ध हों जो मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों को उपलब्ध होती हैं। जब तक यह नहीं होगा और जब तक नेता सदन तथा नेता विरोधी दल में भेद बना रहेगा तब तक मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र में हमारा यकीन नहीं होगा। मेरा यही सुझाव है कि नेता विरोधी दल को वही सुविधाएं दी जायं जो मन्त्री परिषद् के एक सदस्य को मिलती हैं

*श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य उधर से बोल रहे हैं वे बोली तो एक बोल रहे हैं लेकिन इच्छाएं अलग-अलग प्रदर्शित कर रहे हैं मान्यवर, माननीय सदस्य अगर इसमें उद्देश्य और कारण पढ़े होते तो उनको मालूम हो गया होता। इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं उनके अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं अभी तक माननीय नेता विरोधी दल को उपलब्ध थीं। एक तो रेलवे यात्रा पर एच0ओ0आर0 अथवा प्रथम श्रेणी का कूपे या वातानुकूलित एक बथ सुविधा दी जाय और दूसरे 150 रुपए के वाहन भत्ते के स्थान पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

300 रुपए कर दिया जाय। कुछ माननीय सदस्य इस विधेयक में संशोधन लाना चाहते हैं और भाषण दे रहे हैं। माननीय तोमर जी की इच्छा है और वे चाहते हैं कि जितनी व्यवस्थायें हों, सुविधा हो वह नेता विरोधी दल को दी जायं। राधेश्याम जी ने कहा कि तोमर जी की बात को काट दिया जाय, लेकिन वे कैसे कहें इसलिए इस तरह से वे कहते हैं । माननीय रामदत्त जोशी समझ नहीं पाए। मैं राधेश्याम जी और तोमर जी को जितना समझता हूं उतना ब्रह्मदत्त जी को थोड़े समझता हूं। कूपन के बारे में तोमर जी ने कहा कि कूपन के द्वारा भी उनको ऐसा अधिकार हो। यह व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टि से रेलवे बोर्ड करेगा कूपन के बजाय एच0 ओ0 आर0 द्वारा व्यवस्था हो जाय। जब कोई मन्त्री कहीं प्राइवेट विजिट पर जाय तो वह कूपन से ही जाय, ऐसा अब तक रहा है। उनकी वही हैसियत रहती है। यदि माननीय सदस्य ने इसके उद्देश्य और कारण पढ़े होते तो आपको यह दिक्कत न होती। इसलिए नेता विरोधी दल के लिए इसके द्वारा एक एच0ओ0आर0और कूपे की व्यवस्था की जा रही है और वातानुकलित में एक बर्थ की व्यवस्था की जा रही है इसके अलावा 150 रुपए वाहन भत्ता कम है, इतने में यात्रा कर पाना सम्भव नहीं है। इसलिए नेता विरोधी दल जब श्री नारायण दत्त तिवारी थे इसे वे भी चाहते थे और मैं भी समझता था कि 150 रुपए में पेट्रोल आदि के दाम को देखते हुए सम्भव नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था उनके लिए की जा रही है।

श्री रामदत्त जोशी–

ये एच0 ओ0 आर0 क्या हुआ ? इसको स्पष्ट कर दें।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर––

मुझे सिर्फ एक निवेदन दिघे जी से करना है। कभी-कभी वे ऐसी बात करते हैं जिससे हमें तकलीफ होती है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि नेता विरोधी दल को सारी सुविधाएं दी जाँय। आप इन सारी सुविधाओं को वापस ले लें। यह व्यक्तिगत मामला नहीं है लेकिन जब आप प्रस्ताव लाते हैं तो सीधे-सीधे ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि नेता विरोधी दल को जो सुविधाएं और उपलब्धियाँ हैं वे एक साधारण सदस्य के समान हों। आप इसे पसनल मामला क्यों बनाते हैं ? हमने आपसे भीख नहीं माँगी। हम तो यह भी चाहते हैं कि नेता विरोधी दल का वही स्टेटस होना चाहिए जोकि एक केबिनेट के मन्त्री का होता है। आप ऐसा निर्णय नहीं ले पाते। आप इस तरह के प्रस्ताव को मन्जूर नहीं करते तो जैसा चाहें आप पास करा लें। पर्सनल बात क्यों करते हैं ? जब आप इसे लाए हैं तो सीधे-सीधे कह दें कि कैबिनट रैंक के मन्त्री के स्टेटस के बराबर हम उनको रैंक नहीं देते। यह तो आप मंजूर करते नहीं। तो ठीक है।

श्री राम दत्त जोशी––

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह––

यह जो सुविधा देने की बात है यह सरकार अपनी तरफ से करने जा रही है। आज की जो देश में व्यवस्था है और दूसरे प्रदेशों में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार यह सुविधाएं देने की बात है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय तोमर जी, क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री सोहनवीर सिंह तोमर––

वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो 24 घन्टे के अदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व 3

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(एक) खण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश के भीतर किसी समय और किसी रेल द्वारा ऐसे कूपनों का उपयोग करके प्रथम श्रेणी के आरक्षित कूपे (दो बर्थ वाला कम्पार्टमेंट) या वातानुकूलित श्रेणी में एकल आरक्षित बर्थ द्वारा यात्रा करने का हकदार होगा";

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"**स्पष्टीकरण**--इस अधिनियम में, पद 'उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल', या 'उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ऐसे सदस्य से है जिसे, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो";

(ख) उपधारा (3) में, वर्तमान परन्तुक और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्--

"परन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को कोई दैनिक भत्ता देय न होगा।"

धारा 2-क का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा-2-क में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल प्रतिमास एक हजार रुपए वेतन और प्रतिमास तीन सौ रूपए वाहन भत्ता पान का हकदार होगा ।"

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(3) उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल अपनी पदावधि पर्यन्त लखनऊ में नियतमान के अनुसार सुसज्जित और अनुरक्षित निवास स्थान का बिना किराये के उपयोग करने का हकदार होगा।";

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "उसके लिए" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल के लिए" रख दिए जायेंगे।"

श्री अधिष्ठाता—

खण्ड 2 में संशोधन है।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

जो संशोधन प्रस्ताव मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह खण्ड 2(ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखने के सम्बन्ध में है —

कि खण्ड 2 में वर्तमान उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिए जायं, अर्थात्—

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

(1-क) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सदस्य रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता है, और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी धनराशि के मूल्य के कूपन स्वीकार नहीं करता है, तो वे ऐसे कूपन के बदले में निम्नलिखित धनराशि विहित रीति से माँगने का हकदार होगा, अर्थात्—

(एक) उत्तर प्रदेश के भीतर की गई यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में रेल भाड़े के लिए व्यय की गयी धनराशि,

(दो) उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा की स्थिति में, उतनी धनराशि जितने से वह प्रति वर्ष अधिक से अधिक पन्द्रह हजार किलोमीटर तक, किसी समय और किसी रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी मे यात्रा करने के लिए हकदार हो जाय,

(तीन) खण्ड (एक) या खण्ड (दो) में निर्दिष्ट यात्रा की स्थिति में, यथा-स्थिति, एक सीट या शयन यान (स्लीपर) में एक बर्थ के लिए आरक्षण परिव्यय के रूप में व्यय की गयी धनराशि,

(चार) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, किसी सहवर्ती द्वारा की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में एसी यात्रा में वास्तव में रेल भाड़े के लिए व्यय की गयी धनराशि।"

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

'(3) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों या कार्यों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) उक्त प्रयोजनों के लिए, यात्रा के लिए, अर्थात् यथास्थिति, विधान सभा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, अधिक से अधिक किसी कलेण्डर मास में दो बार केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय:

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों की बैठकों में भाग लेता है तो वह ऐसे मास में इस खण्ड के अधीन चार से अधिक बार आनुषंगिक व्यय का हकदार न होगा,

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलायी गयी बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय,

(ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में जो समिति की बैठक से भिन्न हो, समिति के सभापति के रूप में उनके द्वारा अधिक से अधिक किसी कलैण्डर मास में दो बार केवल लखनऊ आने के लिए और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्राओं के लिए आनुषंगिक व्यय, और

(घ) तीस रुपये प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता जिसकी गणना निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जायगी, अर्थात्—

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के सत्र के दौरान, या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिए देय होगा,

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी देय होगा, यदि सदस्य उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो,

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के लगातार उपवेशन या उसकी समिति की लगातार बैठक के दौरान के स्थगन के दिनों के लिए, और उन छुट्टी के दिनों के लिए भी, जो ऐसे लगातार उपवेशन या बैठक के दौरान पड़े, देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन या बैठक के स्थान पर उपस्थित हो,

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिए भी, जो विधान सभा या विधान परिषद् के उपवेशन या उसकी किसी समिति की बैठक के अन्तिम दिन और विधान सभा या विधान परिषद् की उसी या किसी अन्य समिति की बैठक के प्रथम दिन के बीच पड़े, देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में बैठक के स्थान पर उपस्थित हो,

(पांच) यदि उपखण्ड (तीन) या उपखण्ड (चार) के अधीन आने वाले किसी मामले में, कोई सदस्य उपवेशन या बैठक के स्थान से अपने निवास-स्थान या अपने निर्वाचन-क्षेत्र को चला जाय तो वह इस खण्ड के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता या खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अनुसार आनुषंगिक व्यय, जो भी कम हो, पाने का हकदार होगा,

(छ) उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण--उपवेशन या बैठक को लगातार समझा जायेगा यदि किसी अधिवेशन या बैठक के अन्तिम दिन और दूसरे अधिवेशन या बैठक के प्रथम दिन के बीच की अवधि चार दिन से अधिक न हो।

श्री अधिष्ठाता--

वित्त मंत्री जी, क्या यह आपको ग्राह्य है ?

श्री मधुकर दिघे--

सदन को याद हो कि इसी सदन ने एक सामान्य प्रयोजन समिति का गठन किया था। सामान्य प्रयोजन समिति ने कुछ संस्तुतियां की है। उक्त समिति का मैं भी एक सदस्य था शासन की तरफ से और मैंने यह कहा था कि शासन, इसका जो प्रतिवेदन आएगा, उसके सारे पहलुओं पर विचार करके जो भी जिस-जिस वक्त सम्भव होगा, करने का प्रयत्न करेगा। जो संस्तुतियां आई हैं, उनमें से कतिपय संस्तुतियां शासन ने परीक्षण करके स्वीकार कर ली हैं और जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामदत्त जोशी--

मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

इसके तो आप सदस्य रहे हैं, आपको तो नहीं कहना चाहिए।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाइये, बोलने दीजिए।

श्री रामदत्त जोशी--

आप हमको नहीं सुन रहे हैं। आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं समझता था कि यह संशोधन विधेयक इतनी जल्दी पास हो जायेगा। अभी माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने कहा, माननीय मंत्री जी की ओर से और साथी ही वीरेन्द्रपति यादव की ओर से संशोधन इतनी जल्दी इस सदन में रखे जायेंगे। उनका प्रभाव क्या होगा, इसकी ओर नहीं सोचा गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह उपलब्धियां किस प्रकार से यहां पर दी जा रही हैं। यह माननीय सदस्यों की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हमें समय को पहचानना चाहिए। आज प्रदेश किस मुसीबत से गुजर रहा है। विधायकों के प्रति बाहर किस प्रकार की भावना बनती जा रही है? यह जो संशोधन लाया गया है वह हरगिज ठीक नहीं है। आज मुझे चिन्ता है कि इस प्रकार का बिल कि विधायकों को यह उपलब्धियां दी जायं, बड़ी तेजी के साथ लाया गया है और बिना अवसर दिये हुए पास कराने की चेष्टा की जा रही है। हमारे मंत्री जी समय को नहीं पहचान रहे हैं कि इस समय कैसा समय है। चारों ओर जनता परेशान है, सूखा पड़ा है, और वह बिल लाये हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जन भावना के अनुकूल नहीं है। हरगिज यह संशोधन स्वीकार न किया जाना चाहिए। इस पर इस प्रकार से तेजी के साथ निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। यह उनका अपमान है। जो दिया जा रहा है वह नेता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

विरोधी दल और हमारे दल के सदस्यों को स्वीकार नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूं और स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

श्री रामदत्त जोशी--

मैं भी एक सदस्य होने के नाते कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

अगर पास भी हो जायेगा तो इसका बहिष्कार कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

यह एक बड़ा डेलीकेट प्रश्न है। इस पर हम सभी को समझ बूझकर बात करनी चाहिए। एक समिति बनी थी, उसमें सारे दल के लोग थे। सरकार को मजबूर किया गया कि वह उसकी राय को माने। हो सकता है कि सरकार ने उससे कम किया हो लेकिन उसको माना है। यह बड़ा ही डेलीकेट मसला है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी आप कहना चाहते है,वह कहें।

*आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की यह परम्परा रही है कि कोई भी समिति चाहे प्रवर समिति हो या सदन की समिति हो, जब बन जाती है तो जो सदस्य उसमें रहते हैं और उसमें जो निर्णय हो जाते हैं, जब तक सम्बन्धित सदस्य उस निर्णय पर अपनी आपत्ति (नोट आफ डिसेन्ट) व्यक्त नहीं करते हैं, वे सदन में उन निर्णयों का विरोध नहीं कर सकते हैं। हमारा सदन राजनैतिक मंच अवश्य है लेकिन सस्ती प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए यहां पर बैठ कर हम कुछ और कहें, समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए, यह उनका आचरण अच्छा नहीं है। आपको इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। और जिस सदस्य ने वहाँ पर (समिति में) कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है, उन्हें यहां पर उसके विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजे थपथपायी गयीं।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य की राय से सहमति प्रकट करता हूं कि जो माननीय सदस्य इस समिति के सदस्य रहे हैं और उन्होंने एक निश्चित राय जाहिर की है, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे सदन में इस प्रकार की बातें न करें।

श्री राम दत्त जोशी--

मान्यवर, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया है कि उस समिति के सदस्य कौन-कौन थे? मैं तो जानता हूं कि माननीय जोशी जी पहले ही उसका बहिष्कार किये हुए हैं लेकिन जो सदस्य आज उसके पक्ष में नहीं है अगर यह बहुमत से पास भी हो जाय तो वे इन उपलब्धियों के पाने के हकदार नहीं होंगे।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा--

हम तो झगड़े में नहीं फंसेंगे। हमारा यह नैतिक कर्त्तव्य है कि हम इसको पास न होने दें, लेकिन जब यह पास हो जायगा, तब हम विचार करेंगे।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

ये क्या बोलें। सूप बोले तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। तुम्हें (सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए) बोलने का क्या अधिकार है?

(व्यवधान)

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

आज सदन में ऐसा बिल पेश करके एक ऐसा कुचक्र रचा है जिसे हमारी जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। इसलिये कि हम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस बात की घोषणा की थी कि हम सार्वजनिक खर्चों में कटौती करेंगे। आज जो यह संशोधन बिल लाया गया है, यह केवल नेता विरोधी दल के लिये ही नहीं है, सभी की सुविधायें बढ़ाने के लिये हैं। आपको आज ऐसा संशोधन लाना चाहिये था जिससे कि प्रदेश की जनता यह समझती कि सरकार भुखमरी की इस छाया से, जो आज सूखे के कारण प्रदेश और देश पर छायी है, उससे लड़ना चाहती है। आज प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति है, बिजली नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आज त्राहि-त्राहि कर रहा है, और ऐसे समय में हमारे सम्मानित सदस्य अपनी सुविधायें बढ़ाना चाहते हैं, आपको इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको तो सरकारी खर्च में कटौती करनी चाहिये थी, उसकी जगह पिअपनी सुख-सुविधाओं में बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिये मैं इन संशोधनों का घोर विरोध करता हूं। इस सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों में अगर हिम्मत है तो जनतअके पास जायं और इस पर जनता की राय प्राप्त करें, इस पर जनता के आदेश लें। क्या सूखे से निपटने के लिये ही यह किया जा रहा है?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में आज बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं यह अखबार वाले उनके नाम तब तक न छापें जब तक वे यह घोषणा न करें कि अगर यह बिल पास हो जायेगा तो वे इन सुविधाओं को प्राप्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, विधायकों की उपलब्धियाँ बढ़ाने के लिए जो यह विधेयक पेश है मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, जब हमने चुनाव लड़ा तो यह पवित्र वायदा जनता के सामने किया था कि हम गाँधी जी के स्वप्नों को साकार करने के लिये आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। आज हम सारे प्रदेश की जनता की मनोभावनाओं को ठुकरा रहे हैं। मैंने कहा था कि जो माननीय सदस्य द्वितीय श्रेणी में चलना चाहते हैं उनको वैसे ही रेलवे कूपन दिये जायं। माननीय रामनरेश यादव जी ने घोषणा की थी कि वे 14 करोड़ रुपये की बचत व्यय में कटौती करके करेंगे। एक तरफ वह घोषणा और दूसरी तरफ हमने देखा कि दिल्ली में एक-एक मंत्री पर एक-एक हजार रुपया हर रोज खर्चा किया गया है.....(शर्म शर्म की आवाजें—विरोध पक्ष से) आज गरीब जनता जबकि त्राहि-त्राहि कर रही है, हम यह बिल लाये हैं। पहले इन्दिरा जी के जमाने में हम लोग कहा करते थे कि 'यह देखो इन्दिरा का खेल, खा गयी राशन, पी गयी तेल,' आज यह सरकार भी वही कर रही है। हर चीज के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। तीन दिन के अन्दर चीनी के दाम बेहद बढ़ गये। यह ऐसा विषय है जिस पर हमें गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये था। हम लोग सारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारी जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इस काले विधेयक को वापस लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की उपलब्धियों को आज नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेम सिंह चौहान]

मैं माँग करता हूं कि मंत्रियों के भी खर्चे में ये सारी कमी हो। मान्यवर, आप हमारे रक्षक हैं,आप ऐसी व्यवस्था करा दें। हम कांग्रेस की आलोचना किया करते थे, लेकिन आज आपने उनको भी मात कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार का व्यय बढ़ता जा रहा है। सुरसा की तरह मंत्रिमंडल का विस्तार होता जा रहा है। इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। इस काले विधेयक को तुरन्त समाप्त करने की कृपा करें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह एक संशोधन रखा है माननीय वीरेन्द्र पति यादव जी, बहुत विद्वान आदमी हैं, उन्होंने संशोधन रखा है, कुछ लोग तो अन्दर-अन्दर बहुत खुश हैं, लेकिन बाहर-बाहर विरोध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

इस विधान सभा को अखाड़ा मत बनाइए। हमारा तो कहना यह है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आदमी जो कहें, उसी को करे और एक आदमी कह दे कि इस समय बड़ा सूखा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, लेकिन अपने घर में टेलीविजन लगवा लिया, टेलीफोन लगवा लिया। तो जब सूखा है, तो काहे को टेली-फोन लगाये हो, टेलीविजन लगाये हो। तो भत्ता मत लीजिए। जब सूखा है, तो एक टाइम का खाना बन्द कर दीजिए। तो भाषण त्याग का हो, आचरण विलासिता का हो, यह दोनों नहीं चल सकता है। भाई राजनीति को इसी चरित्र ने भ्रष्ट किया और यह चरित्र संसदीय पद्धति के लिए खतरा होगा। जैसे जोशी जी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वह कम से कम जो कहते हैं, वह करते हैं। हमारे इस विधान सभा में अपवाद हैं, वह हैं श्री रामदत्त जोशी। वह जो कहते हैं वह करते हैं। जोशी जी आपके समर्थन का यह विधेयक है। आप चलना चाहते हैं द्वितीय श्रेणी में। जो विधेयक है, जो द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना चाहें, वह करे। अभी तक यह अनुमति नहीं थी। लेकिन प्रथम श्रणी के कूपन से आप द्वितीय श्रेणी की यात्रा कर सकते हैं।

श्री रामदत्त जोशी—

कूपन से नहीं कर सकते।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

उसमें लिखा है कि 3 हजार नहीं होगा, बल्कि 15,000 किलोमीटर के अन्दर ही आप द्वितीय श्रणी में यात्रा कर लीजिए। यहाँ पर सारे लोग तो रामदत्त जोशी नहीं हो सकते हैं। आपको तो हम बधाई देते हैं। आप हमारे आदर्श हो। लेकिन आदर्श में और यथार्थ में दूरी रहती है। आदर्श और यथार्थ में दूरी नहीं होगी, तो आदर्श नाम की चीज ही दुनिया में नहीं रह जायगी। लेकिन इस दूरी को आप लोप मत कीजिए। यह जो बिल रखा है संशोधन के रूप में, वीरेन्द्रपति जी ने, आप तो अपने समर्थन में कुछ कहेंग ही, तो इसके बारे में जो विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ कर कहूंगा कि यह जो कभी-कभी आदमी के मन में कुछ रहता है, कहता है, कुछ, तो मंशा, वाचा, कर्मणा से करिये। मंशा कुछ रहे, कर्मणा कुछ रहे, वाचा कुछ रहे, यह ठीक नहीं है। तो शर्मा जी, आप से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी मूल भावना का आदर करें और सूखे, मंहगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यह जो भ्रष्टाचार चल रहा है, यह जो मुनाफाखोरी है, कालाबाजारी है बन्द की जाये, दाम बाँधे जायं। जो बड़े-बड़े व्यापारी या पूंजीपति है, इनकी वजह से ही सूखा है, जब तक काला बाजारी रहेगी, मुनाफाखोरी रहेंगी तब तक यहाँ भ्रष्टाचार पनपेगा, सूखा रहेगा। मुनाफा खोरी बन्द करें, छापे डलवायें और जो ऐसा करता है उसे पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया जाये तभी यह हो सकता है।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामदत्त जोशी—

यह प्रश्न मेरा या अन्य सदस्यों की तुलना का नहीं है जैसा माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश ने किया। मैं कुछ ज्वलंत उदाहरण रखना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता द्वारा निर्वाचित होने के बाद हम यह क्यों भूल जाते हैं कि हम उस देश और प्रदेश के रहम वाले हैं जहाँ 60 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीच रहती है। हम जन-प्रतिनिधि हैं इसलिए आम जनता का जो साधारण स्तर है उससे कई गुना ज्यादा ऊंचे स्तर पर रहने का क्या अधिकार है? जो बापू की दुहाई देते हैं, राजघाट पर कसमें खाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि बापू फर्स्ट क्लास में कभी भी सफर नहीं करते थे, सादगी से रहते थे, वह आदर्श जन प्रतिनिधि थे।

(व्यवधान)

ऐसी स्थिति में हम अपनी तनख्वाह स्वयं बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या कोई किसी संस्था का ट्रस्टी, संस्था का मैनजर स्वयं अपनी तनख्वाह बढ़ा सकता है? सन् 67 में 350 रुपया मासिक वेतन था, मैं भी तब विधायक था, मैं पूछना चाहता हूं कि सदन में इतने कर्मचारी बैठ हैं, क्या उनकी तनख्वाहें 10 साल में चार गुनी हो गई है। तो हमें ऐसा करने का क्या अधिकार है? मान्यवर, एक बेईमानी नहीं हम 50 बेईमानी कर रहें हैं। फर्स्ट क्लास का कूपन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बराबर पैसा, टी0 ए0 भी ले रहे हैं। यू0पी0 के किसी भी कोने से लखनऊ तक केवल एक रात का सफर है, नैनीताल से लखनऊ आने में एक रात में आनुषंगिक व्यय कितना खर्च हो जाता है। एक रात में 80 रुपया? क्या आप ह्विस्की पीते हैं। 500 रुपये वेतन और 500 रुपये निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता, यह क्यों किया गया, इनकम टैक्स बचाने के लिये, अतएव हम सब चोर हैं।

(शोर)

मैं आनुषंगिक व्यय, रेलवे कूपन भी नहीं लेता.....

(शोर)

मान्यवर, मुझे अफसोस है, मैने सामान्य प्रयोजन समिति में 4 पेज का आपत्ति नोट दिया। जो प्रतिवेदन सदन में बंटवाया गया बहुमत का फैसला उसमें लिखा गया है लेकिन (नोट आफ डिसेन्ट) विरोध का प्रतिवेदन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप स्वयं बैठकर अपनी उपलब्धियां बढ़ायें। यह जो उपलब्धियां और भत्ते आप बढ़ा रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं कि अगर यह पास हो गया तो भी मैं नहीं लूंगा। आज भी नहीं ले रहा हूं आगे भी नहीं लूगा। इस सदन में बैठने वाले जनता के प्रतिनिधियों, गरीबों के लिये आंसू बहाने वाले लोगों, सरकारी पैसे पर ऐश करने वाले नेताओं अपनी ओर देखिये और जनता की ओर देखिये।

(शोर)

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

यह जो संशोधन पेश हुआ है मान्यवर, इसमें कुछ हमारे माननीय सदस्य दिखलाने के लिये बोल रहे हैं। उन सदस्यों के बारे में मान्यवर, हम सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हमारे एक माननीय सदस्य प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष भी थे उन्होंने कार की मांग की और अपने घर में टेलीविजन लगवाया जो आज तक वापस नहीं किया।

(इस समय 4 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

बाबूलशफा के ऊपर के कमरे में रहते थे, उन्होंने गर्मी के महीने में कूलर की मांग की। (बेम-शेम की आवाजें)। इतना ही नहीं हमारे एक सोशलिस्ट मित्र बोल रहे थे। मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम वर्मा]

यह कह सकता हूं कि उनका वजन जब से वह विधायक हुये ह, 15 किलो बढ़ा है। (शेम-शेम की आवाजें, ताली) इतना ही नहीं नैनीताल इलाके से आये है, साल भर की कौन कहे पांच साल तक एयर कन्डीशन में जितना खर्च होता है, सारा पैसा खर्च कर दिया ह इन्होंने एक ही दौरे में। यह हमारे जोशी जी है जो त्यागी और बलिदानी कहते हैं अपने को इन्होंने ही अनाप-सनाप खर्च किया है। परसों से ही कई सदस्य हम लोगों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि यह बिल आना चाहिये जिसमें विधायकों के लिये कुछ सुविधायें दी गयीं हो।

[* * *]

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया संक्षेप में बोलें।

(शोर)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

कृपया बैठ जायें।

(शोर)

माननीय सदस्यों से मेरा विशेष निवेदन है कि वह बैठ जायं और शांतिपूर्वक सुनें। मेरे खड़े होने पर बैठ जाइये। मेरे खड़े होने पर भी आप नही बैठ रहे ह। मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से.....कृपया यह बतायें कि इस प्रकार से कार्यवाही शान्तिपूर्वक कैसे चलाई जा सकेगी ?

(शोर)

एक सदस्य—

क्या यह गाली-गलौज करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

यह बात गलत है। मैं उनकी ताईद नहीं कर रहा हूं। यह बात गलत हो रही है। मैं कह रहा हूं कि केवल बिल पर बोलें। लेकिन इतनी बातें हो रही है कि शायद कोई रिकार्ड नहीं कर सकता।

(शोर)

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आरोप लगाते चले जा रहे हैं। उनकी बातें रिकार्ड हो रही हैं। लेकिन जब हम ऐसी बातें कहेंगें तो कहा जायगा कि यह रिकार्ड नहीं होगा।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं कार्यवाही देख लूंगा, अगर कोई शब्द मुझे ऐसा लगा तो जरूर निकाला जायगा।

श्री राधे श्याम शर्मा—

अभी मेरे बारे में, कुछ बातें कही गयी हैं। उनका जवाब मैं देना चाहता हूं। आप समय दीजियेगा।

नोट—[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कहा कि मैं कार्यवाही देख लूंगा और असंसदीय बातें यदि होंगी, तो निकलवा दूंगा।

(शोर)

श्री राधे श्याम शर्मा—

वर्मा जी ने मेरे बारे में, अनर्गल, झूठी शरारत की बातें कहीं हैं। मुझे समय दें मैं, उनको भी सदन में नंगा खड़ा कर दूं।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय राधेश्याम शर्मा जी बोल चुके हैं। वर्मा जी ने कोई आरोप नहीं लगाया है। इनको मौका नहीं मिलना चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैंने कोई टेलीफोन नहीं लगाया है।

(शोर)

(डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने डाक्टर कौशल को बुलाया है।

(शोर)

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झाँसी)—

मान्यवर, इस पर बहस खत्म की जाय। राधे श्याम शर्मा जी से कहा जाय कि वह टेलीवीजन और कूलर वापस करें और बहस खत्म की जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—

न मैंने टेलीफोन लगाया और न टेलीविजन लगाया है न कूलर लगाया है। मैं कहता हूं कि एस्टीमेट कमेटी का जब मैं चेयरमन था तब टेलीफोन लगा था लेकिन मेरे हटते ही टेलीफोन सरकार ने काट दिया। मैंने कोई कूलर नहीं मांगा। कोई ऐसा काम नहीं किया है। मैं सदन में सारी बातों को कहूंगा। जरा सी बात का खामखा बतंगड़ बनाया गया है।

(शोर)

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मेरी बात भी सुन लें।

एक सदस्य—

हमको भी मौका मिलना चाहिये।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

जब तक डाक्टर कौशल नहीं बोल लेंगे। कोई बात नहीं लिखी जायगी।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मुझे जरा सुन लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने बुला लिया है उसके बाद कोई व्यवस्था होगी।

[श्री अधिष्ठाता]

इस समय डाक्टर कौशल की बात लिखी जायगी, केवल वह बोलेंगे ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, इस छोटे से विधेयक पर थोड़ी गरमा-गरम बहस सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस विधेयक को पारित होने में हमारी प्रेस गैलरी बाधक बन रही है । हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं, जो बोले और बोलने जा रहे हैं उनका मकसद सिर्फ यह है कि अखबारों में उनका नाम आ जाय

(मेजों की थपथपाहट) ।

और प्रदेश की जनता समझ ले कि य जनता के सबसे बड़े हमदर्द हैं । सभी चिंतित हैं और सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिये तैयार हैं ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग, दोनों तरफ से, शांत रहें ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन, मैं अपने सम्मानित साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो विधेयक पास होने जा रहा है और जो सुविधायें मिलने जा रही हैं तो वे बाध्य नहीं हैं उनको स्वीकार करने के लिये । अगर वास्तव में वह सच्चे हमदर्द हैं जनता के, तो जो सुविधायें उनको मिली हैं उनको वह न लें। मैं समझता हूं कोई बाधा उनके सामने नहीं है। अगर महज विरोध करने के लिये और अखबार में नाम आ जाय और रिपोर्ट में नाम आ जाय इसलिये ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है मैं अनुरोध करूंगा कि यह जो छोटा सा संशोधन विधेयक है उसे पास होने दें और अपनी सस्ती लोकप्रियता लूटने का जो काम है उसका त्याग कर दें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । मैं पहले भी खड़ा हुआ था। मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय गनेशी लाल चौधरी ने इस बहस पर क्लोजर मोशन मूव किया है। इसलिये निवेदन है कि यह कोई दलगत मसला नहीं है, इस पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए क्योंकि यह बहस ऐसी जगह पहुंच गयी है जो कि ठीक नहीं है, इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस बहस पर वोट ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

हमारे सामने कोई क्लोजर मोशन नहीं आया है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्लोजर मोशन हमने मूव कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने जनार्दन प्रसाद ओझा को बुला लिया है इसलिये पहले उनको सुन लें और हमारे संज्ञान में क्लोजर मोशन की बात नहीं आयी है ।

श्री मान सिंह आजाद—

आपके संज्ञान में क्यों आयेगा ?

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता था कि यह जो संशोधन विधेयक आया है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस पर गम्भीरता से दोनों तरफ के माननीय सदस्य चर्चा करेंगे और वास्तविकता जैसी शतरुद्र प्रकाश ने कहा है तो कथनी और करनी को दूर करेंगे। लेकिन ऐसा मुझे लगा कि सत्ता पक्ष से जो भाषण हुए हैं वह चुनाव भाषण का एक रिहर्सल कर रहे हैं। मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन बर्मा जी सोशलिस्ट पार्टी के हैं, वह पहले बहुत दुबले पतले थे लेकिन अब वैसे नहीं हैं। वित्त मंत्री जी भी लगता है कि आर्थिक सम्पन्नता से गुजर रहे हैं पहले फटे हुए चप्पल, फटा पैजामा, घिसते-घिसते सारी रात सड़क पर कट जाती थी। (व्यवधान) लेकिन आज हालत यह है कि हमको बिना एयरकंडीशन के नींद नहीं आती है। मेरी जानकारी है कि हमारे एक मित्र सोशलिस्ट पार्टी के जो सत्ता पक्ष में हैं 45 हजार रुपये एक साल में पैदा किये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी का ही सवाल है। इसलिये यह विधेयक पास नहीं होना चाहिए। हमने चुनाव में यह घोषणा किया था कि हम मितव्ययी बनेंगे, फ्राड नहीं करेंगे और सत्ता पक्ष का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम प्रदेश के 10 करोड़ लोगों की किस्मत को ऊंचा उठायेंगे किन्तु आज वह नहीं हैं। जहां तक 15 हजार कूपन का सवाल है उसको पैसे में बदल दिया है, जो कि ठीक नहीं है। इसी में एक और संशोधन है कि जो चुनकर आयेगा और एक साल बाद यदि विधान सभा भंग हो जाती है तो वह पेंशन का अधिकारी हो जायगा और सारी जिन्दगी उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन जो पेंशन दुनिया में कहीं मिलती है उसका नियम है कि एक निश्चित आयु के बाद पेंशन मिलती है। तो हम यह क्यों नहीं तय कर लेते हैं कि 55 साल या 50 साल आयु के बाद पेंशन मिले। मैं कहना चाहता हूं कि शतरुद्र प्रकाश जी से कि कथनी और करनी में अन्तर कैसे होता है। डा0 लोहिया के नारे लगाकर यहां आते हैं और बगैर एयरकंडीशन के नींद नहीं आती है, बगैर हवाई जहाज के यात्रा नहीं कर सकते हैं। अधिष्ठाता महोदय, आदमी सर्विस में आता है तो उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि इतनी तनख्वाह मिलेगी। हम चुनाव के लिए जनता के बीच म गये थे। मतदाताओं के सामने गये थे। मतदताओं को मालूम था कि हम को कितना वेतन मिलेगा। अब कौन सी परेशानी आ गयी, कौन सी आर्थिक विपन्नता आ गई। यह संशोधन का सवाल नहीं है, उसूलों का सवाल है, बुनियादी मान्यताओं का सवाल है। सवाल यह नहीं है कि पास हो जायगा तो आर्थिक लाभ होगा सवाल यह है कि आपका दृष्टिकोण क्या है? आर्थिक आउट लुक क्या है। बुनियादी मसलों में खुल कर बहस होनी चाहिये। खुल कर मैदान में आयें यदि आप का दृष्टिकोण सही है।

एक साजिश करके वीरेन्द्र पति जी से संशोधन पेश कराना इससे ज्यादा शर्मनाक बात, खतरनाक बात और शेम की बात और क्या हो सकती है। अधिष्ठाता जी, यह संशोधन वापस ले लिया जाय। टेलीफोन की सुविधा मिलनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में गतिशीलता लाने के लिए आवश्यक है, कूपनों में फ्राड होता है इसे निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए। हमें एक पास दे दिया जाय और जो यह पैसे वाली बात है इसको निश्चित रूप से करटेल करना होगा। जनता हमसे सवाल पूछेगी और आप से भी पूछेगी। यह पार्टी का सवाल नहीं है। आप को राजा साहब तकलीफ क्यों हो रही है? सत्ता में रह कर आदमी भ्रष्ट हो जाता है। मुझे उधर बैठे अपने मित्रों से भी निवेदन करना है, छोड़िये वर्मा जी की बात मैं उनसे ज्यादा जानता हूं, सार्वजनिक जीवन में उनसे ज्यादा..... (व्यवधान), मैं कोई आक्षेप व्यक्तिगत नहीं लगा रहा हूं.....(शोर)
इस बिल को वापस लीजिए और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कीजिए।

(आचार्य धर्मदत्त वैद्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—
क्लोजर मूव जो किया है.....

श्री अधिष्ठाता—
मूव तो करते नहीं। क्लोजर मूव करने का एक तरीका है नियमावली के अन्दर। इसके लिए किसी दूसरे का सहारा ले कर यह नहीं कहना होगा कि अमुक व्यक्ति क्लोजर

[श्री अधिष्ठता]
मूव करना चाहते हैं। माननीय सदस्य को जब अध्यक्ष बैठे हों तो खड़े होकर कहना चाहिए कि क्लोजर मूव करता हूं जब कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त कर ले। मूव तो करते नहीं। माननीय तोमर जी कहते हैं कि अमुक व्यक्ति क्लोजर मूव करना चाहते हैं और मूव करते नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो खड़े होकर कहिये कि क्लोजर मूव करता हूं। लेकिन उसके पहले बुला लेता हूं तो आप कहते हैं।

श्री सोहन वीर सिह तोमर—
तीन बार कह चुका हूं। आप सुनते नहीं ....

श्री मान सिह आजाद—
आपके सामने मान्यवर, तोमर जी ने क्लोजर मूव किया है।

श्री मैनेजर सिह (जिला बलिया)—
आपके सामने माननीय गनेशी लाल चौधरी ने क्लोजर मूव किया। आपने व्यवस्था दी कि मैंने डाक्टर कौशल को पुकार दिया है, इसलिए उनको बोलने का अवसर देता हूं। उचित था, कौशल साहब को बोलने का अवसर दिया। फिर माननीय गनेशी लाल जी खड़े हुए पुकारने के बीच में ही क्लोजर मूव किया है।

श्री अधिष्ठाता—
हमें क्या ऐतराज है। हमारी बात सुन लें। मुझे क्या ऐतराज है क्लोजर मूव करने के बारे में। लेकिन जो नियम है, नियमावली में, वह यह है कि मैं बुला लेता हूं, कोई सदस्य क्लोजर मूव करना चाहते हैं, तो करते। पिछली बार नहीं खड़े हुए। केवल तोमर उस बार खड़े हुए और इस बार भी खड़े हुए। अब वह स्वतः नहीं कहते और चाहते हैं कि कोई माननीय सदस्य क्लोजर मूव करें। अब हम जब किसी को बुला लेते हैं तो कहते हैं क्लोजर मूव करने के बारे में। तो नियमावली के अन्तर्गत देख लीजिए। नियमावली के अन्तर्गत ही तो हमको और आपको सदन चलाना है। मैंने वैद्य जी को बुला लिया। क्लोजर मूव करना है तो मूव करते। वोटिंग होगी तो हो जायेगी। लेकिन नियमावली के अन्तर्गत ही तो आप करेंगे। इसलिये वैद्य जी को बुला लिया। अब हम वैद्य जी को सुनना चाहते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—
क्लोजर मूव करने के लिये, मान्यवर, दो मिनट हमको दें। मैं क्लोजर का विरोध करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—
मेरे सामन अभी कोई क्लोजर मोशन नहीं है। जब आयेगा तो करेंगे।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—
मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। आपको सूखे की स्थिति पर विचार करना है। लेकिन जिस प्रकार से इस समय यहाँ अशोभनीय कृत्य हो रह हैं, वह इस सदन के माननीय सदस्यों की गरिमा के अनूकूल नहीं हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—
केवल प्रश्न उपस्थित करने के लिये दो मिनट हमारी बात सुन लें।
(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—
किस संबंध में ?

श्री राघेश्याम शर्मा--
इसी संबंध में ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--
मान्यवर, अब तो बहस-बंदी का प्रस्ताव रखा जा चुका है। उसको लें।

श्री अधिष्ठाता--
ऐसी सूरत में हमारे साथ विपरीत स्थिति हो जायेगी। ऐसी स्थिति में केवल यही उचित है कि विवादान्त प्रस्ताव आपके सामने रख दूं।
तो प्रश्न यह है कि अब इस संबंध में विवाद समाप्त किया जाय।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--
अब संशोधन रखता हूं। खण्ड (2) ले रहें हैं। (श्री तोमर से) आप प्रेस कर रहें हैं ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--
नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--
पहले प्रवर समिति वाले पर मत ले लें।

श्री मधुकर दिघे--
वह हो गया।

एक सदस्य--
संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री अधिष्ठाता--
अब मैं प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 2 में वर्तमान उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिये जायें, अर्थात्:--

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्

(1-क) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सदस्य रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता है, और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी धनराशि के मूल्य के कूपन स्वीकार नहीं करता है, तो वह ऐसे कूपन के बदले में निम्नलिखित धनराशि विहित रीति से माँगने का हकदार होगा, अर्थात् :

(एक) उत्तर प्रदेश के भीतर की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में रेल भाड़े के लिए व्यय की गयी धनराशि,

(दो) उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा की स्थिति में, उतनी धनराशि जितने से वह प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पन्द्रह हजार किलोमीटर तक, किसी समय और किसी रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए हकदार हो जाय,

(तीन) खंड (एक) या खंड (दो) में निर्दिष्ट यात्रा की स्थिति में, यथास्थिति, एक सीट या शयन यान (स्लीपर) में एक बर्थ के लिए आरक्षण परिव्यय के रूप में व्यय की गयी धनराशि,

(चार) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, किसी सहवर्ती द्वारा की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में रेल भाड़े के लिए व्यय की गयी धनराशि।

[श्री अधिष्ठाता]

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

(3) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, ऐसेसदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्यों या कार्यों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) उक्त प्रयोजनों के लिए, यात्रा के लिए, अर्थात् यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, अधिक से अधिक किसी कलेण्डर मास में दो बार केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय :

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलैण्डर मास में दो या अधिक समितियों की बैठकों में भाग लेता है तो वह ऐसे मास में इस खंड के अधीन चार से अधिक बार आनुषंगिक व्यय का हकदार न होगा,

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलायी गयी बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय,

(ग) समिति के ऐसे कार्य के संबंध में जो समिति की बैठक से भिन्न हो, समिति के सभापति के रूप में उनके द्वारा अधिक से अधिक किसी कलेण्डर मास में दो बार केवल लखनऊ आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्राओं के लिए आनुषंगिक व्यय, और

(घ) तीस रुपये प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता जिसकी गणना निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जायगी, अर्थात्—

(1) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के सत्र के दौरान, या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिए देय होगा,

(2) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी, देय होगा, यदि सदस्य उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो,

(3) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद के लगातार उपवेशन या उसकी समिति की लगातार बैठक के दौरान में स्थगन के दिनों के लिए और उन छुट्टी के दिनों क लिए भी, जो ऐसे लगातार उपवेशन या बैठक के दौरान पड़े, देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन या बठक के स्थान पर उपस्थित हो,

(4) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिये भी, जो विधान सभा या विधान परिषद् के उपवेशन या उसकी किसी समिति की बैठक के अन्तिम दिन और विधान सभा या विधान परिषद् की उसी या किसी अन्य समिति की बैठक के प्रथम दिन के बीच पड़े, देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में बैठक के स्थान पर उपस्थित हो,

(5) यदि उप खंड (तीन) या उप खंड (चार) के अधीन आने वाले किसी मामले में, कोई सदस्य उपवेशन या बैठक के स्थान से अपने निवास स्थान या

अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाय तो वह इस खंड के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता या खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार आनुषंगिक व्यय, जो भी कम हो, पाने का हकदार होगा ।

(छ) उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण--उपवेशन या बैठक को लगातार समझा जायगा यदि किसी अधिवेशन या बैठक के अन्तिम दिन और दूसरेअधिवेशन या बैठक के प्रथम दिन के बीच की अवधि चार दिन स अधिक न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर हाथ उठाकर सदन में विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:

पक्ष में--162
विपक्ष में--56)

(विभाजन के मध्य 5 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह ह कि संशोधित खंड 2 और खण्ड 3 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री रामदत्त जोशी--

मैं इसके विरोध में वाकआऊट करता हूं ।

(श्री रामदत्त जोशी के साथ श्री ब्रह्मदत द्विवेदी, श्री गिरीशचन्द्र तिवारी तथा श्री राघव राम मिश्र भी सदन त्याग कर चले गये ।)

एक सदस्य--

जिन लोगों ने इसके विरोध में वोट किया जरा भी उनमें नैतिकता हो तो वह बढ़ी हुई सुविधाओं को रिफ्यूज कर देंगे ।

खण्ड 4

4--मूल अधिनियम की धारा 2-ख में, उपधारा (1) में, शब्द "नेता धारा 2-ख विरोधी दल" के स्थान पर, शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल का संशोधन या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल" रख दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शम्भूनाथ अपना संशोधन प्रस्तुत करिये ।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)--

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्--

4--मूल अधिनियम की धारा 2-ख में,--

(क) उपधारा (1) में, शब्द "नेता विरोधी दल" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

[श्री शम्भू नाथ]

(3) धारा 2 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, लखनऊ में और अपने निवास के स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन के सम्बन्ध में ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांति रखें।

अब तक की परम्परा यह रही है कि माननीय सदस्यों की उपलब्धियों के ऊपर सदन में कोई बहस नहीं होती है। जब कभी भी सदन में उपलब्धियों के ऊपर कोई विधेयक लाया गया तो उस पर कोई बहस नहीं होती है, यह पुरानी परम्परा रही है और यही परम्परा लोक सभा में भी है। तो मैं समझता हूं कि जो श्री शम्भूनाथ जी ने संशोधन पेश किया है उसके बारे में कम से कम यह परम्परा अपनायी जायेगी।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

4—मूल अधिनियम की धारा 2-ख में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "नेता विरोधी दल" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

(3) धारा 2 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, लखनऊ में और अपने निवास के स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन के सम्बन्ध में ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 5, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

5—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "नेता विरोधी दल" के स्थान पर, शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता संशोधन विरोधी दल" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 5, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मेरा भी श्रीमन्, एक संशोधन धारा दो में है।

श्री उपाध्यक्ष—

खण्ड 2 हो चुका है। यह सब मेरे आने के पहले हो चुका है। क्या आपने बाद में दिया है? मैंने कहा उसी समय आपको आपत्ति उठानी चाहिए थी, तो मैं उसको ले लेता। अब बाद में भेज दीजियेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

जब शम्भूनाथ अधिष्ठाता पद पर विराजमान थे, तब मैंने दिया था। धारा-2 को आगे बढ़ाना है, जो यह व्यवस्था है कि बाहर जो समितियां जाती हैं, उसके लिए बाहर के जो कूपन्स मिलते हैं, उनसे सदस्यों को टिकट लेना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—

खण्ड 2, 3, 4, 5 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक—सब इस सदन ने स्वीकार कर लिये हैं, तो मैं इसको पुनः कैसे ले लूं। मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

*श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979, पारित किया जाय, जैसा कि इस सदन द्वारा अभी संशोधित किया गया है।

मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह जो संशोधन और प्रस्ताव जो मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था, इसमें जो संशोधन रखने वाले सदस्य हैं—रवीन्द्र नाथ तिवारी, पद्माकर लाल व रियासत हुसैन नये समिति में थे। जो सदन की समिति थी, जिस समिति के प्रस्तावों को हमको मानना चाहिए था और जिन पर श्री गनेशी लाल चौधरी ने यह प्रश्न उपस्थित किया था कि क्या आपको अधिकार है कि जो हम एक मिनिलेजिस्लेचर हैं, उसके संस्तुतियों को ठुकरा सकते हैं? आप देर कर सकते हैं लेकिन उसका आप बिलकुल निरादर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह माननीय सदन की एक कमेटी है, मिनिलेजिस्लेचर है। तो जो उधर से राजनीतिक विरोध हुआ है, उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं—जिन लोगों ने हाथ उठाया—रवीन्द्र नाथ तिवारी, रियासत हुसैन और चौधरी साहब ने, वे जो भी प्रस्ताव में उपलब्धियां हैं, उसको स्वीकार न करें। मैं जोशी जी की तारीफ करता हूं और उन्हीं के कहने से मैंने इसमें एक प्रस्ताव रखा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तो सेकेण्ड क्लास में हमेशा ट्रेवेल करता हूं। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने आज इसके विरोध में हाथ उठाया है वह रामदत्त जोशी का अनुकरण करेंगे, नहीं तो मैं मानूंगा कि वे लोग सस्ती राजनीति के लिए और सस्ते अखबारी प्रचार के लिए यह विरोध का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि कुछ लोगों के मन में डर है। मेरा निवेदन है कि आप उस डर को कार्य रूप में परिणत करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री नेम सिंह चौहान —

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं। आप इधर देख नहीं सके।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं देता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979†

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में सूखा.....

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, शिक्षा वाला छूट गया है। पहले उसको ले लीजिए।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अशोक बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए इसके पहले दो विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने के लिए अपने विचार व्यक्त किये थे, उसमें मैंने समय कम लिया था, लेकिन मान्यवर इस पर मैं कुछ अधिक समय चाहूंगा। मान्यवर एक अच्छे काम के लिए यह बिल लाया गया है, परन्तु यह बुरा बन गया ह जिससे मजबूर होकर प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव करना पड़ा। जब कभी भी कोई ओरिजिनल बिल आता है तो वह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो मान्यवर मैं पुनः उसी बात को प्रेस कर रहा हूं। मान्यवर, इसके उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों का चयन करने के लिए एक सेवा आयोग स्थापित करने का प्रश्न पिछले काफी समय से राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है। वर्ष 1975 में कुलपति सम्मेलन में भी इस दिशा में संस्तुतियां की गयी थी। कुलपति सम्मेलन ने जो संस्तुतियां की थी उनका कोई आदर नहीं किया गया है। मेरे सामने वह अंश उपलब्ध है जिसमें दिनांक 23–24 दिसम्बर, 1975 को हुए कुलपति सम्मेलन द्वारा विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी थी। विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों में एक ही पद के अलग-अलग चयन में होने वाले बिलम्ब और निहित व्यय को कम करने के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया है। यदि किसी विषय में 20 पदों की रिक्ति होती है तो 20 अलग अलग चयन समितियों का गठन अवश्य होता है जिसमें बिलम्ब और व्यय निहित होता है।

---

†दिनांक 4 सितम्बर, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेवा आयोग की दशा में एक ही चयन समिति यह कार्य सम्पादित कर सकती है। सेवा आयोग को भी विषय के विशेषज्ञों की पूर्ण सहयोजित सदस्यों के रूप में आवश्यकता होगी। कुलपतियों ने यह सुझाव किया कि इस सुझाव में अनेक बिन्दु निहित है जिन पर भली भाँति विचार की आवश्यकता है। माननीय, यह जो विधेयक रखा गया है इसका जो परिवेश है वह एसोसियेटेंड कालेजेज और एफीलिएटेड कालेजेज तक ही रखा गया है। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस पर विचार करे और यह विधेयक सभी विश्वविद्यालयों चाहे वे प्रावैधिक हों, मेडिकल कालेज हों या कृषि विश्वविद्यालय हों, शिक्षा विभाग के अधीन सभी पर यह लागू होना चाहिए।

इसके बाद, श्रीमन्, आप देखें कि सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है जिस पर स्वयं शासन को गम्भीरतापूर्वक विचार करना है और जिससे इसें शासन के इस संदेह की पुष्टि होती है कि विधयक में शिक्षा आयोग का गठन राजनीतिक चिन्तन लिए करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। इसकी धारा 4 में दिया हुआ है कि आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे। लेकिन उनकी योग्यता क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, उसके बारे में किसी प्रकार की व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है। वे कितने पत्र लिखे होंगे, उनकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स क्या होंगीं, उनका अनुभव क्या होगा, शिक्षा विभाग में उन्होंने काम किया ह अथवा नहीं, उसका कोई जिक्र इसमें नहीं दिया गया है। यदि यह बिल पास भी हो गया तो राजस्व अपने दल के आदमी को अपने राजनतिक हितों की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को इसमें नामांकित किया जा सकता है। यदि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाता है तो वह इस बात पर भी विचार करेंगी कि उनकी क्या योग्यता हो और इस अनुभव के व्यक्ति को मनोनीत किया जायगा।

धारा 6(ग) में यह दिया गया है कि राज्य सरकार की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के, या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनपयुक्त हो। डिस्क्वालिफिकेशन तो दी लेकिन अगर किसी सदस्य को मनोनीत तो कर दिया और उसके बाद वह मनोनीत सदस्य उनकी इच्छानुसार कार्य नहीं करता है तो वह कदाचार का भागी होगा और उसे निकाल दिया जायगा। इस कदाचार की क्या परिभाषा होगी? इस सम्बन्ध में ये कहत हैं कि सरकार नियम बनायेगी। हम चाहते हैं कि अगर इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय तो वह इस बात पर भी विचार करके अपनी रिपोर्ट दे देगी।

इसके साथ-साथ एक बात इसमें और है कि शासन अपने निहित स्वार्थों के लिए आयोग बना रही है। आगे इसमें कहा गया है कि आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही गलत होती है तो उसके लिए कहा है कि आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि या उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है जिसका सरकार पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसके बाद अगर कोई फैसला हो जायगा तो उसको मान लिया जायगा। इसमें चयन की प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में केवल यह कह दिया कि सिफारिश कर देंगे। चयन कैसे होगा, साक्षात्कार कैसे होगा, नाम कैसे आयेंगे? यदि कोई डिग्री कालेज सिफारिश न करें तो कैसे व्यवस्था की जायगी। इसके बारे में स्पष्ट रूप से इस विधेयक में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अगर आज एक विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय यह अनुसंशा करता है कि अमुक विद्यालय में इतने अध्यापक चाहिए उनका चयन कितने दिनों में कर दिया जायगा, इसकी कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की गयी है। हमारे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में एक चयन आयोग बना हुआ ह। पहले राज्य सरकार ने यह आदेश दिया था कि हायर सेकेन्ड्री अध्यापकों को मैनेजमेंट नियुक्त नहीं कर सकता। वर्षों स्थान खाली पड़े रहे और अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण पढ़ाई का नुकसान होता रहा लेकिन सरकार ने इसका भी कोई प्रबन्ध इसमें नहीं किया है

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

ण्डहाक नियुक्ति का भी रास्ता खोल दिया गया है। मैं कई बार इसके लिये विरोध प्रकट कर चुका हूं। मैंने पहले भी कहा है कि यह भ्रष्टाचार की जननी है। एक विश्वविद्यालय में एक लड़की ने गोल्ड मेडिल इसलिये वापस कर दिया कि उसके स्थान पर विश्वविद्यालय में एक थर्ड क्लास को भरती कर लिया गया। फिर अगर यह किया भी जाता है तो उसके लिये एक समय की सीमा निर्धारित हो। वैसे मैं इसके खिलाफ हूं यह होना ही नहीं चाहिये।

धारा 23 में अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट देने की जो व्यवस्था की गयी है वह भी एक गम्भीर बात है। संविधान में अल्प संख्यकों के लिये जो सुविधायें प्रदान की गयी हैं मैं उनका समर्थक रहा हूं और उसके अनुसार उनको सुविधायें मिलनी चाहिये। उसके लिये इसमें कोई प्राविधान होना चाहिये। मैं यह कतई नहीं चाहता कि उनके किसी अधिकार से उनको वंचित किया जाय, उसकी, उनको पूरी आजादी मिलनी चाहिये, लेकिन इस धारा के रहते वह मंशा पूरी नहीं होती। इसलिये इस पर भी फिर से विचार करने की जरूरत है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। सर्विस के लिये उनकी सर्विस के नियम होने चाहिये और उसकी सुरक्षा होनी चाहिये। उनको सेवा का पूरा संरक्षण मिलना चाहिये।

इस विधेयक में इस अधिनियम के उपबन्धों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे दण्ड देने का प्राविधान भी इसमें किया गया है, लेकिन वह कैसे दिया जायगा, कौन देगा, अपील होगी या नहीं, कैसे होगी, उसका निस्तारण कैसे होगा, क्या कोई अनुसंधान समिति होगी जो दण्ड के बारे में निश्चय करेगी, यह तमाम बातें हैं जिन पर विचार करना चाहिये। यह विधेयक मूल भावनाओं को ही नष्ट कर देगा। मैं इसकी मूल भावना से सहमत हूं मगर वह भावना इससे नष्ट होती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसे प्रवर समिति में जाने दें। जो भी माननीय सदस्य शिक्षा में रुचि रखते हों उनकी एक समिति गठित कर दी जायं और वह सारे पहलुओं पर विचार करके अपनी संस्तुति दे। हमारे सामने अनेक समस्यायें हैं और उनकी तहत इस विधेयक पर विचार होना आवश्यक है। विचार के बाद यह एक अच्छा विधेयक बन कर हमारे सामने आयेगा उसमें शिक्षा समस्याओं का समाधान होकर अध्यापकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार आदि दूर करने का कोई तरीका आ सकेगा और हक मारने की जो प्रवृत्ति चल रही है मान्यवर, उसको समाप्त कर हम इस प्रदेश को एक अच्छी शिक्षा देने में समथ हो सकें। इन शब्दों के साथ प्रवर समिति में भजने का जो यह प्रस्ताव है उसे यह सदन सर्वसम्मति से स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

इसको खत्म करवाएं मान्यवर, सूखे का भी चलना है।

(श्री सोहन वीर सिंह तोमर का नाम पुकारे जाने एवं खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, आप पहले जो संशोधन हैं, उसको पेश कर दीजिए।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुद कर दिया जाय।

मान्यवर, मेरा इस विधेयक से कोई मतभेद नहीं है, मतभेद केवल इसमें यह है कि यह एक महत्वपूण सवाल उठाया गया है। यह पहली बार हम शिक्षा के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन की बाडी बना रहे हैं, जो विश्वविद्यालय में नहीं, अफिलियेटिड कालेजेज में लागू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मेरा निवेदन है मान्यवर, कि इसमें शासन जल्दबाजी न करे। इस विधेयक को अगर ऐसे ही पास कर दिया जायगा, तो कल किसी बगैर पढ़े-लिखे आदमी को भी इसका संरक्षक बनाया जा सकता है। मान्यवर, मैं सदन का समय न लेते हुए मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस संशोधन को वह स्वीकार कर लें, ताकि आगे बहस ही न चले। मैं तो चाहता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय, लेकिन अगर वह प्रवर समिति के लिए तैयार हैं, तो उसे ही स्वीकार कर लिया जाय। जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने दिया है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इसकी गम्भीरता पर विचार करके इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, यह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधयक, 1979 है.....

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति में इतना समय सब विधेयकों के लिए निर्धारित किया गया था?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री गुलाब सेहरा, अपना भाषण आप संक्षेप में ही दें।

श्री गुलाब सेहरा—

वह उसी तरह से है, जिस तरह से विश्वविद्यालय जो ऐक्ट है, जो प्रवर समिति में भेजा गया था, उसी का एक पार्ट है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इस विधेयक में जो सबसे ज्यादा एतराज वाली बात है, वह यह है कि इसमें कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यह जो आयोग बनेगा, इसके जो चेयरमैन होंगे, उसके जो सदस्य होंगे, किस आधार पर उसका चयन होगा? इसके लिए कम से कम नौकरियों में लेने के लिए या प्रोन्नति के लिए जो आयोग हो, उसका कम से कम स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए। इसमें तो सरकार जिसको जब चाहेगी हटा देगी और जब चाहेगी रख लेगी। किस आधार पर वह नियुक्त कर पायेगा? इन सब चीजों को जल्दी में और बड़ी शीघ्रता में लाया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो संस्तुति की थी कि आयोग बनना चाहिए, वह जल्दी में लाया गया है, क्योंकि उस पर विचार होना चाहिए, नियुक्तियों के संबंध में विचार होना चाहिए। यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, इस पर विचार के लिए प्रवर समिति बनाई जाय। जो यूनिवर्सिटी का रूप है, उसके अनुरूप ही नियुक्ति हो। जो मशहूर शिक्षाविद है, उनका भी उल्लेख इस विधेयक में होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि प्रवर समिति में बैठ कर इस पर विचार किया जाय, उसके बाद इसको पुनः पेश किया जाय।

(श्री कन्हैया लाल गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

ज्यादा समय न लें।

*श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत संशोधन का इस निवेदन के साथ समर्थन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा, माननीय सोहन वीर सिंह ने कहा यह विधेयक बहुत दूरगामी प्रभाव रखने वाला विधेयक है। आज हम सब जानते हैं कि जो लोक सेवा आयोग है, उसका जो कार्यकलाप है, वह हमें पिछले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

वर्षों से देखने को मिल रहा है कि सरकारी सेवाओं में 9–9, 10–10 सालों से एडहाक में चल रहे हैं और इसलिए चल रहे हैं कि सरकार जो उनसे सिफारिशें माँगती है वह उनको दे सकें। आज दो साल पूर्व जिला स्तर पर नियुक्ति करने की व्यवस्था की गयी थी, श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसका यह प्रभाव हुआ कि आज 2 वर्ष का समय बीत गया और हजारों अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई। मेरा निवेदन यह है कि हम विश्व-विद्यालयों की स्वायत्तता पर जब इस तरह से आक्रमण करना चाहते हैं तो हम यह देख लें कि शिक्षा पर कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। राजेन्द्र जी ने हजारों खामियाँ आपके सामने रखी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन जो उसमें परिधि इतनी ज्यादा रखी गयी है कि यह आज अंजाम नहीं दिया जा सकता।

मेरा विश्वास है कि इन सब बातों को हमें बहुत व्यापक तौर पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो अपनी इस बात को न बढ़ा कर एक बात की ओर जो बहुत ही खतरनाक है, उस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कुछ छूट दी गयी है। इसमें इस तरह की छूट आज तक किसी स्तर पर, न प्राथमिक, न माध्यमिक, न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर नहीं है। यह छूट विशेष रूप से महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के लिए खतरनाक है। मैं माननीय मंत्री जी की भावना का आदर करते हुए आयोग द्वारा हमारी नियुक्तियों में ज्यादा योग्यता के लोग आयेंगे, इसके लिए मैं उनका हृदय से आदर करता हूं। लेकिन जो.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह अभी कार्यसूची में करीब-करीब 3 घंटे का कार्य बाकी है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय सदस्यों से.....

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

यूनिवर्सिटी एजूकेशन के सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं और इसमें 3 घंटे नहीं 30 घंटे हो जायें.....

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

इतना खास विषय है सूखे का, उस पर विचार नहीं हो रहा है। सूखे की बहस अभी तक नहीं शुरू की गयी है। यह हम लोगों का उल्लंघन किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं वही शुरू कर रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह से एक आयोग बनाने की बात है। वह तो अच्छी बात है लेकिन आशंका है, माननीय तोमर जी और कुछ माननीय सदस्यों ने जो आशंकायें व्यक्त की हैं, आज तक का अनुभव भी है, आयोग का गठन इसलिए किया जाता है कि कुछ लोगों को संतुष्ट करना है या कुछ लोगों को आयोग का चेयरमैन बनाना है। आज तक का अनुभव यही बताता है। तो आशंका अपनी जगह बरकरार है। मुझे तो यहां तक सूचना मिली है। लोग छिपा रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं। बेहतर ही होगा कि कोई शिक्षा सचिव जो रिटायर हो गये हैं उनको इस आयोग का चेयरमैन बनाने की बात है। अगर यह बात है तो इस विधेयक में जो अच्छी बातें हैं वह लुप्त हो जाती हैं। मुख्य परपज तो यह है कि किसी तरह से लोगों को आयोग का चेयरमैन बनाया जाय, उन्हें एडजस्ट किया जाय। अगर यह बात नहीं है उनके चयन के बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, तो मैं समझता हूं कि यह प्रोग्रेसिव कदम है, ऐसा होना चाहिये। अभी पहाड़ की तरफ का केस था वहां कुछ लोगों को जो क्वालीफिकेशन नहीं रखते थे उनको भी रखा गया। सरकार ने निर्णय लिया है कि बीस साल जो काम कर चुके हैं उनको स्थाई

कर दिया जाय। यह भी हुआ, हो भी रहा है। जो शंका लोगों ने व्यक्त की है, जो व्यक्तिगत जानकारी मिली है, उसको सदन के सामने रख रहा हूं। अगर यह नहीं है तो मैं समझता हूं कि सदन को इसको स्वीकार करना चाहिये।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी ने जो शंका प्रकट की है, उसका आधार नहीं है। अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन, राज्यपालों के सम्मेलन, सबकी संस्तुतियाँ हैं कि प्रदेश में 500 के लगभग कालेजों की संख्या है और सब का वित्तीय भार राज्य सरकार पर है। अवकाश प्राप्त सचिव को इसका अध्यक्ष बनाने की बात नहीं है जैसे कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होता है। जो शिक्षाविद हैं; जिनका संबंध शिक्षण संस्थाओं से है, जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है, तो उन्हीं व्यक्तियों को अध्यक्ष होना चाहिये। बहुत दिनों से इसकी माँग थी इसलिये इसको रखा गया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं आधे मिनट में अपनी बात कहूंगा। इस बिल के फायदे को देखते हुये और इस बिल की अहमियत को देखते हुये, यह एक अच्छा कदम है। इसको देखते हुये, माननीय मुख्य मंत्री जी के इस विश्वास पर कि सदन के डिजाल्व होने की संभावना नहीं है, यह देखते हुये कि कोई अध्यादेश नहीं है, यह बिल जरूरी है, इसको पास करना चाहिये। यह बिल इतना बड़ा है कि पूरे दिन कम से कम इस पर विचार करने का मौका मिलना चाहिये। मेरी दरख्वास्त है कि इसको विदड्रा कर लें और पूरे दिन डिस्कशन करावें।

(डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी एक मिनट में समाप्त करें।

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है तो अपेक्षा यह की गयी थी, उच्च शिक्षा में जो लोग हैं वह महसूस करते हैं कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि तमाम महाविद्यालयों में अध्यापक जो हैं उनको नियमित किया जाय। में निवेदन करूंगा कि आप कम से कम परिधि का परिसीमन करते। उच्च शिक्षा के संबंध में आप देखें कि कहां तक इसकी परिधि जाती है, राज्य शिक्षा मंत्री और जो मित्र लोग हैं वह इसको देखें। आशा तो यह थी कि इंटीग्रेटेड टीचर्स स्कीम हो जाती, जिसमें अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में कोई बात करते। मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति बनी है जिसमें तमाम बातों पर विचार किया गया है। मैं समझने में असमर्थ हूं, चूंकि आपने ज्यादा समय न लेने को कहा है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 31 (3) में आप देखें, इसको टच मुझे नहीं करना है, इसका क्या स्वरूप हो, तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति होती ही रहेगी, चयन की प्रक्रिया बिल्कुल अस्पष्ट है। अल्पसंख्यक संस्थाओ के अध्यापकों को क्रंश कर दिया है। लेकिन बकरे का खून लगाकर आप सेकुलर बन जायं, इसके लिये आपको अल्प संख्यक संस्थाओं को टच करने की जरूरत नहीं है। अनुशासन समिति बनाने की आपने कोई आवश्यकता नहीं समझी है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस पर दूसरी प्रवर समिति न बनायें, आपने विश्वविद्यालय संशोधन प्रवर समिति बनायी है और इसके सम्बन्ध में विचार विमर्श हो रहा है तो कौनसी जल्दी पड़ गयी इसको लाने की? अगर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि यह दुरुस्त है तो चाहे जो कुछ कहें, लेकिन अगर कुछ कचोट दिल में ह तो इसको उसी प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के संबंध में बनो है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, इस संबंध में, इस मसले को सदन में कई बार उठाया गया है। सन् 74 में एक संकल्प के रूप में लाया गया था कि इस तरह का आयोग बनाया जाय जिससे महाविद्यालयों आदि में होने वाले चयन में अनियमितताओं को रोका जा सके। समय-समय पर शिक्षाविदों द्वारा ऐसे सुझाव दिये गये हैं, जैसा कि सदन को ज्ञात होगा, कि उपकुलपतियों के सम्मेलन में इस तरह की संस्तुतियां की गयीं थीं कि इस तरह का आयोग बनाया जाय। प्रदेश सरकार ने सोच विचार करके विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाने की मंशा जाहिर की। उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह आपत्ति लगा दी कि रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता को बनाये रखते हुये अभी उनके चयन के ऊपर यह नियमावली न लागू की जाय जिसके कारण हमें उच्चतर शिक्षा आयोग का निरूपण करना पड़ेगा। यह मंशा समय-समय पर नेताओं द्वारा, सांसदों द्वारा उठायी जाती रही है कि जो कुछ अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं, योग्यता प्राप्त हैं, इस चयन समितियों के द्वारा उनकी योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं होता है और प्रबन्ध समितियों के द्वारा, प्राचार्य द्वारा मनमाने ढंग से गलत चयन कर लिया जाता है। इसलिये उच्चतर सेवा आयोग की व्यवस्था की गयी है जिससे उत्तर प्रदेश के गिरते हुये शिक्षा स्तर को उठाया जा सके तथा प्रदेश के 400 उच्च महाविद्यालय हैं उनके शिक्षा स्तर में एकरूपता हो सके।

तो मान्यवर, तमाम विद्यालय ऐसे है जहाँ रिक्तियाँ होती हैं वहाँ प्रबन्धकों के रिश्तेदारों को नियुक्त कर लिया जाता है और तमाम मेधावी छात्रों का चयन नहीं हो पाता है, इसलिय उन अनियमितताओं को दूर करने के लिये इस आयोग का गठन किया गया है और इससे मेधावी छात्रों का चयन होगा। इसलिय मैं चाहूंगा इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे एक पवित्र भावना है और इससे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जायेगा। जैसाकि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जो चयन समिति होगी उसका अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय उनकी योग्यता और शिक्षाविदों का ध्यान रखा जायगा। इसलिय मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित होने दें और इस तरह का आयोग गठित करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकेगा जो कि प्रदेश के हित में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं श्री गुलाब सेहरा, श्री रियासत हुसैन, डा0 अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री ऊदल तथा अन्य वक्ता जो बोले हैं उन सभी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मुख्य मंत्री जी ने भी अपरोक्ष रूप से मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है कि उसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय। इसका कारण यह है कि यह कोई विवाद का विषय है ही नहीं कि आयोग का गठन न किया जाय। आयोग के गठन से इधर और उधर के सभी माननीय सदस्य सहमत हैं लेकिन यहाँ विचार इस बात का करना है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आयोग का गठन किया जा रहा है क्या उसकी पूर्ति इस प्रक्रिया से होगी ? इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के इस विश्वास पर अविश्वास नहीं करता कि आयोग का गठन न हो, लेकिन उसकी समीक्षा और छानबीन के लिये यह वांछनीय क्यों न प्रवर समिति को भेज दिया जाय जहाँ छानबीन करके शिक्षाविदों द्वारा यह तय हो जाय कि सचिव आई0 ए0 एस0 होगा या वह होगा जिसको 6 वर्षों का शिक्षा का अनुभव होगा। इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं और कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि मुख्य मंत्री, राज्य शिक्षा मंत्री और सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिय इसे प्रवर समिति को भजा जाय वरना इस आयोग के माध्यम से केवल अध्यापकों का सरकारीकरण और रिश्तेदारों को भरना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री तोमर जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री सोहन बीर सिह तोमर—

मान्यवर, यह बहुत अहम मसला है। मेरी श्री ऊदल जी से बात हुई है और सभी माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि इसे सदन की एक प्रवर समिति को भेज दिया जाय, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रस्ताव के समर्थन में वापस लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री डी0पी0 बोरा (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, जो बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय नहीं कह सकते हैं। दुबारा जब पारित करने को होगा तो आप लोग कह लेंगे लेकिन इस समय नहीं ।

श्री राम प्रकाश (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यह बात सही है कि इतना अधिक काम आज के लिए सदन के पास था कि इस पर पूरी तरह से विचार करना संभव नहीं है। यह सब जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के कारण कितनी परेशानी सारी सेवाओं में है। इसीलिए अगर इसे सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी और यह नई समस्याओं को जन्म न दे दे और ठीक प्रकार से बने यही हम सबका अनुरोध है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा विषय नहीं है इसे स्वीकार कर लें और इसे अच्छ काम के लिए, अच्छ ढंग से करने के लिए सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय ।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरे सम्मानित मित्र श्री राम प्रकाश जी ने इसे इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने का पुनः आग्रह किया। यह जानते है कि जब राजस्व पर पूरा भार कालेजों का है, जिस प्रकार प्रबन्ध समितियाँ ह और संविधान के अन्दर सेवा आयोग तक इसमें सिद्धान्त स्वीकार हो तो लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन करन की प्रणाली की जाती ह तो इसपर विलम्ब करना उचित नहीं लगता। इसलिय मुझे खद है कि मैं माननीय राम प्रकाश जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हूं .....

श्री डी0 पी0 बोरा———

जल्दी में इस तरह का संशोधन विश्वविद्यालय के संबंध में पास किय जाने के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री डी0पी0 बोरा ने सदन त्याग नहीं किया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सोहन बीर सिह तोमर को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित करने पर और उपाध्यक्ष द्वारा 'नहीं' की संख्या अधिक है, कहने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हाँ की संख्या अधिक है.....

श्री डी० पी० बोरा—

हाँ की संख्या अधिक है (डिवीजन)

(घंटी बजाई गई)

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर,....

श्री उपाध्यक्ष—

घंटी बज रही है लिखा नहीं जायगा।

(घंटी बन्द होने के बाद)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 31, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979

किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिये अध्यापकों के चयन के लिये सेवा आयोग स्थापित करने, और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिये

विधेयक]

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1979 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इसे निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में—

(क) किसी अध्यापक के सम्बन्ध में "नियुक्ति" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन कोई नियुक्त नहीं है;

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(ग) "महाविद्यालय" का तात्पर्य किसी ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से है जिसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार सम्बद्धता की मान्यता का विशेषाधिकार दिया गया हो, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित कोई महाविद्यालय भी है ;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उच्चतर शिक्षा आयोग से है ;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी है ;

(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित अन्य शब्दों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

अध्याय—दो

आयोग की स्थापना

आयोग की स्थापना

3—(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कहलायेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा।

आयोग की संरचना

4—(1) आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे:

परन्तु एक या अधिक सदस्यों के छुट्टी पर या अन्यथा अनुपस्थित होने की स्थिति में शेष सदस्य या सदस्यों से ही आयोग गठित रहेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें

5—(1) प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह उन नियमों के अधीन जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाया जाय, उस रूप में बने रहने के लिये निरर्हित न हो जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(2) कोई व्यक्ति दो लगातार पदावधियों से अधिक के लिये आयोग का सदस्य नहीं होगा।

(3) आयोग का कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित, स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो आयोग का सदस्य नियुक्त किया जायगा और न इस रूप में बना रहेगा।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह—

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय, या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्त्तव्यों से भिन्न किसी वैतनिक रोजगार में कार्य करें; या

(ग) राज्य सरकार की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के, या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिये अनुपयुक्त हो।

स्पष्टीकरण—जहां कोई सदस्य किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, सदस्य से भिन्न रूप में, किसी प्रकार से सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे या उपलब्धि में किसी प्रकार से भागीदार हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(3) राज्य सरकार किसी ऐसे सदस्य को जिसके सम्बन्ध में, इस धारा के अधीन कोइ कार्यवाही अनुध्यात हो, उसके पद से निलम्बित कर सकती है।

सहयुक्त करने की शक्ति

7—आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो धारा 30 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहे।

आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य न होगी

8—आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि—

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है ; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका सार पर कोई प्रभाव न पड़े।

आयोग का कर्मचारीवर्ग

9—(1) आयोग के सचिव को राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धन और शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जैसी राज्य सरकार अवधारित करे।

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिये आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें आयोग उचित समझे, नियुक्त कर सकता है।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणीकरण

10—आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव, या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय—तीन

आयोग के कृत्य

शक्तियां और कर्तव्य

11—(1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्—

(क) महाविद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना ;

(ख) ऐसे अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये जहां आवश्यक समझा जाय परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार लेना और अभ्यर्थियों का चयन करना ;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना ;

(घ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रबन्धतंत्र को सिफारिश करना ;

(ङ) महाविद्यालयों से अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और उनमें अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति, हटाये जाने से सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के सम्बन्ध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं प्राप्त करना ;

(च) विशेषज्ञों और परीक्षकों की उपलब्धियां, यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना ;

(छ) आयोग को सौंपी गयी निधि का प्रबन्ध करना ;

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जायं या जो उपर्युक्त कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आनुषंगिक या साधक हों।

प्रबन्धतंत्र केवल आयोग की सिफारिश पर ही नियुक्तियां करेगा।

12—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में या उसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली में किसी बात के होते हुए, भी प्रबन्धतंत्र द्वारा किसी अध्यापक की नियुक्ति केवल आयोग की सिफारिश पर ही की जायगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक की नियुक्ति के प्रयोजन के लिये प्रबन्धतंत्र रिक्ति की सूचना आयोग को देगा।

(3) किसी महाविद्यालय में विद्यमान या सम्भाव्य रिक्तियों की सिफारिश प्राप्त विशिष्टयां सूचित करने की रीति और उपधारा (1) के अधीन आयोग की सिफारिश करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(4) इस धारा के उपबन्ध किसी ऐसे अध्यापक की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे जिससे सम्बन्धित रिक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 31 की उपधारा (10) के अनुसार विज्ञापित कर दी गयी हो।

(5) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में की गयी प्रत्येक नियुक्ति शून्य होगी।

आयोग की सिफारि

13—(1) आयोग, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रिक्ति की सूचना के पश्चात् यथा शीघ्र, अभ्यर्थियों की, जहाँ आवश्यक समझा जाय, परीक्षा या उनका साक्षात्कार आयोजित करेगा और अध्यापक के प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए दो से अनधिक अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करेगा। ऐसे नाम अधिमान-क्रम में रखें जायेंगे।

(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे या जहाँ वे नियुक्ति के लिये अन्यथा अनुपलब्ध हो, वहाँ आयोग, प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर उक्त उपधारा के अधीन आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर उपयुक्त पाये गये दो तक और व्यक्तियों के नाम की सिफारिश कर सकता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आयोग की प्रत्येक सिफारिश ऐसी सिफारिश के दिनाँक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

नियुक्ति करने का कर्तव्य

14—(1)—प्रबन्धतंत्र, धारा 13 के अधीन आयोग की सिफारिश की प्राप्ति के दिनाँक से एक मास की अवधि के भीतर उस अभ्यर्थी को जिसका नाम अधिमान-क्रम में सबसे ऊपर हो, नियुक्ति-पत्र जारी करेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमति समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसके लिये प्रबन्धतंत्र इस निमित्त अनुज्ञा दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे या जहाँ ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा अनुपलब्ध हो, वहाँ प्रबन्धतंत्र युक्तियुक्त अवधि के भीतर आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अपने अभ्यर्थी को नियुक्ति-पत्र जारी करेगा।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति

15—(1) जहाँ प्रबन्धतंत्र ने धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार आयोग को किसी रिक्त की सूचना दी हो, और आयोग ऐसी सूचना के दिनाँक से तीन मास के भीतर उक्त धारा की उपधारा (1) के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम की सिफारिश करने में विफल रहता है, वहा प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक पद के लिये विहित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से किसी की पूर्णतया तदर्थ आधार पर अध्यापक नियुक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी तदर्थ अध्यापक की नियुक्ति निम्नलिखित में से पूर्वतम दिनाँक को समाप्त हो जायगी, अर्थात्—

(क) जब आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अभ्यर्थी पद का कार्य भार ग्रहण कर ले,

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की सिफारिश की प्राप्ति के दिनाँक से दो मास की अवधि समाप्त हो जाय,

(ग) ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनाँक से ठीक पश्चात्वर्ती तीस जून।

सूचना मांगने की शक्ति

16—आयोग किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से धारा 11 में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसी वह उचित समझे, और प्रबन्धतंत्र उसका अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

अभिलेख, रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

17—प्रबन्धतंत्र के कब्जे में विद्यमान प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहुंच में होंगे और वह किसी युक्तियुक्त समय पर किसी परिसर में जहाँ उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज होगा, प्रवेश कर सकता है, और संगत अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपियाँ ले सकता है।

अध्याय—चार

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

आयोग को धन राशि संदत्त करना

18—राज्य सरकार, विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात्, आयोग को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जैसी इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक समझी जाय।

आयोग की निधि

19—(1) आयोग की अपनी निधि होगी और राज्य सरकार द्वारा उसे संदत्त समस्त धनराशि और आयोग की समस्त प्राप्तियाँ उस निधि में जमा की जायेंगी और आयोग द्वारा सभी भुगतान उसी निधि से किये जायेंगे।

(2) उस निधि का सभी धन ऐसे बैंकों में जमा, या ऐसी रीति से विनिहित, किया जायगा जैसा आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये विनिश्चित करे।

(3) आयोग ऐसी धनराशियाँ व्यय कर सकता है जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के लिये उचित समझे, और ऐसी धनराशियों को आयोग की निधि से देय व्यय माना जायगा।

वार्षिक रिपोर्ट

20—आयोग, प्रतिवर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्य-कलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायगा और उसकी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी, और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

21—(1) आयोग अपने लेखे के सम्बन्ध में, ऐसी लेखा बहियाँ और अन्य बहियाँ ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, रखवायेगा।

(2) आयोग, अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशीघ्र, लेखा-विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिए महालेखाकार को ऐसे दिनाँक तक अग्रसारित करगा जैसा राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे।

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रसारित की जायगी और सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय—पाँच

प्रकीर्ण

प्रक्रियायोजन

22—आयोग धारा 30 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा, अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अधीक्षण और उसके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है जिसके अन्तर्गत कार्यालय के अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में किये गय व्यय से संबंधित शक्ति भी है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को छूट

23—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय (जिसके प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार हो) का प्रबन्धतंत्र आयोग के और संबंधित विश्वविद्यालय के, केवल अनुमोदन के अधीन रहते हुये किसी अध्यापक को नियुक्त, पदच्युत, हटाने, उसकी सेवा समाप्त करने या उसे पंक्तिच्युत करने का हकदार होगा।

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये दंड।

24—कोई व्यक्ति जो आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुपालन करने में विफल रहे या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक को नियुक्त करे, दोष-सिद्धि होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से जो पाँच हजार रुपया तक हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा।

सूचना प्रस्तुत करने मे असफल रहने या जानबूझ कर बाधा पहुँचाने के लिये दंड

25—यदि कोई व्यक्ति—

(क) जान बूझकर आयोग द्वारा विधिपूर्वक अपेक्षित कोई विवरणी या सूचना रोक रखता है या उसके लिये अनुज्ञेय समय के भीतर प्रस्तुत करने म विफल रहता है; या

(ख) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी या किसी उपबन्ध को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करनें में जान बूझकर बाधा पहुंचाता है, दोष सिद्धि होने पर, एसी अवधि के लिये कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से जो एक हजार रुपया तक हो सकता है या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

सोसाइटी द्वारा अपराध

26—(1) यदि धारा 24 या धारा 25 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो तो सोसाइटी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसकें विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उस ने ऐसे अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस सोसायटी के किसी सदस्य की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या ऐसा अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, वहाँ ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

अभियोजन का वर्जन

27—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये कोई अभियोजन राज्य सरकार की या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायगा ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

28—किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

29—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

विनियम बनाने की शक्ति

30—(1) आयोग, चयन के आयोजन, जहाँ आवश्यक हो परीक्षाओं के संचालन और साक्षात्कार के आयोजन के लिये, फीस विहित करने के लिये, और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये, राज्य सरकार पूर्वान्मोदन से, विनियम बना सकता है ।

(2) उप धारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या धारा 31 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति

31—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 31, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह ह कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1979 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा सदस्य, श्री खान मोहम्मद आतिफ खां के साथ पासपोर्ट कार्यालय के कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही की सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, आज सुबह यह आज्ञा आपने दी थी कि खान मोहम्मद आतिफ खां के साथ रीजनल पासपोर्ट आफिस में जो दुर्व्यवहार हुआ था उस सम्बन्ध मेंजो भी सूचना एकत्रित की जा सके उसे मैं आज सदन में उपलब्ध करा दूं। उसके अनुसार मुझे कई चीजें मालूम हुई हैं। एक तो यह कि वहां जो अधिकारी हैं उनका नाम श्री जलूरिया है। उनके बारे में केवल खान मोहम्मद की ही शिकायत नहीं है अन्य लोगों के द्वारा भी एसी शिकायतें आई हैं और मुझे यह भी पता चला ह कि थाने में भी किसी ने रिपोर्ट की ह, किसी पत्रकार ने भी केन्द्रीय सरकार को लिखा है। केन्द्रीय सरकार के जो विशष सचिव हैं उनको इन सब चीजों के बारे में एक लिखित सूचना भेजी जा रही ह। उनसे बातचीत हो गयी है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद आतिफ साहब ने जो लिखित शिकायत भेजी ह और जो सरकार की सूचना है वह उनके पास भजी जाय ताकि वह उस पर उचित कार्यवाही कर सकें। यह सूचना मुझे सदन को देनी थी जो दे दी।

प्रदेश के कतिपय जिलों में सूखे एवं अन्य दैवी आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तगत चर्चा—(क्रमागत)†.

श्री उपाध्यक्ष—

सूखे के सम्बन्ध में काफी सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने जिले की ही बात कहें और 5 मिनट से अधिक समय न लें।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, आज सामान्य रूप से देश और प्रदेश की स्थिति क्या है इससे सदन में बैठे हुए सम्मानित सदस्य अवगत हैं कि प्रदेश सूखाग्रस्त ह और जब आज इस पर चर्चा करने बैठे हैं तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या मंशा है उस पर भी सन्देह है। सूखे के बारे में चर्चा करते समय इस सरकार के स्वरूप को देखना पड़ेगा। मान्यवर, सरकार इस देश की जनता के जन जीवन के लिये और किसानों के लिये कितनी व्यग्र है उसके बारे में जानकारी

---

†30 अगस्त, 1979 की कार्यवाही से।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मण कुमार]

करनी पड़ेगी। सूखे की स्थिति उत्पन्न होने के पहले प्रदेश की सरकार ने ऐसी कोई पूर्व सूचना कि आने वाले दिनों में सूखे का संकट प्रदेश में सामान्य रुप से व्याप्त होने जा रहा है इसके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी और वह एक दम से मूक थी जिससे उसकी नीयत स्पष्ट हो जाती है। धीरेन्द्र सहाय जी ने आज इसकी भी सूचना दी कि प्रदेश में नलकूपों की स्थिति किस तरह से बिगड़ रही है? जौनपुर जिले में तो काफी समय से कोई भी नलकूप कार्यरत नहीं है। वहां या तो लाइन खराब है या नलकूप की नालियां खराब हैं। वहां नलकूपों की जो दुर्व्यवस्था है उनके बारे में मंत्री जी द्वारा दी गयी सूचना से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गयी। जिस दिन शासन में आये, दैवी प्रकोप प्रारम्भ हुआ, फिर भी सत्ता में वह विद्यमान हैं। मान्यवर, प्रकृति की नीयत अपने आप बदल जाया करती है। शासन में बैठे हुये लोगों की स्थिति को देखकर यह स्वीकार किया जा सकता है कि आज प्रदेश के अन्दर एक संकट उत्पन्न हुआ है जिसके भागीदार शासन में बैठे लोग हैं। पहले जब इस प्रदेश का प्रधान मंत्री हुआ था तो साल भर तक वर्षा नहीं हुई थी और आज भी वही हालत है कि वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है। मान्यवर, यह सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है, अपने को कायम रखने में सारा समय नष्ट कर रही है और अपने आप को इसी में व्यस्त पा रही है। जब सूखे की स्थिति यहां पर जन्म ले रही थी उस समय यहां राजनीतिक दांव-पेंच चल रहे थे। किसानों की भलाई की ओर किसी का दिल और दिमाग नहीं जा रहा था।

आज शासन घोषणा कर रहा है कि हम महानगरियों की बिजली में कटौती कर रहे हैं। यदि इस सरकार का किसानों के प्रति जरा भी मोह होता, थोड़ा भी यह सरकार और इसके लोग अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते, तो उन्हें इस स्थिति का आभास पहले हो सकता था कि प्रदेश में सूखे की स्थिति होने वाली है। पहले ही बिजली की कटौती करके इस स्थिति को सम्भाला जा सकता था। धान की रोपाई हो सकती थी और जो धान उग आया है, वह सूख नहीं सकता था। आज बिजली की कमी की वजह से नलकूप बन्द पड़ हैं। ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल अकर्मण्यता हो गयी है और इसमें बुद्धि तथा विवेक नहीं रह गया है। इसलिये मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि सरकार इसका स्थायी रुप से हल निकाले। हम समझते हैं कि जिस प्रकार पिछला शासन चल रहा था उसी तरह से यह शासन भी चल रहा है। यह पिछले शासन की ही देन है। कांग्रेस रिजीम में जो कुछ हुआ था उसका दुरुपयोग आज इस शासन ने किया है। आगे चलकर इसका क्या होगा वह इस देश और प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से मालूम है। सूखे की इस स्थिति में जो भी अनुदान क्षतिपूर्ति के नाम पर सरकार ने किसानों को दिया है वह बहुत कम है। साथ ही साथ आज असेम्बली का आखिरी दिन है, यह बन्द होन जा रही है इसलिये आज सरकार को अधिक अनुदान का एलान करना चाहिए। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनदान दिया गया है उसके उचित बंटवारे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जो भी तकावी या माल गुजारी सरकार किसानों से वसूल करे, उसकी मुल्तवी के तरन्त आदेश दे।

(व्यवधान)

(श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मेरा नाम पहले है, आप मुझे मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक समय में एक ही माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसूफ (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आज प्रदेश सूखे की चपेट में है। हमारे जिले की 7 तहसीलें सूखे से प्रभावित हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में जहां गाड़ियां और साइकिलें नहीं जा सकती थीं आज वहां गाड़ियां और जीपें जा रही हैं। जड़हन की खेती की रोपायी नहीं हुई है धान पीला पड़ गया है और पूरे जिले में मुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। मान्यवर, बाढ़ जब आती थी तो हफ्ते 10 दिन में हम उससे निपट लेते थे लेकिन इस सूखे से तो 9 महीने निपटना पड़ेगा जब तक कि गेहूं की फसल तैयार नहीं हो जायेगी। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि तमाम जिलों में युद्धस्तर पर सड़कों का काम कराया जाय फूड फार वर्क के द्वारा तुरन्त काम शुरू किये जायं इसके लिए समिति का गठन किया जाय जिससे लोगों को जन जीवन को राहत पहुंच सके।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि आज डीजल और किरोसीन आयल के भाव बढ़ रहे हैं इसके लिए जगह-जगह पर सतर्कता बरती जाय, छापे मारे जायें और गिरफ्तारियां की जायं ताकि इसमें भ्रष्टाचार न हो सके नहीं तो जैसे-जैसे सूखा बढ़ता जायेगा वसे-वैसे इसके भाव बढ़ते जायेंगे, और सरकार के प्रति जनता की निष्ठा कम हो जायेगी।

ट्यूबवेलों की हालत खराब है उनको ठीक कराया जाय। सरकारी ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं उनको चलाने की कार्यवाही तत्काल की जाय। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं कि हर आदमी को इस मामले में सतर्क होना चाहिये और मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने मंत्रि-परिषद् के सदस्यों से कहें कि हफ्ते पंद्रह दिन का दौरा उन क्षेत्रों का करें जहां सूखा पड़ा हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधान सभा में, जो आज सूखे का वातावरण है उस पर, चर्चा करने का मौका दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, यह सरकार जो अपने को बड़ा उदार कहती है, किसानों, पीड़ित वर्ग और मुसलमानों का वफादार कहती है, मैं उस पर खुला आरोप लगाता हूं कि उसने इस सूखे पर चर्चा नहीं की इस पर एक दिन पूरी चर्चा होनी चाहिये थी। यही नहीं इसी लखनऊ में नगर में चिराग तले अंधेरा है, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री श्री बोस यहां नहीं है वह स्वयं काकोरी गये थे वहां हरिजनों के कुओं में पीने को पानी नहीं है। हरिजनों के लिए कुयें बनाने का प्रस्ताव किया गया था उनको अभी तक नहीं बनाया गया है। यही नहीं नलकूप आज कहां चले गये हैं। मैं माननीय मुलायम सिंह जी से कहता था कि श्री हीरालाल यादव को कोआपरेटिव सोसायटी के चेयरमैन पद से हटाओ.....

श्री उपाध्यक्ष—

क्या यह सूखे पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह आजाद—

आज नलकूप सूख गये हैं जो सरकार के नलकूप हैं वह सूख गये हैं। मुख्य मंत्री जी मेरे साथ चलें जसे ग्राम्य विकास मंत्री गये थे। वहां कम से कम 20 नलकूपों में दो साल से बिजली का कनेक्सन नहीं दिया गया है। यही नहीं जो सरकारी नलकूप बनाये गये उनके लिये किसानों की कुर्की आई है। उनको कनेक्सन नहीं दिया गया। आज नहरों में पानी नहीं है। गरीब और पिछड़े लोग आज तरस रहे हैं। आज यह सरकार सोचे कि उसन गरीबों को क्या राहत पहुंचाई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मानसिंह आजाद]

है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप 12 घंटे बिजली देने की बात कहते हो हमारे साथ क्रांति कुमार गये थे उनके सामने हजारों गरीब प्यासे तड़प रहे थे। आज बिजली नहीं आ रही है। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री आज कहते हैं कि किसान का बेटा बना है लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। रेवती रमण सिंह जी बैठे हैं मेरे इलाके में आप गये हैं वहां क्या हालत है ? मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब श्री सुखपाल पाण्डेय बोलेंगे लेकिन केवल तीन मिनट में.....

(व्यवधान)

एक-एक जिले के एक-एक आदमी को मौका दूंगा।

*श्री सुखपाल पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बस्ती जिले की सूखाग्रस्त सम्बन्धी समस्याओं पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। 15 से 20 जून के मध्य हमेशा बरसा होती थी, लेकिन इस बार आज तक पानी नहीं बरसा जिसके कारण सारे जिले में सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मैंने इस संबंध में सरकार के आंकड़े देखे तो उन्हें देख कर चकित रह गया। बस्ती जिले में केवल 22 करोड़ रुपये का नुकसान दिखाया गया है, जो नितान्त गलत है। यह सरकार विरोधी अधिकारी हैं, जो फर्जी आंकड़े भेज कर जनता के दुखदर्द के साथ खिलवाड़ कर रहे ह। मेरे जिले में एक अरब रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उसके बाद भी आपकी वसूली जारी है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि सूखे का मुकाबला युद्ध स्तर पर हो रहा ह, लेकिन मैं मसमझता हूं कि केवल वसूली ही युद्ध-स्तर पर हो रही है। आपने सवा 3 एकड़, सवा 6 एकड़ और सवा बारह एकड़ के लिए भिन्न-भिन्न आदेश दिये हैं। आज सारे ट्यूबवेल्स खराब ह और किसान पानी के लिए तड़प रहा ह और अधिकारी लोग कभी जीप लेकर दौड़ा कर जाते हैं और कभी नहीं जाते हैं। सिनेमा के लिए चले जाते हैं। मैं सिंचाई मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनके कितने अधिकारियों ने हेडक्वार्टर छोड़कर कहीं अन्यत्र रात्रि निवास किया है? आज बड़ी खराब दशा है, किसान तड़प तड़प कर रो रहा है, उसका कोई पुर्साहाल नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो सूखे के फर्जी आंकड़े भेजे गये हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मेरे जिले में 90 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एक हिस्से में बाढ़ आ गई और एक हिस्से में भयंकर सूखा पड़ गया, पूरा जिला सर्वनाश को पहुंच गया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नालियों व नलकूपों को ठीक कराने की, बिजली-सप्लाई की व्यवस्था ठीक कराने के आपको पूरे उपाय करने चाहिए। मैं विद्युत मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह हमको बिजली ठीक ढंग से दें। जिनके पास जनरेटर्स हैं उनको बिजली मिल रही है, लेकिन किसानों को पूरे समय बिजली नहीं मिलती है, इसकी व्यवस्था हो। जो सूखा पीड़ित क्षेत्र है, वहां के छात्रों की फीस पूरी तरह से माफ होनी चाहिए। वहां का लगान आप स्थगित कर दें। लगान आपको माफ करने की घोषणा करनी चाहिए, लेकिन इन अधिकारियों के आंकड़ों पर यदि आप निर्भर करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाये। हमको जनता के बीच जाना है, वह हमको समय पर उचित जबाव देगी जब हम उनके बीच में वोट मांगने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाएंगे। आप बेरोजगारों के लिए काम की व्यवस्था करें। हर प्रकार की वसूली को स्थगित किया जाए। उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान तुरन्त किया जाए और उनके लिए सरकार तुरन्त आदेश दे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय प्रदेश का तीन चौथाई भाग सूखे से पीड़ित है। जहां सारी बातें है वहां पर यह भी है कि जनता पार्टी के अन्दर की लड़ाई भी इस सूखे का एक कारण है। आप देखें कि जो सूखे की ओर हमारी मौजूदा सरकार का ध्यान गया है, राहत देना चाहती है, आप देखे कि यह भादों का महीना चल रहा है, बरसात समाप्त हो गयी है। अब इससे विशेष लाभ होने वाला नहीं ह। आपको चाहिए कि रबी की फसल के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाये। अंग्रेजों के जमाने में कुछ ही हिस्से की सिंचाई हो पाती थी और आज उससे 200 गुना ज्यादा रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है लेकिन सिंचाई उतनी नहीं हो रही है।

आज हम देखते हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक नलकूप बेकार पड़े हुए हैं, वहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यही पर एक दूसरी बात है जिसकी चर्चा किये बिना नहीं रहा जा सकता ह वह महंगाई ह। आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी है। चावल जो 2 रुपये में मिलता था वह 2.75 रु0 में हो गया है। चुनाव आने वाले हैं।

डेढ़ सौ करोड़ रुपये लगाकर रिहन्द बांध बनाया गया था जिससे उत्तर प्रदेश को बिजली मिल सके। लेकिन जो बिजली उपलब्ध है उसका 2/3 भाग भी नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बनायी जाय जो इन सारी बातों की जांच कर और उन पर विचार करे। मैं तो कहता हूं कि सिंचाई विभाग भी सूखे के साथ ही फेल हो गया है। मैं अपने जिले में गया था। फैजाबाद जिले को सूखाग्रस्त जिला नहीं घोषित किया गया है। मैं अपने क्षेत्र के दो ब्लाकों में गया था। वहां पर एक भी खेत ऐसा नहीं जो सूख न गया हो। किसान परेशान हो उठा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सूखे की लपेट में है। जो थोड़ी सी वर्षा हुई थी और जो निजी नलकूपों के माध्यम से धान की रोपाई की गयी थी वह फसल सूखती नजर आ रही है। किसान जब उसको देखता है तो उसका दिल मसोस उठता है। आज उसके परिवार के लोग, बच्च परेशान हैं। उसको अब इस बात की चिन्ता हो गयी है कि उसके परिवार को अन्न मिल पायेगा या नहीं, उसके बच्चों की फीस जमा हो पावेगी या नहीं महिलाओं को वस्त्र मिल पायेगा या नहीं? आज किसानों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

आज इस प्रदेश का किसान निराशा और हताश की जिन्दगी जी रहा है। विद्युत विभाग ने भी धांधली मचा रखी है। कई दिनों पहले यहां पर सदन में हमारे राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि गांवों में केवल 2–4 मिनट के लिए ही बिजली जाती है।

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम जी]

अगर हमारी सरकार सूखे का मुकाबला करना चाहती है तो जब तक विद्युत विभाग और सिचाइ विभाग, दोनों, सही नीति से और खुले दिमाग से सूखे का मुकाबला करने केलिए काम नहीं करेंगे तो शासन की नीतियां फेल हो जायेंगी। प्रदेश की जनता भूखों मर जायेंगी। आपने बड़े-बड़े पूंजीपतियों को और उद्योगों को जो कुछ दिन पहले ही बिजली के कनेक्शन दिये हैं जैसे हिन्डालको को, कनोड़िया को बिजली दी, किसानों की बिजली काट कर, जिसने उनको सूखे की चपेट में डाल दिया। मेरी प्रार्थना है कि भगवान के नाम से पूंजीपतियों से बिजली वापस लेकर किसानों को दी जाये ताकि वे अपने खेतों की सिचाई कर सकें।

इसके अतिरिक्त खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनायी जा रही हैं, सूखे का मुकाबला करने के लिए अगर उनके लिए 16 फीट जमीन ही उपलब्ध हो सके तो उस पर सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाय ताकि वहां के भूखे लोगों को कुछ सहायता मिल सके और वे अपना पेट पाल सकें।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आज हमारे प्रदेश में सूखे की विषम स्थिति है। इसके बारे में सदन में चर्चा चल रही है।

कुंवर तेज भान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अबकी बार मैं अवश्य बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कुंवर साहब, अगर इस तरह से आप कहेंगे कि मैं जरूर बोलूंगा तो समय नहीं मिलेगा।

*श्री श्रीराम द्विवेदी—

मान्यवर, हमारे फैजाबाद के अधिकारियों ने अब तक भी वहां के सूखे की स्थिति के बारे में शासन को अवगत नहीं कराया। मुझे इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हमारे जिले में फसल का 80 फीसदी नुकसान हो गया है और खरीफ की रोपाई 20-25 फीसदी से भी कम हुयी है। आज जो स्थिति हमारे जिले की है उसके लिए सरकार और हम सब चिन्तित हैं लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस सम्बन्ध में जो हमें रिपोर्ट मिली उसको देखने के उपरान्त ज्ञात हुआ है कि फैजाबाद का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। मेरी प्रार्थना ह कि फैजाबाद को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

बिजली के बारे में भी यहां पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। यहां पर बयान दिया जाता है कि बिजली 12 घंटे दी जा रही है, 6 घन्टे बिजली दी जा रही है लेकिन हमारे क्षेत्र में कई हफ्तों से वह गायब है। हमारे यहां पर किसानों के खेत सूख रहे है, वहां पर बिजली नगण्य मात्रा में ही जाती है। मैं चाहूंगा कि कम से कम बिजली 12 घंट के लिए जो कि बिजली देने की मिनिमम गारन्टी है, उतनी देर बिजली जारी रखी जाय।

मैंने पहले भी यहां पर एक बात कही थी और आज भी कहता हूं कि जिन किसानों की फसल सूखे से और बाढ़ में बरबाद हो जाती है उनकी फसलों पर बीमा योजना लागू करनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। इसके बारे में शासन ने आश्वासन भी दिया था कि आने वाले वर्ष में फसलों की बीमा योजना लागू की जायगी लेकिन नहीं हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि फैजाबाद जिले को भी अभावग्रस्त घोषित किया जाय और वहां पर राहत कार्य चालू किये जाने चाहिए।

*श्री विक्रमाराय (जिला आजमगढ़)—

आज पूरा प्रदेश मान्यवर, सूखे से पीड़ित है। आज वही देखने में आ रहा है जैसे कि एक डाक्टर सुबह उठ कर पूरे समाज को रोगी के रूप में देखना चाहता है, एक वकील जब समाज में क्राइम्स बढ़ते हैं तो उसे देख कर खुश होता है, उसी तरह जब देश और प्रदेश पर अकाल की छाया मंडराती है, दैवी आपदा आती है, बाढ़ और सूखा आता है, तो यह व्यापारी वर्ग उसका फायदा उठाते हैं। पूंजीपतियों के लिये यह सब बरदान सिद्ध होता है। राजनीति के सौदागर भी ऐसी विपदा के समय इसको राजनैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। आज प्रदेश के अन्दर जो यह सूखे की घड़ी आयी है, यह विरोध पक्ष जो कल तक सत्ता पक्ष में था, (व्यवधान) आज कुछ लोग उसका राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं। (व्यवधान) पारसाल बाढ़ के समय जो केन्द्रीय सहायता मिली थी वह आज तक बाढ़पीड़ितों को नहीं मिल पायी है। करोड़ों रुपया सरकार के खजाने में पड़ा है। इसके लिये कौन उत्तरदायी है? जिस समय प्रदेश पर अकाल की छाया पड़ेगी और उसके लिये केन्द्र से सहायता मिलेगी, आपके अधिकारी ही उसे खा जायेंगे। मैं कहता हूं कि यह प्रश्न आज किसी दल का या किसी पार्टी का नहीं है (व्यवधान) इस पर सब को विचार करना चाहिये। कहा गया कि जब किसान का बेटा प्रधान मंत्री की गद्दी पर बैठता है तो सूखा पड़ता है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी तांत्रिक को उस गद्दी पर बिठा दिया जाये जो बारिश करा दे? (व्यवधान) दोस्तो, यह बड़ा गम्भीर मसला है, इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ आपको विचार करना होगा। (व्यवधान) इस भयंकर अकाल की छाया से अगर प्रदेश को बचाना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि इस पर विचार करने के लिये एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाये जो जिला स्तर पर इसको देखे.....

(शोर—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त।

श्री विक्रमा राय—

आपको हर तरफ से बिजली काट कर गांवों को देना चाहिये.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, अब यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये और इसी बीच व्यवधान के बीच श्री उपाध्यक्ष मना करने पर भी श्री विक्रमाराय बोलते रहे जो शोर गुल में सुनायी नहीं दिया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर गप्त (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बिक्रमाराय जी की इस राय से सहमत हूं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जिस समय मैं लाल बत्ती दिखाऊं माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण बंद कर दें और बैठ जायं क्योंकि समय कम है, 7 बजा है और काफी माननीय सदस्य अभी बोलना चाहते हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय विक्रमाराय जी की इस बात से सहमत हूं कि इस सूखे के प्रश्न को राजनैतिक प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि एक सर्वदलीय समिति मुख्य मंत्री जी बनायें जो इस सूखे को बचाने के लिए एक क्रियात्मक सुझाव दें। मैं राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूंकि उन्होंने सूखे की स्थिति को देखते हुए राजस्व वसूलियों के स्थगन के संबंध में कुछ आदेश दिये लेकिन वह आदेश अधूरे हैं। जैसे उन्होंने 3 1/8 एकड़ भूमि पर लगान की माफी दियाहै और कहा है कि बड़े कृषकों की वसूली में दो किस्तें कर दी जायें। आज जो इस प्रदेश की भयावह स्थिति है उसे मुख्य मंत्री जी स्वीकार करें कि कम से कम आने वाली रबी की फसल तक यह वसूली स्थगित कर दी जाय।

मान्यवर, मैं अपने जिले के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले के अधिकांश 306 गांव में 225 8एकड़ भूमि में इस खरीफ की फसल में बोआई नहीं हो सकी, केवल रबी की फसल होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 फीसदी रबी की फसल होती है। पिछले वर्ष जहां 15 हजार एकड़ में सिंचाई हुई थी, इस वर्ष केवल 3 हजार 79 हेक्टियर भूमि में सिंचाई हो सकी। नहरों में पानी नहीं। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि केवल एकमात्र सिंचाई का साधन बचा है, ट्यूबवेल। 406 गैर-सरकारी ट्यूबवेल में से 23 ट्यूबवेल ऐसे ह जो बन्द पड़े हैं जिनमें बिजली नहीं है। ये 23 के 23 ट्यूबवेल तैयार खड़े हैं, परन्तु उनमें बिजली नहीं है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उनको बिजली दी जाय। वहां पर 8 हजार, 9 हजार के करीब ट्रैक्टर हैं।

आपने हमारे यहां केवल 300 किलोलीटर का कोटा दे रखा है, 700 किलो लीटर की आवश्यकता है। जालौन जिले के लिए 8 हजार, 9 हजार किलो लीटर डीजल का कोटा माननीय मुख्य मंत्री जी बढ़ायें। आज केवल पम्प नहर और वे कुएं जो पम्प से चलते हैं, उनके लिए आपके जिलाधिकारी ने केवल 25 लीटर डीजल दिया है, जो आने और जाने से ही समाप्त हो जाता है, तो सिंचाई कैसे हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 300 किलो लीटर से बढ़ा कर जालौन जिले में 700 किलो लीटर कर दिया जाय। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जालौन जिले में वहां की परिस्थितियों को देखते हुए सारी कटौती कम करके 600 मेगावाट बिजली दी जाय, तभी हमारी बिजली की समस्या हल हो सकती ह।

(व्यवधान)

*कुंवर तेजभान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारा पूरा क्षेत्र सूखे से पीड़ित है। मेरी आंख में तकलीफ है, मैं वहां पर नहीं पहुंच सका। आज जो हम लोगों का दैनिक भत्ता 15

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपये से 30 रुपये कर दिया गया है, इसको अमल में लाने के लिए, जब तक इस प्रदेश की हालत ठीक न हो, तब तक हम लोग 15 रुपये से अधिक न लें। चुनाव आ रहा है, जनता भूखों मर रही है, आज मजदूरों को 5 रु0 रोजाना मजदूरी दी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह विषय समाप्त हो गया। सूखे पर कुछ कहिये।

कुंवर तेजभान सिंह--

एक साल बाद यह लिया जाय जब हालत अच्छी हो। दूसरी बात जनता की इस मुसीबत को दूर करने के लिए। जब तक आप अपने हर जिलों में शुद्ध प्रशासन चलाने की व्यवस्था नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकेगा। आज क्या हालत है, बाढ़-पीड़ितों के लिए जो भी सहायता दी गयी उसका सदुपयोग नहीं हो सका। सरकारी अफसरों का काम है सरकार को गिराना, बदनाम करना, वह चाहते हैं कि जनता भाड़ में जाय, उनको तो अपना उल्लू सीधा करना है। आपको जो 30 रुपया दिया जा रहा है, हम लोगों ने पास किया है, इससे जनता की निगाह में हम गिर जायेंगे। हमारी घोषणा होनी चाहिए कि जब तक जनता की हालत नहीं सुधरेगी, इसको नहीं लेंगे.....

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करिये।

कुंवर तेजभान सिंह--

दूसरी बात यह है....

श्री उपाध्यक्ष---

अब बैठिये कृपया।

कुंवर तेजभान सिंह--

आज किसानों को सिंचाई के विषय में, नहरों का काटना, बड़े-बड़े लोगों से मिल कर नहरें चुपके से कटवा लेते हैं....

श्री उपाध्यक्ष---

कुंवर साहब, अब आप बैठ जाइये।

कुंवर तेजभान सिंह--

जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा है। नहरें चलती रहें वे रोकी न जायें, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, पुलिस दोनों पक्षों को बन्द कर देती है, ये सब झगड़े नहर के पानी के विषय में हो रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठ जाइये वरना मुझे निर्देश देना पड़ेगा कि जो आप बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा।

कुंवर तेजभान सिंह--

मान्यवर, गांवों में सांप बहुत मिलते हैं। कितनी कठिनाई होती है। किसान खेत में पानी लगा रहा था, सांप ने काट लिया। बिजली मिलनी चाहिए दिन में, रात में बिजली दी जाती है, रात मे, यह व्यवस्था सिंचाई के लिए होनी चाहिए.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें थक गये हैं।

(शोर)

*श्री खान गुफरान जाहिदा (जिला फतेहपुर)—

दो बड़ी नदियों के बावजूद वहां की 80 फीसदी फसल तबाह और बरबाद नजर आती है। बरसात, सलाब, आग और पानी यह कुदरती आफत है, जब कभी आती ह, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं. . . .

(श्री मानसिंह आजाद के कुछ कहने पर।)

मान सिंह जी, आपके मलिहाबादी आम नहीं हैं, तशरीफ रखिये मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो कुदरती आपत्तियां हैं यह हम सब के लिये उसी तरह से हैं जैसे कि बाहरी मुल्क हम पर हमला करता है। हम सबको एक जुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिये। किसानों के लिये, मजदूरों के लिये सब के लिये परेशानी की बात आ गयी है। सूखा एक सवाल नहीं ह इससे कई संकट उत्पन्न होते हैं। बिजली बनाने के लिये पानी नहीं होगा जब पानी नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। अभी राम जी ने एक बात कहीं कि हिन्डालकों की 45 मेगावाट जो बिजली है उसको बढ़ा दिया गया है, अगर हम उनको बिजली नहीं देते हैं तो वह हमकों एल्यूमिनियम नहीं देंगे, तो हम ट्यूबवेल में क्या सप्लाई करेंगे ?

(शोर)

(एक सदस्य के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

अग्रवाल साहब आप न बोलें. . . .

(शोर)

इसलिये मैं कहता हूं कि जब जंग होता है तब भी कुछ लोग मुल्क के खिलाफ काम करते हैं। पैदावार हो रही है फिर भी अनाज की कमी है, चीजों की कमी है, लोग अपने अपने गोदाम मे दबाये हुये हैं। मैं हुकूमत से कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मजदूरों में, किसानों में सप्लाई के लिये सस्ती गल्ले की दुकानें खोलें। जो चीजे बन्द रखने का काम करते हैं, अनाज स्टोर करते हैं, समाज का दमन करते है, उनको फांसी पर लटका देना चाहिये, उनके नुमाइन्दों को पहले फांसी पर लटका देना चाहिये।

(शोर)

मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को देना चाहूंगा। मान्यवर, कानपुर से जो नहर निकलती है, फतेहपुर को जाती है। उसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि पानी उसमें पहुंचे।

(शोर)

समाज विरोधी अनासिर जी हैं, जो अव्यवस्था से फायदा उठाना चाहते है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करना चाहिये।

*श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

मान्यवर, मेरे सामने दो बातें प्रदेश में मुख्य रूप से चल रही हैं। एक तो सारा प्रदेश भयंकर सूखे से त्रस्त है, दूसरे कमर तोड़ मंहगाई बढ़ती चली जा रही है। सूखे से निपटने के लिये कुछ सुझाव मेरे सामन आये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घण्टे बिजली दी जाये। मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एमरजेन्सी के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली न काटी जाये। आज जो स्थिति है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घण्टे बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दी जा रही है। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल दो घण्टे सही मानों में बिजली दी जा रही है। इसलिये आवश्यकता है इसके बढ़ाने की। यदि हम कोई कारगर योजना बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि कम से कम 16 घण्टे बिजली दी जाय।

दूसरी समस्या भयंकर मंहगाई की है। बड़े ताज्जुब की बात है कि गेहूं के भण्डार भरे पड़े हैं फिर भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। खाद्य मंत्री ने कहा था कि इतना गेहूं खरीद लिया है, चावल खरीद लिया है कि भण्डार भर गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो हफ्ते की अवधि में सस्ते गल्ले की दूकाने खोली जायें, सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाय। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि सूखे से निपटने के लिये एक कमेटी बनाई जाय। अभी इस प्रकार की कमेटी के गठन का हमारे मुख्य मंत्री जी ने या किसी मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है। वहाँ पर एक कमेटी बनायी जाय जो कहाँ-कहाँ पर स्थिति कैसी है उसका अध्ययन करे और सूखे की स्थिति से निपटने के लिये प्रयास करे। सूखा एक पार्टी का मसला नहीं है इससे मैं सहमत हूं, इससे लड़ने के लिये सारे विधायकों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। मान्यवर, सुझाव आया है कि सवा 3 एकड़ तक का लगान माफ कर दिया। मान्यवर, मेरा कहना है कि जब भयंकर सूखा है तो सवा छ एकड़ तक की लगान माफ कर दिया जाय और सवा छः एकड़ से 10 एकड़ जोत वाले जो किसान हैं उनका लगान मुल्तवी किया जाय और जो 10 एकड़ से अधिक जोत वाले किसान हैं उनको लगान किश्तों में लिया जाय क्योंकि सूखे से सभी किसान पीड़ित हैं। मैं अपने लखीमपुर जिले के संबंध में कहना चाहता हूं किसानों के धान के सारे खेत वरबाद हो गये हैं। पिछले साल स्थिति यह थी कि गन्ने के कारण हमारे लखीमपुर जिले के किसान प्रभावित हुय थे और अबकी बार सूखे से प्रभावित हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि किसानों को गन्ने का जो मूल्य बकाया है उसको तुरन्त दिया जाय। इस समय किसानों का जो भी बकाया है उसको तुरन्त दिया जाय उनको देने की व्यवस्था की जाय इससे उनको कुछ राहत मिलेगी। मेरे इन सुझावों पर ध्यान दिया जाय।

*श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, वैसे तो पूरा प्रदेश ही सूखे की चपेट में आ गया है, लेकिन मान्यवर, उन्नाव जनपद उससे अछूता नहीं है। उन्नाव जनपद की तहसील सफीपुर सबसे अधिक प्रभावित हुई है। हमारे जिले की लगभग 30 करोड़ से अधिक फसल को क्षति पहुंची है। किसान तबाह हो चुके हैं। सूखे के कारण स्थिति यह है कि आज जानवरों का चारा विषाक्त हो गया है। कोराड़ी, हड़हा, असोहा, आटा बंथर, मिर्री, निहाली खेड़ा में सैकड़ों पशु मर गये हैं। आटा बंथर में डेढ़ दर्जन आदमी हैजे से इस समय मरे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि चाहे नलकूप का मामला हो, चाहे नहरों का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे विद्युत का मामला हो, उन्नाव जनपद जो राजधानी से मिला है उसकी सदैव उपेक्षा की जाती है। अभी गतवर्ष तहसील सफीपुर बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित हुई थी।

आज सूखे के कारण इस तहसील की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है। बाढ़ के कारण किसानों की घर-गृहस्थी अभी तक नहीं जुट पायी थी, दूसरी तरफ उनकी फसल सूखे से बरबाद हो चुकी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार पिछली बार जो सहायता की गयी थी, अभी एक माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया था कि सहायता अधिकारियों के पेट में न पहुंच जाय, इस ओर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि युद्ध-स्तर पर राहत कार्यों को जारी किया जाय ताकि लोगों को काम मिल सके। लोगों को काम के बदले अनाज दिया जाय, पैसा न दिया जाय।

(श्री राधेश्याम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरकार आपका समय देने का कौन-सा नियम है, हमारे दल की तरफ से भी सूची गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको बुला लिया है।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा जिल में चार तहसीलें हैं—माठ, सादाबाद, छाता और मथुरा। वहाँ पिछले साल भयंकर वर्षा हुई जिससे एक ही शोर हुआ कि वहाँ नाले खुदवायें जायं। तो उस समय नाले वहाँ खुदे इस दृष्टिकोण से कि शायद इस बार भी बाढ़, गरकी होगी लेकिन इस बार उसका उल्टा हुआ इसलिये वह नाले बेकार पड़े हैं। इस समय मथुरा जिले में जितनी पारसाल बाढ़ आयी थी उतना ही इस साल सूखा रहा है। लेकिन मान्यवर, यदि वहाँ 5-6 काम तत्काल सरकार कराये तो शायद वहाँ के लोगों को कुछ राहत मिल जाय। 1964 में वहाँ सूखा पड़ा था, तो मुख्य मंत्री जी, उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे, तो वहाँ छोटे-छोटे कच्चे कुयें खोद गये थे, इस समय इतना भयंकर सूखा है कि ट्यूबवेल पानी नहीं दे सकेंगे और न नहरें ही काम करेंगी, इसलिये जैसे पहले 1964 में 100-200 रुपय अनुदान देकर सरकार ने कुयें खुदवाय थे और उससे सिचाई हुई थी उसी प्रकार का काम यदि सरकार कर दे तो किसानों को बहुत फायदा होगा।

मजदूर बिल्कुल बेकार हैं इसलिये उनके लिये क्रैश प्रोग्राम बनाये जायं। ग्रामीण योजना जो अनाज की थी वह स्थगित पड़ी है इसलिय उस पर मंत्री जी काम करवायें जिससे मजदूरों को लाभ होगा। जितने सरकारी और कोआपरटिव के ड्यूज हैं उनकी वसूली बंद की जाय। मजदूर और गरीब लोगों को अन्न की व्यवस्था मंत्री जी करायें। पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है उसकी व्यवस्था की जाय, क्योंकि चारा न मिलने से मथुरा जिले में पशुओं में एक बीमारी चल गयी है जिसे गला घोंटू कहते हैं जिससे पशु मर रहे हैं। उनके इलाज की तत्काल व्यवस्था करायी जाय। यह रचनात्मक कार्य है और सूखा, बाढ़ तथा गरकी में हम लोग एक हैं और इससे सभी माननीय सदस्यों को लाभ होगा और अच्छे कार्य जनता में किये जायेंगे तो सरकार की बड़ाई होगी। इसलिये मान्यवर, हमारे सुझावों पर सरकार तत्काल कार्यवाही करे।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सत्ता में रहने वाले लोग जो आज तक आँख के अंधे और कान के बहरे होते चले आये है, इस परम्परा को आखिर आप कब तक बदलेंगे। मान्यवर, गाजीपुर जिला आज सूखे से पूरा बरबाद हो चुका है। 3 तारीख को पूरे जिले के किसान जिलाधीश के यहाँ अपनी बात कहने के लिये आये थे। तो जिलाधीश महोदय बनारस चले गये, उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि 3 तारीख को अपने एस0 डी0 एम0, अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग और अपने अधिकारियों को बुलायेंगे और उनके समक्ष बात होगी कि सूखे का कैसे मुकाबला किया जाय और आज तक क्या कार्यवाही की गयी है? मान्यवर, एक भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था और एस0 डी0 एम0, गाजीपुर अपने जिले के मुकदमें में गये थे और अधिकारीगण कलेक्टर के कक्ष में बैठकर इंतजार कर रहे थे।

पता नहीं हमारे मन्त्री जी घोषणा करते हैं जो चीज अखबारों में छपती है, रेडियो में जो चीज एनाउन्स होती है, जनता जो सुनती और पढ़ती है उसके दिल में इसका कैसा विचार आयेगा वह हमारे मन्त्री और हम विधायकों के बारे में क्या विचार करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज इधर के लोगों के अन्दर बड़ी सद्बुद्धि आ गई है और गला फाड़-फाड़ कर बुराई की बात सुनने में आ रही है। हमारे इधर के सदस्यों को कुछ पता ही नहीं चलता है। पूरा प्रदेश सूखे में जल रहा है और यहां पर सूखे पर बहस न चलाकर के छोटे-छोटे विधेयक पेश कर के उसमें अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं। मान्यवर, तमाम ट्यूबवेल फेल हैं। पांच महानगरों में बिजली की कटौती है और मैं सदन के सामने चैलेन्ज करता हूं कि जिलों में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां दस दिन तक एक घण्टे भी बिजली नहीं आई है। बिजली एक घंटे में पचास बार कटी है, हाहाकार मचा हुआ ह। पता नहीं मन्त्री लोग इसकी जानकारी क्यों नहीं करते, क्यों दौरा नहीं करते। जिलों में जायं और देखें। इस समय उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले जल रहे हैं। इस समय मैं चाहूंगा कि विद्युत् विभाग पर जरा अंकुश हो। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि हमारे मन्त्रियों का कोई स्तर है या नहीं। मान्यवर, 19 तारीख को गाजीपुर जिले के अधिशासी अभियन्ता विद्युत.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें। सूखे पर बहुत चर्चा हो चुकी है.....

(शोर)

अभी तीन-चार आइटम बाकी है। ....

(व्यवधान)

अभी बिजली का आयेगा उस पर मौका मिलेगा .....

(शोर)

इस तरह का शोर मचायेंगे तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा.....

(शोर)

मैं महसूस करता हूं कि तमाम माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है लेकिन अब समय देख लीजिए। ढ़ाई घण्टे एक दिन हो चुकी है और दो घण्टे आज चल चुकी ह केवल ढाई घण्टे समय होता ह इसकी चर्चा के लिए.....

(शोर)

बिजली की सप्लाई वाला भी है उस पर 4-6 माननीय सदस्यों को बोलने दूंगा....

(शोर)

माननीय नेता विरोधी दल जो आपके पीछे है और शोर मचा रहे हैं उनके ऊपर नियन्त्रण रखें।

(व्यवधान)

आपके नेता विरोधी दल खड़े है। कृपया उनकी तो सुनें।

श्री राम प्रकाश--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने.....

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला उन्नाव)--

चूंकि यहां इस समय जनता की व्यथा नहीं सुनी जाती है, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री राम प्रकाश--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रस्ताव पर जो 2 घण्टे की चर्चा है, उसको स्थगित कर दें और सूखे और बाढ़ पर चर्चा करा दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, चीफ मिनिस्टर साहब आराम से सो रहे हैं। जनता के दर्द के बारे में कोई बात नहीं होना चाहती । इसलिए मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मन्जूर अहमद सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम प्रकाश--

मान्यवर, जो आगे के विषय विचाराधीन हैं, उनको स्थगित कर दें और सूखे पर समय दें। एक घण्टा और बढ़ा दें ।

*मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूखे पर सदस्यों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। सूखे पर आपने दो घंटे की बहस दी थी फिर आज बहस हुई। इस पर नियमों में भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब 7.20 हो चुके हैं। यह मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने जिले की बात कहना चाहते हैं। मैं आपके सुझाव को मानता हूं कि सूखे का सामना करने के लिए एक सर्वदलीय कमेटी का गठन तुरन्त किया जायेगा और जिला स्तर पर सभी विधायकों की एक कमेटी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्या हो रहा है, उसको देखने के लिए गठित की जायेगी ।

अभी मैं दिल्ली गया था। प्रधान मन्त्री जी से मैंने अनुरोध किया कि 4 लाख टन हमको काम के बदले अन्न मिलना चाहिए। पारसाल 2 लाख टन से कम मिला था। प्रधान मन्त्री जी ने 3 लाख टन हमें देने का वचन दिया है। मैं रेलवे मन्त्री जी से भी मिला। उन्होंने वायदा किया है कि यहां पर जलाने के लिए साफ्ट-कोक जो होता ह, उसके लिए 2 रेक रोजाना मिलना चाहिए और उसकी मांग की है। हमारे प्रदेश को यह मिले। और 20 रेक रोजाना ईटों के लिए मिलना चाहिए। इसकी स्थिति यह है कि हमारे यहां जो पनकी पावर स्टेशन है---दो हैं--एक गंगा के किनारे और दूसरा हरदुआगंज में। वहां पर केवल एक दिन का कोल उपलब्ध है। रोजाना एक दिन का रहता है। तो मैंने निवेदन किया कि कम से कम एक हफ्ते का कोल रिजर्व में रहना चाहिए। उन्होंने वचन दिया है कि बहुत शीघ्र ही प्रायरटी बेसिस पर एक हफ्ते का कोल दिया जायेगा।

अभी जैसा कि राजस्व मन्त्री जी ने घोषणा की, सवा तीन एकड़ तक के काश्तकारों की सारी वसूलयाबी स्थगित कर दी है। सवा छः एकड़ तक कोई कठिन कार्यवाही नहीं होगी। सवा छः एकड़ वालों पर कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी। सवा छः एकड़ से ऊपर के लोगों की मदद की जायगी ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

वहां पर तो बढ़े हुए दर पर वसूलयाबी हो रही है। पिछले साल की हो रही है।

श्री बनारसी दास--

जहां 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान है वहां पर लगान माफ किया जायगा। कल हमने तमाम देश तथा प्रदेश के जितने भी बैंक्स हैं तथा केन्द्रीय सरकार की जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों की बैठक की और उसमें अपील की कि उपभोक्ताओं को किसी जमानत तथा श्योरिटी के बिना 500 रुपया का ऋण वह लोगों को दे दें। इसके अतिरिक्त बैंक्स से यह कहा गया कि वे पम्पिंग सेट्स के लिए लोन्स दें। स्टेट बैंक्स को हिदायतें की हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्य बैंक्स ने भी वायदे किए हैं। डीजल का जहां तक सवाल है ईराक तथा लीबिया आदि देशों ने डीजल देना बन्द कर दिया है लेकिन हमने मांग की है कि 1 लाख टन डीजल मिलना चाहिए और 50 हजार टन की हमको इस समय मिट्टी के तेल की जरूरत है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा ह। हमने कहा है कि चीनी के दाम कन्ट्रोल किए जायं और विजिटेबिल की कीमत पर नियन्त्रण किया जाय। तमाम सूबे में गल्ले की दूकानों पर गल्ला उपलब्ध कराया जा रहा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तमाम जगहों पर जहां सरकारी गल्ले की दूकानें हैं वहां पर गल्ले की कीमतें निश्चित हैं। वहां पर करीब डेढ़ रुपए किलो से कम पर उनको गल्ला उपलब्ध हो सकेगा। महंगाई को रोकने के लिए जो सम्भव उपाय किए जा सकते हैं वे किए जा रहे हैं। जगह-जगह प्राइस लिस्ट्स टांगी जायगी। जो लोग नहीं टांगेंगे या स्टाक को छिपायेंगे उनको जेल में बन्द किया जायगा, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। श्रीमन्, कुछ ऐसा देखने में आता है कि.....

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

ईराक तथा लिबिया से मंगाने की जरूरत नहीं ह। झाँसी तथा कानपुर में जो डीजल की इफरात ह वहां से जालौन जिले को कमी की डीजल में पूरी कर दी जाय?

श्री मधुकर दिघे--

डीजल की चोरी होती है.....

श्री श्याम सुन्दर गुप्त --

उनको गोली से उड़ा दें।

(व्यवधान)

श्री बनारसी दास--

डीजल की कमी के कारण मुनाफाखोरी अधिक हो गयी है। डीजल के वितरण के लिए हम जल्दी सख्त कार्यवाही करने जा रहे हैं। जितना डीजल मिलेगा उसके वितरण के लिए प्रायरिटी भी फिक्स को जायगी। जहां पर नदियों से नहरें नहीं निकली हैं वहां पर पानी को निकालने के लिए पम्पिग सेट्स की व्यवस्था की जायगी। युद्ध स्तर पर हमको काम करना होगा। पिछले 50 वर्षों का अगर आप अध्ययन करें तो देखेंगे कि हर तीन चार साल बाद दो-तीन अच्छी फसलें अगर हो जाती हैं तो कुछ खराब हो जाती हैं। कभी बाढ़ आ जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है। इस बार नदियों का प्रवाह भी कम हो गया ह। जहां तक नहरों का सवाल है वे पूरे वेग से चलाई जा रही हैं। कंठिनाई यह है कि जितनी डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं उनमें रोस्टरिंग से पानी भेजा जाता है लेकिन किसी न बांध लगा कर बम्बा रोक दिया तो टेल पर पानी नहीं मिल पाता है। जहां तक इलाहाबाद, फतेहपुर का सवाल है ये बिलकुल टेल पर पड़ते हैं पानी नीचे किसान रोक लेता है। यह कहना कि हम वहां कोई कठोर कार्यवाही करें यह कोई आसान काम नहीं ह।

चूंकि आज सूखा पड़ रहा है, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं और मैंने केन्द्रीय सरकार से कहा है.....

(व्यवधान)

कुंवर तेजभान सिह--

जहां बिजली से नलकूप चलते है वहां बिजली नहीं दी जा रही हैं। गोण्डा जिले में मनकापुर जो क्षेत्र है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बठें।

कुंवर तेजभान सिह--

वहां लगातार 3-4 दिन तक बिजली नहीं आती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आदेश आप प्रसारित करते हैं उनका सही रूप में पालन किया जाय।

श्री बनारसी दास--

जहां तक बिजली का सवाल है, हमने 33 प्रतिशत इंडस्ट्रीज की बिजली काटी है और आज लखनऊ के अन्दर भी 6 बजे से 10 बजे तक बिजली बन्द है और शहरों में भी बन्द है। हमको यह भी शिकायत मिली है कहीं-कहीं पर बिजली 15-15 और 20-20 घंटे तक नहीं मिलती और कहीं पर कम मिलती है। कहीं-कहीं यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने किसानों से रिश्वत लेकर बिजली दी है। तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कम से कम 10 घंटे तक बिजली सबको मिले। हमने, जिन ट्यूबवेल्स के कनेक्शन काटे गए हैं उनको कनेक्शन देकर चलाने का आदेश दे दिया है। साथ ही जिन्होंने पेमेन्ट नहीं किया है और उसके आधार पर ट्यूबवेल बन्द हुआ है तो वह नहीं होगा। एक बात यह कही जाती है और मैं उसके बारे में अनुरोध करना चाहता हूं कि हिन्डालको को बिजली दी जा रही है। अगर यह विधान सभा चाहे तो उसके कारखाने को उखाड़कर फेंक दीजिए। बिहार को छोड़कर यह प्रदेश सबसे नीचे के स्थान पर इस विषय में था इसी वजह से पल्प की फैक्टरी यहां न लगाकर केरल में को गयी। हम उसका ठेका नहीं दे पाए। इसी तरह से हम कागज का ठका नहीं दे पाए। पारसाल करीब-करीब 4 हजार बस्तियों में यह पर बिजली लगाए जान की योजना थी किन्तु केवल 700 गांवों में ही लग सकी क्योंकि इसके लिए तार नहीं मिला। अगर आप चाहत हैं कि यहां पर बिजली न लगे तो ठीक है, हम बन्द कर देंगे। हमने 19/20 पसा बिजली की दर की है। किसान से कम लेत हैं। हमने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा ह कि हमें बिरला से बिजली की दर बढ़ाने की इजाजत दे दी जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं--ऊदल जी बैठे हुए ह, और लोग बैठे हुए हैं। आप लोग क्षमा कीजिएगा यदि हिन्डालको का कारखाना बन्द होगा और यहां पर कामरोको प्रस्ताव आयेगा तो सबसे पहले हमारे रस्तोगी जी खड़े होंगे, राकेश चतुवदी जी खड़े होंगे.....

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी--

रस्तोगी जी काहे के लिए खड़े होंगे, वे सी0आई0ए0 के भक्त थोड़े ही हैं अरे वे तो नारायण के भक्त हैं.....

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

मैं हिण्डालको का एजेन्ट नहीं हूं जनता जनार्दन का एजेन्ट हूं, नारायण का भक्त हूं। पूरा प्रदेश सूख से ग्रस्त ह, जल के अन्य साधनों पर चर्चा हुई ह। जल के मण्डप इन्द्र देवता की प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता को आह्वान करना चाहिए कि अपने अपने इष्ट देव से वर्षा के लिए हरी टोपी वाले तन्त्र का प्रयोग राजनीति में न कर इन्द्रदेव को सम्मोहित करने में करें जिससे जनता राहत की सांस लें।

श्री बनारसी दास--

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि अगर सदन चाहे तो कानपुर के सब उद्योग बन्द कर दिए जाये और यहां पर प्रस्ताव आए, वैसे ही यहां पर उद्योग कम हैं तो आप समझिए कि बैंकों के इम्प्लाई, बीमा कम्पनियों के इम्प्लायी, सरकारी चपरासी जिनके बारे में मैंने हमेशा कहा है कि लगभग 47 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा से नीचे है। जब तक 500 रुपए सबकी आमदनी न हो जाय तब तक आमदनी फीज की जाय।

लेकिन हिम्मत के साथ सपोर्ट कर सकते हैं तो आज क्या होता है बैंकों के कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो सदन में काम रोको प्रस्ताव आता है ।

एक सदस्य--

एक आश्वासन चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

उत्तर आने दीजिए, इस तरह बीच में टोकना मुनासिब नहीं है ।

श्री बनारसी दास--

आज स्थिति यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि बिजली में कटौती की जाय और दूसरी तरफ लखनऊ और कानपुर की गलियों में, इलाहाबाद में नैनी के मजदूर, हिंडालको के मजदूर प्रदर्शन करेंगे और हिंसा करेंगे, जिस प्रकार कानपुर में हुआ फिर आप कहेंगे कि पुलिस गोली चलाती है, उसका आप समर्थन करते हैं तो क्या होगा ? आपका दृष्टिकोण समन्वित होना चाहिए। जिस देश में किसानों की संख्या अधिक होगी वह देश गरीब होगा । अमेरिका में 8 फीसदी किसान हैं, जर्मनी में 7, 8 फीसदी हैं, रसा जो कृषि प्रधान देश था वहां भी अब आप जानते हैं क्या हो रहा है। तो सूखे की स्थिति का हमें सामना करना है। मैंने आपसे अर्ज किया कि आप इन सारी बातों को सोचें और एक उच्च स्तरीय कमेटी बने उसमें आपके दल के भी लोग हों और इस पक्ष के भी लोग हों, जल्दी से जल्दी 10, 15 दिन में उसकी मीटिंग बुलायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

10 दिन बहुत है उससे पहले बुला लीजिए ।

श्री बनारसी दास--

आप कमेटी का गठन होने दीजिए, जल्दी बुला लेते, परसों बुला लेंगे। तो जो सदन की भावना है उससे पूरी तरह से अवगत हैं और सूखे का सामना करने के लिए मैंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। यहां पर अन्दाजा लगाने के लिए एक टीम आयेगी जैसा कि गत वर्ष हुआ था जो शीघ्र आयेगी और इस काम के लिए जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर हैं उनको आदेश दिया है कि जल्दी करें।

इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि यह काम केवल सरकार के लिए करना सम्भव नहीं है। सब लोग सूखा कोष के लिए तमाम जनता और जो उद्योगपति हैं, धन दें जैसे कि अन्य कोष हैं और साथ ही हर जिले में मैं विधायकों से अपील करूंगा कि अन्न के बदले काम की योजना जो है इसकी कोई सीमा नहीं होगी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगायें ताकि उनको अनाज और पैसा मिल सके और बेरोजगारी दूर हो सके। यह दैवी विपत्ति है हमारे रस्तोगी जी कहते थे वह बात ठीक है, प्रार्थना करिए, यज्ञ हो। हमारी भावनाओं के बारे में स्वामी राम तीर्थ ने एक बार क्या कहा था एक राजा था जो वन में गया था और बहुत प्यासा था उसने माली से कहा रस ले आओ माली ने एक अनार तोड़ा और एक गिलास रस ले आया। उसने कहा सन्तुष्टि नहीं हुई एक गिलास और लाओ तो बहुत देर बाद वह आधा गिलास लेकर आया उसने पूछा क्या बात है माली ने कहा कि 10, 15 अनार तोड़ दिए लेकिन रस नहीं निकला। तो उसका क्या कारण है। उसका कारण बुद्धि का कारण था जिस कारण राजा प्यासा रहा और उसकी प्यास मिट नहीं पाई। राजा सोचने लगा कि एक अनार में इतना रस निकलता है तो किसान बहुत मालदार होगा उसने भारी कर लगा दिए। इस पर स्वामी रामतीर्थ ने कहा प्रकृति तुम्हारे लिए क्रूर हो गई है. . . . .

श्री रेवती रमण रस्तोगी---

जहां-जहां चरन पड़े संतन के तहं-तहं बंटा धार ।

श्री बनारसी दास---

इसलिए हमें प्रकृति के साथ मेल करना चाहिए अपने हृदय में करुणा पैदा करें, प्रकृति उदार होकर बरसा करेगी। श्रीमन् अब इस पर काफी समय हो गया है, इसे अब समाप्त किया जाय ।

सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन को अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए ।

(व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपायक्ष---

नियम 51 की सब सूचनाएं भी अस्वीकृत की गई हैं।

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 40 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
4 सितम्बर, 1979।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थियां

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 373 पर)

उत्तर प्रदेश एक्साइज कांस्टेबिल एसोसियेशन की मांगे जो माह जून, 1979 में संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

1--आबकारी सिपाहियों की वरिष्ठता सूची ठीक प्रकार से तैयार की जाए।

2--हेड कांस्टबिल को उप आबकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी जाएं।

3--आबकारी सिपाहियों की भर्ती पुलिस विभाग के सिपाहियों की भाँति की जाए।

4--आबकारी सिपाहियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भर्ती के लिए हाई स्कूल रखी जाए।

5--ताड़ी पर्यवेक्षक तथा उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती न की जाए।

6--10 वर्ष की सेवा एवं शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल के आधार पर आबकारी सिपाहियों को ताड़ी पर्यवेक्षकों के पदों पर पदोन्नति किया जाय और ताड़ी पर्यवेक्षकों को प्रोन्नति उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर की जाए।

7--आबकारी निरीक्षकों के 20 प्रतिशत पद प्रोन्नति के आधार पर एवं 80 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाएं और प्रोन्नत द्वारा भरे जाने वाले पदों का पांच प्रतिशत सीनियर ग्रेड के लिपिकों तथा 15 प्रतिशत उप आबकारी निरीक्षक के पदों से भरा जाए।

8--आबकारी सिपाहियों तथा सेलेक्शन ग्रेड के सिपाहियों को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करने हेतु 10 हजार रुपए वार्षिक धनराशि निहित की जाये। सभी आबकारी सिपाहियों तथा सलेक्शन ग्रेड के सिपाहियों के लिए ग्रुप इन्श्योरेन्स जीवन बीमा द्वारा प्रबन्ध कराया जाए।

9--आबकारी सिपाहियों को गर्मी व जाड़े की वर्दी पुलिस के सिपाहियों के पैमाने पर दी जाए।

10--पुलिस की भाँति आबकारी सिपाहियों के लिए स्टाफ वेलफेयर फंड की व्यवस्था की जाए।

11--उन स्थानों पर जहां 20 से अधिक सिपाही तैनात है उनके आवास के लिए क्वार्टर बनाए जाएं।

12--आबकारी सिपाहियों के जी0पी0 फंड की पास बुकें पूरी की जाएं।

13--प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी आबकारी सिपाहियों को आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश और चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत कर दिया करे और सिपाहियों की पासबुकें भी उन्हीं के पास रहें।

14--एक से अधिक अधिकारी द्वारा आबकारी सिपाहियों के स्थानान्तरण न किए जायें।

15--उप आबकारी आयुक्त, आगरा के कार्यालय के चौकीदार को आबकारी सिपाही बना दिया गया है जिसकी जांच करायी जाए।

16--आबकारी सिपाहियों की वर्दी तुरन्त बांटी जाए।

17--वर्ष 1972 व 1973 के वेतन के बकाए का भुगतान किया जाए।

18--11 सेवा निवृत्ति आबकारी सिपाहियों के पेन्शन के मामलों का निस्तारण किया जाए।

19--आबकारी सिपाहियों को न्यूनतम वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति किया जाए।

20--आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें दी जाएं।

21--प्रत्येक आबकारी क्षेत्र में चार आबकारी सिपाही, एक हेड कांस्टेबिल तथा एक उप आबकारी निरीक्षक कम से कम नियुक्त किया जाए।

22--आबकारी सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाए।

23--मुख्यालय पर आबकारी सिपाहियों का कार्य देखने के लिए एक सहायक आबकारी आयुक्त का पद सृजित किया जाए।

24--मुख्यालय के वैयक्तिक सहायक को सेवा से निलम्बित किया जाए।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 379 पर)

अपराध		1-3-78 से 31-3-79 की अवधि में घटित कुल अपराध	1-3-77 से 31-3-78 की अवधि में घटित कुल अपराध
डकैती	..	20	15
राहजनी व लूट	..	90	94
हत्या	..	17	13
चोरियाँ	..	2995	3142

संसद भवन

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 381 पर)

वर्ष	सत्र न्यायालयों द्वारा सुनाई गयी फाँसी की सजा जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गयी	दया की अपील करने वाले व्यक्तियों की संख्या	फाँसी पर चढ़ाये गये व्यक्तियों की संख्या	मन्तव्य
1	2	3	4	5
1974	55	36	2	6—व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।
				13—व्यक्तियों की फाँसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया।
				28—व्यक्तियों की फाँसी की सजा को शासन द्वारा आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया।
				6—व्यक्तियों की दया की अपील शासन के विचाराधीन ह ।
1975	18	9	2	6—व्यक्तियों की फाँसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया।
				3—व्यक्तियों की फाँसी की सजा को शासन द्वारा आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया ।
				4—व्यक्तियों की दया की अपील शासन क विचाराधीन है।
				1—व्यक्ति मानसिक चिकित्सालय वाराणसी में है ।
				2—व्यक्ति फरार है।

1	2	3	4	5
1976	8	6	1	2—व्यक्तियों की फाँसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीविन कारावास में लघु-कृत किया गया। 1—व्यक्ति की फाँसी की सजा को शासन द्वारा आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया। 3—व्यक्तियों की दया की अपील शासन के विचाराधीन है। 1—व्यक्ति यक्ष्मा के रोग से पीड़ित है।
1977	11	6	—	4—व्यक्तियों की फाँसी की सजा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में लघु-कृत किया गया। 1—व्यक्ति की फाँसी की सजा को शासन द्वारा आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया। 5—व्यक्तियों की दया की अपील शासन के विचाराधीन है। 1—व्यक्ति की अपील सर्वोच्च न्यायालय में है।

श्री चन्द्र,
न्याय मंत्री।

नत्थी 'ब'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 385 पर)

जनपद गोरखपुर के थाना कोठीभार के अन्तर्गत एक जनवरी, 1979 से नवम्बर, 1979 तक डकैती तथा कत्ल की घटनाओं के संबंध में सूचना।

डकैती

1—कुल संख्या	..	5
2—कितने लोग मारे गये	..	2
3—कितने मुल्जिम गिरफ्तार हुये	..	29 (14 ने आत्मसमर्पण किया)
4—किन-किन क्राइमों में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई —		

हत्या

1—कत्ल की संख्या	..	3
2—कितने मुल्जिम गिरफ्तार हुये	..	2 (7 ने आत्मसमर्पण किया)
3—किन-किन क्राइमों में आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।		क्राइम नं0 128 धारा 302, 307 में फाइनल रिपोर्ट लगाई गयी।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 429 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के लिए श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा पूछा गया अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
सरकारी सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण संबंधी शासनादेश संख्या 19–8–75/का–1–78, दिनाँक 18 अप्रैल, 1978 कार्मिक अनुभाग–1 के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त शासनादेश के अनुसार प्रदेश में तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नियमावलियाँ बन गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?	प्रश्नगत नियमावलियों को दिनाँक 14–5–79 को प्रख्यापित कर दिया गया है। पिछले अनेक वर्षों से आ रहे तदर्थवाद को समाप्त करके, तदर्थ रूप से तैनात कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने तथा इन सभी जटिल कार्यवाहियों को विधिक एवं प्रशासकीय रूप से लागू कराये जाने के बारे में विभागीय अधिकारियों ने सहराहनीय कार्य किया है, अत : इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बनारसी दास,
मुख्य मंत्री ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 430 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सत्र 1979 के 7वें गुरुवार के लिए निर्धारित श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री राम अधार राय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
8—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनाँक 24 मार्च, 1979 को जनपद लखनऊ में स्थित बलरामपुर अस्पताल में 6 मरीजों पर लेब्रोज केमिकल्स कम्पनी के खराब एवं निम्न स्तर के ग्लूकोज पानी का विपरीत असर पड़ा था ? अगर हाँ, तो क्या इसकी जानकारी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक ने शासन को दे दी थी ? अगर हाँ, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?	दिनाँक 24 मार्च, 1979 को वरिष्ठ अधीक्षक, बलरामपुर, अस्पताल लखनऊ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ तथा खाद्य एवं नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचित किया कि उनके अस्पताल में 4 रोगियों को लैब्रास, कैमिकल्स लखनऊ द्वारा निर्मित 5 प्रतिशत डेक्सट्रोट इन्जक्शन बेच नं0 3379 की प्रतिक्रिया हो गयी है। इस घटना की जानकारी शासन को है। प्रश्नगत डैक्सट्रोज को लखनऊ की प्रयोगशाला तथा कलकत्ता की प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया। लखनऊ की प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रयोगशाला डैक्सट्रोज स्टैन्डर्ड स्तर का पाया गया। कलकत्ता की प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत डैक्सट्रोज के नमूने में सस्पेन्डड पार्टीकिल्स पाए गए। इस तकनीकी त्रुटि के लिए सम्बन्धित फर्म को कठोर चेतावनी दी गयी।

रमाशंकर कौशिक,
स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 430 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के लिए श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा पूछे गये अल्प सूचित ताराँकित प्रश्न का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश भर में समस्त साधन सहकारी समितियों द्वारा बकायदारों से मूल ऋण पर कलेक्शन चार्ज न लेकर मूल ऋण तथा ब्याज एवं कलेक्शन चार्ज पर कोई भी कलेक्शन चार्ज लिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार केवल मूल ऋण पर ही कलेक्शन चार्ज लिए जाने हेतु आदेश करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?	जी नहीं। केवल मूलधन एवं ब्याज पर ही कलेक्शन चार्ज लगाया जाता है। कलेक्शन चार्ज पर कलेक्शन लिए जाने की पद्धति नहीं है। मूलधन और ब्याज पर कलेक्शन चार्ज लेना ऋण की वसूली के व्यय को वहन करने हेतु आवश्यक है।

मुलायम सिंह यादव,
सहकारिता मन्त्री।